सप्तम माला, खण्ड 22, अंक 15, शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1981/20 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

(खण्ड 22 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपये

विषय-सूची

अंक 15, शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1981/20 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1—30
*तारांकित प्रश्न संख्या	288 से 294 296, और 297	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		30—237
*तारांकित प्रश्न संख्या	295, 299 से 301, 303 से 307 और 193	30—38
अतारांकित प्रश्न संख्या	3252 से 3280, 3282 से 3288, 3290 से 3355, 3357 से 3411, 3413 से 3448, 3450 से 3468 और 3470 से 3490	39—237
सभा पटल पर रखे गये पत्र		237—243
लोक लेखा समिति		243—244
विवरण		
राज्य सभा से सन्देश		244—245
लोक लेखा समिति		246—247
61वां और 63वां प्रतिवेदन		
याचिका समिति		247
छठा प्रतिवेदन		
बिहार के धनबाद जिले में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में 7 दिसम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण		247—248
राव बीरेन्द्र सिंह		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		248—269
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिये मुआवजे के बारे में बोट क्लब पर रेली और प्रदर्शनों के समाचार		
श्री राम स्वरूप राम		248

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री भीष्म नारायण सिंह	251
श्री उत्तम राठौर	252
श्री के० पी० सिंह देव	2 4
श्री राम विलास पासवान	258
श्री राजेश पायलट	265
सभा का कार्य	269—275
कार्य मन्त्रणा समिति	275
23 वां प्रतिवेदन	
चलचित्र (संशोधन) विधेयक	275—279
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री वसन्त साठे	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	279—280
बत्तीसवां प्रतिवेदन	
विधेयक-पुरःस्थापित	
(1) श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा का भारतीय सामाजिक विषमताएं और निर्धनता उत्सादन विधेयक, 1981	280
(2) श्री एच० एन० नन्जे गौडा का न्यासों (पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए) की स्थापना पर प्रतिबन्ध विधेयक, 1981	281
(3) श्री एच० एन० नन्जे गौडा का कृषि कर्मकार पेंशन और अन्य सुख सुविधाएं विधेयक, 1981	283
(4) श्री एच० एन० नन्जे गौडा का न्यास राष्ट्रीयकरण विधेयक, 1981	284
(5) श्री पी० राजगोपाल नायडू का जनसंख्या वृद्धि रोक विधेयक, 1981	285
(6) डा० वसन्त कुमार पंडित का धर्म-परिवर्तन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1681	286
संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक	290—318
श्री डी० पी० यादव	290
श्री आर० एस० स्पेरो	298
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	300
श्री गिरधारी लाल व्यास	303

विषय	पृष्ठ
श्री अशफाक हुसैन	307
श्री मनोरंजन भक्त	311
आधे घन्टे की चर्चा	318—328
आयातित चीनी की बिक्री	
श्री एच० एन० नन्जे गौडा	318
श्री राव बीरेन्द्र सिंह	319
श्री राम सिंह यादव	322
श्री जनार्दन पुजारी	322
श्री सत्यनारायण जटिया	323
श्री रामावतार शास्त्री	327
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई (श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार)	328

लोक सभा

शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1981/-20 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

व्यय कर

*288 प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन की बुराई पर काबू पाने के लिए व्यय-कर लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को किसी विशेषज्ञ समिति/दल को सौंपने सहित इस बारे में कोई निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो किस तरह का निर्णय लिया गया है और किसी तारीख को लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र ही उक्त प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) :- आयकर के स्थान पर व्यय पर कोई कर लगाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए पिछली सरकार ने विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल नियुक्त किया था । अध्ययन दल के आयकर के स्थान पर व्यय कर लगाने की सिफारिश नहीं की थी । और न ही दल ने वर्तमान करों के अलावा व्यय कर को पुनः लागू करने का ही समर्थन किया था । सरकार ने अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार किया है और वह दल की सिफारिशों से सहमत है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : इस अध्ययन दल के सदस्य कौन-कौन हैं ? इसका क्या कारण है कि उस समिति में कोई अर्थशास्त्री नहीं था केवल विभाग के अधिकारी ही थे ? क्या प्रतिवेदन सर्वसम्मत था अथवा उसमें कोई विमति टिप्पण था ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मेरे आदरणीय सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर में मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यह निर्णय सरकार का इस समय के लिए है हम यह वचन नहीं दे सकते कि भविष्य में सरकार व्यय कर नहीं लगायेगी, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सरकारी समिति है जिसमें कर प्रशासन से सम्बन्धित लोग हैं जैसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य तथा अन्य लोग, उन्होंने व्यावहारिकता के सम्बन्ध में जांच की और इस नतीजे पर पहुंचे कि व्यावहारिक दृष्टि से इसे स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने 1975 में अनुमान लगाया था कि वर्ष 1968-69 में प्रकट न की गई आय की रकम 1400 करोड़ रुपये है। और इस आधार पर, वांचू समिति के प्रतिवेदन में कहा गया कि उस वर्ष 7000 करोड़ रुपए का काला धन जरूर होगा। प्रकट न की गई आय की और काले धन की इतनी बड़ी राशि को देखते हुए क्या सरकार अपने अनुभव को यदि कोई हो, बतायेगी जो उसे इस कर को पहले लगाने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है और किसी सुधार का सुझाव भी देगी कि इस कर को संशोधित रूप में लगाया जा सकता है ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहे और पता न लगाये जा सके धन या काले धन पर उचित रूप से कर लगाया जा सके ?

श्री आर० वेंकटरामन : व्यय कर द्वारा काले धन को समाप्त नहीं किया जा सकता और उस पर नियंत्रण तक नहीं पाया जा सकता दूसरी बात यह कि व्यय कर लगाने के बाद हमें यह अनुभव प्राप्त हुआ कि इसमें प्रपत्र अधिक हैं। और आय कम है। वर्ष 1960-61 में सबसे अधिक आय हुई जो 91 लाख रुपए थी और औसत 40 से 42 लाख रुपए थी। इसलिए राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से कर के रूप में यह बहुत उपयोगी नहीं है।

इसमें और आपत्तियां भी हैं। उदाहरणार्थ, यदि आप व्यय कर लगायें, तो आप को छूट भी देनी पड़ेगी जो प्रति मास लगभग 3000 रुपए होगी। इसका मतलब हुआ कि 36000 रुपए तो यह गये। उसके बाद निर्धारिती कहेगा 'मैंने जवाहरात में खर्च किया है मैंने साम्य अन्शों में पूंजी लगायी है और मैंने सम्पत्ति में धन खर्च किया है और इसे कम किया जाना चाहिए। परिणाम यह होगा कि व्यय कर से प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या नियमित निकायों के खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार कम्पनी द्वारा की जाने वाली लाभांश की घोषणा पर अस्थायी प्रतिबन्ध लगाना चाहेगी जैसा कि 1974 में किया गया था यदि उत्तर 'हां' है तो ऐसी कार्यवाही कब की जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और इन मामलों का सम्बन्ध बजट से है और मैं इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं बता सकता।

श्री वाई० एस० महाजन : व्यय कर प्रस्ताव श्री काल्डोर द्वारा आयकर और अधिक कर की दर को कम करने के प्रस्ताव के साथ रखा गया था। उनका विचार था कि आयकर का निम्नतम बचत तथा उद्यम पर बहुत निरूत्सहजनक प्रभाव पड़ता है इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि आयकर की अधिकतम दर 44 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर भी विचार किया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : दो महीने में बजट आ जायेगा। मैं इनमें से किसी मामले पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्यों को केवल यह बता सकता हूं कि हम प्रत्यक्ष करो में उत्तरोत्तर कमी करते आ रहे हैं में पहले ही अधिभार 1980 में 10 प्रतिशत कम कर चुका हूं।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, आय और व्यय की सीमा पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, सीमाकन होना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : सम्पति पर तो अवश्य लगाना चाहिए।

श्री डी० पी० यादव : एक आदमी लाखों रुपया खर्च करे तो उसका कोई हिसाब न रहे यह कहां तक उचित है। आज से 15-20 साल पहले डा० राम मनोहर लोहिया ने एक सवाल उठाया था और यह कहा था कि आय की सीमा पर रोक लगाओ, खर्च की सीमा पर रोक लगाओ क्या डा० राम मनोहर लोहिया के उस सिद्धान्त पर सरकार विचार करेगी ? क्योंकि योजना राशि से आजकल अधिकारियों और खासकर इन्जीनियर्स कंट्रेक्टर्स में जो ब्लैक मनी का एक्यूमुलेशन हो गया है उससे बे पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। एक तरफ तो देश में सुखाड़ और बाढ़ है और दूसरी तरफ इन्जीनियर्स और कन्ट्रैक्टर्स के पास···

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री डी० पी० यादव : तो ऐसी स्थिति में क्या उस सिद्धान्त को नजर में रखते हुए मन्त्री जी उस पर विचार करेंगे और इस देश में जितने बेईमान चोर इन्जीनियर हैं, चोर कन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखी हुई है और जिनके खर्च पर कोई सीमा नहीं है आप उस सीमा को बांधेंगे और उनके लिए कोई कड़े से कड़ा कानून बनायेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक चोरबाजारियों का सम्बन्ध है, हमने एक कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत हम जमाखोरों और चोरबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे, जहां तक आय की अधिकतम सीमा का सवाल है, इस सरकार की नीति व्यावहारिक रूप से करारोपण की है और न कि सिद्धान्त की दृष्टि से।

रुपीज 3 करोड़ टेक्स इतेजन अन्कवर्ड शीर्षक समाचार

*289 **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 नवम्बर, 1981 के 'इण्डियन एक्स प्रेस' में 'रुपीज 3 करोर

टेक्स इनेजन अन्कवर्ड' (तीन करोड़ रुपये का कर-अपवचन पकड़ा जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त फर्म का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) उस फर्म तथा अन्य लोगों को भविष्य में ऐसा कर-अपवचन करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ड.) तक एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया ।

विवरण

इस विश्वशनीय सूचना पर कार्यवाही करते हुए कि विशाखापटनम पोर्ट पर निर्माण-कार्य कर रही एक प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी, मैसर्स कान्टिनेन्टल कन्स्ट्रकशन कम्पनी आयकर का अपवंचन कर रही है, आयकर विभाग ने 10 मार्च, 1981 को इस कम्पनी की तलाशी ली तथा उसका सर्वेक्षण किया । ये कार्यवाहियां, मुख्यत: उन दस्तावेजों को बरामद करने के लिए की गयी थी, जिनसे कम्पनी द्वारा भारी पैमाने पर किये जा रहे कर-अपवचन का पता चलता था और जिन्हें वास्तव में इन कार्यवाहियों के दौरान प्राप्त कर लिया गया था । इन दस्तावेजों की जांच से प्रथमदृष्टया यह पता चलता है कि कम्पनी ने, मूल्य-ह्रास तथा विकास छूट के सम्बन्ध में झूठे दावे पेश करते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 से वर्ष 1977-78 तक 3 करोड़ रुपये तक की आय का अपवंचन किया था । इस मामले में विभाग ने आयकर अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी है । ऐसे मामलों से निपटने के लिए आयकर विभाग ने अपने कर-अपवंचन निरोधी तंत्र को भी मजबूत बना दिया है ।

श्री के० लक्कप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैसर्स कान्टिनेंटल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी दिल्ली की कम्पनी है और विशाखापत्तनम पोर्ट पर उसका भारी कार्य चल रहा है । सभा-पटल पर रखी गई सूचना के अनुसार, मुझे वित्त मन्त्री को तुरन्त की गई कार्यवाही के लिए धन्यवाद देना चाहिए । किन्तु कर अपवचन के विरुद्ध और आगे कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कुछ कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होता है मैं समझता हूं यह कम्पनी केवल 3 करोड़ रुपए के घोटाले के में ही अन्त-ग्रेस्त नहीं है अपितु पिछले दस वर्षों में यह रकम तीन करोड़ रुपए से अधिक है । विवरण में विभिन्न ब्यौरों का हवाला नहीं दिया गया है जैसे विभिन्न प्रक्रमों पर कर अपवंचन के तरीके । इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इस कर अप-वंचक के क्या तरीके थे जिसने मूल्य-ह्रास तथा विकास छूट के सम्बन्ध में झूठे दावे पेश किये थे ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : जहां तक हाल के कर अपवंचन का सम्बन्ध है, 19 मार्च, 1981 को एक छापा मारा गया था और समुचित कार्यवाही की गई है। मामले की जांच हो रही है और शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, विभाग का दृष्टिकोण ऐसा है कि कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1972-73 से 1977-78 तक के लिए जो आंकड़े और कारण दिये हैं वे सही नहीं हैं। इसलिए हमने 1972-73 से लेकर आगे तक का निर्धारण फिर से करने के लिए कार्यवाही की है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। विभाग पूर्णतः सजग है और कानून के अनुसार हर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री के० लकप्पा : वर्ष 1977-78 में मूल्य-ह्रास और विकास छूट के सम्बन्ध में झूठा दावा पेश करके उसने सरकार को धोखा दिया है। उन्हें मालूम होगा कि उस समय किसकी सरकार थी और उसने इस झूठे दावे को कैसे स्वीकार किया ? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार द्वारा इस फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 155 (6) के अनुसार विभाग को उस फर्म से, यदि उसने मूल्य-ह्रास और विकास छूट के सम्बन्ध में झूठा दावा पेश किया है, बकाया राशि वसूल करने की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम के अनुसार समूची राशि वसूल की जा सकती है। यदि सुनिश्चित करने के लिए कि इस फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया जाए और उस विशिष्ट समय तक उसकी ओर जितनी भी राशि बनती है उसे पूरा वसूल किया जाए क्या प्रशासनिक तथा कानूनी कार्यवाही की गई है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि केवल इस सरकार ने ही 1981 में कार्यवाही की है। निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए, निर्धारण सम्बन्धी शुरू की कार्यवाहियों के दौरान कम्पनी ने जब वह आयकर अधिकारी के समक्ष पेश हुई मशीनरी पर मूल्य-ह्रास, प्रभारों के सम्बन्ध में छूट मांगी। बाद में विभाग को जानकारी प्राप्त हुई कि पत्तन न्यास प्राधिकारियों ने निर्धारिती कम्पनी को बिक्री के जरिए मशीनरी कभी अन्तरित नहीं की और न्यास पत्तन ने उसे मशीनरी केवल अस्थायी प्रयोग के लिये प्रदान की थी। इसलिए, विभाग को जो जानकारी मिली वह उसके निर्धारिती कम्पनी के दावे के विपरीत विभाग के गुप्तचर्या अनुभाग ने असली तथ्यों का पता लगाया और कार्यवाही की गई है।

जहां तक काले धन का पता लगाने के लिए कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही का संबंध है इस सरकार ने अनेक कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यवाहियां की हैं जिनमें से महत्वपूर्ण कार्यवाहियां इस प्रकार हैं :

धारा 69क के अन्तर्गत लेखाबाह्य धन, सोना-चांदी, जवाहरात अथवा अन्य कीमती वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। आयकर अधिकारियों की तलाशी लेने और जब्त करने की शक्तियां और प्रवेश और सर्वेक्षण की शक्तियां और व्यापक कर दी गई हैं। काले धन में सौदों पर रोक लगाने के लिए उपबन्ध बनाये गये हैं। ऐसा कानून बना दिया गया है कि किसी बेनामी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी अधिकार तब तक वर्जित होगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे

में आयकर विभाग को न बता दिया गया हो। विनिर्दिष्ट व्यवसायों के बारे में और कारोबार तथा अन्य व्यवसायों के सम्बन्ध में आय। आवर्त (टर्न ओवर) की कतिपय विहित सीमाओं से ऊपर अनिवार्य रूप से हिसाब-किताब रखना कानूनन जरूरी है।

जहां तक प्रशासनिक उपायों का सम्बन्ध है, आयकर आयुक्तों को निदेश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्रों में तलाशियां आयोजित करने व लेने के लिए गुप्तचर एककों का पूरा उपयोग करें और तलाशी तथा जब्ती कार्यवाहियों में भी तेजी लाएं। आयकर आयुक्तों से कहा गया है कि वे मुश्किल से उपलब्ध वस्तुओं आदि की बिक्री से बनाये जा रहे धन के संग्रह के बारे में बाजार रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही करें। आयकर अधिकारियों की सर्वेक्षण शक्ति और व्यापक कर दी गई है। विशेष जांच मंडल (सर्कल्स) स्थापित किए गए हैं। सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यवाहियों में तेजी लायी गई है। करदाताओं को शिक्षित करने का अभियान तेज कर दिया गया है। संग्रहण समाकलन और नये निर्धारितियों का पता लगाने के लिए तथा पहले के निर्धारितियों के मामले में अपवंचन का पता लगाने के लिए तंत्र व्यवस्था में और सुधार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उन्हें भेज सकते हैं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री बापु साहिब पुरुलेकर : अध्यक्ष महोदय, सांठ-गांठ के बारे में आपका अनुमान सही निकला। जहां तक इसका सम्बन्ध है, श्री लकप्पा ने इतना खोजपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके अनुपूरक प्रश्न पर अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बापुसाहिब पुरुलेकर : यह घटना वर्ष 1072-73 की है और उसमें बड़ा घोटाला है। इसलिए मैं सभा से इस सम्बन्ध में दो मिनट बोलने की अनुमति चाहूंगा।

यह काम वर्ष 1972 में इस कम्पनी को दिया गया था जिसके लिए 6 करोड़ रुपए मूल्य की मशीनरी आयात करने की आवश्यकता थी। कम्पनी की स्थिति उनका आयात करने की नहीं थी। इसलिए, विशाखापत्तनम न्यास पत्तनम इस मशीनरी को लाया और इसे कम्पनी को किराये पर दिया जाना था। यदि मशीनरी किराये पर दी गई है तो कम्पनी मूल्य ह्रास-छूट प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इसलिए इस कम्पनी ने वर्ष 1973 में सही तौर पर 2 मार्च, 1973 को सरकारी अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके करार बदलवा दिया और 'हायर' शब्द के स्थान पर 'प्रीवाडेड' शब्द रखा गया। रिपोर्ट में इस तरह उल्लेख है। इस कारण उसने 4.5 करोड़ रुपए की छूट प्राप्त की। आप यह जानकार हैरान होंगे कि विशाखापत्तन न्यास निदेशक बोर्ड ने वर्ष 1972-73 में इस खास रकम को कम करने के लिए नामे-चिट्ठी (डिबिट नोट) दी थी और इस नामे चिट्ठी के कारण ही यह छूट दी गई थी। वर्ष 1973 में, जब नया बोर्ड बना तो उसने यह धोखा-धड़ी पकड़ ली। दूसरा दावा पेश किया गया जिसे स्वीकार नहीं किया गया और इस नामे-चिट्ठी को वापस ले लिया गया। इस प्रकार इस सारी बात का पता लगा।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार का विचार उन अधिकारियों के खिलाफ क्या

कार्यवाही करने का है जिन्होंने उस ठेकेदार को सरकार से 4.5 करोड़ रुपए ठगने के लिये उद्यत किया उसकी सहायता की और उसे दुष्प्रेरित किया और क्या दिल्ली में बड़े लोगों द्वारा सरकार पर इस समूचे मामले को चुप-चाप समाप्त करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : पत्तन न्यास का संभवतः, शुरू में इस मशीनरी को ठेकेदार को बेचने का इरादा था और अलवता ठेकेदार ने कहा कि वह खरीद रहा है और उसने नामे-चिट्ठी भी बनवा ली है। बाद में वह खरीद नहीं सका या पत्तन न्यास ने बेचने से इन्कार कर दिया चाहे जो भी कारण रहा हो। पत्तन न्यास ने नामे-चिट्ठी रद्द कर दी और निर्धारिती ने निर्धारण में इस बात को छिपाया और छूट लेता रहा। निर्धारिती ने इस बात को छिपाकर कि नामे-चिट्ठी रद्द कर दी गई और मशीनरी केवल किराये पर ही उसकी बिक्री हुई है। न कि अपराध किया है। वह छूट लेता रहा जैसे कि उसकी बिक्री हुई हो, इस बात के बावजूद कि नामे-चिट्ठी रद्द कर दी गई थी और उसके स्थान पर किराये का उपबन्ध कर दिया गया था। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति के बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध हो तो मैं उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं। सरकार किसी को बचाने में रुचि नहीं रखती किन्तु तथ्यों के आधार पर यही स्थिति है।

श्री बापुसाहिब पुरुलेकर : तथ्यों का उल्लेख रिपोर्ट में है।

चाय के उत्पादन में गिरावट

* 290. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में चाय के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भले ही अप्रैल से अक्तूबर, 1981 तक (दोनों महीने शामिल हैं) चाय के उत्पानन में गिरावट रही है परन्तु सितम्बर तथा अक्तूबर, 1981 में उत्पादन पुनः बढ़ा है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1981 तक चाय उत्पादन दर्शाने वाला एक ब्यौरेवार विवरण सभा पटल में रखा जाता है। विवरण से यह पता चलेगा कि पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में चाय उत्पादन में 13,59 मि० कि० ग्राम की समग्र गिरावट आई है। इस गिरावट का प्रमुख कारण प्रतिकुल मौसम परिस्थितियों का होना रहा है।

विवरण

(आंकड़े मि० किग्रा० में)

महीने	1981-82 (अनुमानित)			1980-81(अनुन्तिम)			1980-81 की अपेक्षा 1981-82 में	
	उ० मा०	द० मा०	योग	उ० मा०	द० मा०	योग	(+) या (—)	
अप्रैल	18.92	14.89	33.81	22.99	13.01	36.00	(—)	2.19
मई	43.32	13.98	57.30	47.81	19.05	66.86	(—)	9.56
जून	55.28	9.83	65.11	55.28	12.33	67.61	(—)	2.50
जुलाई	72.50	9.59	82.09	73.56	8.76	82.32	(—)	0.25
अगस्त	64 19	7.60	71.79	66.93	7.04	73-97	(—)	2.18
सितम्बर	68.10	7.72	75.82	65.21	9.10	74.31	(+)	1.51
अक्तूबर	58.28	14.30	72.58	56.56	14.46	71.02	(+)	1.56
अप्रैल से अक्तूबर	380.59	77.91	458.50	388.34	83.75	472.09	(—)	13.59

श्री जी० वाई० कृष्णन : उत्पादन में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए क्या कोई राहत मांगी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जैसाकि मैंने कहा, उत्पादन में कमी होने क प्रमुख कारण मौसम, विशेषकर कुछ क्षेत्रों में अनियमित मानसून की परिस्थितियां हैं।

हमें आशा है कि समूचे रूप से उत्पादन का स्तर उतना ही बना रहेगा। माननीय सदस्य विवरण में देखेंगे कि सितम्बर से उत्पादन में वृद्धि होने लग गई है। समूचे रूप से लगभग 57.4 - 57.4 करोड़ किलोग्राम के उत्पादन का वही स्तर बना रहेगा। परन्तु प्रश्न समूचे उत्पादन का नहीं है।

प्रश्न तो उत्पादन लागत का है जो प्रति हेक्टेयर बढ़ रही है। हमने इस सम्बन्ध में कड़ी उपायों की घोषणा की है। उदाहरार्थ, मैं उस बढ़े हुए विकास भत्ते की उल्लेख करना चाहूंगा जो हम बागानों को दे रहे हैं।

विकास भत्ता इस प्रकार दिया जाता है :

प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए	मैदानी बाग
प्रति हेक्टेयर 35,000 रुपए	पहाड़ी बाग
प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए	दार्जीलिंग बाग

बागान आर्थिक सहायता में भी वृद्धि की गई है। उत्पादन केन्द्रों, चाय उगाने वाले संगठनों और सरकारी अधिकारियों के साथ मेरी पिछली बैठकों में कुछ सिफारिशें की गई थी। उनमें कुछ भारत सरकार को क्रियान्वित करनी थी जो हमने क्रियान्वित कर दी हैं। कुछ सिफारिशें विभिन्न उत्पादक राज्य सरकारों ने क्रियान्वित करनी है और उन्होंने उन्हें क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है। एक या दो सिफारिशें तो क्रियान्वित की जा चुकी हैं।। अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही हैं।

श्री जी० वाई कृष्णन : क्या इससे निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो कितना ?

श्री प्रणव मुखर्जी : निर्यात की मात्रा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है परन्तु उससे होने वाली आय पर पड़ा है। मात्रा की दृष्टि से तो निर्यात बढ़ा है परन्तु कीमत के अनुसार इसमें कमी हुई है क्योंकि प्रति यूनिट गिर गई है।

सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्गठन

*291. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों के संगठनात्मक पुनर्गठन से है । सरकारी उद्यमों के सामान्य संगठनात्मक पुनर्गठन का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन जब कभी आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मन्त्री का पूर्वनुमान है कि मैंने सगठनात्मक पुनर्गठन के बारे में पूछा है । में उन्हें बता देना चाहती हूं कि मेरा मतलब निश्चित रुप से संगठनात्मक पुनर्गठन और मूल्य सम्बन्धी तथा आर्थिक नीतियों से है । वह कहते है कि सामान्य संगठनात्मक पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है और इसके साथ साथ यह भी कहा है कि जब जरुरत होती है पुनर्गठन किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से मिलने वाले बड़ी मात्रा में ऋण को ध्यान में रखते हुए मेरा विश्वास है कि यह "जब जरूरत होती है, पुनर्गठन किया जाता है" की ही एक परिस्थिति है —क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जायेगी और यदि मूल्य संबंधी नीति सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में रुकावट बनती है, तो निर्णय प्रायः सामान्य निर्बाध बाजार व्यवस्था के पक्ष में किया जायेगा और भविष्य में होने वाली लागत में वृद्धि उपभोक्ताओं पर डाल दी जाया करेगी जैसा कि हाल ही में इस्पात कोयला और कई अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मामले में हुआ है ? क्या यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की मागों के अनुकूल है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मूल्य निर्धारण नीति का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारी नीति यह है कि उपभोक्ताओं को वंध उत्पादन लागत का संदाय अवश्य करना चाहिये । कोई भी व्यक्ति जो उस वस्तु का उपभोग करता है युक्तियुक्त उत्पादन लागत का संदाय तो करेगा ही । यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें दक्षता बढ़ाकर उत्पादन लागत घटानी चाहिये तो में उनसे सहमत हूं । परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई और व्यक्ति इन वस्तुओं के क्रेताओं को जिनका कुछ समूहों द्वारा प्रयोग किया जाता है, कोई सहायता दें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मन्त्री जी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर सरकारी क्षेत्र में कई प्रकार के उपक्रम है और कुछ उपक्रम विशेष रुप से लोकोपयोगी हैं । अतः सभी उपक्रमों पर समान नियम लागू नहीं हो सकते । चीनी वाला इस्पात वाले की नहीं कर सकता है, यह तो समझ में आता है परन्तु लोक संचार साधनों को सहायता तो देनी ही पड़ेगी अतः यह इतना सुगम नहीं है जितना वह इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन उद्यमों के बारे में जिनसे सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति की जानी है मूल्य सदा आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रख कर निर्धारित किये जाते रहेंगे और क्या सामाजिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक सार्वजनिक परिवहन का सम्बन्ध है, हमारी राय यह है परिवहन की जो युक्तियुक्त लागत है उसका वहन परिवहन का उपयोग करने वाले ही करें। जहां तक कमजोर वर्गों के लिए खाद्य, कपड़ा जैसी वस्तुओं का सम्बन्ध है उनमें सहायता देना सरकार की नीति रही है और वह अब भी जारी रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा है रहा।

श्री बीजू पटनायक : माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि खाद्य जैसी वस्तुओं के मामले में राज सहायता दी जा रही है। परन्तु खाद्य सरकारी उद्यम तो नहीं है। यह तो गैर-सरकारी क्षेत्र में है। इस देश में कोई भी सरकारी कम्पनी खाद्य पैदा नहीं करती है खाद्य का उत्पादन तो निजी उत्पादक ही करता है। आप राज सहायता की बात करते हैं इसका बास्तविक मूल्य तो राज सहायता से भी कहीं अधिक है क्योंकि इसके मूल्य में उपभोक्ताओं के पास पहुंचने तक और भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि आप के पास अपनी वितरक व्यवस्था नहीं है। अतः खाद्य, चीनी, कपड़ा आदि की कीमतों के बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही बेहतर है। माननीय सदस्य का प्रश्न तो बिल्कुल भिन्न था। विशिष्ट प्रश्न तो यह है कि क्या इस चालू वित्तीय वर्ष में किसी लोक निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं श्रीमती गीता मुखर्जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं नहीं जानता कि श्री बीजू पटनायक के मन में क्या बात है।

श्री बीजू पटनायक : मैं तो केवल अर्थ बता रहा था।

श्री आर० वेंकटरामन : लिखित उत्तर में पुनर्गठन का ही उल्लेख है।

सरकार ने फजल समिति नियुक्त की है और उस समिति ने कोयला, उर्वरक इन्जीनियरी टेलीफोन, उद्योगों, नौवहन आदि के मामले में छानबीन की है। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, समिति ने कुछ सिफारिशें की है कि कोयले के कारखानों के स्वतन्त्र कम्पनियों में परिवर्तित कर दिया जाये। जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है उनका कहना है किसिन्दरी उर्वरक कारखानों को उर्वरक निगम के नियन्त्रण से अलग कर दिया जाये और उसे हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अधीन कर दिया जाये। अन्य रिपोर्टें अभी अभीप्राप्त हुई हैं और हमने अभी उन पर विचार नहीं किया है।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, इस मामले पर मन्त्रि मण्डल की उपसमिति विचार कर रही है। सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : चूंकि यह प्रश्न सरकारी क्षेत्र के उद्योमों के बारे में है इसलिए इससे एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है।

वित्त मन्त्री अच्छी तरह जानते हैं कि भिन्न भिन्न वाणिज्य मण्डलों द्वारा सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध और उनकी अध्यक्षता के बारे में विषाक्त अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों

से हमारे देश के लोगों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र बहुत ही दक्ष है और सरकारी क्षेत्र बहुत ही अदक्ष है क्या मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री से पूछ सकता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में मूल्य और लागत के बीच क्या सम्बन्ध है ? चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र एक संरक्षित बाजार है इसलिये उनकी सारी अदक्षता अधिक कीमत लेकर छिप जाती है । सरकार इन आरोपों से निपटने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? क्योंकि यदि कोई कार्यवाही न की गई तो गैर-सरकारी क्षेत्र अपने अभियान द्वारा जो कुछ कर रहा है उससे लोगों को विश्वास हो जायेगा कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम और उनका प्रबन्ध सब गलत है और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यम दक्ष है । चूंकि आपने स्वीकार कर लिया है कि सरकारी क्षेत्र ने प्रभावी भूमिका निभाई है, क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की इस चुनौती का सामना करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेगी और सिद्ध करेगी कि उनको मुनाफा उनकी दक्षता की बजाए भारत के संरक्षित बाजार होने के कारण हो रहा है और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से कम दक्ष नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह तो एक नया प्रश्न है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वित्त मन्त्री इसका उत्तर देना चाहते है ।

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । फिर भी मैं उनको अनुमति देता हूं यदि वह उत्तर देना चाहते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं माननीय प्रोफेसरों को बताना चाहता हूं कि मैंने सदा सरकारी क्षेत्र का पक्ष लिया है और मैं वाणिज्य मंडलों की जितनी बैठकों में गया हूं मैं उनसे पूछा करता हूं कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में इतनी दक्षता है जितनी का आप दावा करते हैं तो इतनी अधिक कपड़ा मिलें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन क्यों है ? अतः प्रश्न इस या उस क्षेत्र का नहीं है । यह तो प्रबन्ध की दक्षता पर निर्भर करता है । ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकारी क्षेत्र कमजोर या बुरा है और गैर-सरकारी क्षेत्र दक्ष और अच्छा है । अतः मेरी तो सदा यही राय रही है और मैंने उनसे इसी तरह ही बात करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल प्रबन्ध का है प्रबन्धकों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये ।

श्री आर० वेंकटरामन : हमने उन्हें उत्तरदायी बना दिया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें न केवल उत्तरदायी ही बनाया जाये, परन्तु उन्हें उनकी भूल चूक के लिए दण्ड भी दिया जाये ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस वर्ष सरकारी क्षेत्र से मुनाफा होने की सूचना लेकरके ही सभा में जाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बहुत अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये ।

श्री बीजू पटनायक : चूंकि आपने प्रबन्ध के प्रश्न को ले लिया है, इसलिए क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों को वही प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी जो गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों को उपलब्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिये ।

श्री आर० वेंकटरामन : हम तुलना बिल्कुल नहीं करते । हम दक्षता पर बल देते हैं ।

श्री बीजू पटनायक : आवश्यक प्रोत्साहन सहित ।

अध्यक्ष महोदय : वादविवाद की अनुज्ञा नहीं है ।

श्री बीजू पटनायक : महोदय, टाटा में एक व्यक्ति को प्रति मास 20,000 रुपए मिलते है जबकि सरकारी क्षेत्र में प्रति मास केवल 5,000 रुपए मिलते हैं । उन्हें और अधिक क्यों नहीं दिया जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : वादविवाद की कोई अनुमति नहीं है श्री नाडार द्वारा अगला प्रश्न ।

केरल चाय उद्योग के लिये राहत उपाय

*292. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चाय उद्योग में आये संकट के बारे में सरकार से कुछ तत्कालिक राहत उपाय करने का अनुरोध किया गया हैं ;

(ख) यदि हाँ तो अपेक्षित राहत उपायों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ख) उन राहत उपायों का ब्योरा, जिनकी मांग को गई है, निम्नोक्त प्रकार हैं ।

केन्द्र सरकार से मांगी गई राहत :

(1) चाय पर जिसमें डिब्बबन्द चाय भी शामिल है, उत्पादन शुल्क समाप्त करना पटाना ।

(2) निर्यातित चाय पर उत्पादन शुल्क की वापसी ।

(3) उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा फफूंदी नाशक दवाओं पर उपदान ।

(4) चाय की निर्यात बिक्री पर उपदान

(5) चाय की झाड़ियों पर पुनर्स्थापन भत्ता ।

(6) ब्याज की रियायती दरों पर ऋण सुविधाएं ।

(7) कोयले की नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई तथा रेलों द्वारा इसका तत्काल परिवहन ।

राज्य सरकारों से मांगी गई राहत :

(1) चाय पर और साथ ही उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा फफूंदी नाशक दवाओं पर बिक्री कर का निलम्बन

(2) बागान कर का निलम्बन ।

(3) बिजली टैरिफ को संशोधन करके कम करना ।

(4) सेनायोरेज की वसूली करने सम्बन्धी प्रस्ताव को निलम्बित करना तथा जलाने की लकड़ी की खेती के लिये सुविधाएं देना ।

(5) कृषि आय कर की दर को सुव्यवस्थित बनाना ।

(6) बागान कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये दायित्व का आस्थग ।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही :

(1) निर्यातों पर उत्पादन शुल्क में राहत, बागानों से किये गये निर्यातों के मामले में पूरी सीमा तक तथा बागानों के अथवा अन्य निर्यातों के मामले में 44 पैसे प्रति किलोग्राम तक दी गई है ।

(2) पैकिंग सामग्री जैसी चाय की पैटियों में प्रयोग किये जाने वाले प्लाइवुड, एल्यूमिनियम फोइल आदि के सम्बन्ध में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क पर वापसी प्रदान की गई है ।

केरल सरकार द्वारा की गई कार्यवाही :

(1) राज्यों में हरी चाय की पत्तियों तथा विनिर्मित चाय की बिक्री पर 16.9-1981 से एक वर्ष की अवधि के लिये बिक्री कर 5 प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत कर दिया गया है ।

(2) केरल में चाय बागानों में प्रयोग के लिये खरीदे गये उर्वरकों पर 2 प्रतिशत का बिक्री कर समाप्त कर दिया गया है ।

(3) 1-9-81 से उच्चतम स्लैब पर बागान कर 90 रू० प्रति हेक्टार की तुलना में, जो कि संशोधित दर है, केवल 70 रू० प्रति हेक्टार लिया जायेगा ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : इस विवरण में उत्तर गायब है। आप इसका सत्यापन कर सकते हैं । उन्हें इसे पढ़ने दीजिए ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे खेद है । मेरी कापी तो ब्लैंक नहीं है । मेरे पास भी वही साईक्लोस्टाईल्ड कापी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें अपना चश्मा दे सकते हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं तैयार हूं ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : श्रीमन् इस विवरण के अनुसार सरकार ने कुछ राहत उपाय किये हैं । मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये एक अन्य प्रश्न संख्या 290 के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह पूछ सकता हूं कि चाय उगाने वालों का सम्मेलन हुआ है, सरकार ने राहत उपाय उससे पूर्व किये हैं या बाद में ?

श्री प्रणव मुखर्जी : उस सम्मेलन के पश्चात् ।

श्री० ए० नीलालोहिथादसन नाडार : श्रीमन्, इस उद्योग से सम्बन्धित सभी लोगों ने राहत उपायों को मांग की थी और सरकार वे उपाय कर रही है । परन्तु प्रश्न संख्या 290 के उत्तर में माननीय मंत्री द्वारा दिए गये विवरण से पता चलता है कि चाय उद्योग में अब भी संकट व्याप्त है । चाय के उत्पादन में भी कमी हुई है ।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में किन उपायों की मांग की गई थी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, यदि माननीय सदस्य उन मांगों को स्वयं पढ़ें, तो वह भी इससे सहमत नहीं होंगे कि उनकी ये सभी मांगें पूरी कर दी जायें । उद्योग की तो कई मांगें हो सकती हैं । हमें यह भी देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं । जो कुछ सम्भव होता है, वही सरकार करती है । मैंने मांगों को श्रेणीबद्ध कर दिया है । सात मांगें भारत सरकार द्वारा और छः मांगें राज्य सरकार द्वारा पूरी किए जाने के लिए रखी गई थीं । उनमें से कुछ मांगों को पहले ही पूरा कर दिया गया है । यदि माननीय सदस्य इन सभी मांगों को पहले ही पूरा कर दिया गया है । यदि माननीय सदस्य इन सभी मांगों का विश्लेषण करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इनसे राज्य सरकारों की आय पर प्रभाव पड़ेगा । अतः अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष राहत देते समय उनसे समूचे रूप से होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है । जो सम्भव था वह कर दिया गया है । कुछ और उपाय किये जा रहे हैं । कुछ मांगों को पूरा कर दिया गया है ।

जैसा कि मैंने पहले बताया है, सभी मांगों को तो पूरा नहीं किया जा सकता। चाय के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण मौसम की परिस्थितियां हैं।

सितम्बर से उत्पादन बढ़ने लग गया है। पहले के एक प्रश्न के उत्तर में दिए गये विवरण से माननीय सदस्य को पता लगेगा कि हमारे अनुमान के अनुसार हम चाहते थे कि लगभग 61 करोड़ किलोग्राम चाय होगी। यह योजना आयोग की रिपोर्ट में है। पिछले वर्ष में 57.4 करोड़ किलोग्राम उत्पादन की तुलना में इस वर्ष के अन्त में उत्पादन कम नहीं होगा।

एयर इन्डिया के बड़े कार्यकारी अधिकारियों पर व्यय

*293. **श्री मूलचन्द डागा** क्या : **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के दौरों पर जाने वाले एयर इन्डिया के बड़े कार्यकारी अधिकारियों पर व्यय में 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान लगातार वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह वृद्धि कितनी हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस व्यय में कमी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी खाने-पीने और क्लबों की अत्यधिक फीस अदा करने पर व्यय करते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीचन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और और (ख) वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान एयर इण्डिया के (विभागीय अध्यक्षों तथा ऊपर के रैंक वाले) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशों के सरकारी दौरों पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है :

1976-77	1,24,428/- रुपये
1977-78	33,352/- रुपये
1978-79	1,53,555/- रुपये

दौरों की सख्या में 1978-79 में वृद्धि हुई जोकि कारपोरेशन की परिचालात्मक/वाणिज्यिक जरूरतों की वजह से अनिवार्य थी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को सामान्य रूप से निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने विदेशों के दौरों के खर्च में कटौती करें।

(ग) जी, नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष जी, जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया है, लेकिन कब तक छिप सकता है। आप मेहरबानी करके यह बताइये 1,24,428 रु० खर्च हुआ, फिर आपने खर्चा

बढ़ा दिया 1,53,555 रु० । मैं पूछना चाहता हूं कि सीनियर अफसर एयर इंडिया के आकाश में उड़ते हैं वह वहां पर जाकर डी० ए०, होटल किराया, क्लब के अन्दर ऐन्टरटेनमेंट के लिए जाते हैं क्या ? और किस आधार पर मिलता है उनको ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट्स फिक्स कर दिये हैं उनके आधार पर मिलता है, या कभी आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस बात पर ऐप्रूवल ली है, जैसा कि पी० यू० सी० ने कहा है ? या उससे ज्यादा देते हैं, और किस आधार पर देते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जहां तक एयर इण्डिया के सीनियर आफिसर्स बाहर जाते हैं और उनको टी० ए० और डी० ए० मिलने का सवाल है वह आलरेडी सरकार द्वारा तय किया हुआ है, कारपोरेशन द्वारा तय किया हुआ है, उसके मुताबिक मिलता है । हमारे पास हर आफिसर का डेली टी० ए० और डी० ए० का रेट हर कैटेगरी का नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो सभा पटल पर रख दूंगा ।

जहां तक उनके बाहर जाने पर ऐंटरटेनमेंट का सवाल है जो आफिशियल्स टूअर पर बाहर जाते हैं सिवाय टी० ए०, डी० ए० के और कोई खर्चा ऐंटरटेनमेंट वगैरह पर नहीं होता है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं आया । होटल ऐकोमोडेशन और दैनिक भत्ता उनको क्या मिलता है ? और जो पी० यू० सी० ने कहा है इस बारे में तो 21 महीने के बाद भी आपने ऐप्रूवल नहीं ली है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयर इण्डिया में विधि का उल्लंघन न हो अभी तक वित्त मंत्रालय की सलाह नहीं ली गई है । यह लेटेस्ट रिपोर्ट है, 1980-81 की सातवीं लोक सभा की । तो मैं जानना चाहता हूं क्यों देते हैं और क्या निर्णय है ? और फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपने 21 महीने तक क्यों नहीं ऐप्रूवल ली ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने पहले ही कहा है कि हर कैटेगरी के जो आफिशियल्स हैं, उनके टी० ए० का क्या रेट···

अध्यक्ष महोदय : कितना है बता दीजिए ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे पास नहीं है । सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऐप्रूवल क्यों नहीं ली, जब कि रिपोर्ट में साफ कहा है कि :

> समिति इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि उसके सुझाव के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयर इण्डिया में चालक वृन्द को ले-ओवर भत्ता देने की वर्तमान पद्धति में विधि का उल्लंघन न हो वित्त मंत्रालय की सलाह अभी तक नहीं ली गई है । यह देखने की बात है कि समिति का प्रतिवेदन अप्रैल, 1979 में पेश किया गया था और इस मामले में पहले ही 21मास से अधिक का विलम्ब हो गया है ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जैसा मैंने कहा टी० ए०, डी० ए० का जहां तक सवाल है, टी० ए०, डी० ए० रूल पहले से निश्चित रहते हैं और मैंने कहा सरकार द्वारा ऐप्रूव किये होते हैं, उनको सभा पटल पर मैं रख दूंगा हर कैटेगरी के अफसर को कितना मिलता है और किस रेट आफ होटल के वह ऐन्टाइटिल्ड हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : दूसरी बात इन्होंने कमेटी के ओबजर्वेशन्स के सम्बन्ध में कही है। कमेटी के औवर्जेशन्स को गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने नोट किया और उसके सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे पहले क्वेश्चन का ही जवाब था।

अध्यक्ष महोदय : आप अब रहने दीजिए : आप एकाधिकार बनाने का प्रयत्न मत कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है, यह सब माननीय सदस्य जानते हैं। जो भी पब्लिक अन्डर टेकिंग का काम चला रहा है, इसके सम्बन्ध में आपने भी नोट किया है और मन्त्री महोदय भी इस बात को जानते हैं। इन्होंने अपने पूरे जबाव में दिया है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों को सामान्य रूप से निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने विदेशों के दौरों के खर्च में कटौती करें, जब जब सरकार बनती है और कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यह जवाब दे दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी खर्च की कोई सीमा नहीं है, न इसमें कटौती होती है। यह खर्च की सीमा सिर्फ सदस्यों पर लागू हो सकती है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं, उन पर कभी लागू नहीं होती। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये अधिकारी लोग विदेशों में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं या काम करने जाते हैं ?

क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जो निर्देश जारी किये हैं, उसके बाद 1980-81 में इन विदेशों के दौरे पर कितना खर्चा हुआ है और विदेश जाने के क्या नियम हैं और आपके निर्देशों का क्या असर हुआ है ?

श्री पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, में प्रश्न आखिरी सिरे से अपने जवाब प्रारम्भ करना चाहता हूं 1980-81 का खर्च पूछा नहीं गया था, लेकिन 1980-81 का खर्च आप जानना चाहते हैं, मैं सभा-पटल पर रख दूंगा।

दूसरी बात सदस्यों ने पूछी कि ये लोग सैर करने जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं इसकी एक फहरिस्त है, उसे मैं पढ़कर सुना देता हूं—उद्देश्य जिनके लिए सैरों पर जाना आवश्यक है :

(1) यह सुनिश्चित करना कि हमारे ऑन लाइन और ऑफ लाइन अधिकारी संचालन

वाणिज्यिक और इंजीनियरी दृष्टिकोण से दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययता से काम कर रहे हैं ;

(2) समय पर होने वाले विक्रय सम्मेलनों में भाग लेना, जिन्हें विक्रय को बढ़ाने और क्षेत्र विशेष में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाता है ;

(3) एयर इण्डिया आई० ए० टी० ए० का सक्रिय सदस्य है और इसे आई० ए० टी० ए० के विभिन्न महत्वपूर्ण सम्मेलनों और यातायात सम्मेलन, वित्त, तकनीक, लागत, समय सारिणी आदि विषयों से सम्बन्धित समितियों की बैठकों में भाग लेना होता है ;

(4) द्विपक्षीय और पुंज बैठकों में भाग लेना और सरकारी शिष्टमंडल के सदस्यों के रूप में द्विपक्षीय वार्ताओं में भाग लेना ;

(5) कतिपय विशेष समस्याओं। विशेष उड़ानों की व्यवस्था, जलपान व्यवस्था, माल लाने-ले जाने की व्यवस्था, बाजार सर्वेक्षण आदि मामलों की जांच करना ;

(6) सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं और सतर्कता सम्बन्धी मामलों पर विचार करना ;

(7) स्थानीय कर्मचारियों से सम्बधित विभिन्न समस्याओं पर विचार करना और उन्हें हल करना और प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर ऑफ लाईन / ऑफ लाईन कर्मचारियों के विभिन्न कार्मिक संघों से बात-चीत करना।

इन उद्देश्यों के लिए अधिकारी विदेशी दौरों पर जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पूछा है कि सरकार ने जो निर्देश जारी किये हैं, उनका क्या असर हुआ ? सरकार निर्देश जारी करती है, लेकिन···

अध्यक्ष महोदय : 1980-81 का खर्च आपके सामने रख देंगे।

श्री रामविलास पासवान : खाली इतना ही बता दें कि कम हुआ है या अधिक हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी में आ जायेगा।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आप देख लीजिएगा।

डा० कर्णसिंह : महोदय, विभाजन, विशेषतया आज के युग में, एक बहुत प्रतियोगी व्यवसाय है और यदि एयर इन्डिया ने अन्य एयर लाइनों से प्रतियोगिता करनी है, तो इसे अपने संचालन में कतिपय नयापन लाना होगा और अधिक गतिशील बनना होगा। मंत्री महोदय ने कतिपय अफसरों का उल्लेख किया है, जिन पर अधिकारी विदेशों के दौरों पर जाते हैं। यदि मैंने

उन की बात को ठीक समझा है तो उन्होंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि विदेशों के दौरे पर जाने वाले अधिकारों को कोई मनोरंजन भत्ता नहीं दिया जाता। जहां तक मैं समझता हूं कि विदेश जाने पर अतिथ्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर यात्रा एजेन्ट या यात्रा आयोजक यहां हजारों पर्यटक लाते हैं और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्या मैं समझ लूं कि मंत्री महोदय अपने अधिकारियों को अतिथ्य व्यय नहीं देते जो कि उनका वाजब हक है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा है कि जब कभी ये अधिकारी कार्यालय के काम से बाहर जाते हैं वे यात्रा भत्ते और होटल आवास के हकदार होते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि जब वे व्यापार बढ़ाने के लिए बात चीत करने जाते हैं, तो ऐसे अवसरों पर आतिथ्य पर खर्च नहीं करते हैं परन्तु उस खर्च पर एयर इण्डिया कारपोरेशन और उसके बोर्ड का नियन्त्रण होता है।

बोकारो इस्पात तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयले की सप्लाई

*294. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री गदाधर साहा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : बोकारो तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की प्लास्टिसिटी और पेट्रोग्राफी में लगातार आ रही गिरावट का उत्पादिता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप आदानों की लागत में वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों को अच्छी किस्म के कोयले की लगातार सप्लाई सुनिश्चत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) कोयले की क्वालिटी में गिरावट की समस्या समय-समय पर कोल इन्डिया लिमिटेड के ध्यान में लाई गई है। जबकि कुछ उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं तथापि कोल इण्डिया लि०/कोयला विभाग को यह उम्मीद है कि सुदगडीय और मूनीडीह में नई शोधनशालाओं के चालू होने से शोधित कोयले की सप्लाई में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को राख की कम मात्रा वाले उच्च श्रेणी के कोककर कोयले का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि इसे देशीय कोककर कोयले में सम्मिश्रत करके इस्तेमाल किया जा सके।

श्री अजित कुमार साहा : महोदय यह प्रश्न इस्पात ऊर्जा और रेलवे तीन मंत्रालयों से सम्बन्धित है और इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के अधिकारियों ने सारा दोष रेलवे और बिजली घर पर डाला है। यही नहीं बोकारो इस्पात संयंत्र में दूसरे शीत बेलन मिल कम्पलेक्स के विस्तार का कार्यक्रम था, वह भी निश्चित तिथि से एक वर्ष पीछे है विलम्ब से राष्ट्र को हानि होती है। यही नहीं विलम्ब के कारण देश में इस्पात की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है जिससे आपात करना पड़ता है और विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय मैं समझता हूं कि यह प्रश्न कोयले की सप्लाई के बारे में है न कि बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के बारे में।

श्री अजित कुमार साहा : यह इस्पात संयंत्रों में देखी गई गिरावट के बारे में है।

श्री प्रवण मुखर्जी : श्रीमन्। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

श्री अजित कुमार साहा : महोदय यह प्रश्न न केवल कोयले से सम्बन्धित है बल्कि बिजली के कारण इस्पात संयंत्र की स्थिति खराब होने के बारे में भी है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जो भी हो। माननीय सदस्य आधुनिकीकरण के बारे में जानना चाहते हैं। मैं इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुका हूं। इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु दूसरा संगत प्रश्न यह है कि शायद वह यह जानना चाहते हैं कि घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने से इस्पात संयंत्र के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है स्टील आथरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने मुलत: 57 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया था। मैं तैयार इस्पात के बारे में कह रहा हूं इसके बाद लोक उद्यम ब्यूरो के साथ विचार विमर्श हुआ और उत्पादन लक्ष्य बढ़ाकर 60 लाख टन कर दिया गया। जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है नवम्बर तक उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक हुआ है मैं आशा करता हूं कि 'सेल' द्वारा मूल रूप में निर्धारित किये गये लक्ष्य को आप्त कर लिया जायेगा परन्तु लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में घटिया कोयले की सप्लाई के कारण गिरावट के बावजूद इस वर्ष उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 10 लाख टन अधिक होगा।

श्री अजित कुमार साहा : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में गत कई वर्षों से उत्पादन 18 लाल टन पर ही रुक गया है। इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है और अधिकारी भी यही बात कह रहे हैं। परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अत: मन्त्री महोदय इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : केवल ध्यान देने से जब तक कि मुझे संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए धन प्राप्त न हो कोई लाभ नहीं है। इसलिए धन महत्वपूर्ण है और इस तथ्य की ओर ध्यान दिया गया है। जहां तक राऊरकेला का सम्बन्ध है शायद माननीय सदस्य को ज्ञात है कि वहां एक शीत बेलन मिल स्थापित की जा रही है। यह वर्तमान स्थापित क्षमता के अतिरिक्त होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री गदाधर साहा उपस्थित नहीं हैं।

श्री ए० के० राय : कृपया मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 295 श्री मुन्दर शर्मा उपस्थित नहीं हैं प्रश्न संख्या 296

भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की खरीद

*296. **श्री दौलत सिंह जदेजा*** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय रूई निगम द्वारा रूई का उत्पादन करने वाले राज्यों से कुल कितनी मात्रा में रूई खरीदी गई थी ;

(ख) राज्य वार वसूल की गई मात्रा कितनी है और प्रत्येक किस्म की दर क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक किस्म विशेष की रूई का निर्यात किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो वह किस्म कौन सी है और किस राज्य से तथा किस देश को वह निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल रखा जाता है।

विवरण

भारतीय रूई निगम ने वर्ष 1980-81 के रुई मौसम के दौरान विभिन्न रूई उपज कर्ता राज्यों (महाराष्ट्र को छोड़कर) में लगभग 11.94 लाख रूई की गाँठें खरीदीं।

भारतीय रूई निगम द्वारा की गई खरीदारियों के राज्यवार आंकड़ों के बारे में जानकारी अनुबंध-1 में दी गई है और अदा की गई कीमतों के बारे में जानकारी अनुबंध-2 में दी गई है।

निर्यातित स्टैपल रूई तथा उसके गन्तव्य स्थान के बारे में जानकारी अनुबंध 3 तथा 4 में है।

अनुबन्ध 1

भारतीय रूई निगम द्वारा की गई खरीदारियों के राज्यवार ब्यौरे।

राज्य	1980-81 के दौरान खरीददारियां गांठों में
पंजाब	2,57,652
हरियाणा	74,492
राजस्थान	1,28,848
गुजरात	2,14,838
मध्य प्रदेश	1,99,122
आन्ध्र प्रदेश	1,21,635
तमिलनाडु	85,824
कर्नाटक	1,11,731
उत्तर प्रदेश	180
	11,94,162

अनुबन्ध-2

भारती रूई निगम द्वारा की गई विभिन्न किस्मों की खरीददारियों के लिए प्रति क्विंटल अदा की गई औसत कपास कीमत।

राज्य	किस्म	औसत मूल्य प्रति क्विंटल रु० में उच्चतर/न्यूनतम
पंजाब	जे-34	527/367
	देशी	391/271
	एफ-414	554/415
हरियाणा	जे-34	509/359
	देशी	480/286

1	2	3
राजस्थान	जे-34	546/404
	देशी	417/311
	320-एफ	490/422
	अग्गाती	581/406
गुजरात	सी जे-73	467/439
	एस-4	607/545
	सी ओ-2	579/510
	एस आर टी-1	515/503
	दिग्विजय	569/528
	वी-797	579/534
मध्य प्रदेश	ए 519	576/455
	वाई-1	601/431
	एच-4	571/436
	वी-लक्ष्मी	576/507
	197/3	579/415
	1007	565/529
	एल-147	575/564
	सी टी आई	553/475
	जे के 11	563/500
आन्ध्र प्रदेश	एच-4	577/511
	एम सी यू-5	575/477
	1007	539/469
	जी-6	569/465
	सी सी ओ-2	511/735

1	2	3
	वर लक्ष्मी	570/423
	सुविन	838/675
कर्नाटक	170 सी ओ-2	474/459
	वर लक्ष्मी	57०/430
	लक्ष्मी	489/350
	जयघर	513/436
	सयोघर	518/463
	हैम्पी	536/521
तमिलनाडु	वर लक्ष्मी	592/557
	एम सी यू-5	608/537
	एम सी यू-7	566/547
	सुविन	815/675
उत्तर प्रदेश	जे-34	434/—

अनुबन्ध-3

भारतीय रूई निगम तथा अन्य राज्य संगठनों द्वारा किये गये निर्यातों को दशाने वाला विवरण

संगठन	किस्में	कुल निर्धारित मात्रा (गांठों में)
1. भारतीय रूई निगम	वर लक्ष्मी, एम सी यू-5, शंकर-4, एच-4, 1007, सी ओ 2, ए-51/9, एफ-414, दिग्विजय, लक्ष्मी, हैम्पी, जे-34, वी-797,	3,30,500

1	2	3
	वागद, वाई-1, अगाती ।	
2. महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन	ए के, ए के-एच 4, जी-6 एल 147, 1007, एच-4, वर लक्ष्मी ।	2,19,537
3. गुजरात राज्य सहकारी रूई विपणन संघ	वी-797, दिग्विजय, सी ओ-2, शंकर-4, वर लक्ष्मी ।	39,930
4. तमिलनाडु सहकारी विपणन संघ	एम सी यू-5	5,000
5. हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ	जे-34	2,801
		योग :- 5,97,768

टिप्पणी :. जबकि भारतीय रूई निगम महाराष्ट्र को छोड़कर अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहा है, तथापि अन्य संगठन अपने अपने राज्यों में उत्पादित रूई का निर्यात कर रहे थे ।

अनुबन्ध-4

जिन देशों को 1980-81 के रूई मौसम के दौरान निर्यात किये गये, उनके नाम दर्शाने वाला विवरण ।

देशों के नाम	कुल निर्यात (गांठों में)
वोल्जयम	1,248

1	2
बालगारिया	3,500
चीन (मैनलैंड)	1,08,794
चीन (ताइवान)	66,495
चैकोस्लोवाक्या	14,091
जर्मनी (पश्चिम)	6,830
हांगकांग	63,011
हंगरी	8,669
इंडोनेशिया	7,547
इटली	14,383
जापान	11,335
कोरिया उत्तर	54,374
कोरिया दक्षिण	26,385
मल्येशिया	2,350
नारीशस	300
नेपाल	600
पुर्तगाल	6,446
सिंगापुर	8,651
स्पेन	99
श्रीलंका	34.678
स्विटजरलैंड	1,083
थाइलैंड	6,446
सोवियत रूस	1,50,453
	5,97,768

श्री दौलत सिंह जदेजा : विवरण बहुत विस्तृत है। परन्तु हमें किसानों से, विशेषकर गुजरात के किसानों से जो समाचार मिल रहे हैं, वह यह हैं कि भारतीय रूई निगम द्वारा दी जा रही कीमतें लाभप्रद नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ऐसी शिकायतें मिली हैं या नहीं और यदि मिली हैं तो मूल्यों में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : गत सप्ताह ही इस बारे में एक ध्यान आकर्षण सूचना थी। उस समय इस प्रश्न पर हमने विस्तार से विचार किया था और जहां तक भारतीय रूई निगम का सम्बन्ध है, मैंने सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी। मैं और अधिक विस्तार में कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा कि मैंने कहा था हम नहीं चाहते कि मूल्य गत वर्ष की तुलना में कम हो जाएं। जहां तक उस विशेष क्षेत्र से शिकायतें मिलने का सम्बन्ध है, हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो, तो वह मुझे दे दें। मैं जांच करूंगा।

श्री दौलत सिंह जदेजा : मुझे खुशी है कि वह जांच करेंगे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह रूई की खरीद के बारे में कदाचार सम्बन्धी शिकायतों की भी जांच करें। इस समय प्रवृति यह है कि रूई निजी व्यापारियों से खरीदी जाती जाती है। क्या सरकार इस बात को प्रोत्साहन देगी कि खरीद निजी व्यापारियों को बजाये सहकारी समितियों से की जाए ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं और जैसे ही हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम कार्यवाही करते हैं। परन्तु यदि बाजार को विनियमित किया जाता है, तो यह भारतीय रूई निगम के काम करने में सहायक होगा। कई कपास उत्पादक राज्यों में रूई व्यापार विनियम बनाये गये हैं। कुछ राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है। हम राज्य सरकारों से इस बारे में सम्पर्क कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन लाल पटेल उपस्थित नहीं हैं। अब प्रश्न-संख्या 297.

पटसन मिलों का कच्चे पटसन की खरीद का लक्ष्य

*297. **श्री चित्त बसु :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों ने इस वर्ष बाजार से कच्चे पटसन की 12 लाख गांठों की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक मिलों ने कुल कितनी खरीद की है ;

(ग) क्या जूट मिलों को खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सहायता और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कच्चा पटसन खरीद

सम्बन्धी मानिटरिंग समिति ने पश्चिम बंगाल पटसन मिलों द्वारा अक्तूबर में 6 लाख गाठें तथा नवम्बर और दिसम्बर 1981 में 9-9 लाख गाठें खरीदे जाने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया है ?

(ख) जैसा कि भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है, 7 नवम्बर 1981 तक मिलों द्वारा कुल 21.56 लाख गांठें खरीदी गई हैं ।

(ग) तथा (घ) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ग) तथा (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी है कि वे कच्चे पटसन के लिए कीमत समर्थन कार्य के उपाय के रूप में भारतीय पटसन निगम से 4 सप्ताह की खपत सहित 14 सप्ताह की खपत तक तथा नवम्बर 1981 से जनवरी 1982 तक के चरम मौसम के दौरान दो सप्ताह की अतिरिक्त खपत तक कच्चे पटसन की खरीद के लिए पटसन मिलों को अतिरिक्त ऋण दें । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे नवम्बर और दिसम्बर में की जाने वाली कच्चे पटसन की खरीद के लिए मार्जिन को घटाकर 10 प्रतिशत करने तथा जनवरी 1982 में की जाने वाली खरीद के लिए मार्जिन को घटाकर 15 प्रतिशत करने के बारे में भी विचार करें ।

अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कच्चे पटसन के आधार पर मिलों । फैक्टिरियों तथा औद्योगिक प्रयोगताओं की तरफ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया ऋण निम्नोक्त प्रकार थे :

	(करोड़ रु० में)
जून 1981	31.6
जुलाई 1981	31.2
अगस्त 1981	38.1

मिलों ने यह अभ्यावेदन किया कि पटसन माल के बाजार में निरन्तर मंदी, अलाभकारी अल्पावधि दृष्टिकोण, तैयार माल के जमा हो जाने तथा मिलों द्वारा अनुभव किये जाने वाले नकदी के संकट की वजह से वे स्वीकृत ऋण सीमाओं का पूरी तरह से लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे ।

श्री चित बसु : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जानते हैं कि समय का बहुत महत्व है। मानिटरिंग समिति ने अक्तूबर-नवम्बर के महीनों के लिए और आगे के महीनों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था । अक्तूबर-नवम्बर से पहले महीनों के लिए लक्ष्य क्यों निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि मिलों ने पटसन बाजार मौसम के आरम्भ में खरीद

आरम्भ नहीं की तथा ऐसा केवल पटसन के मूल्यों में कृत्रिम मंदी लाने के उद्देश्य से किया गया है जिससे मजबूरी में बड़े पैमाने पर कच्चा पटसन बेचना पड़ा। यदि यह सच है तो क्या मन्त्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि इस वर्ष के अनुभव के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मिल बाजार मौसम के आरम्भ में ही खरीद आरम्भ करें ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य का निष्कर्ष सही है कि मिलों ने बाजार मौसम के आरम्भ में खरीद शुरू नहीं की और जब उन्होंने खरीद आरम्भ की तो उससे भी उत्पादकों को कोई विशेष राहत नहीं मिली। मिलों के साथ हुई मेरी चर्चा—एक चर्चा मैंने स्वतंत्र रूप से की थी और एक पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री की उपस्थिति में—के दौरान भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ठेके के माध्यम से खरीद का कोई लाभ नहीं है। माल तैयार होना चाहिए, ताकि वह तुरन्त माल उठा सकें और उत्पादकों को भी नकद भुगतान किया जा सके। ठेके का अर्थ यह है कि कई दलाल भी बीच में आ जाते हैं। मैंने जो आंकड़े दिये हैं उनमें ठेके के आंकड़े भी शामिल हैं। परन्तु यह सच है। जहाँ तक ऋण का सम्बध है, हमने उनकी हर बात का समाधान कर दिया है। परन्तु जहाँ तक मूल्य स्थिति का सम्बंध है, हमें किसी अन्य तंत्र के बारे में विचार करना होगा। हमने पश्चिम बंगाल सरकार को भारतीय पटसन निगम के कार्य के बारे में सुझाव दिया है। भारतीय पटसन निगम ने पहले की अपेक्षा इस बार अधिक खरीद की है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम कुछ और सोच रहे हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेहूं, चीनी, सीमेंट और खाद्य तेलों के आयात के लिए करार

*295 **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, चीनी, सीमेंट और खाद्य तेलों के आयात के लिए इस वर्ष कितने करार किये गये हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ ये करार किये गये हैं तथा इनका कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और इन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) क्या कुछ और करार किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क), (ख) और (ग) मांगी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। आवश्यक वस्तुओं का आयात देश में उभरती हुई स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ढंग से पूर्ति का प्रबन्ध करने के लिए किया जाता है।

विवरण

	करारों की संख्या	देश/क्षेत्र	मात्रा	मूल्य
गेहूं	2	सयुक्त राज्य अमेरिका आस्ट्रेलिया	22.6 लाख मैट्रिक टन	3660 लाख** अमरीकी डालर
चीनी	*	बिट्रेन	2.15 लाख मैट्रिक टन	105 करोड़ रुपए
सीमेंट	5	लोक तांत्रिक कोरिया एणतंत्र, दक्षिण कोरिया, लाइवान, फिलीपीन	14.55*** लाख मैट्रिकटन	77 करोड़ रुपए
खाद्य तेल	88****	संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, पश्चिमी यूरोप, कनाडा और मलेशिया	7.36 लाख मैट्रिक टन	328 करोड़ रुपए

*चीनी वर्ष 1980-81 के दौरान किए गए संविदा।

**आस्ट्रेलियन डालर को विद्यमान मुद्रा विनिमय दर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर में परिवर्तन किया गया है।

***इसमें 23 करोड़ रुपए के मूल्य के 3,75 लाख मैट्रिक टन के वैकल्पिक संविदा सम्मिलित नहीं हैं।

****ये हाजिर संविदा हैं।

नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक बोइंग-उड़ानें

*299. श्री अर्जुन सेठी :

श्री चिन्तामणि जैन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक दैनिक बोइंग-उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य से भी कोई मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी, हां । इस समय भुवनेश्वर नई दिल्ली से वाराणसी के मार्ग से सप्ताह में तीन बार की बी—737 सेवाओं से जुड़ा हुआ है तथा शेष दिनों में दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच विमान सेवा की व्यवस्था कलकत्ता से होते हुए की जाती है । वर्तमान यातायात की मांग से दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच एक दैनिक उड़ान का औचित्य सिद्ध नहीं होता ।

प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*300. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्र में प्याज के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) देश में कीमतों में वृद्धि को देखते हुए फिलहाल प्याज के निर्यात को स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रेक थ्रो इन ग्रीन टी एक्सपोर्टस इन साइड शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

*301. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1981 के इकानामिक टाइम्स में ब्रेक इन ग्रीन टी एक्सपोर्टस इन साइट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, क्या भावी क्रेता नार्थ अफ्रीका के कुछ देश हैं जिसके साथ इस बीच कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था में आयातकर्ताओं की विशिष्टयों के अनुसार चाइना किस्म की हरी चाय का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है ;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए उत्तर पूर्व तथा दक्षिण के थोड़े से गिने-चुने चाय बागानों का पता लगाया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ.) नार्थ अफ्रीका के भावी क्रेताओं को चाय की कितनी मात्रा सप्लाई की जानी है ;

(च) क्या चाइना किस्म की हरी चाय का उत्पादन करने के लिए कुछ आयातित मशीनरी को लगाना पड़ेगा यदि हां, तो ऐसी मशीनरी का आयात करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और इसका कितनी लागत से आयात किया जायेगा ; और

(छ) चालू योजना अवधि में हरी चाय के निर्यात में वृद्धि करने की क्या संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) यद्यपि भारती चाय व्यापार निगम के पथिनी चाय बागान को इस प्रयोजन के लिए अभिज्ञात कर दिया गया है, किन्तु अन्य चाय बागानों का चयन अभी किया जा रहा है।

(ङ.) वर्ष 1982-85 के दौरान मोराक्कों को 3 से 5 मिलियन किलोग्राम हरी चाय का निर्यात करने की प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं।

(च) मशीनों के दो सैट आयात करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिनकी लागत प्रतिमशीन लगभग 20 लाख रुपए आने का अनुमान है।

(छ) चूंकि कतिपय अन्य उत्तरी अफ्रीका देशों में भी हरी चाय की मांग विद्यमान है, अतः चालू योजना अवधि के दौरान इसके निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं हैं।

राजकोट, दुर्गापुर और नासिक का बी-2 श्रेणी के नगर के रूप में पुनवर्गीकरण

* 303. **श्री मुकुन्द मण्डल :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के जनगणना निदेशक ने क्रमशः राजकोट, दुर्गापुर और नासिक जैसे नगरों के जनसंख्या के आकड़े प्रकाशित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो राजकोट, दुर्गापुर तथा नासिक नगरों की जनसंख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या वे नगर बी-2 श्रेणी प्राप्त करने योग्य हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सम्बन्धित जनगणना परिचालन निदेशकों द्वारा प्रकाशित जनसंख्या आंकड़े जो अन्तिम आंकड़े हैं। 1981 की अन्तिम जनगणना रिपोर्ट में समाविष्ट करने से पहले इन आंकड़ों

की भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा पूर्ण रूप से जाँच की जानी होती है। संबंधित नगरों के पुनः वर्गीकरण के प्रश्न पर भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1981 की जनगणना की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

अध्ययन दल की बस्तर में पर्यटन पर रिपोर्ट

* 304. **श्री केयूर भूषण :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री गह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग ने बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने तथा उसके विकास के लिए एक प्रारम्भिक योजना तैयार करने हेतु 1978 में एक अध्ययन दल बस्तर भेजा था ;

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन दल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री(श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) संयुक्त निरीक्षण (अध्ययन)दल ने जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत पर्यटन विकास निगम और केन्द्रीय तथा राज्य पर्यटन विभागों के एक.एक प्रतिनिधि शामिल हैं, बस्तर की पर्यटन संभावना का पता लगाने और इसके विकास के लिए एक प्रारम्भिक स्कीम तैयार करने के लिए 17 से 20 फरवरी, 1979 तक (1978 में नहीं) बस्तर की यात्रा की।

2. इस संयुक्त निरीक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे :

बस्तर एक ऐसा क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से पर्यटक संभावना रखने वाले क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता है। यहां पर्यटन आधारित संरचना संबंधी सुविधाओं, जैसे आवास और परिवहन, की कमी हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि बस्तर जिले की पर्यटन संभाव्यता को प्रचारित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। अतः यात्रा व्यवसाय, संचार मीडिया आदि की दृष्टि से इस क्षेत्र की संभावना के बारे में कोई जागरूकता नहीं है।

पाषाण युग के स्मृतिचिन्हों की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी समृद्ध पाया जाता है जो प्रागैतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति के अध्यन का एक आधार बन सकता है।

3. निरीक्षण दल की महत्वपूर्ण सिफारिशें ये थी :

(1) सर्वप्रथम इस क्षेत्र को स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन के लिए विकसित करने हेतु

विचार किया जा सकता है जिसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एम० पी० टी० डी० सी०) द्वारा यात्रा लेखकों, स्थानीय भारतीय प्रेस और चुने हुए यात्रा—व्यवसाय के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से दुर्गा पूजा, दशहरा त्यौहारों के दौरान आमंत्रित किया जा सकता है। चूंकि वहां उपयुक्त आवास नहीं है, इन लोगों के रहने की व्यवस्था टैन्ट आवासों में की जा सकती है।

(2) बस्तर क्षेत्र को प्रचारित करने के बाद मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वदेशी पर्यटकों के लिए यात्रा व्यवसाय के साथ मिलकर संचालित दौरों का आयोजन किया जा सकता है।

(3) चूंकि बस्तर जिला रायपुर से जुड़ा हुआ है, जिसका कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई के साथ सीधा रैल सम्पर्क है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम रायपुर, जगदलपुर और उसके आस पास के स्थानों पर संचालित दृश्यावलोकन कार्यक्रमों के लिए रायपुर में ही कोचों की एक फ्लीट की व्यवस्था करने पर विचार कर सकता है।

(4) राज्य सरकार केशकल में मार्ग सुविधाएं स्थापित करने पर विचार कर सकती है जो कि रायपुर/जगदलपुर सड़क पर रायपुर से 169 किलोमीटर की दूरी पर और जगदलपुर से 133 किलोमीटर पर है।

(5) इस क्षेत्र को ट्रेकिंग के लिए विकसित किया जा सकता है।

(6) अकेले बस्तर की मार्केटिंग नहीं की जा सकती। अतः पहले रायपुर और जगदलपुर में स्वदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन आधारित संरचना को विकसित करने की जरूरत है और उसके बाद अन्य स्थानों पर पर्यटक आधारित संरचना की व्यवस्था करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाने चाहिए।

4. निरीक्षण दलों की सिफारिशों पर अमल नहीं किया जा सके, क्योंकि 1978 में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में शुरू की नयी दो केन्द्रों के विकास की स्कीम में बस्तर को शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश नहीं की गयी थी। 1981 में भी जब राज्य सरकार से परामर्श करते हुए मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए थे तो उस समय भी पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्धारित इन यात्रा परिपथों में बस्तर का कोई भी स्थान शामिल नहीं किया गया।

पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करने के प्रयास

*305. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 1981 के "नेशनल हेरल्ड" में "आल

आउट एफर्टसट मीट टूरिस्ट नीइज" (पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करने का भरसक प्रयास) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाच र की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उच्च होटल प्रवन्ध तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है ; यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या पर्यटकों की संख्या में प्रत्यासित वृद्धि के अदुरूप सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से देश में आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए समग्र नीति के अंग के रूप में उनके मंत्रालय के विचाराधीन अनेक परियोजनाओं में से उपरोक्त परियोजना एक है, यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन कौन-सी अन्य परियोजनाएं हैं और उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) देश में पर्यटक आधारिक संरचना के योजनाबद्ध विकास के लिए यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में सधन विकास के लिए 2-3 यात्रा परिपथ निर्धारित किए जाएं। इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से 61 यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं जिनमें 44 प्रतिशत पर्यटक केन्द्र शामिल हैं। केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए यात्रा परिपथों हर पड़ने वाले केन्द्रों पर पर्यटक आधारित संरचना का विकास किया जाएगा। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित यात्रा परिपयों के साथ किए जाने वाले पर्यटन बिकास का एक ब्लू प्रिन्ट तैयार करें ताकि आवास परिवहन मनोरंजनात्मक सुविधाओं और सांस्कृतिक तमाशा आदि के रूप में, निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से, पर्यटक आधारिक संरचना की व्यवस्था करने के लिए स्कीमों का एक शेल्फ तैयार किया जा सके। पर्यटन विकास के ब्लू प्रिन्ट सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से अभी प्राप्त होने हैं ताकि पर्यटन विकास का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा सके।

होटल मैंनेजमेंट में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन्स्टीच्यूट स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) और भारतीय होटल तथा रेस्तरां संस्थाओं के महासंघ के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन और मैंनेजमेंट का एक स्वायत्त स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। शुरूआत के तौर पर यह संस्थान पर्यटन उद्योग में पहले से ही नियुक्त कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में एक्जिक्यूटिव विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। बाद में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह प्रस्तावित संस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध क्षेत्र में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाट्यक्रम अर्पित करेगा।

कनालिचिन्ना में बैंक में डकैती

*306. **श्री हरीशचन्द सिंह रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथोरागढ़ जिले के कानालिचिन्ना में किसी बैंक में डकैती पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस डकैती में कुल कितनी धनराशि लूटी गई थी ; और

(ग) क्या डाकुओं को पकड़ लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि जिला पिथौरागढ़ में इसकी कनालिछिना शाखा में 7/8 नवम्बर की रात को डकैती पड़ी थी। बताया गया है कि उस रात बहुत से डकैत शाखा प्रबन्धक के निवास में घुस गये और बन्दूक की नोक पर नोक पर उन्हें बैंक की तिजोरी खोलने को बाध्य किया तथा 35,434 रुपये की राशि तथा 870.50 ग्राम वजन के स्वर्णाभूषण लूटकर ले गये। बैंक ने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अभी तक पुलिस द्वारा किसी के भी गिरफ्तार किये जाने की सूचना नहीं है।

बम्बई में धारक बाण्डों की कालाबाजारी का घोटाला

*307 **श्री बापू साहेब परुलेकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, में आयकर विभाग ने धारक बाण्डों की कालाबाजारी के एक घोटाले का पता लगाया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख(इस घोटाले में कौन-कौन लोग शामिल बताये जाते हैं और क्या ये व्यक्ति आयकर-दाता हैं और यदि हां तो क्या उनकी और आयकर की धनराशि बकाया है ; और

(ग) क्या इस कार्यवाही में आयकर विभाग ने कोई सम्पतियां जब्त की हैं और कितने मूल्य की सम्पत्तियां जब्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) महोदय, आयकर प्राधिकारियों ने धारक बन्ध पत्रों के सम्बन्ध में किसी काले बाजार का पता नहीं लगाया है। 28-9-1981 को बम्बई के मेसर्स गेनिका एसोशिएट्स की तलाशी के दौरान आयकर प्राधिकारियों को, 3 लाख रुपये मूल्य के ऐसे धारक बन्ध पत्रों का पता लगा जिनका कोई दावा नहीं किया गया था। गेनिका एसोशिएट्स के मालिक श्री के० एल० बंसल और अन्य शेयर-दलाल श्री जीनेन्द्र आर० श्रोफ ने, जिनकी तलाशी ली गई थी, इन बन्ध पत्रों की मालिकी स्वीकार नहीं की। उन्होंने ये बंध पत्र आयकर अधिकारियों को यह बताते हुए स्वेच्छा से सौंप दिये कि वे किसी अन्य व्यक्ति के हैं। इसलिए, आयकर प्राधिकारियों को ये बन्ध पत्र अपने कब्जे में लेने पड़े। बाद में जांच करने पर अन्य व्यक्ति ने भी इन बन्ध-पत्रों की मालिकी को स्वीकार नहीं किया।

श्री के० एल० बंसल और श्री जिन्तेद्र आर० श्रोफ की तरफ आयकर की कोई बकाया नहीं है।

तलाशी के दौरान आयकर विभाग ने प्रथम दृष्टया 8.4 लाख रु० की लेखा बाह्य नगदी पकड़ी।

पटना और जमशेदपुर का दर्जा बढ़ाया जाना

*193 **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली जनगणना के अनुसार पटना और जमशेदपुर की जनसंख्या बढ़ कर क्रमशः 8,11,249 और 9,14,880 हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शहरों के वर्तमान 'बी-2' दर्जे को बढ़ाकर 'बी' दर्जा किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पटना और जमशेदपुर के सम्बन्ध में 1981 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा सूचित किए गए जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े निम्न प्रकार है :

(1) पटना :		
(क) नगर निगम		7,73,720
(ख) शहरी समूह		9,16, 102
(2) जमशेदपुर :		
(क) (1) अधिसूचित क्षेत्र	4,38,781	
(2) उद्वृद्धि (टाटा नगर रेलवे कालोनी)	18,659	
	जोड़	4,57,440
(ख) शहरी समूह		6,69, 984

(ख) से (घ) 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नगरों के पुनः वर्गीकरण के सम्बन्ध में निर्णय भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1981 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा तथा विभागीयकृत लेखा विभागों के लिए संयुक्त संवर्ग प्रणाली

3252. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक ने लेखा-परीक्षा तथा विभागीयकृत लेखा विभागों के लिए संयुक्त संवर्ग प्रणाली का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव का ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त सुझाव की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) : जी हां।

(ख) राज्य सभा में 31 मार्च, 1976 को नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) संशोधित विधेयक, 1976 और संघ लेखों के विभागीयकरण (कार्मिकों का स्थानान्तरण) विधेयक, 1976 पर बहस के दौरान बोलेते हुए भूतपूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक, श्री एस० रंगानाथन ने सुझाव दिया था कि केन्द्र के सभी मंत्रालयों/विभागों में अक्तूबर, 1976 अथवा वर्ष के अन्त तक लेखा कार्यों को पूर्णत: अलग किए जाने की बजाय इसे एक अथवा जो चुने एये सिविल विभागों तक ही सीमित रखा जाए और इसे बाकी के क्षेत्रों में लागू किए जाने अथवा लेखों को अलग से किए जाने के प्रस्ताव को रद्द करने के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने से पूर्व एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोगात्मक रूप में चलाया जाए। तब तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से व्यक्तियों को स्थायीरूप से हस्तान्तरित करना आवश्यक नहीं होगा। ये व्यक्ति सन्बद्ध मन्त्राललयों के सचिव अथवा मन्त्रालय के वित्तीय सलाहकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करेंगे और यह आवश्यक नहीं कि इन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। उस समय इस ओर भी ध्यान दिया जा सक्ता है कि क्या पूर्णत: अलग विभाग-एक लेखा परीक्षा के लिए और दूसरा लेखाओं के लिए किया जाना आवश्यक था अथवा, यदि आवश्यक समझें तो क्या नियन्त्रक महालेखापरीक्षक और वित्त सचिव के प्रशाशनिक अधीन सयुक्त रूप से दोनों विभागों के लिए एक संयुक्त संवर्ग बनाया जा सक्ता है।

(ग) संसद में बहस के बाद संघ लेखों का विभागीयकरण (कार्मिकों का स्थानान्तरण) विधेयक, 1976, विनियमित हुआ और इसके अनुसरण में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में लेखों की विभागीयकरण स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए अलग से लेखा सम्वर्गों की स्थापना की गई। इन नये स्थापित लेखे एककों को चलाने के लिए ग्रुप 'क' से ग्रुप 'ख' प्रत्येक श्रेणी में स्थानान्तरित किए जाने वाले व्यक्ति की बड़ी संख्या को, और एक ओर नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा तथा दूसरी ओर वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त संवर्गों के प्रबंध में जाने वाली प्रत्याशित कठिनाईयों को देखते हुए सरकार ने यह महसूस किया कि केन्द्रीयकरण व्यवस्था को समाप्त करना बांछनीय होएा और सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के नियंत्राधीन विकेन्द्रीकृत सम्वर्गों की स्थापना करी जाए ताकि इन नए स्थापित कार्यालयों का कार्य सुचारु रूप से चल सके। ऐसी कार्रवाई

बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई क्योंकि विकेन्द्रीकृत पद्धति से मंत्रालय-बार संवर्ग की ठीक प्रकार से प्रबंधित करने में सुविधा हुई है और इससे दोहरा नियन्त्रण भी नही हुआ है जो संयुक्त सम्वर्ग पद्धति में होता ।

भारत-अरब व्यापार परिषद की बैठक

3253. **श्री वागुन सुम्बुई** : क्या वणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अरब संयुक्त व्यापार परिषद की हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में अरब देशों ने भारत में विकास गतिविधियों में और अधिक राशि का निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या उक्त सहयोग के लिये अपेक्षणीय क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में संभावित निवेश के लिये कोई व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार कर ली गई हैं ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 4 तथा 5 नवम्बर 1981 को नई दिल्ली में हुई भारत-अरब व्यवसाय परिषद की तीसरी बैठक में अरब प्रतिनिधि मंडल आपसी दीर्घावधि लाभों के लिये भारत में निवेश के लिये विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिये सहमत हुआ ।

(ख) से (घ) : विचार विमर्श बिना किसी विशेष परियोजनाओं का जिक्र करते हुए सामान्य प्रकृति का था ।

कर्नाटक में डेनमार्क के सहयोग से समेकित सामुदायिक विकास मत्स्य परियोजना

3254. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव डेनमार्क के सहयोग से एक समेकित सामुदायिक विकास मत्स्य परियोजना स्थापित किये जाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तादरी में कर्नाटक सरकार द्वारा डेनिश सहायता से समुद्री मत्स्य विकास तथा रोजगार अवसरों तथा आमदनी में वृद्धि करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की जानी है । डेनिश सरकार इस योजना के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने को सहमत हो गई है जिसके लिए जल्दी ही एक करार सम्पन्न होने की आशा है ।

(ख) इस परियोजना में जैटी का निर्माण, मछली पकड़ने के लिए छोटे यन्त्रीकृत पोतों का का अभिग्रहण तथा उठाने-धरने संसाधनों तथा कोल्ड -स्टरेज की सुविधाओं की स्थापना करना शमिल हैं। लगभग 5.85 करोड़ रूपए की अनुमानित कीमत में से, डेनमार्क सरकार द्वारा 5 रूपए के विज्ञापोषण किए जाने का अनुमान है तथा बकाया लागत जो कि मुख्यत: आवास तथा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए है, उसकी पूर्ति कर्नाटक सरकार द्वारा की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डे

3255. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत से हवाई अड्डों का नवीकरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं और किये जा रहे कार्य का ब्योरा क्या है ; और

(ग) नवीकरण के पश्चात इन हवाई अड्डों पर किस तरह के विमान उतर सकेगें ?

पर्यटन और नागर विमान मन्त्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आवश्यक ब्यौरे देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा हैं।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विमान क्षेत्रों पर छठी योजनावधि के दौरान धावनपथों, टैक्सी-पथों तथा एप्रनों के सुदृढ़ीकरण/विस्तार, टर्मीनल भवनों के निर्माण/विस्तार/परिवर्तन-हरिवर्धन, सुरक्षा सेवाओं तथा दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि आदि जैसे विकास कार्यों की योजना निम्न प्रकार बनाई गयी है :

क्र० सं०	विमान क्षेत्र का नाम	विकास कार्यों की कुल अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	विमान, जिसके लिए वह विकास कार्यों के बाद उपयुक्त होवेगा।
1	2	3	4
1.	गोहाटी	505.66	एयरबस
2.	अगरतला	347.00	बोइंग 737
3.	मोहननवाड़ी	189.24	बोइंग 737

1	2	3	4
4.	इम्फाल	35.86	बोइंग 737
5.	जोरहाट	25,68	बोइंग 737
6.	एलंलाबाड़ी	38.24	एच० एस० 748 और एफ 27
7.	रूपसी	73.72	एच० एस० 749/एफ 27
8.	कमालपुर	62.78	एच० एस० 748/एफ 27
9.	पासीघाट	42.48	एच० एस० 748/एफ 27
10	डपारीजो	41.51	एच० एस० 748/एफ 27
11.	जेरो	40.48	एच० एस० 748/एफ 27
12.	शिलांग (बारापानी)	31.47	एच० एस० 748/एफ 27
13	सिलचर	27.65	बोइंग 737
14.	तेजू	29.84	एच० एस० 748/एफ 27
15.	कूच बिहार	60.15	एच० एस० 748/एफ 27
16.	कैला शहर	66.81	एच० एस० 748/एफ 27
17.	दीमापुर	5.00	एच० एस० 748/एफ 27
18.	कोहिमा	40.00	एच० एस० 748/एफ 27
19.	एटानगर	42.00	एच० एस० 748/एफ 27
20.	गंगटोक	90.00	एच० एस० 748/एफ 27
21.	ऐजवाल	30.00	एच० एस० 748 एफ 27
22.	तेजपुर	9.50	एच० एस० 748 एफ 27

निर्यात बाजार विकास भत्ते सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में संशोधन

3256. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्व विद्यालय द्वारा दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक, वाणिज्य विभाग में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त 'एक्सपोर्ट मार्केटिंग आफ नान-ट्रेडीशन आइटम्स'

शीर्षक अध्ययन से उत्पन्न उन सिफारिशों की जांच की है अथवा करने का विचार है कि निर्यात बाजार विकास भत्ते के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 35-ख को संशोधित किया जाये ;

(ख) क्या व्यापारिक फर्मों द्वारा इन कानून के दुरुपयोग की, जैसा कि उक्त अध्ययन में प्रकट किया गया है, जानकारी सरकार को है और क्या इसे रोकने के लिए अब तक कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) निर्यात बाजार विकास भत्ते के अधीन इस समय किन-किन उप-शीर्षों तथा विशिष्ट मदों पर खर्च को अनुमति दी जाती है और क्या देश भर के सभी भागों में इसकी अनुमति समान रूप से दी जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को जानकारी नहीं है कि 'एक्सपोर्ट मार्केटिंग आफ नान-ट्रेडीशनल आइटम्स' शीर्षक आचार्य-सम्बन्धी इन बातों की अध्ययन रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स में प्रस्तुत की गई।

(ख) हालांकि सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है। कि व्यापारिक फर्मों द्वारा इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया गया है, जैसाकि उक्त अध्ययन में प्रकट किया गया बताया गया है तथापि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35-ख के उपबन्धों को वास्तव में लागू करने से इस महत्वपूर्ण कर रियायत के पर्याप्त दुरुपयोग का पता चला है और इसलिए वित्त (सं०2) अधिनियम, 1980 के जरिये ऐसे अनेक क्रियाकलापों को हटा दिया गया जिन पर किया गया व्यय अब तक अधिक कटौती पाने का हकदार था।

(ग) संशोधित उपबन्धों के अन्तर्गत अधिक कटौती की अनुमति, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर किये गये व्यय के सन्दर्भ में दी जाती है :

(1) ऐसे माल, सेवाओं या सुविधाओं की बाबत, भारत के बाहर विज्ञापन या प्रचार जिनका निर्धारिती अपने कारबार के अनुक्रम में व्यौहार करता है या जिनकी व्यवस्था करता है।

(2) ऐसे माल, सेवाओं या सुविधाओं के भारत के बाहर विक्रय की अभिवृद्धि के लिए कोई शाखा, कार्यालय का अभिकरण भारत के बाहर बनाए रखना।

(3) ऐसे माल, सेवाओं का सुविधाओं के भारत के बाहर विक्रय की अभिवृद्धि के लिए भारत के बाहर यात्रा करना जिनके अन्तर्गत भारत से बाहर जाने और भारत वापस आने की यात्राएं भी शामिल हैं।

(4) ऐसे माल, सेवाओं या सुविधाओं के भारत के बाहार विक्रय की अभिवृद्धि के लिए अन्य ऐसे क्रियाकलाप जो विहित किए जाएं।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 1 अगस्त 1981 की अधिसूचना के जरिये निम्नलिखित ऐसे अतिरिक्त क्रियाकलाप निर्धारित किये हैं जिन पर किया गया व्यय धारा 35-ख के अन्तर्गत अधिक कटौती पाने का हकदार होगा ;

(क) पूर्व.विनिधान सर्वेक्षणों का संचालन या संभाव्यता अध्ययन या परियोजना रिपोर्ट तैयार करना । इस कारण अधिक कटौती इस शर्त के अन्तर्गत दी जाएगी कि पूर्व, विनिधान सर्वेक्षणों का संचालन या संभाव्यता अध्ययन करना या परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, केन्द्रीय सरकार के या किसी ऐसे विदेशी पत्रकार के, जिसको ऐसा माल, सेवाओं या सुविधाओं को करदाताओं द्वारा विक्रय किया जाना या व्यवस्था किए जाने की संभाव्यता है, लिखित अनुरोध पर किया गया है ।

(ख) भारत के बाहर ऐसे माल के विक्रय की अभिवृद्धि के लिए भारत के बाहर किसी भण्डार का अनुरक्षण :

(ग) ऐसे माल के क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण के लिए किसी प्रयोगशाला का या अन्य सुविधाओं का अनुरक्षण । जहां विक्रय का कोई अंश भारत के बाहर किया जाता है, वहां ऐसी प्रयोगशाला या अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण में उपगत व्यय की रकम, जो धारा 35 ख के अन्तर्गत अधिक कटौती के लिए अर्हित होगी, उस रकम से अधिक नहीं होगी जिसका वही अनुपात है जो ऐसे निर्यात के संबन्ध में आवर्त के मूल्य का उस कारबार के आवर्त से है जिनकी बाबत प्रयोगशाला का अन्य सुविधाओं का अनुरक्षण किया जाता है ।

(घ) निर्धारिती के कारबार से संबन्धित विदेश व्यापार नितिकालिक पत्रिकाओं या जर्नलों का क्रम । देश के सभी भागों में, जहां आयकर अधिनियम लागू होता है, ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों पर एक समान अधिक कटौती की अनुमति दी जा रही है ।

बड़े बड़े औद्योगिक गृहों के पास अपने विमान होना

3257. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पर्यटन और नागर विमान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े-बड़े उद्योग गृहों के क्या नाम हैं जिनके पास अपने कार्यकारी विमान हैं ;

(ख) उन उद्योग गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने नये विमान खरीदने के लिये आवेदन किया है और वे इसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा को कैसे देंगे—विदेशों में अपने स्रोतों से अथवा भारत से ;

(ग) इनके निदेश को कार्यकारी अधिकारियों के इन विमानों का उपयोग शेयरधारियों के खर्च पर, अपने व्यक्तिगत अथवा निजी कार्यों के लिए और अपने मित्रों, रिश्तेदारों अथवा अन्य लोगों के लिए करने से रोकने के लिए क्या मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये हैं ; और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित कैसे करती है कि इन विमानों का उपयोग गैर सरकारी निजी प्रयोजनों के लिये नहीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) ऐसे बड़े औद्योगिक गृहों की सूची, जिनके पचास कार्यकारी विमान हैं, विवरण i के रूप में संलग्न है ।

(ख) ऐसे औद्योगिक गृहों की सूची, जिन्होंने ऐसे कार्यकारी विमानों के आयात के लिए जिन पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी, आवेदन किया है तथा जिनका निपटान किया जाना शेष है, विवरश ii के रूप में संलग्न है । इन पर खर्च होनी वाली विदेशी मुद्रा का विमोचन भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना संबंधित एजेंसियों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण-1

ऐसे औद्योगिक गृहों की सूची जिनक पास कार्यकारी विमान हैं ।

क्रम संख्या	औद्योगिक घरानों के नाम
1.	टाटा आइरन और स्टील कम्पनी, जमशेदपुर ।
2.	आसाम सिल्लीमनिटी लिमिटेड, गोहाटी ।
3.	एयरोफयाइल सर्विसिय कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।
4-	रेमण्डउ वूलन मिल्स लिमिटेड, बम्बई ।
5.	बिरला जूट मैन्यूफेकचरिंग कम्पनी, नई दिल्ली ।
6.	जे० के० कैमिकल्स लिमिटेड बम्बई ।
7.	स्ट्रा प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली ।
8.	मैसर्स सूसान टैक्सटाइल बियरिंग लिमिटेड, बम्बई ।
9.	बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, सूरत ।
10.	भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।
11.	इन्डामेर कम्पनी प्रा० लिमिटेड, बम्बई ।
12.	जे० के० सिन्थेटिक्स, नई दिल्ली ।
13.	ग्वालियर रेयन, नागदा ।
14.	बोकारो एण्ड रानीपुर लिमिटेड कलकत्ता ।

15. मैसर्स लक्ष्मी मिल्स, लिमिटेड, कोयम्बतूर ।

16. मैसर्स एच० एस० सोबासिंह प्राइवेट लि०, बम्बई ।

17. मैसर्स कस्तूरी एण्ड सन्स लिमिटेट, मद्रास ।

18. जार्ज विलियन्स (असम लिमिटेड) आसाम ।

19. इण्डियन मैटल्स एण्ड फैररो एलांयज, भुबनेश्वरी

20. विश्वनाथ टी० कम्पनी कलकत्ता ।

21. फैररो सिरप निगम, जमशेदपुर ।

22. मैसर्स राजधानी जनरल ट्रेडर्स, नई दिल्ली ।

23. किर्लोस्कर ऑयल इन्जिन्स, बम्बई ।

24. टाटा सर्विस लिमिटेड, बम्बई ।

25. जैमन इण्डिया लिमिटेड, बम्बई ।

26. सराय डिस्ट्रीलरी, उत्तर प्रदेश ।

27. कन्सट्रक्सन मशीनरी कारपोरेशन, कलकत्ता ।

28. इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

29. मैसर्स थॉमस मार्गेट इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता ।

30. एलम्बिक्स, बम्बई ।

31. पिलमैन ए/ओ कम्पनी, बम्बई ।

32. इण्डियन टी एसोसिएशन, कलकत्ता ।

33. नेम बुरनाडी टी० कम्पनी, कलकत्ता ।

34. मैसर्स नरेश कुमार एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ।

विवरण-2

ऐसे औद्योगिक गृहों की सूची, जिन्होंने ऐसे नये कार्यकारी विमान खरीदने के लिए आवेदन किए हैं जिन पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी तथा जिनका निपटान किया जाना शेष है ।

1. अतुर इण्डिया लिमिटेड, बम्बई ।

2. भारत फोंरज कम्पनी लिमिटेड, पुने ।

3. किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर।

4. किर्लोस्कर ऑयल इंगन्स लिमिटेड, पूने।

5. बलारपुर इन्डस्ट्रीज, लिमिटेड, नई दिल्ली।

6. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर।

7. लक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कोयम्बतूर।

8. मराठा इन्जीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मिराज,महाराष्ट्र।

9. टाटा सर्विसिज लिमिटेड, बम्बई।

10. ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफेक्चरिंग (बीविंग), नई दिल्ली।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक ऋणों में कटौती

3258. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने उद्योगों को औद्योगिक ऋण देने में कटौती कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उद्योगों के लिए आवश्यकतानुसार ऋणों में वृद्धि कराने के लिए, जैसा कि पहले होता था, उनके मन्त्रालय में क्या प्रयास किये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : यह सच नहीं है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं को दी जाने वाली ऋण सहायता में कटौती कर दी गई है। वास्तव में 1980-81 (जुलाई-जून) के दौरान आई० एफ० सी० आई० द्वारा औद्योगिक एककों को स्वीकृत की गई ऋण सहायता तथा संवितरण क्रमशः 193.93 करोड़ रुपये तथा 147.07 करोड़ रुपये के थे जबकि पिछले वर्ष की समनुरूप अवधि के दौरान स्वीकृत तथा संवितरित राशि क्रमशः 124.91 करोड़ रुपये तथा 92.34 करोड़ रुपये थी।

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आई० एफ० सी० आई० तथा आई० सी० आई० सी० आई० की भागीदारी में चलाई जा रही सुलभ ऋण (साफ्ट लोन) योजना का उद्देश्य पांच चुन हुए उद्योगों अर्थात सूती वस्त्रों जूट, सीमेंट, चीनी तथा विशिष्ट इंजीनियरी उद्योगों में आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिए पात्र एककों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण सुलभ करना है। सुलभ ऋण के वास्ते पात्र उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा 1980-81 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सुलभ ऋण योजना के अधीन 50 परियोजनाओं के वास्ते 25.52 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

कर्नाटक में मिनी इस्पात संयंत्रों की स्थापना

3259. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार कर्नाटक में मिनी इस्पात संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) : यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : कर्नाटक में 9 लघु इस्पात कारखाने पहले से हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 2,15,000 टन है। ये कारखाने गैर सरकारी क्षेत्र में हैं और सहकारी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई कारखाना लगाने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उन राज्यों में नए लघु इस्पात कारखाने लगाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है जहां पहले से इस प्रकार के कारखाने विद्यमान हैं।

केरल में नीलाम्बर क्षेत्र के नदी तलों में पाए गए स्वर्ण निक्षेप

3260. **श्री सुबोध सेन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तरी केरल में नीलाम्बर क्षेत्र के नदी तलों में पाए गए स्वर्ण निक्षेपों के संकेतों के बारे में अब तक किए गए आरंभिक अध्ययनों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खनन कार्य के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

दक्षिण राजस्थान में उपलब्ध तांबे, अभरक का उपयोग करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

*3261. **श्री भोखाभाई :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण राजस्थान में, विशेषत: बांसवाड़ा जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तांबे तथा अभरक आदि जैसे खनिजों को, वहां सरकारी क्षेत्र में एक उद्योग की स्थापना करके उपयोग में लाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कदम उठाने का है ताकि वहां रहने वाले लोगों विशेषत: अनुसूचित भील समुदाय तथा अन्य समुदायों का उत्थान हो सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों में जिसमें भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर जिले सम्मिलित हैं, ताम्र भन्डार पाए गए हैं। बांसवाड़ा जिले में छिटपुट ताम्र भन्डार मिले हैं, किन्तु किसी ऐसे सक्षम भन्डार की पुष्टि नहीं हुई है जिस पर कोई उद्योग स्थापित किया जा सके। अभ्रक के खुदाई योग्य निक्षेप केवल भीलवाड़ा जिले में हैं। अभी तक बांसवाड़ा जिले में अभ्रक के किसी महत्वपूर्ण भन्डार की सूचना नहीं है। राजस्थान सरकार का खनन और भूतत्व विभाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में खनिज सर्वेक्षण तथा पूर्वेक्षण की एक या दो परियोजनाएं प्रत्येक वर्ष चला रहा है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में ग्रेफाइट और फ्लूराइट निक्षेपों की पहले से खुदाई कर रहा है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

3262. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बड़े-बड़े उद्योगों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल कितना निवेश हुआ है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कितनी राशि का निवेश हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क), केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एवं खनिज समूह के उद्यमों में 1980-85 की छठी योजना के अन्तर्गत 5887 करोड़ रुपए की पूंजी (छठी पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट के अंग्रेजी पृष्ठ 276 पर अनुबंध 16.2) लगाने की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के विस्तृत प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने पर नई योजनाओं के स्थान के बारे में निर्णय किया जाएगा। चूंकि उद्यमों के स्थानों का निर्णय तकनीकी आर्थिक दृष्टि से किया जाता है, अतः इस व्यवस्था में यह निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है कि इनमें से कितने उद्यम उड़ीसा में स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में उड़ीसा में लगभग 1650 करोड़ रुपए के परिव्यय से एल्यूमीनियम कम्प्लेक्स और उसके साथ निजी उपयोगार्थ बिजली पैदा करने वाले एककों सम्बन्धी वृहद परियोजना स्थापित की जाने वाली है।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना (1.4.1974 से 31.3.1979 तक) में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल 9365 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल अचल परिसम्पत्ति लगभग 180 करोड़ रुपए की थी।

ब्रिटिश एयरलाइन्स द्वारा नवीन पद्धति शुरू किया जाना

3263. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ए० टी० ए० द्वारा अनुमोदित ट्रेवल एजेंटों को देश में अपने व्यापार ठप्प हो जाने का संकट पैदा हो गया है क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइस ने प्रमुख नगरों में अपना कार्य फैला कर एक नई श्रेणी बना दी है ; जैसा कि 14 नवम्बर, 1981 को नई दिल्ली से प्रकाशित "फाइनेन्शियल एक्सप्रैस" में समाचार छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति को संभालने और ब्रिटिश एयरलाइन्स को ऐसी नई प्रक्रियाएं करने से रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ब्रिटिश एयरवेज ने हाल ही में एक आई० ए० टी० ए० ट्रेवल एजेंट को अपने जनरल सेल्ज एजेंट के रूप में नियुक्त किया है । इससे अन्य ट्रेवल एजेंट किसी भी एयरलाइन्स के सम्पूर्ण सेल्ज कार्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं. जिससे वास्तविक आई० ए० टी० ए० एजेंटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उनके व्यवसाय को बुरी तरह क्षति पहुंचेगी ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

नौकरों इस्पात संयंत्र में घाटा

3264. **श्री रेणूपद दास** :

श्री तारिक अनवर :

श्री नारायण चौबे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओपन जनरल लायसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन इस्पात के बेतहाशा आयात और इस्पात की कुछ किस्मों के दोषपूर्ण मूल्य- निर्धारण नीति के कारण बोकारों इस्पात संयंत्र को लगभग 10 करोड़ रुपये का घाटा होने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1981-82 में बोकारो इस्पात कारखाने को अनुमानत: 8 करोड़ रुपए की हानि होने की आशंका है । यह हानि आयात अथवा मूल्य-नीति के कारण नहीं है । हानि होने के और बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन उनमें आयात और मूल्य-नीति नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टिस्को की आस्तियां और पूंजी-निवेश

3265. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1981 को "टिस्को" की कुल अस्तियां व पूंजी निवेश कितना था और तत्सम्बन्धी तथ्य एवम प्रमुख मदवार उसके आंकड़े क्या हैं ;

(ख) "टिस्को" में सरकार के और सरकारी वित्तीय संगठनों के कितने शेयर है और इस कम्पनी को नियंत्रित करने वाले ग्रुपों यथा टाटा बन्धु (चेयरमैन) और मोदी बन्धु (प्रबंध निदेशकों) के शेयर कितने-कितने हैं तथा तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया (सेल) की तुलना में "टिस्को" की नीति को नियंत्रित करने के लिए अनुसरित पद्धति का ब्यौरा क्या है और वहां किन-किन क्षेत्रों में समन्वय होता है ; और

(घ) क्या यह सच है कि "टिस्टो" ही "सेल" की नीति का एकछत्र प्रशाक है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार निजी क्षेत्र के एक औद्योगिक उपक्रम टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) पर मुख्य रूप से कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रण रखती है। लेकिन टिस्को के दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि० (सेल) तथा टिस्को का जिन मुख्य क्षेत्रों में तालमेल है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) संयुक्त संयंत्र समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों के मूल्य सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादों के साथ-साथ टिस्को के उत्पादों पर भी लागू होते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार सेल के इस्पात कारखाने तथा टिस्को दोनों ही इस्पात विकास कोष में अंशदान करते हैं और इससे धन लेते हैं।

(ii) लोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए की गई कार्यवाही के अन्तर्गत टिस्को भी आता है ;

(iii) नियोक्ता के रूप में टिस्को भी इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त इलाहबाद समिति का सदस्य है जिसमें टिस्को के कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी हैं। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति के निर्णय सेल के कारखानों के साथ-साथ टिस्को पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

(घ) जी, नहीं।

हवाई अड्डों का नवीकरण तथा विस्तार

3266. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जिनका नवीकरण तथा विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अब तक कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटत और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण बैंक

3267. **श्री सुनील भट्टाचार्य :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति के विकास और वहां विशिष्ट प्रकार का वाणिज्यिक बैंकिंग वातावरण पैदा करना था ;

(ख) यदि हाँ, तो इन बैंकों की स्थापना के पाँच वर्ष बाद भी वहाँ प्रायोजक बैंकों के अधिकारियों की तैनात करने की प्रक्रिया को जारी रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ग्रामीण बैंकों के वरिष्ट कर्मचारी ही इन बैंकों की देख-रेख करने का भार सम्भाल सकते हैं ;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रक्रिया कब शुरू की जायेगी और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कल्पना ग्रामोन्मुख संस्थाओं के रूप में की गयी है जिनका उद्देश्य छोटे/सीमांतिक किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों तथा ग्रामीण समुदाय के अन्य अधिक निर्धन वर्गों को कम परिचालनात्मक लागतों पर ऋण प्रदान करना है।

(ख) से (ङ.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन के पहले पाँच वर्षों के लिए प्रायोजक बैंक द्वारा प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था मुख्यतः इसलिए की गई है कि जब तक ये अपना कुशल स्टाफ नियुक्त करने में सक्षम हों तब तक इन्हें अपना कार्य सुचारु रूप से

चलाने में मदद मिल सके। जहां कहीं सम्भव है ऐसे बैंकों द्वारा काम पर लगाए गए स्टाक को धीरे-धीरे बदला जा रहा है

राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैनों तथा प्रबंध निदेशकों की कार्यकाल की समाप्ति होने की अवधि

3268. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन चेयरमैनों तथा प्रबंध निदेशकों के क्या नाम हैं जिनके कार्यकाल की अवधि चालू वर्ष 1981-82 में समाप्त हो चुकी है अथवा होने वाली है तथा प्रत्येक का कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हुआ है अथवा होने वाला है ;

(ख) उनमें से कितने लोगों के कार्यकाल में वृद्धि की गई है तथा प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी वृद्धि की गई ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों के नाम, जिनके कार्यकाल की पूर्वविनिर्दिष्ट अवधि 1981 में समाप्त हो गई थी अथवा दिसम्बर, 1981 तथा वर्ष 1982 में समाप्त होने वाली है, नीचे दिये गये हैं :

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेश का नाम	बैंक का नाम	पूर्वविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)
सर्वश्री		
1. के० वी० यरकादित्य	इण्यिन ओवरसीज बैंत	31-3-81
2. आर० रघुपति	सिण्डीकेट बैंक	23-4-81
3. बी० के चटर्जी	यूनाइटेड कर्माशियल बैंक	18-6-81
4. सी० ई० कामथ	केनरा बैंक	2-6.81
5. एल० एल० चोपड़ा	पंजाब नेशनल बैंक	20-9-81
6. एम० एन० गोईपोरिया	देना बैंक	26-11-81
7. आर० के दत्त	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	31-12-81
8. इन्द्रजीत सिंह	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1-1-82
9. आर० सी० शाह	बैंक आफ बड़ोदा	30-4-82
10. एम० बी० सुब्बा राव	इण्डियन बैंक	16-12-82

(ख) स्थिति नीचे लिखे अनुसार :

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक और बैंक का नाम	आगे बढ़ाई गई अवधि से	तक
सर्वश्री		
1. सी० ई० कामथ केनरा बैंक	3-9-81	25-5-82
2. के० जी० यरकादित्य इण्डियन ओवरसीज बैंक	1-4-81	10-6-82
3. बी० के० चटर्जी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	19-6-81	15-7-83
4. आर० रघुपति सिण्डीकेट बैंक	24-4-81	23-4-84
5. एम० एन० गोईंपोरिया देना बैंक	27-11-81	26-11-84

(ग) ऐसी नियुक्तियों को जारी रखने के सम्बन्ध में सामान्यत: 60 वर्ष की आयु-सीमा रखी जाती है। अवधि बढ़ाई जाने का निर्णय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर प्रत्येक मामले की गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

भारतीय रेलवे के पटरियां सप्लाई करने वाले इस्पात संयंत्र

3269. **प्रो मधु दंडवते** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मार्गों के प्राथमिक नवीकरण के लिये भारतीय रेलवे को रेल पटरियां कौन-कौन से इस्पात संयंत्र सप्लाई करते हैं ;

(ख) वित्त वर्ष 1980-81 के दौरान पटरियों के लिये रेल वे की मांग कितनी रही ; और

(ग) रेलवे को कितनी पटरियां भेज दी गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) (1) भिलाई इस्पात कारखाना ; और

(2) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान रेलवे की मांग इस प्रकार थी :

60 कि० ग्राम (120 पौंड)	—	10,000 टन
52 कि० ग्राम (105पौंड)	—	1,27,960 टन
45 कि० ग्राम (90 पौंड)	—	1,40,000 टन
37 कि० ग्राम (75 पौंड)	—	12,000 टन
30 कि० ग्राम (160 पौंड)	—	15,000 टन
कुल		3,04,960 टन

(ग) सप्लाई भार के आधार पर की जाती है। वर्ष 1980-81 में टन भार के रूप में की गई सप्लाई इस प्रकार थी :

52 कि० ग्रा० (150 पौंड)	—	99,830 टन
45 कि० ग्रा० (90 पौंड)	—	75,146 टन
कुल		1,74,676 टन

वर्ष 1981 के दौरान पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिये कदम

3270. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क देश में पर्यटक-यातायात में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1981 में सरकार ने क्या कदम उठाया हैं ;

(ख) क्या सरकार ने देश में पर्यटक-स्थलों का विकास करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में काफी राशि नियत करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (अनन्त प्रसाद शर्मा) : भारत सरकार ने देश में पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए 1981 के दौरान विविध कदम उठाए हैं। संलग्न विवरण में इनका उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटित की गई धनराशि 72 करोड़ रुपये है— जिसमें 30 करोड़ रु० का आवंटन पर्यटन विभाग

के लिए है और 42 करोड़ रुपये भारत पर्यटन विकास निगम के लिए पर्यटन विकास के लिए राज्य सेक्टर में किये गये परिव्यय की राशि 116 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त पर्यटक आधारित संरचना के निर्माण में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहन देते हुए प्राइवेट सेक्टन को भी शामिल किया है।

विवरण

जबकि पर्यटन का विकास और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है, वर्ष 1981 के दौरान जो खास-खास कदम उठाए गए है, वे निम्नलिखित हैं :

(1) यात्रा परिपथों की संकल्पना का अन्तिम रूप दिया गया। केन्द्रीय, राज्य और गैर सरकारी सेक्टर में उपलब्ध सभी साधनों को एकत्र करते हुए चयनात्मक विकास के लिये 61 यात्रा परिपथ निर्धारित किये गये हैं जिनमें 441 केन्द्र शामिल हैं।

(2) अपने फ्लीट के विस्तार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में इण्डियन एयरलाइन में 1981 में अपने फ्लीट में दो बोइंग 737 की वृद्धि की।

(3) भारत में विविध हवाई अड्डों पर पर्यटकों के लिए और अधिक सुख/सुविधाएं जुटाने के लिये 1981 में एयर पोर्ट सलाहकार समितियां गठित की गई।

(4) वर्ष के दौरान एयर इण्डिया ने भी अपना विस्तार कार्यक्रम तेज किया और आस्ट्रेलिया के लिये की जाने वाली फ्रीक्वेंसी दुगनी की गई ; अब यह सेवा सप्ताह में दो बार परिचालित होती है। इसी वर्ष इससे पूर्व सेलिसबरी के लिये एक नई वायु-सेवा का उद्घाटन किया गया था।

(5) पर्यटक यातायात की मात्रा में ठोस वृद्धि लाने की दृष्टि से चार्टरों की अभिवृद्धि करने के लिये एक चार्टर कमेटी गठित की गई है। जिसका उद्देश्य भारत आने वाले चार्टर ट्रैफिक के विकास की एक सकारात्मक दिशा प्रदान करना है।

(6) बौद्ध तीर्थ यात्रियों के यातायात और विशेष रूप से जापान से आने वाले यातायात की अभिवृद्धि करने के लिये होक्के क्लब आफ जापान और होटल कारपोरेशन आफ इन्डिया, जो एयर इण्डिया की एक सहायक संस्था है, दोनों ने संयुक्त रूप से कुशीनगर और राजगीर में एक-एक जापानी स्टाइल के होटल का निर्माण करने के लिये एक संयुक्त उद्यम परियोजना शुरू की है, जो एयर इण्डिया द्वारा उठाया गया एक अन्य प्रमुख कदम है।

(7) नागर विमानन में क्षेत्र में पिछले वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप यह था कि वायुदूत सेवाए, दी थर्ड लेवल एयरलाइन का उद्घाटन किया गया। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी से वायुदूत सेवाओं का परिचालन शुरू हो गया है और यह आठ स्टेशनों को कवर करती है।

(8) वर्ष के दौरान 20 नए होटलों को अनुमोदित किया गया जिससे 916 कमरों की

वृद्धि करते हुए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होटलों में कमरों की कुल संख्या 22300 हो गई। वर्ष के दौरान 35 होटलों को वर्गीकृत किया गया और 28 नई होटल परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 3873 कमरों की वृद्धि हो जाएगी। दो एशियाड होटल परियोजनाओं के मामले में यूरो-डालर ऋण एकत्र करने सम्बन्धी आवेदनों पर अनुमति दी गई।

(9) स्वदेशी पर्यटन की अभिवृद्धि करने के लिये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत सरकार के नये पर्यटन कार्यालय खोले गये हैं।

(10) 1981 के दौरान विदेशों में प्रारम्भ किये गये संवर्धनात्मक प्रयासों की रफ्तार को बढ़ाने की दृष्टि से 3 विदेश स्थित "आपरेशनों" की पुनरीक्षा की गई ; यह एक स्कीम है जिसके अधीन विदेशों में पर्यटन की अभिवृद्धि करने के लिए विदेश स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय और एयर इण्डिया परस्पर सहयोग करते हैं। वे तीन क्षेत्र जिनके कार्यचालन की पुनरीक्षा की गई ये हैं :

"आपरेशन आस्ट्रेलेशिया", "आपरेशन यूरोप" और "आपरेशन यू० के०"।

चन्दन का तेल और अन्य उत्पादों का निर्यात

3271. श्री अशोक गहलोत : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में चन्दन के तेल का उत्पादन कम हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार चन्दन के तेल और इसके अन्य उत्पादकों का निर्यात करने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत पिछले साल से बहुत कम चन्दन के तेल का निर्यात कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या सरकार एक चन्दन व्यापार निगम बनाने पर विचार करेगी ; और

(च) यदि हां, तो यह निगम कब तक बनेगा और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) देश में चन्दन के तेल के उत्पादन के विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उत्पादन में कुछ गिरावट आयी है।

(ख) वर्तमान निर्यात नीति के अन्तर्गत चन्दन के तेल के निर्यात की अनुमति है।

(ग) मूल रसायन, मेषजीय, पदार्थ तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दिये गये अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अक्तूबर, 1980 की अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 1981 की अवधि में चन्दन के तेल के निर्यात बड़े हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) तथा (च) चन्दन तेल व्यापार निगम स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपास के उत्पादन में कमी

3272. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन साल तक फालतू उत्पादन के बाद वर्ष 1980-81 के लिए 81, 91 लाख गाँठ की देशी मांग के विरुद्ध कपास का अनुमानित उत्पादन 78.50 लाख गाठें होने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वस्त्र आयुक्त ने नवम्बर के अन्त तक कपास की 2.24 लाख गांठों की कमी होने का अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्ष 1980-81 के लिये कपास के उत्पादन का अन्तिम अखिल भारतीय अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कृषि मंत्रालय के अनुसार 1979-80 को प्राप्त होने वाले गत तीन कपास वर्षों के लिये कपास का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार रहा :

उत्पादन प्रत्येक 170 किग्रा० की 1000 गांठों में

कपास वर्ष	उत्पादन
1977-78	7243.4
1978-79	7957.8
1979-80	7697.6

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार उड़ीसा क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार

3273. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में लोह अयस्क के भंडारों का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग की वर्णयानी बारबिल क्षेत्र और उड़ीसा के क्योंझर जिले के अन्य भागों में लौह-अयस्क के भंडारों का पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इन भंडारों से विभिन्न श्रेणियों का कितना लौह अयस्क प्राप्त होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखजी) : (क) से (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के सिंह भूम जिले में तथा बनपाणी बारबिल क्षेत्र सहित उड़ीसा के क्योंझर जिले में अन्य खनिजों के साथ-साथ लौह अयस्क भंडारों का मूल्यांकन करने के लिए खोज की है।

इन खोजों के फलस्वरूप भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ठकुरानी, झिलिंग, लंगटोला और वनपाणी क्षेत्रों में 64.5 प्रतिशत औसत लौह तत्व वाले 376 मि० टन लौह अयस्क भंडारों का अनुमान लगाया है।

उड़ीसा के चिलका झील में सर्फिंग सेंटर खोलना

3274. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यक्ष गुलमर्ग सर्फिंग सेंटर जम्मू कश्मीर ने अपनी हाल की चिलका उड़ीसा की यात्रा के दौरान सुझाव दिया था कि वह झील बहुत जल क्रिड़ाओं के लिए उपयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चिलका झील उड़ीसा में एक सर्फिंग सेंटर खोलने पर विचार कर रही है ;

(ग) सरकार चिलका में सर्फिंग सेंटर खोलने के लिए उड़ीसा को कितनी धनराशि देने पर विचार कर रही है ;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष में यह प्रस्ताव निष्पादित किया जायेगा ; और

(ङ.) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन विभाग को जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग सर्फिंग सेन्टर के प्रेजीडेन्ट की उड़ीसा में चिलका झील की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि गुलमर्ग में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ स्कीइंग एंड माउटेनियरिंग के प्रिंसीपल ने उक्त झील में जल स्कीइंग प्रारम्भ करने की संभावना का पता लगाने के लिए उड़ीसा में चिलका की यात्रा की।

(ख) और (ग) : विस्तृत प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा है। तथापि, यह समझा जाता है कि झील में जलास्कीइंग के लिए निर्धारित क्षेत्र को डी-वीड करने और जैसी मछली तथा अन्य प्रकार की मछलियों को इस क्षेत्र में आने से रोकने के लिए इस क्षेत्र की। नेटिंग द्वारा सीमा बांधने के लिए जब तक चिल्का झील में जल स्कीइंग को शुरू करना सभव नहीं होगा। अतः चिलका झील में जल स्कीइंग प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर में अभी तक कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

सयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात के कार्यालय का लेखा परीक्षा जांच

3275. **श्री माधव सिंधिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेखा परीक्षा जांच में यह पाया गया है ;

(i) संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय ने 1977-80 की अवधि के दौरान निर्यातकों को क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में अधिक भुगतान किया है ;

(ii) क्या निर्यातकों की ओर से त्रुटियां थीं ;

(ख) यदि हां, तो (i) निर्यातकों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और (ii) निर्यातकों की त्रुटियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) (i) और (ii) : जी, हां।

(ख) : (i) नई दिल्ली और बम्बई के संयुक्त नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालयों की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में अधिक भुगतान की जिस कुल राशि का उल्लेख किया गया था वह 150.29 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को दी गई 41.04 लाख रुपये की उस राशि का भी उल्लेख किया गया था जिसे संयुक्त मुख्य नियंत्रक, निर्यात-आयात, बम्बई द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण लेखा-परीक्षा आपत्तियों के अन्तर्गत रोक लिया गया था।

(ii) निर्यातकों द्वारा की गई चूक मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :

(क) निर्यात दस्तावेजों में प्रविष्टियों को मिटाना और उसके ऊपर पुन : लिखना।

(ख) नकद सहायता की दरों को गलत ढंग से लागू करना और दावों में हिसाब की त्रुटियां।

(ग) नकद सहायता की उच्चतर दरों के लिए उपयुक्त श्रेणियों के अन्तर्गत निर्यात उत्पादों का गलत वर्गीकरण।

(घ) ऐसे दावे जिनका समर्थन अपेक्षित निर्यात दस्तावेजों से नहीं किया गया ।

(ङ) अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करने में निर्यातकों की विफलता ।

(च) निर्यातों पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम नकद सहायता दिया जाना ।

(ग) मुख्य नियंत्रक, निर्यात और आयात के अधीन नकद सहायता वितरण कार्यालयों में आन्तरिक जांच एककों को सुदृढ़ करने और वाणिज्य मन्त्रालय में एक स्वतंत्र आन्तरिक लेखा-परीक्षा संघ बनाने के प्रस्ताव सक्रिय रुप से सरकार के विचाराधीन है । जिन मामलों में निर्यातकों ने निर्यात दस्तावेजों में कांटछांट की है उनकी जांच की जाती है और समुचित कार्यवाही की जाती है ।

रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट

3275. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में रुपये की क्रय शक्ति में और गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय रुपये की क्रय शक्ति क्या है ;

(ग) क्रय शक्ति में कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) : किसी भी देश में मुद्रा की क्रय शक्ति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि से सम्बन्धित होती है । अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) के अनुसार नापी गई रुपए की क्रय शक्ति सितम्बर 1981 में 21.9 पैसे थी ।

सरकार ने मुद्रा स्फीति की दर को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं और जब भी आवश्यकता होगी और उपाय करेगी । सरकार द्वारा मुद्रास्फीति-रोधी उपायों के फलस्वरूप, थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में उल्लेखनीय कमी हुई है ।

परिष्कृत काजू का निर्यात

3277. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या वाणिज्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को परिष्कृत काजू में कट्टा मुकाबला करना पड़ रहा है ;

(ख) कच्चा काजू उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान भारत ने कितने परिष्कृत काजू का निर्यात किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) कच्चे काजू की प्रमुख मांग घरेलू उत्पादन से पूरी की जाती है तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विद्यमान बागान को सहायता देने के अतिरिक्त, काजू की खेतों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों को लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। कच्चे काजू की अपर्याप्त सप्लाइयों के कारण, कच्चे काजू के आयात को, जो कि अप्रैल 1981 तक सरणीबद्ध मद थी, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है ।

(ग) 1980-81 के दौरान भारत द्वारा निर्यात की गई संसोधित काजू (काजू गिरी) की मात्रा 32805 मी० टन थी ।

प्रबंध लेखा विधि को लागू करना

3278 श्री अजय विश्वास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लेखे का विभागीयकरण करने का एक कारण प्रबंध लेखा विधि को लागू करना है ;

(ख) यदि हां, तो कुछ कार्यालयों में यह विधि लागू की गई है कार्यालयों और उपलब्ध परिणामों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(घ) बिना प्रबन्ध लेखा विधि के विभागीकरण का क्या औचित्य है (ब्यौरा) है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) जी हां । संघीय लेखाओं के विभागीकरण का एक उद्देश्य यह था कि प्रबन्धकीय प्रयोजनों के लिए वित्तीय और लेखाकरण सूचना के शीघ्र और सही प्रवाह की व्यवस्था करके लेखाओं को प्रबन्ध का एक प्रभावी साधन बनाया जाए ।

(ख) प्रबन्ध सूचना पद्धति निम्नलिखित मंत्रालयों के लिए बनाई गई है :—

1. रसायन और उर्वरक विभाग,
2. निर्माण और आवास मंत्रालय (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)
3. सिंचाई मंत्रालय-(क) सिंचाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
   (ख) सिंचाई खंड,
4. नौवहन और परिवहन मंत्रालय-पत्तन खंड,
5. पेट्रोलियम विभाग,
6. भारी उद्योग विभाग,

7. इस्पात और खान मंत्रालय,

8. कोयला विभाग,

अन्य मंत्रालय/विभाग भी अपने उपयोग के लिए इसी प्रकार की पद्धतियां बनाने में लगे हुए हैं।

सभी मंत्रालयों/विभागों में कार्य कर रहे वित्तीय लेखाकरण एकक विभिन्न आयोजनागत परियोजनाओं और स्कीमों के कार्य-क्रम बनाने, बजट संबंधी व्यवस्था बनाने, देख-रेख रखने और मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित लेखाकरण सम्बन्धी सूचना समय पर दे रहे है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय में संघ के समेकित लेखे कम्प्यूटर पर बनाए जा रहे हैं जो प्रभावी देखरेख और नियन्त्रण प्रयोजनों के लिए मंत्रालयों/विभागों और योजना आयोग द्वारा आवश्यक वित्तीय और लेखाकरण सम्बन्धी सूचना के शीघ्र सुधार में सुविधा में सुविधा प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण बैंक योजना में समस्याओं का हल

3279. **श्री अजित बाग** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंक योजना के अन्तर्गत समस्याओं के हल के लिए परस्पर बातों की कोई प्रणाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) संभवतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के औद्योगिक विवादों के निपटान के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1676 का 21) की धारा 33 (2) के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में किये गये संशोधन द्वारा, औद्योगिक विवाद आदि के समझौते के लिये औद्योगिक विवादअधिनियम, 1947 के उपबंध, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उन कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए हैं जो कि कर्मकार (वर्कमैन) की श्रेणी में आते हैं। श्रम मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कर्मचारियों की प्रतिनिधि यूनियन/ऐसोसिएशन को भी मान्यता प्रदान करते हैं तथा ऐसी यूनियनों/ऐसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श अथवा बातचीत के सम्बन्ध में सभी कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं।

पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी

3280. **श्री केशवराव पारधी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी एक गैर बैंककारी कम्पनी है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1980-81 को इस कम्पनी की कुल आस्तियां दायित्व और तुलन पत्र क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने सरकार के अन्तर्गत भी अपनी पूंजी लगायी है, यदि हां, तो कितनी ;

(घ) क्या लोगों का इस कम्पनी में जमा धन सुरक्षित है, यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ङ.) क्या कम्पनी ने दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के बारे में बीमे की राशि बढ़ायी है, यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) 31-3-81 की स्थिति के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है। 31-12-80 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के तुलनपत्र के मुताबिक, इसकी (कम्पनी) देयताओं और परिसम्पत्तियों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपए)

देयतायें		परिसम्पत्तियां	
प्रदत्त पूंजी और प्रारक्षितयां	1.45	अचल परिसम्पत्तियां बिल्डिंग और फर्नीचर आदि	1·53
सुरक्षित देनदारियां			
समाज कल्याण योजना निधि (जनता की देयताएं अर्थात योजना के अधीन प्रमाणपत्र-धारी	95.18	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश यू० टी० आई० और राष्ट्रीयकृत बैंक)	109.14
		अन्य निवेश	2.63
अन्य देयतायें		नकद और बैंक अधिशेष	9.57
चालू और बकाया देयताएं और व्यवस्थाएं	33.99	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	7.75
जोड़ :	130.62		130.62

(ग) 31-12-80 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा बैंकों में रखे मियादी जमाओं और

सरकारी तथा न्यासी (ट्रस्टी) प्रतिभूतियों में जमा राशि क्रमशः रु० 99,81,40,407.16 तथा रु० 9,32,94,941.70 (बही मूल्य) थी।

(घ) अपनी योजनाओं के अधीन, कम्पनी द्वारा स्वीकार जमा अभिदान असुरक्षित हैं और अन्य असुरक्षित देयताओं के समतुल्य हैं।

(ङ) इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीम (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप, कम्पनी के कार्यों की आवधिक रूप से समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं की जा रही है। इसलिए, राशियों में वृद्धि से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

लेखा-परीक्षा कार्यालयों में अधिक कर्मचारियों का समस्या

32 2. **डा० सरदीश राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखा-परीक्षा कार्यालयों में अधिक कर्मचारियों की समस्या (जो लेखा-परीक्षा और लेखा कार्यालयों के अलग होने के कारण हुई है) के हल के कोई अध्ययन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है, और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है और क्या ऐसे अध्ययन का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप बिभागीय लेखाओं में स्थानांतरित लेखा अधिकारियों और अनुभाग अधिकारियों के उच्चतर संवर्गों में व्यक्तियों की संख्या स्थानान्तरित पदों की संख्या से अधिक थी। लेखा परीक्षकों और लिपिकों के मामले में, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वास्तव में स्थानांतरित किया गया, अन्तरित किये गये पदों की संख्या से क्रमशः 1146 और 989 कम थी। लेकिन किसी की भी छंटनी अथवा पदावनति नहीं की गई थी और फालतू जनशक्ति को बाद के रिक्त पदों में खपा लिया गया।

अशोका होटल के कर्मचारियों को बोनस

3283. **श्री के० ए० राजन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच सालों में (वर्ष 1976 से 1981 तक) अशोका होटल के कर्मचारियों को कितने प्रतिशत बोनस दिया गया और इन वर्षों में अधिकतम बोनस का भुगतान किए जाने के बाद कोई "सेट आन" राशि रखी है, यदि हां, तो वह कितनी है ;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने सरकार द्वारा नियुक्त मजूरी पुनरीक्षण समिति के सुझावों को अपने विभिन्न इकाइयों में पूरी तौर से लागू कर दिया है, और यदि नहीं, तो अभी कौनसी मदों को लागू किया जाना है और विलम्ब के क्या कारण हैं तथा लगभग किस तिथि तक ऐसे लम्बित मामले लागू किए जायेंगे ; और

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम की विभिन्न इकाइयों में कितनी ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं उनके नाम और पते क्या हैं तथा उनमें कितने ट्रेड यूनियनों को प्रबन्धकों ने मान्यता दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पिछले पांच सालों में (1976-81) अशोक होटल के कर्मचारियों को दी गई बोनस राशि की प्रतिशतता और इन वर्षों में "सेट-आन" राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	दी गई बोनस की राशि	इन वर्षों में सेट आन राशि
1976-77	20%	7.26 लाख रु०
1977-78	20%	16.13 लाख रु०
1978-79	20%	12.32 लाख रु०
1979-80	20%	1.29 लाख रु०
1980-81	20%	9.45 लाख रु०

(ख) आई० टी० डी० सी० के मैनेजमैंट ने मजूरी पुनरीक्षण समिति की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशों पर पूरी तरह अमल किया है और इस सम्बन्ध में यूनियनों के साथ एक समझौता हो गया है ।

(ग) आई० टी० डी० सी० मैनेजमैंट के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, निगम की विभिन्न इकाइयों में 32 ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं । इन यूनियनों के नाम और पते संलग्न विवरण में दिए गए हैं । 32 यूनियनों में से 5 यूनियनों को आई० टी० डी० सी० मैनेजमेंट द्वारा मान्यता दी गई है ।

विवरण

आई० टी० डी० सी में कार्यरत्त विभिन्न यूनियनों के नाम और पते

क्रम सं०	नाम	पता
1.	आल इन्डिया आई० टी० डी० सी इम्प-लाइज यूनियन	167 पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली
2.	आल इन्डिया आई० टी० डी० सी वर्कर्स यूनियन	जीवन बिहार, 3 संसद मार्ग, नई दिल्ली

1	2	3
	3. अशोक होटल इम्पलाइज यूनियन	सी—204 स्टाफ क्वार्टर्स अशोक होटल, नई दिल्ली ।
	4. अशोक होटल कर्मचारी संघ	केयर आफ अशोक होटल, नई दिल्ली ।
	5. अशोक होटल मजदूर जनता यूनियन	केयर आफ अशोक होटल, नई दिल्ली ।
	6. अकवर होटल इम्पलाइज यूनियन	केयर आफ अकवर होटल, नई दिल्ली ।
	7. आई० टी० डी० सी होटलस वर्कर्स यूनियन	केयर आफ जनपथ होटल, नई दिल्ली-केयर आफ रणजीत होटल, नई दिल्ली ।
	8. जनपथ होटल वर्कर्स यूनियन	11060, ईस्ट पार्क रोड, नई दिल्ली ।
	9. जनपथ होटल मजदूर यूनियन	केयर आफ जनपथ होलट, नई दिल्ली ।
	10. लोदी होटल कर्मचारी संघ	केयर आफ लोदी होटल, नई दिल्ली ।
	11. होटल कुतुव अशोक इम्पलाइज यूनियन	केयर आफ कुतुव होटल, नई दिल्ली ।
	12. कुतव होटल इम्पलाइज यूनियन	केयर आफ कुतव होटल, नई दिल्ली ।
	13. एअरपोर्ट होटल (आई. टी. डी. सी) इम्पलाइज यूनियन	एअरपोर्ट होटल, दमदम कलकत्ता ।
	14. कमेटी आफ आई. टी. डी. सी जनरल वर्कर्स	24 नं० ब्लाक सरकारी क्वार्टर बनमाली नस्कर रोड, बेहाला, कलकत्ता-3 जी एवरेस्ट बिल्डिंग, 46 चौरिंघी रोड, कलकत्ता ।
	15. होटल अशोक इम्पलाइज यूनियन	13-14 मदुरै मुदलियर रोड, जोली मोहल्ला, बंगलौर

1	2	3
16.	आई. टी. डी. सी वर्कर्स यूनियन	केयर आफ होटल अशोक, बंगलौर
17.	होटल अशोक कार्मिकार संघ	एल-56 के० वी० टैम्पल स्ट्रीट, सुल्तानपेट, बंगलौर
18.	मैसूर इन्डस्ट्रियल वर्कर्स जनरल ट्रेड यूनियन	1867, सायाजी राव रोड, मैसूर
19.	ललित महल पैलेस होटल इम्पलाइज यूनियन	केयर आफ ललित महल पैलेस होटल, मैसूर।
20.	आल इन्डिया आई. टी. डी. सी कर्मचारी	केयर आफ हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली केयर आफ अकबर होटल, नई दिल्ली
21.	आल इन्डिया आई. टी. डी. सी मजदूर जनता यूनियन	120, बाबर रोड, नई दिल्ली
22.	आल इन्डिया आई. टी. डी. सी मजदूर संघ	केयर आफ हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली।
23.	इन्डिया ट्रूरिजम ए०ड एविएशन वर्कर्स एसोसिएशन	ए-5 ग्रीन पार्क एक्टेंशन, नई दिल्ली
24.	इन्डिया ट्रूरिजम डिवेलपमैंट कार्पोरेशन इम्पलाइज यूनियन	कोवलम बिझी जाम पी० ओ०
25.	इन्डिया ट्रूरिजम डिवेलपमैंट कारपोरेशन इम्पलाइज एसोसिएशन	कोवलम पी० ओ० त्रिवेन्द्रम
26.	आई० टी० डी० सी जनरल इम्पलाइज यूनियन	कोवलम पी० ओ त्रिवेन्द्रम
27.	आई० टी० डी० सी स्टाफ एसोसिएशन	कोवलम पी० ओ त्रिवेन्द्रम
28.	आई० टी० डी० सी जनरल इम्पलाइज एसोसिएशन	कोवलम पी० ओ त्रिवेन्द्रम
29.	आई० टी० डी० सी वर्कर्स यूनियन	केयर आफ हसन होटल, वी. एम. रोड, हसन।

1	2	3
	30. वर्कर्स यूनियन काजीरंगा फारेस्ट लाज	पी० ओ काजीरंगा फोरेस्ट लाज सैंक्चुअरि
	31. आल इन्डिया आई० टी० डी० सी इम्पलाइज यूनियन (तमिलनाडु)	नं० 45, रायपेट्टाह हाई रोड, मद्रास
	32. आल इन्डिया आई० टी० डी० सी इम्पलाइज फेड्रेशन	36 ए मैन मार्केट, मोती नगर, नई दिल्ली।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों का खोला जाना

3284. **आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1979 से जून 1980 तक की अवधि के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बैंकों की 8,900 शाखाएं खोलने की मंजूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनमें अब तक राज्यवार कितनी शाखाएं खोली गई हैं ;

(ग) राजस्थान में जिलावार कितनी शाखाएं खोली गई हैं ; और

(घ) क्या 8,900 शाखाओं में अभी कुछ और शाखाएं खोली जानी बाकी हैं यदि हां, तो ये शाखाएं कहां और कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 1 जनवरी, 1979 से जुलाई, 1981 के अन्त तक ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्रों में 8990 और अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते प्राधिकार-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(ख) जारी किए गए 8990 प्राधिकार-पत्रों में से 30 जून, 1981 तक वाणिज्यिक बैंकों ने 5474 कार्यालय खोले हैं। इनके राज्यवार ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) इनके ब्यौरे विवरण में दिए अनुसार हैं।

(घ) जी, हां। बैंकों को शेष बचे उन केन्द्रों पर शीघ्र ही शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है जिनके वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी किए गए हैं।

विवरण —1

राज्य संघीय क्षेत्र	1-1-79 से 30-6-1981 तक ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केन्द्रों पर खोले गए कार्यालयों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	407

(1)	(2)
2. असम	64
3. बिहार	868
4. गुजरात	182
5. हरियाणा	109
6. हिमाचल प्रदेश	58
7. जम्मू तथा कश्मीर	91
8. कर्नाटक	255
9. केरल	260
10. मध्य प्रदेश	572
11. महाराष्ट्र	451
12. मणिपुर	2
13. मेघालय	5
14. नागालैंड	8
15. उड़ीसा	257
16. पंजाब	109
17. राजस्थान	320
18. तमिलनाडु	313
19. त्रिपुरा	16
20. उत्तर प्रदेश	761
21. पश्चिम बंगाल	305
22. अण्डमान और निकोबार द्वीह समूह	—
23. अरुणाचल प्रदेश	5
24. चण्डीगढ़	3
25. दादरा तथा नगर हवेली	1
26. दिल्ली	22

(1)	(2)
27. गोवा, दमण तथा दीव	21
28. लक्षद्वीप	—
29. मिजोरम	—
30. पांडिचेरी	7
31. सिक्किम	2
जोड़	5474

विवरण—2

जिला	उन केन्द्रों पर खोले गए कार्यालयों की संख्या			
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	जोड़
1	2	3	4	5
1. अजमेर	9	2	2	13
2. अलवर	18	2	3	23
3. बांसनाड़ा	8	1	—	9
4. बाड़मेर	5	2	—	7
5. भरतपुर	19	3	—	22
6. भीलवाड़ा	10	3	—	13
7. बीकानेर	3	1	2	6
8. बूंदी	5	—	—	5
9. चित्तौरगढ़	6	2	—	8
10. चूरू	10	4	—	14
11. डूंगरपुर	12	—	—	12
12. गंगानगर	7	3	—	10
13. जयपुर	13	7	21	41
14. जैसलमेर	—	—	—	—

1	2	3	4	5
15. जालोर	16	2	—	18
16. झालावार	6	2	—	8
17. झुन्झुनू	2	4	—	6
18. जोधपुर	19	4	7	30
19. कोटा	8	1	6	15
20. नागौर	6	2	—	8
21. पाली	21	2	—	23
22. सवाई माधोपुर	23	—	—	23
23. सीकर	3	5	—	8
24. सिरोही	9	1	—	10
25. टोंक	6	1	—	7
26. उदयपुर	22	—	—	22
जोड़	266	54	41	361

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में समेकित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता

3285. **श्री जैनुल बशर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्राम विकास योजना का यक मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सहायता देना और विभिन्न बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है ।

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के प्रत्येक ब्लाक में समेकित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कितने लोगों को सहायता दी गई ; पिछले तीन सालों में ग्रामीण विकास के लिए कुल कितनी धन-राशि दी गई और अन्य किस रूप में सहयोग किया गया ; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान प्रत्येक ब्लाक की आर्थिक सहायता के लिये कितनी धन राशि देने का विचार है और 31 अक्तूबर, 1981 तक कितनी सहायता दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) से (ग) : माननीय सदस्य का आशय संभवत: समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड में 600 परिवारों को गरीबों की रेखा से ऊपर उठाने में सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लाभप्राप्त कर्ताओं को राजसहायता (सब्सीडी) के रूप में सहायता प्रदान की जाती है तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। यह कार्यक्रम गाजीपुर जिले में 16 खण्डों सहित देश मे सभी खण्डों को व्याप्त करता है। मार्च 1981 को समाप्त हुए तीन वर्षों (ताजा उपलब्ध आंकड़े) के दौरान जिले में 68402 व्यक्ति लाभान्वित हुए थे तथा उनको 239.45 लाख रुपये के संस्थागत ऋण संवितरित किये गए थे। यह सहकारिताओं तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित किए गए ऋण की कुल मात्रा है तथा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बैंक के वास्ते सूचन इकट्ठी नहीं की जाती है। I981-82 के लिए गाजीपुर जिले में 6 लाख रुपये प्रति खण्ड की दर से 96 लाख रुपये का नियतन किया गया है आई० आर० डी० पी० के अधीन लाभ प्राप्तकर्ता के मामले में दी गई राजसहायता (सब्सीडी) सामान्यत: इस योजना की लागत की एक तिहाई है तथा शेष बैंकिंग संस्थाओं से ऋण रूप में आता है। इसलिये संवितरित की गई ऋण की राशि निर्धारित लाभप्राप्तकर्ताओं को संवितरित की गई राजसहायता (सब्सीडी) पर निर्भर होगी और इस प्रयोजन के लिए बैंक ऋण को संवितरित करने के वास्ते अलग से कोई नियतन नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती

3286. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों के किसानों को, जहां कुछ वर्ष पूर्व अफीम उगाने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं जबकि कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी ;

(ख) क्या सरकार समय सीमा निर्धारित करते हुए जिसमें किसानों को अफीम उगाने की अनुमति दी जायेगी नये आदेश जारी करने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : हिमाचल प्रदेश राज्य में सन् 1954 में अफीम की काश्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब से केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अफीम की वाणिज्यिक काश्त करने की कोई इजाजत नहीं दी है। तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य कृषि विभाग की निगरानी में कतिपय सरकारी फार्मों में प्रायोगिक आधार पर अफीम की काश्त करने की अनुमति दी गई है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : इसका प्रश्न नहीं उठता है।

जयपुर में हाथ की छपाई के वस्त्रों के लिये राष्ट्रीय संस्थान

3287. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का जयपुर में हाथ की छपाई के वस्त्रों के लिये एक एक राष्ट्रीय संस्थान खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) जी हां।

(ख) संस्थान का निर्माण करने के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा एक प्लाट दिया गया है। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

वाराणसी के नजदीक गलीचा तकनीकी के लिये एक संस्थान खोलने का प्रस्ताव

3288. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** :क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नजदीक गलीचा तकनीकी के लिये एक संस्थान और खोलने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) : जी हां।

(ख) संस्थान के भदोही (जिला वाराणसी) में स्थापित करने का विचार है। इस के भूमि प्राप्त कर ली गई है। संस्थान के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य एक तकनीकी अधिकारी को सौंपा गया है।

बिन्नी मिल, मद्रास द्वारा भूमि और भवन आस्तियों की बिक्री

3290. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में बिन्नी मिल द्वारा उत्पादन बन्द करने के क्या कारण हैं और कब से बन्द है ;

(ख) क्या कम्पनी संचयी हानियां को पूरा करने के लिये अपनी भूमि और भवन आस्तियों को बेचने की योजना बना रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी बिक्रियों के लिये इस पर कोई रोक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) बी० एण्ड सी० मिल्स, गैर-जीवनक्षम कार्यों के कारण 1 जनवरी, 1981 से 18 जुलाई 1981 तक (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) बन्द रही ·

(ख) यह कम्पनी जीवन क्षमता प्राप्त करने के लिये निकाले गये अनेक उपायों में से एक उपाय के रूप में अपनी गैर-उत्पादक परिसम्पत्तियां बेचने की योजना बना रही है।

(ग) परिसम्पतियां बेचने से पहले भारत सरकार तथा वित्तीत संस्थाओं की अनुमति अपेक्षित है क्योंकि इस कम्पनी को धन वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

साउदर्न बाटलर्स को बोतल भरने की मशीन का आयात करने के लिये लाइसेंस

3291. **श्री धर्मवीर सिंहा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउदर्न बाटलर्स को 17 अप्रैल, 1981 को अपने मद्रास कारखाने में उपयोग हेतु बोतल भरने की मशीन का आयात करने के लिये 6,83,710 रु० मूल्य का लाइसेंस जारी किया गया था ;

(ख) क्या यह मशीन इस बीच मद्रास कारखाने में लगा दी ईहै ; और

(ग) क्या साउदर्न बाटलर्स द्वारा मशीन को अभी भी उपयगो में लाया जा रहा है और यदि नहीं, तो यह कहां पर है और क्या इस बीच इसे बेच दिया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : कम्पनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रश्नाधीन मशीन, फिलहाल नई दिल्ली में उनकी कस्टडी में है और कुछ तकनीकी खराबियों के कारण मद्रास स्थित उनकी फैक्टरी में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रशधीन मशीन बेच दी गई है अथवा किसी और के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है।

जनरल इंश्योरेन्स अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा दिया गया ज्ञापन

3292. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्ता यह सच है कि जनरल इंश्योरेंस अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां कल्याण एसोसिएशन, मद्रास ने अनेक ज्ञापन दिये हैं और विशेष रूप से भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा उसकी चार उपकम्पनियों के चेयरमैनों को 25 जुलाई, 1981 को ज्ञापन दिया था और यदि हां, तो ज्ञापन के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) उन्होने उपरोक्त एसोसिएशन की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की और उसका मद-वार ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जनरल इंश्योरेंस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसियेशन, मद्रास ने भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष तथा अन्य प्राधिकारियों को दिनांक 25 जुलाई, 1981 को एक ज्ञापन दिया था। उसमें

जो मुख्य मुख्य बातें दी गई थीं उसमें से एक यह भी थी कि भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारों के संबंध में पदोन्नतियों के मामलों में न्यूनतम सेवा शर्तों में कोई रियायत नहीं दी गई है, अधिकारियों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यताओं में कोई ढील नहीं दी गई है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अलग से इन्टरव्यू नहीं लिए जाते तथा रोस्टर प्रणाली नहीं रखी जा रही है।

(ख) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारों की भर्ती तथा उनके लिए पदों के आरक्षण के मामलों के बारे में निगम सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य अनुदेशों का पालन कर रहा है। अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उच्च आयु सीमा में ढील दी जाती है और उनसे आवेदन शुल्क के रूप में 20 रुपए भी नहीं लिए जाते जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से लिए जाते हैं। अंकों के मामले में भी ढील दी जाती हैं, जहां आम उम्मीदवारों के अंक 50 प्रतिशत होने चाहिए वहां अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, पदोन्नति के कोटे में भी आरक्षण किया जाता है और बीमा उद्योग में रोस्टर प्रणाली बराबर बनी हुई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा शुल्क भी दिया जाता है ताकि वे अपने व्यावसायिक कौशल को बढ़ा सकें। इस तरह से देखा जा सकता है कि बीमा उद्योग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग प्रकोष्ठ

3293. **श्री के० वी० एस० मणि** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन जातियां प्रकोष्ठ/सम्पर्क अधिकारी/साक्षात्कार पैनल में अनुसूचित जातियों अनुसूचित/जन जातियों के प्रतिनिधि हैं तथा बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपरोक्त प्रक्रियाएं नहीं हैं ;

(ख) क्या आरंभिक/भर्ती स्थायी करने/पदोनन्ति के अवसरों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का आरक्षण का उपबंध करने के बारे में सरकार के आदेशों का सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में पालन किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो आदेशों के जारी किए जाने की तिथि से इस बारे में आज तक के बैंकवार और, वर्षवार, काडर-वार ब्यौरे क्या हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन आदेशों को कार्यान्वित न किये जाने के कारण प्रत्येक काडर में तथा प्रत्येक बैंक में भारी 'बैंक लाग' है और यदि हां, तो क्यों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में 'बैंक लाग' की स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक इसके सहायक बैंकों और 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों ने सूचना दी है कि उन्होंने एक अधिकारी को बैंक में अ० जा०/अ० ज० जा० के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित कार्य के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित कर दिया है। इन बैंकों ने सीधी भरती तथा पदोन्नति में भी आरक्षण आरम्भ कर दिया है। सीधी भरती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित/जन जातियों के लिए आरक्षण के विषय में सरकार की हिदायतों को अप्रैल, 1980 में राष्ट्रीयकृत छः बैंकों को भी सूचित कर दिया गया है।

अफसरों और क्लर्कों के संवर्ग में सीधी भारती बैंकिंग सेवा भरती बोर्डों द्वारा की जाती है। सरकार की यह नीति है कि इन भरती बोर्डों में से प्रत्येक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का एक सदस्य नियुक्त किया जाए।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से बैंकों को यह सलाह दी गई है कि जब कभी सीधी भरती और पदोन्नति में पदों को भरने के लिए इन समुदायों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलें तो उस कमी को आगे ले जाया जाना चाहिए। इस विषय में जो कमी बनी हुई है वह आरक्षण विषयक आदेशों का अनुपालन न करने की वजह से नहीं बल्कि उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण से है। बैंकिंग सेवा भरती बोर्डों को सलाह दी गई है वे अफसरों और क्लर्कों के संवर्ग में बची हुई कमी को पूरा करने के लिए अनन्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित करें। क्योंकि अधीनस्थ संवर्ग के लिए भरती, संबद्ध बैंकों द्वारा की जाती है इसलिए उन्हें सलाह दी गई है कि वे अधीनस्थ संवर्ग में रही कमी को पूरा करने के लिए सभी संभव उपाए करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं और आवेदन शुल्क के बारे में विभिन्न छूट और रियायतें दी जाती हैं और उनके चयन के बारे में उदार बनाए गए मानदण्डों को अपनाया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स की ईन्धन क्षमता में वृद्धि

3294. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अलूरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में इंडियन एयरलाइन्स की ईन्धन क्षमता में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया द्वारा 'इन फ्लाइट' पत्रिका का प्रकाशन

3295. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा सभी 'इन-फ्लाईट' रूटों पर यात्रियों के लिए "स्वागत" पत्रिका परिचालित की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसका मुद्रण एक विदेशी प्रकाशन कम्पनी द्वारा विदेशी कलात्मक कागज पर किया जाता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पत्रिका की वर्ष 1980 में तथा वर्ष 1981 (अक्तूबर के अन्त तक) कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई, इन्डियन एयर लाइंस को इसकी कुल मुद्रण लागत क्या बैठी तथा उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ;

(घ) क्या यह सच है कि विज्ञापनों से होने वाली सारी आय विदेशी प्रकाशकों द्वारा ले ली जाती है ; इस मुद्रण ठेके के सभी संबद्ध ब्यौरे दिये जायें ;

(ड.) क्या एयर इंडिया द्वारा भी इस प्रकार की पत्रिका प्रकाशित की जाती है, कहां पर तथा किस लागत पर प्रकाशित की जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रत्येक तिमाही में पत्रिका के प्रत्येक अंक की 50,000 प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं। प्रथम अंक जुलाई, 1981 में प्रकाशित किया गया है तथा दूसरा अंक अक्तूबर, 1981 में। पत्रिका का प्रकाशन मैसर्स मीडिया ट्रां-एशिया (थाईलैंड) लि०, बैंकाक द्वारा किया जाता है। तथा इनका मुद्रण इंडियन एयर लाइन्स के साथ हुए एक समझौते के अंतर्गत किया जाता है और प्रकाशक द्वारा प्रति तिमाही 50,000 प्रतियां निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं अतः कारपोरेशन पर इसके मुद्रण की कोई लागत नहीं पड़ती।

इन्डियन एयरलाइन्स की समस्त उड़ानों पर यह पत्रिका चालू करने का प्रयोजन यात्रियों के लिए उड़ान के दौरान अच्छी पठन सामग्री की व्यवस्था करना है। मितव्ययिता के उपाय के रूप में कुछ वर्ष पूर्व उड़ानों से सब पत्रिकाओं को हटा लेने से लेकर अब तक इस प्रकार की पत्रिका की लगातार आवश्यकता महसूस की जा रही थी तथा इसीलिए "स्वागत" पत्रिका चालू की गई। यह पत्रिका भारत में पर्यटन के प्रोत्साहन में भी सहायता करती है।

(घ) जी, हां। प्रकाशन पत्रिका के सम्पादन की लागत की पूर्ति एकत्रित किए गए विज्ञापन राजस्व के माध्यम से करते हैं।

संविदा की शर्तों के अनुसार, प्रकाशकों ने हर तीन महीने बाद इन्डियन एयरलाइन्स की अन्तरराष्ट्रीय स्तरों के मुकाबले की उड़ानगत प्त्रिका की 50,000 प्रतियां निःशुल्क सप्लाई करने का जिम्मा लिया। इनके उत्पादन की लागत की पूर्ति प्रकाशकों द्वारा उनके द्वारा एकत्रित विज्ञा-

पन राजस्व के माध्यम से करनी थी। इन्डियन एयरलाइन्स को पड़ने वाली इसकी लागत नगण्य है क्योंकि इन्डियन एयरलाइन्स को तो प्रत्येक अंक में भारतीय मुद्रा में देय 2,000 अमरीकी डालर मूल्य का केवल एक पृष्ठ का विज्ञापन देना होता है तथा जहां कहीं संभव हो, पत्रिका के लिए सामग्री एकत्रित करने में, जिसमें प्रकाशकों के लिए इन्डियन एयरलाइन्स के मार्ग-तंत्र पर निःशुल्क परिवहन भी सम्मिलित है, यथा संभव सहायता प्रदान करनी होती है।

(ड.) जी, हां। एयर इन्डिया भी उसी प्रकाशक तथा स्थान से 'नमस्कार' नामक एक पत्रिका प्रकाशित करती है। कारपोरेशन पर इसकी कोई लागत नहीं आती तथा प्रकाशक के साथ ठेका भी इन्डियन एयरलान्स के ठेके के समान ही है।

भारतीय मानक समय

3796. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री सरकारी क्लैंडर के बारे में 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8705 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाभारत युद्ध, युद्धिष्ठर के राज्यभिषेक परीक्षित का जन्म, द्वापर युग का अन्त और कलियुग का प्रारंभ को एक ही काल की घटनाएं माने जाने के बारे में दृढ़ मत को देखते हुए 3102 ईसा पूर्व को भारतसम्वत् निर्धारित करने या अन्यथा इस तिथि का निर्धारण करने हेतु एक सक्षम समिति की नियुक्ति करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उज्जैन स्थित खगोल विज्ञान केन्द्र द्वारा नियत किए गए मानक समय को भारत द्वारा काफी समय से स्वीकार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समय को अपना मानक समय स्वीकार करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) महाभारत युद्ध की समाप्ति की तिथि के बारे में पोरस्त्य विद्वानों में कोई एकमत्य नहीं है। इसलिए उस तिथि के आधार पर भारत संवत् के रूप में कोई निश्चित तिथि निर्धारित कर सकना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय मानक समय (इन्डियन स्टैंडर्ड टाइम) साढ़े बियासी ईंच पू० रेखांश के स्थानीय माध्य समय (लोकल मीन टाइम) को दृष्टि में रखते हुए 1 जनवरी, 1906 के प्रारंभ किया गया था ; अर्थात जी० एम० टी० (ग्रीनविच मीन टाइम) से 5 घंटे 30 मिनट आगे। तभी से यह समय प्रयोग में लाया जा रहा है सिवाय द्वितीय विश्व युद्ध की 1.9.1942 से 14.10.1945 तक, की अवधि के जबकि इस समय को एक घण्टा पहले कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई केलेण्डर सुधार समिति ने 1955 में

सिफारिश की थी कि सिविल प्रयोजनों के लिए दिन से तात्पर्य केन्द्रीय स्टेशन, साढ़े बियासी इंच पू० रेखांश तथा 23'' 11फुट अक्षांश (जो उज्जैन का अक्षाश है) की मध्य रात्रि से मध्य रात्रि का समय होगा। सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

ऊर्वरकों के लिए खनिजों की खोज

3297. **श्री अनादिचरण दास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने हाल ही में उर्वरकों के लिए खनिजों की खोज हेतु एक अखिल भारतीय फासफोराइट योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के क्या नाम हैं और उन स्थानों के बारे में ब्यौरा क्या है जहां पर उर्वरक खनिजों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण के किए गए थे ;

(ग) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र में पोटाश निक्षेपों की संभावना का पता लगाने के लिए कोई खोज की गई है ;

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर भारतीय भू-विज्ञान संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) हाल में ही मध्य प्रदेश में झाबुआ और सागर एवं छतरपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, पं० बंगाल के पुरुलिया जिले में, आन्ध्र प्रदेश के कुरकूल जिले में तथा मेघालय की पूर्वी खासी और जैयन्तियां पहाड़ियों में फास्फोराइट और एपेटाइट के लिए सर्वेक्षण किया गया। जम्मू और कश्मीर की त्सोकर लेख में पोटाश से लिए खोज कार्य किया गया और और खोज कार्य राजस्थान के चूरु और बीकानेर जिलों में एवं हरियाणा के सिरमा जिले में किया जा रहा है।

(ग) से (ङ.) जी हां। संभावित वाष्पीकृत जोन प० राजस्थान में 500,000 वर्ग कि० मी० तक फैला है, जिसमें सबसे प्रथम 13,000 वर्ग कि० मी० की परीक्षण ड्रिलिंग के लिए चुना गया। अब तक 30 से 50 कि० मी की दूरी पर स्थित 14 जांच बोरहोलों की खुदाई की गई जिसमें 100 से 470 मीटर संचित मोटाई वाले हेलाइट (सोडियम क्लोराइड) संस्तरों का संकेत मिला। लखासर—मोलासीसर, बीकानेर भलकिसर में हेलाइट जोनों में 1 से 7 प्रतिशत पोटाश तत्व वाले 0.1 से 4.3 मीटर मोटाई वाले पोलीहेलाइट गुटका (पाकेट) मौजूद हैं। अभी तक आर्थिक महत्व वाले किसी पोटाश जोन का पता नहीं चला है। हरियाणा में सिरका जिले के निकटवर्ती भागों में भूभौतिकी कार्य किया गया ताकि संभावित वाष्पीकृत होरोजन को चिन्हित किया जा सके। इसके बाद परीक्षण ड्रिलिंग कार्य किया जायेगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली में मकानों फ्लैटों के लिए ऋण दिया जाना

3298. **श्री फूल चन्द बर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली में सरकारी एजेन्सियों द्वारा आवंटित किए गए मकानों/फ्लैटों के लिये ऋण दिये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार करने का है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों की ऐसी ऋण योजना है

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को इस योजना के लाभों से वंचित रखा गया है ;

(ङ.) सरकार का ऐसी योजना को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है और तत्संबंधी पूरे ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) जीवन बीमा निगम सभी राज्यों में सरकारी एजेन्सियों द्वारा आवंटित स्वतंत्र मकानों की खरीद के लिए ऋण देता है। लेकिन फलैट खरीदने के लिए केवल उन्हीं राज्यों में ऋण दिए जाते हैं जहां ऐसे कानून बनाए गये हैं जिनके द्वारा फ्लैटों पैतृक सम्पत्ति और हस्तान्तरणीय सम्पत्ति करार दिया गया है। इस समय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ऐसा कोई कानून लागू नहीं है ।

(ङ.) मामला निर्माण और आवस मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

बिहार में मोतीहारी नगर का विकास

3299. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मोतिहारी नगर जैसा कोई अन्य सुन्दर स्थान है और पूर्वी चम्पारन जिले का मुख्यालय है ; जो झील के दोनों किनारों पर बसा हुआ है

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ;

(ग) यदि मोतिहारी झील आकर्षक स्थल है तो क्या सरकार की इसके विकास की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ.) क्या सरकार को पता है कि यदि इस झील एवं मोतिहारी नगर का अच्छी तरह से विकास किया जाये तो ये युरोप में झील के किनारे किसी भी सुन्दर नगर की सुन्दरता से आगे निकल सकते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद) : (क) से (ड.) भारत में सुरम्य और प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक अभिरूचि के स्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के चम्पारन जिले का मोतीहारी भी इनमें से एक है। ये सभी स्थान, जिसमें मोतीहारी भी शामिल है, यदि विकसित किए जाएं तो पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। तथापि संस्थानों पर प्रतिबंध होने के कारण पर्यटन विकास के क्षेत्र में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरुरत है। अत: केन्द्रीय सेक्टर में यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटन को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पर्यटकों केन्द्रों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। तदनुसार प्रत्येक राज्य-संघ शासित प्रदेश में राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से विचार-विमर्श करके एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध साधनों को एकत्र करते हुए पर्यटन विकास के लिए यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं। मोतीहारी को बिहार के यात्रा परिपथों में शामिल कर लिया गया है और उपर्युक्त आधार पर इसका भी विकास किया जायेगा।

सुदर्शन चिट फंड को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

3300. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुदर्शन चिट फन्ड कम्पनी के कर्मचारियों स उक्त चिट फन्ड कम्पनी को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश भर में 140 शाखाओं में काम करने वाले लगभग 5000 कर्मचारी केरल उच्च न्यायालय में लम्बित समापन कार्यवाहियों तथा प्रबन्धकों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई रिट अपील से प्रभावित है ; और

(ग) चिट फन्ड में पैसा देने वाले लाखों लोगों तथा कर्मचारियों की असुविधा एवं वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार का विचार चिट फन्ड को अपने अधिकार में लेने हेतु कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हाँ। मैसर्स सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारियों के कम्पनी का, सरकार द्वारा इस कम्पनी या अभिग्रहण कर लिए जाने से संबंन्धित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) यद्यपि उक्त अभ्यावेदनों में कर्मचारियों की संख्या लगभग 5000 बतायी गई है, सही संख्या ज्ञात नहीं है।

(ग) सरकार का विचार ऐसे चिट फन्डों के अभिग्रहण करने का नहीं है।

तेल की आपूर्ति करने वाले देशों को अपनी आय का भारत में निवेश करने हेतु अपील

3301. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तेल की आपूर्ति करने वाले मध्य पूर्व देशों को हाल ही में अपील की थी कि वे अपनी आय भारत में विकास परियोजनाओं में निवेशित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त की है ; और

(ग) क्या आपूर्ति करने वाले देशों ने यह कहा है कि उनको भारतीय की अपेक्षा में अपने पैसे से अधिक आय प्राप्त होती है और यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) कुछ तेल निर्यातक विकासशील क्षेत्रों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा को देखते हुमें एक सुविधा की व्यवस्था की गई है जिसमें कतिपय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने की अनुमती है ।

(ख) इस सुविधा की शर्तों के अन्तर्गत निदेश के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोइ ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु ऐसा समझा जाता है कि कई पार्टियां देश में निवेश करने के लिए परियोजना के बारे में बातचीत कर रही है ।

(ग) निवेश से संबंधित निर्णय निवेशक अपने निवेश से संबंधित अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक तथ्यों को हिसाब में लेते हुए करते हैं । किसी देश में निवेशों से आय होने की बात को उस देश की समग्र परिस्थितियों से अलग नहीं रखा जा सकता ।

अरब उद्यमियों की भारत में निर्यातोन्मुख उद्योगों की स्थापना के लिए सहमति

3302. **श्री अश्फाक हुसैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों द्वारा विश्व भर से किए जा रहे आयातों में भारत का अंस बहुत ही नगण्य मात्र था और यह अरब राज्यों के कुल आयात में 1-4 प्रतिशत तक के बीच था तथा भारतीय निर्यात का कुल 12-14 प्रतिशत अरब देशों को निर्यात किया जाता है ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि अरब उद्यमी भारत में निर्यातोन्मुख उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है ;

(ग) क्या अरब धन को भारत में आकर्षित करने के लिए सरकार का कोई विशेष प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या यह सच है कि अरब देश भारत के साथ वाणिज्यिक आदान प्रदान बढ़ाने को उत्सुक हैं परन्तु उनके उद्यमी अभी भी इस बात से सन्तुष्ट नहीं हैं कि भारत में निवेश के आकर्षक अवसर हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अरब देशों द्वारा किए गए आयातों के बारे में अलग-अलग अनुमान हैं । फिर भी, सरकार इस बात से अवगत है कि इन आयातों में भारत का अंश बहुत छोटा है ।

(ख) तथा (ग) तैल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा भारत में पूंजी निवेश के कार्य को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रदान की नई सुविधा में निर्यात-प्रदान उत्पादन शामिल है। इसके अनुसरण में संबंधित मध्य पूर्व के देशों में व्यापक प्रचार किया गया है और आबू धावी में भारतीय निवेश केन्द्र का एक कार्यालय भी खोल दिया गया है।

(घ) यद्यपि निवेश के संबंध में कोई भी निर्णय निवेशकों अपनी ही कसौटियों क सन्दर्भ में करने होते हैं तथापि सरकार देश में निवेश के लिए साड़ी के देशों में निवेश के लिए साड़ी के देशों की पार्टियों को उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित आशंका से सहमत नहीं है।

पटसन के लिये न्यूतम समर्थन मूल्य

3303. **श्री निरेन घोष** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उत्पादकों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष व्यवहार में किस सीमा तक सफल रहा ;

(ख) क्या निर्धन, सीमान्त तथा मध्यम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20 रु० से प्रति मन कम पर अपनी उपज को देचने को बाध्य किया गया ;

(ग) सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या पटसन मिलों ने सरकारी निदेश के अनुसार खरीदारी की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ने स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : सरकार ने जुलाई, 81 में कच्चे पटसन के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत इन हिदायतों के साथ अधिसूचित की कि राज्य सरकार के अभिकरणों, सहकारी समितियों सहित सभी क्षेत्रीय अभिकरण क्षेत्रीय सोदों में न्यूनतम समर्थन कीमत का अनुपालन सुनिश्चित करें। पटसन आयुक्त भी अपनी प्रबर्तन व्यवस्था के माध्यम से सतर्कता बरत रहा है। तथापि, यह सत्य है कि पटसन, विशेषकर अपेक्षाकृत निम्न श्रेणियों के पटसन कीमतें मिलों तथा व्यापार से अपर्याप्त खरोदारी दवाब के कारण न्यूनतम कीमत से नीचे रही थीं और बाद में भी नीचे ही रही। यह रिपोर्ट मिली है कि निम्न श्रेणी का पटसन पश्चिम बंगाल में 15 प्रतिशत तक की छूट पर बेचा जा रहा है। तथापि, बढ़िया श्रेणियों के पटसन की कीमतें अच्छी रहीं और समर्थन कीमत पर या उनसे ऊपर चल रही हैं।

(ग) : भारतीय पटसन निगम कीमत समर्थन योजना के लिये उत्तरदायी है। सरकार ने भारतीय पटसन निगम को अपना व्यापार बढ़ाने की हिदायत दी है। भारतीय पटसन निगम उपजकर्ताओं से सीधे खरीदारी करने और न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करने में बहुत अच्छा कार्य करता रहा है।

(घ) तथा (ड.) : पटसन मिलों द्वारा खरीदारिया बाजार में आवक की तुलना में अप-

व्याप्त रही हैं। पटसन माल में टिरन्तर मंदी वाली बाजार स्थितियों के कारण मिलों की नकदी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है। सरकार ने मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीदारियां निरन्तर आधार पर मानिटर करने के लिये पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समीक्षा समित स्थापित की है। पटसन का आयुक्त पटसन मिल संघ से बार बार मिलता रहा है और उन्हें खरीदारियां बढ़ाने की हिदायतें देता रहा है। एन० जे० एम० सी० मिल्स को समस्त खरीद समर्थन कीमत पर भारतीय पटसन निगम से करने की हिदायत दी गई है। मिलों द्वारा खरीदारियां बढ़ाने के उद्देश्य से नवम्बर-दिसम्बर, 81 तथा जनवरी, 82 चरम महीनों के लिये कम की हुई अतिरिक्त आवश्यकताओं सहित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से आवश्यक कदम भी उठाये जाने की शुरूआत की गई है।

अपने निजी विमानों वाले व्यक्ति

3304. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पर्यटन और नागर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अपने निजी विमानों वाले व्यक्तियों की सूची में जो लोक सभा में 21 अगस्त 1981 को पेश की गई थी' अशुद्धियों की ओर आकर्षित किया गया है

(ख) क्या सूची में पुनः जांच की गई है और उसे आद्यतन बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो निजी विमानों वाले व्यक्तियों की पुनरीक्षित सूची क्या है, वे किन-किन देश के राष्ट्रिक हैं, उनके पास किस प्रकार का विमाने है तथा इन विमानों का आयात किस तारीख को किया गया था तथा इन विमानों की अन्तिम बार जांच करने तथा उन्हें उड़ान योग्य प्रमाणीकृत करने की तारीख क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मत्री (श्री अनन्त कुमार शर्मा) : (क) से (ग) : एक गलती हो गयी थी क्योंकि एक कम्पनी के नाम को निजी विमान रखने वाले प्राइवेट व्यक्तियों के बारे में दी गयी सूचना में सम्मिलित कर दिया गया था। उक्त सूची को अद्यतन रूप प्रदान कर दिया गया है और सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	पंजीकरण चिन्ह	विमान का माडल	विमान का मालिक	राष्ट्रिकता	पंजीकरण की तारीख **	अन्तिम उड़न योग्यता प्रमाण-पत्र के नवीकरण की तारीख से
1	2	3	4	5	6	7
1.	वी० टी० ए० वी० ई०	एल-5 सेंटीनल	सैयद अकबर हुसैन पटना	भारतीय	5.3.46	×—

1	2	3	4	5	6	7
2.	वी० टी० सी० ई० एस०	एल-5 सेंटीनल	ले० कर्नल डोन शमशेर जंगबहादुर, मुजफ्फरपुर	,,	29.3.47	×—
3.	वीटी— सी० डी० आर०	पाइपर कब एल-4	सरस्वती विजय सिंह, पटना।	,,	7.2.51	×—
4.	वी० टी— सी० ए० फ० ए०	दलीप सिंह, मुजफ्फरपुर	स्क्वे, लीडर	,,	10.9.51	×—
5.	वी० टी— सी०एस०एल	स्टींसन 108—3	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्णिया बिहार	,,	29.6.48	11.5.53
6.	वी० टी— सी यू डब्ल्यू	एरोनका सेडान 15-एसी	,,	,,	31.8.48	29.9.67
7.	वीटी— सी०वाई०एल	नेविआँन	श्री दिनेश बी० प्रकाश, जमशेदपुर	,,	6.4.49	4 2.81
8.	वीटी— सी वाई जैड	लुकोम्बे सिलवेअर माडंल 8 एफ	श्री ज्ञान सिंह पुरेवाल, पटना	,,	6.4.49	4.2.81
9.	वीटी— सीजैडके	बीचबोनाजा ए-35	महारानी दुर्गेश्वरी, साही, पटना	,,	10.9.52	×—
10.	वीटी— डीएए	,, दरभंगा, बिहार	महाराजधिराज ऑफ	,,	15.6.51	3.8.66
11.	वीटी— डीएएल	,, दरभंगा, बिहार	महाराजा ऑफ	,,	8.2.50	31.10.63
12.	वीटी— डीएफए	नेविआँन	श्री बिपिन बी० पारीख, जमशेदपुर	,,	22.8.51	21.10.81

1	2	3	4	5	6	7
13.	वीटी—डीओसी	नेविआंन	श्री विपिन बी० पारीख जमशेदपुर	भारतीय	1.11.61	6·5.74
14.	वीटी—एवीआई	एल-5 सेंटिनल	श्री डी० एस० माजदा कलकत्त	,,	25.11.46	1.4.63
15.	वीटी एएक्स के	पाइपर कब एल-4 जे	श्री स्वापति मोहन राय कलकत्ता	भारतीय	4.3.46	×—
16.	वीटी—एएक्सएल	एल-5 सेंटीनल	श्री ए० के० शाह,० कलकत्ता	,,	25.2.46	×—
17.	वीटी—एएक्सओ	,,	श्री गोर्डेड मुकर्जी, कलकत्ता	,,	25.2·46	×—
18.	वीटी—एवाईबी	एल-5	कैप्टन ए० आर० बोस, कलकत्ता	,,	20.1.64	×—
19.	वीटी—एवाईएस	,,	श्री रामनारायण शाह, कलकत्ता	,,	7.2:46	×—
20.	वीटी—सी ए के	,, ,,	के० बी० एस० सांडिल्य० कलकत्ता	,,	14.4.47	1.12.50
21.	वीटी—सएजैड	पेअर चाइल्ड अरगस 3	श्री रविन्द्र नाथ दत्त, कलकत्ता	,,	18.2.47	×—
22.	वीटा—सीसीई	एल-5 सेंटीनल	डा० मोहम्मद हबीबर रहीम कलकत्ता	,,	10.2.47	×—
23.	वीटी—	,,	श्री चन्द्र बहादुर	,,	1.15.50	×—

1	2	3	4	5	6	7
	सीडीएच	,,	मुल्ला कलकत्ता			
24.	वीटी— सीडीक्यू	पाइपर कब एल-4	श्री एल० एच० पर्थयू, कलकत्ता	,,	28.5.60	×—
35.	वीटी— सीइडी	,,	श्री जैक ईसाक, बिनागुरी, बंगाल	,,	24.2.51	×—
26.	वीटी— सीएचवी	एल-4 (पाइपर कब)	श्री गुरदेव मुखर्जी, कलकत्ता	,,	11.9.47	×—
27.	वीटी — सीइईएम	एल-5 सेंटीनल	श्री जी० डी० मुखर्जी, कलकत्ता	,,	10.1.47	×—
28.	वीटी— सीकेए	एब्रो-एक्स आई एक्स 655 ए	ई० एप० होवेल, ए० ए० कलकत्ता	,,	21.5.47	21.5.47
29.	वीटी— सीकेडी	पेअर चाइल्ड अरगस	श्री भगवान-दास मोहनलाल, हुंगली	भारतीय	28.3.47	×—
30.	वीटी— सीएम के	,,	महामहिम मेजर जनरल महाबीर शमशेर जंग बहादुर कलकत्ता	,,	27.6.47	×—
31.	वीटी— सीओएल	केलीएन्ट बीटी-13	श्री अमलेन्द्र नाथ बासु कलकत्ता	,,	26.8.47	×—
32.	वीटी— सी ओ एक्स	फेअर चाइल्ड आरगस	श्री आर० एन० दत्ता, कलकत्ता	,,	12.4.48	×—

1	2	3	4	5	6	7
33.	वीटी—सीक्यूई	एल-5 (सेंटीनल)	श्री रायें जार्ज मोन्टोश, कलकत्ता	,,	29.3.48	7.10.39
34.	वीटी—सी आरडी	बीच बोजाजा 35 टाइगर मोठ	जैन स्पिन्द्रस, कलकत्ता श्री एस० सी०	,,	22.7.48	12.8.65
35.	वी० टी० सीयूओ	डीएच 82	मोइत्रा कलकत्ता	,,	25.6.49	× —
36.	वीटी सीयूपी	,,	,,	,,	11.11.55	× —
37.	वीटी डीबीटी	नेवियोन	केप्टन जयसिंह कलकत्ता	,,	29.5.50	× —
38.	वीटीडी टीडब्ल्यूडी	फेअर चाइल्ड अरगस	श्री केन्नथ एफ० स्टकी कलकत्ता	,,	3.4.47	× —
39.	वीटी—डीएफआई	एल-5 (सेंटिमल)	श्री राम मूर्थ यादव कलकत्ता	,,	17.3.51	
40.	वीटी—डीकेजी	टाइगर मोठ डीएच-82	केप्टन एस० के० घोष बरनपुर	,,	23.1.50	12.5.56
41.	वीटी डी एफक्यू	आस्ट्र वीटी जे/बी	श्री डे० डी० शापूर माजदा कलकत्ता	,,	19.6.51	13.12.66
42.	वीटी एकेबी	टेलर यंग	राजा आफ जेद, दक्षिण	,,	12.4.38	
43.	वीटी—एबीए	हार्वर्ड	एयर कमाडोर मोहन सिंह, नई दिल्ली		9,9.48	× —
44.	वीटी—सीआईयू	आस्ट्र एमके—iii	श्री रंजीत सिंह सिधू नई दिल्ली	,,	10.5.52	—

1	2	3	4	5	6	7
45.	वीटी—सीजेडएक्स	बीच क्राफ्ट डी 185	श्री पी० एल० जैन, नई दिल्ली	,,	8.1.49	26.9.79
46.	वीटी—सीडीएप	एल—5 सैंटीनल	श्री होमी इंजीनियर अहमदाबाद	,,	6.3.53	×—
47.	वीटी—सीजेडएप	बीच बोनाजर	महामहीम महाराजा जमशेद, नावानगर जामनगर	,,	18.12.69	×—
48.	वीटी—सीवेयून्जी	ऐरोनका सुपर चीफ	श्री जे० जी० मैक० इनटोस, मोनमुंशी, आसाम	,,	3.6.49	×—
49.	वीटी—सीजएप	एल—5 सैंटीनल	श्री मथन सिंह नागपुर	,,	5.1.51	21.10.69
50.	वीटी—सीओएम	आस्ट्र 5	श्री एम० के० रंगन मद्रास	,,	16.5.61	×—
51.	वीटी—सीबीवी	एल—5 सैंटीनल	श्री के० कृष्णा स्वामी, कोयमबत्तूर	,,	8.7.49	24.1.62
52.	वीटी—एवाईडब्ल्यू	,,	लै० कर्नल एडवर्ड प्रेडिक बारोइंग, इन्दौर	,,	10.1.47	×—
53.	वीटी—डीईजेड़	नबियोन	महामहीम महाराजा लोकेन्द्र सिंह, रतलाम	,,	8.1.51	11.12.56
54.	वीटी—सीटीक्यू	माइल्स जैमिनी एम 65	महामहीम राजासर-हरबिन्द्र सिंह फरीदकोट	,,	29.4.48	×—
55.	वीटी—सीटीटो	साब सापिर 91—ए	श्री जी एस० बोलिना जालन्धर	,,	17.5.48	22.8.68
56.	वीटी—सीवाईपी	बीच-बोनाजा ए—35	श्री पवन कुमार वर्मा चण्डीगढ़	,,	17.2.76	15.4.81

1	2	3	4	5	6	7
57.	वीटी—डीवीआर	नेवियोन	महामहीम राजा बरार बन्स बहादुर, फरीदकोट	,,	24.4.51	X—
58.	वीटी—डीबीएल		,,	,,	31.5.50	X—
59.	वीटी—डीबी एक्स	टाइगर मोठ डी० एच०-82	श्री जगजीत सिंह, चण्डीगढ़	,,	11.3.58	17.4.72
60.	वीटी—डीएक्सी	नेवियोन	कर्नल महामहीम सरहरीन्द्र सिंह, फरीदकोट	,,	17.11.53	X—
61.	वीटी—डीवाईयू	आस्टर ऐगलेट	एयर वाइस मार्शल हरजिन्द्र सिंह, चण्डीगढ़	,,	21.8.68	X—
62.	वीटी—सीवाईक्यू	बीच बोनाजा ए—35	स्क्वा० लीडर जे० एस० मजीठिया गोरखपुर	,,	3.5.43	14.12.62
63.	वीटी—डीडब्ल्यूएक्स	एव्रो 45	राज बरख बहादुर सिंह प्रतापगढ़	भारतीय	23.6.7	X—
64.	वीटी—एडब्ल्यूयू	डीसी-3	श्री पी० एस० मेनन० बम्बई	,,	13.10.53	17.680
65.	वीटी—सीबीटी	एल—5 (सैंटीनल)	एम० जे. बी. मानेकजी. बम्बई	,,	21.11.47	25.5.64
66.	वीटी—सीसीटी	डीसी—3	जे० आर० मोदी बम्बई	,,	13.2.47	10.10.74
67.	वीटी—सीजीए	डीसी—3	श्री बी० पी मेनन बम्बई	,,	13.3.47	17.6.81
68.	वीटी—सीएलएम	बीचक्राफ्ट डी 185	श्रीकरसी, बम्बई	,,	2.5.50	X—

1	2	3	4	5	6	7
69.	वीटी—सीक्यूएन	हार्वर्ड.	श्री केड्रिक जेम्स, बम्बई	,,	10.12.47	×
70.	वीटी—सीयूएक्स	ऐरोनका सीडन 15 एसी	एस० एस० बबर बम्बई	,,	9.11.48	25.12.67
71.	वीटी—सीजेड्ई	बीच बोनांजा ए 25	डा० एस वी० भावे पूना	,,	11.11.48	19.12.56
72.	वीटी—डीएडी	,,	,,	,,	21.1.49	12.3.42
73.	वीटी—डीओपी	आस्टर जे 5 बी	श्री रूसी एच० देवन बम्बई	,,	21.6.62	12.12.72
74.	वीटी—एएक्सएस	हार्वर्ड एटी—6	महामहीम महाराजा आफ जयपुर	,,	22.2.49	—
75.	वीटीं—सीडीएन	एल—5 (सैंटीनल)	सहामहीम राजाचन्द्रचूड़ उदयपुर	,,	19.10.49	—
76.	वीटीं—सीईवी	,,	श्री के० ए० गुलबेल गोहाटी	,,	12.1.61	—
77.	वीटी—सोंओटी	बीच बोनांजा ए—35	महामहीम महाराजा मयूरभन बेरीपाडा	,,	30.9.47	3.5.51
78.	वीटी—सीयूबी	ऐरोनका सदन 15 एसी	श्री विश्वानाथ सिंह आसाम	,,	20.10.48	—
79.	वीटी—डीसीआई	लूसकोम्बे सिलबरी,	श्री जिम्मी दारा सुमिया पूना	,,	1.9.49	4.6.81
80.	वीटी—डीसीयू	आस्टर 5	सरदार गजिन्द्र सिंह साही, नई दिल्ली	भारतीय	20.4.52	20.9.66
81.	वीटी—डीएफएम	डीसी—3	श्री एस० जी० मैनन, बम्बई	,,	1.8.53	18.9.80
82.	वीटी—एक्सएई	टविकल काम्पटर	ए०जे० बराग शिमला	,,	21.6.61	×

× कुछ विमान बहुत पुराने होने की वजह से उनके सब रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं और उनसे संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

× × आयात करने की तारीख मालूम नहीं हैं, इसके स्थान पर पंजीकरण की तारीख दी गयी है।

गन्ने की समय पूर्व पेराई आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन शुल्क में छूट

3305. **जगदीश टाईटलर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गन्ने की समय पूर्व पेराई आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन शुल्क में छूट दिये जाने की घोषणा मौसम में इतनी देर से की गई है कि इस वर्ष उत्पादन या इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा ;

(ख) उत्पादन शुल्क में छूट की घोषणा विलम्ब से करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का इसमें किस प्रकार से सुधार करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

कारखानों द्वारा वैक्यूम पैन शुगर का उत्पादन हर साल विशिष्ट रूप से अक्तूबर मास के चौथे हफ्ते के आसपास शुरू किया जाता है। दिनांक 28-10-1981 को समय-पूर्व पेराई के लिए अधिसूचित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नवम्बर 1981 के अन्त तक का उत्पादन शामिल है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त घोषणा इतनी विलम्ब से की गई थी कि उसका 1981-82 के चीनी मौसम की प्रारम्भिक अवधि में किये गये उत्पादन पर कोई पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

स्वदेशी कोकिंग कोयले की मांग तथा सप्लाई में अन्तर

3306. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोकिंग कोयले की मांग तथा स्वदेशी सप्लाई के बीच कितना अन्तर है ;

(ख) देश में कमी की पूर्ति किस प्रकार की जा रही है ; और

(ग) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि विदेशी आपूर्ति-कर्त्ताओं द्वारा कोकिंग कोयले को न भेजे जाने के परिणामस्वरूप देश के इस्पात संयंत्रों को इसकी कमी का सामना न करना पड़े ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 की अवधि में कोककर कोयले की 170.25 लाख टन की कुल आवश्यकता के मुकाबले में देशीय स्रोतों से कोककर कोयले की वास्तविक प्राप्ति 132 लाख टन रही। वर्ष 1980-81 में इस्पात कारखानों में 5.49 लाख टन आयातित कोककर कोयला प्राप्त हुआ। कोककर कोयले की आवश्यकता तथा इसकी देशीय उपलब्धि में अन्तर को पूरा करने तथा देशीय कोयले में इसके सम्मिश्रण से इसकी क्वालिटी में सुधार करने के उद्देश्य से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) गत तीन वर्षों से तथा चालू वर्ष में भी कोककर कोयले का आयात कर रही है। सेल ने

23 लाख टन कोककर कोयला आयात करने के उद्देश्य से मार्च, 198 में विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित की थीं जिसमे से 13.6 लाख टन कोककर कोयला आयात करने के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं।

(ग) चूंकि केवल भिलाई तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों में आयातित कोयला बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है अतः इन कारखानों में आयातित कोककर कोयला समय पर प्राप्त न होने के कारण कोई गंभीर संकट उत्पादन नहीं होगा।

कोयले का आयात

3307. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष कितने कोयले का आयात किया जा रहा है ;

(ख) कोयले के इन आयात को सुधरे हुए परिकरण उपायों से बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) गहरी भूमिगत खानों से कोयला निकालने की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 628 करोड़ रु० मूल्य की जो 9 परियोजनाएं केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए लम्बित हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) गत दो वित्तीय वर्षों में तथा चालू वर्ष में कोककर कोयले के वास्तविक आयात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	मात्रा (मिलियन टनों में)
1979-80	1.06
1980-81	0.44
(अप्रैल-नवम्बर, 1981)	0.35 लगभग

(ख) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल तथा केरल में चाय बागान

3308. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल और केरल में चाय बागानों की शोचनीय स्थिति की जानकारी है जिनमें से अधिकतर के बन्द हो जाने की आशंका है ; और

(ख) इन बागान के पुनर्वास के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) केरल तथा पश्चिम बंगाल में चाय एकक अधिक उत्पादन लागत, बढ़ती हुई उत्पादन लागत तथा स्थानीय लेवियों के अनुपात में कीमतों के न होने के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 3-8-1981 को नई दिल्ली में हुई चाय पर राष्ट्रीय बैठक में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा उद्योग द्वारा अनेक उपायों की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं० 166181-सैन्ट्रल एक्साइजज दिनांक 23-9-81 तथा 171181-सैन्ट्रल एक्साइजज दिनांक 17-10-81 द्वारा, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी, बागानों तथा अन्यथा दोनों से चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क में छूट की योजना की घोषणा कर दी है। केरल सरकार ने एक साल के लिए चाय तथा उर्वरक पर बिक्री कर में और कमी की है। केरल सरकार ने उद्योग को बागान कर की बढ़ी हुई दर से भी छूट दी है।

उड़ीसा स्थित इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलायज लि० की उत्पादन क्षमता

3309. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित इन्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलायज लि० की फैरो सिलिकौन का उत्पादन कर रही है, भारतीय मन्डी में आवश्यकता की पूर्ति कर रही है अथवा अपने कुछ उत्पादों का निर्यात कर रही है ;

(ख) इसकी उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) फैरो-सिलिकौन का भारत तथा विदेशी मन्डियों में प्रति टन मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) इन्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलाएस लिमिटेड अंशत: देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अंशत: अपने उत्पादों का निर्यात करता है, निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति तथा निर्यात योग्य सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(ख) इस फर्म की लाइसेंसीकृत क्षमता 20,000 टन है।

(ग) निर्यात और आन्तरिक मूल्य के बारे में बताना देश के वाणिज्यिक हित में न होगा।

रेशम उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम

3310. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने रेशम उद्योग के लिए बड़े विकास कार्यक्रम आरम्भ किए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे देश में 'रा सिल्क' का उत्पादन काफी बढ़ गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार अब भी रेशमी धागे के आयात की अनुमति दे रही है जिससे रेशम उद्योग के विकास के लिए गम्भीर खतरा हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) कच्चे रेशम का उत्पादन जो 1971-72 में लगभग 2600 मे० टन था वह बढ़कर 1980-81 में 4950 मे० टन होगा।

(ग) आर० ई० पी० के अन्तर्गत रेशम की वस्तुओं के निर्यातों के आधार पर कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दी जाती है। हाल में कीमत बढ़ने तथा अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हथकरघा बुनकरों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां दूर करने के लिए तदर्थ आधार पर कच्चे रेशम के आयात की भी अनुमति दी गई। देशी उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि इससे कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित होगी।

महाराष्ट्र में पंजीकृत न्यासों द्वारा आयकर छूट के लिए आवेदन पत्र

3311. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1980 में पंजीकृत कई निजी और सार्वजनिक न्यासों ने आयकर से छूट के लिए आवेदन पत्र दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो छूट मांगने वाले न्यासों के नाम क्या हैं, उनके पते क्या हैं ; न्यास-धारियों के नाम क्या हैं तथा आवेदन पत्रों की तिथियां क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन गैर-सरकारी न्यास छूट के पात्र नहीं हैं। उसमें निर्दिष्ठ शर्तों के अधीन पूर्णतः धर्मार्थ अथवा धर्मादा प्रयोजनों के लिए न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पति से प्राप्त आयकर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत, आयकर से छूट पाने की हकदार है। धारा 12-क में ऐसे न्यासों से यह अपेक्षा की गई है कि वे न्यास के निर्माण की तारीख से एक वर्ष के भीतर आयकर आयुक्त को पंजीकरण के लिए निर्धारित तरीके से आवेदन करें। इस अवधि की समाप्ति के बाद आयकर आयुक्तों को, धारा 12-क के परन्तुक के अन्तर्गत अपने स्व-विवेक से आवेदन-पत्र स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। जिस न्यास ने, धारा 12-क के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र दे रखा हो, वह धारा 11 के अन्तर्गत आयकर से छूट पाने का हकदार है बशर्ते कि वह कानूनी अपेक्षाएं पूरी करता हो।

वर्ष 1980 में निर्मित किसी न्यास को, धारा 12-क के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दाखिल करने के लिए एक वर्ष का समय प्राप्त है। इस प्रकार, अप्रैल 1980 के बाद और दिसम्बर 1980 तक निर्मित किसी न्यास को, धारा 12-क के अन्तर्गत आवेदनपत्र दाखिल करने के लिए क्रमशः अप्रैल, 1981 तक से लेकर दिसम्बर 1981 तक का समय प्राप्त होगा।

न्यास, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के लिए धारा 10 (23ग) (वी) के अन्तर्गत भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती हों।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार की सीमाएं तथा विस्तार राज्यों में क्षेत्राधिकारों के समान नहीं है। इसका निर्धारण, आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों के संदर्भ में किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आयकर आयुक्तों के कार्यालय, बम्बई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर और नागपुर में स्थित हैं। जिन न्यासों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है यदि उनके नाम बता दिए जांय तो सूचना एकत्र करने में सुविधा होगी।

लौह-अयस्क के निर्यात के लिए ठेके

3312. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुद्रेमुख तथा अन्य खानों से लौह-अयस्क के निर्यात के लिए विदेशों के साथ किसी ठेके पर अन्तिम निर्णय कर लिया है, और

(ख) लौह अयस्क के जमा होने के बारे में ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में घाटे को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय कुद्रेमुख के सांद्रण के निर्यात से है। कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने प्रतिवर्ष 10 लाख टन के हिसाब से 1981-82 से शुरू करके अगले तीन वर्षों के दौरान लगभग 35 लाख टन सांद्रण की सप्लाई के लिए 12.9.1981 को रूमानिया के मैसर्स मिनरलइम्पोर्टएक्सपोर्ट के साथ एक करार किया है। अरब आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बहरीन में लगाए जाने वाले पैलेट बचाने के प्रस्तावित कारखाने के लिए 1984 से प्रतिवर्ष 15 लाख टन सांद्रण की दीर्घकालीन आधार पर सप्लाई करने के लिए कम्पनी से एक आशय-पत्र भी प्राप्त हो गया है।

रूमानिया को लौह-अयस्क की सप्लाई अक्तूबर, 1981 से आरम्भ की गई थी और 1.12.1981 तक कुद्रेमुख परियोजना द्वारा किए गए लगभग 255,400 टन उत्पादन में से लगभग 142,930 टन सांद्रण रूमानियां को भेजा जा चुका है। चूंकि इस परियोजना में अभी हाल में उत्पादन आरम्भ हुआ है अतः स्टाक इकट्ठा होने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड 30 लाख टन वार्षिक क्षमता का पैलेट बनाने का एक कारखाना भी लगा रही है और इन्डोनेशिया ने प्रौद्योगिक दृष्टि से पैलेटों की उपयुक्तता तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तों के तय हो जाने पर प्रतिवर्ष 10 लाख टन से 17.5 लाख टन तक पैलेट खरीदने की पेशकश की है। सांद्रण तथा पैलेट की बिक्री करने के लिए और करार करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

चीन से लोहे और इस्पात का आयात

3313. **श्री डी० पी० यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन से लोहे और इस्पात का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) भारत को लोहा तथा इस्पात सप्लाई करने के लिये चीन का कोई सामान्य आकार नहीं है। तथापि, सितम्बर-अक्तूबर, 1981 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा जारी की गई कच्चे लोहे के लिए निविदा सम्बन्धी पूछताछ के आधार पर चीन उद्भव वाले कच्चे लोहे की सप्लाई करने के लिए भी निविदाएं थी। इन निविदाओं के आधार पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने 1,40,000 मे० टन के आयात के लिए क्रयादेश दिये हैं।

स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड के संयंत्रों पर बिक्री योग्य इस्पात का जमा होना

3314. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड संयंत्रों पर सितम्बर, 1981 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात का भण्डार काफी बढ़ गया है ;

(ख) क्या दुर्गापुर और राउरकेला में जमा हुआ माल चिन्ता उत्पन्न कर रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो सितम्बर, 1981 में दुर्गापुर और राउरकेला में कितना स्टाक था ; और

(घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के पास बिक्री योग्य इस्पात जमा होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सेल के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के स्टाक में वृद्धि हुई है। 1.9.1981 को स्टाक 333.9 हजार टन था जो 1.10.1981 को बढ़ कर 340.7 हजार टन हो गया था।

(क) और (ग) दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों में स्टाक की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :

(हजार टन)

(विक्रेय इस्पात का स्टाक)

कारखाना	1.9.81 को	1.10.81 को
दुर्गापुर	58.3	58.2
राउरकेला	86.2	93.7

विक्रेय इस्पात के स्टाक से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति चिन्ता का विषय नहीं है।

(घ) स्टाक की स्थिति में मामूली वृद्धि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण हुई है और ऊपर दिया गया स्टाक का स्तर इस बात का द्योतक नहीं है कि सेल के पास विक्रेय इस्पात का स्टाक बहुत अधिक हो गया है।

राजस्थान के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण

3315. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के पिछड़े हुए रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत दो वर्षों में कुल कितना ऋण दिया है ; और

(ग) उस ऋण पर कितनी ब्याज ली जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) बैंकों के ऋणों का काफी बड़ा हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित हिदायतें जारी की गई हैं ;

(1) बैंकों को चाहिए कि वे, 1985 तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाले ऋणों के अंश को अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें।

(2) प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर एक प्रमुख अंश कमजोर वर्गों और 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों के लिए नियत होना चाहिए।

(3) कृषि के अधीन बैंकों के प्रत्यक्ष ऋण का 50 प्रतिशत छोटे और सीमान्तिम किसानों और भूमिहीन मजदूरों को मिलना चाहिए।

(4) छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले बैंकों के कुल ऋणों में 12-1/2 प्रतिशत भाग ऐसे लघु उद्योगों को मिलना चाहिये जिनकी ऋण सीमाएं 25 हजार रुपये तक हों

(5, बैंकों के कुल ऋणों का कम से कम एक प्रतिशत भाग 4 प्रतिशत की ब्याज दर से विभेदी ब्याज दर (डी० आर० आई०) योजना के अधीन दिया जाना चाहिये। इस योजना के अधीन दिये जाने वाले ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग इस योजना का लाभ प्राप्त करे, बैंकों को सलाह दी गई है कि विभेदी

ब्याज दर योजना के अधीन दिये जाने वाले उनके ऋणों का दो-तिहाई भाग उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिया जाये ।

(ख) राजस्थान के पिछड़े इलाकों और जनजातीय इलाकों में कमजोर वर्गों को दिए गये ऋणों के बारे में आंकडे अलग से उपलब्ध नहीं हैं । अलबत्ता, राजस्थान राज्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के दिसम्बर 1979 और दिसम्बर 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के यथा उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

	खातों की संख्या	बकाया राशि
दिसम्बर 1979	315289	194.59 करोड़
दिसम्बर 1980	363865	262.87 करोड़

राजस्थान राज्य में विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिये गये ऋणों के जून 1979 और जून 1980 के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

	(खातों की संख्या हजारों में)	(रुपये लाखों में)
	खातों की संख्या	बकाया राशि
जून 1979	53	483
जून 1980	59	565

(ग) (1) विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन ऋणकर्ताओं को 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर पर दिये जाते हैं ।

(2) कृषि के लिए ब्याज की रियायती दर नीचे लिखे अनुसार है :—

(i) 5 हजार रु० समेत और तक अल्पावधि ऋण 12.5 प्रतिशत

(ii) कम से कम 3 वर्ष के लिए सावधिक ऋण

छोटी सिंचाई और भूमि विकास 10.55 प्रतिशत

छोटे किसानों के लिए अन्य प्रयोजनों के वास्ते 10.25 प्रतिशत

(3) पिछड़े इलाकों में लघु उद्योगों के लिए 25 हजार रुपये तक के मिश्रित ऋण 10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर से दिये जाते हैं ।

(4) पिछड़े इलाकों में नये लघु उद्योग एककों को सावधिक ऋण 12.50 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दिये जाते हैं ।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 5 हजार रुपये समेत और तब के आवास ऋण 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर दिये जाते हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निवेश के प्रस्ताव

3316. श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से 10 करोड़ रुपयों तक के पूंजी निवेश प्रस्ताव सार्वजनिक बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट उस राशि तक के अपने प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार के समक्ष सीधे रख सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह निर्णय इन यूनिटों को अधिक स्वायत्तता देने तथा परियोजनाओं का अन्तिम स्वीकृति में विलम्ब दूर करने के लिए किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय से इन यूनिटों को कितनी सहायता मिली है ; और

(ङ.) परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए अन्य और किन कार्यों को कम किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं, 1-9-1981 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के केवल 10 करोड़ रुपए और इससे अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को ही सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना होता है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के एककों को उनके सकल ब्लाक की कीमत को देखते हुए ग्रेडिड तरीके से 5 करोड़ रु० तक पूंजीगत-व्यय की स्वीकृति देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक वाले निवेशों में भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के एककों के प्रत्यायोजन को इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें निवेशों की मात्रा और विविधता को ध्यान में रखने के साथ-साथ परियोजनाओं की स्वीकृति को शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ.) परियोजनाओं की स्वीकृति में समय कम लगे इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह किया गया है कि इनका व्यवहार्यता रिपोर्ट में दिए गए निवेश प्रस्तावों की विस्तृत रूपरेखा के आधार पर निपटान किया जाए जिसके बाद परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट के निपटान की तारीख से सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के अन्दर लागत निश्चित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाए। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को ऐसी निश्चित लागत अनुमानों, जो किसी निश्चित प्रतिशत या राशि से अधिक न हो, से ऊपर संशोधित लागत अनुमानों की स्वीकृति भी देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

मूंगफली का निर्यात

3317. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981 के मौसम के लिए मूंगफली के निर्यात का कोटा निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मूंगफली निर्यात की जाएगी और उसका अनुमानित मूल्य क्या होगा ;

(ग) क्या प्रस्तावित निर्यात से देशी बाजार में मूंगफली के तेल के मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष की फसल में से एच० पी० एस० मूंगफली का 55,000 मे० टन की एक सीमित कोटा निर्यात के लिए रिलीज किया गया है। निर्यात से प्राप्ति संविदा करते समय चल रही विश्व बाजार कीमतों पर निर्भर करेगी ।

(ग) तथा (घ) यह कोटा मूंगफली की फसल की अनुमानित मात्रा का केवल छोटा सा भाग है और इसी मूंगफली के तेल की घरेलू कीमतों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

शोलापुर में हवाई अड्डा

3318. **श्री माऊसाहिब थोरट** : **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शोलापुर में हवाई अड्डा आरम्भ करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। शोलापुर में एक अच्छे मौसम की हवाई पट्टी पहले से मौजूद है। छठी योजना में इसका विकास करने की कोई योजनाएं नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भूविज्ञान सर्वेक्षण दल द्वारा टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों में सर्वेक्षण

3319. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भूविज्ञान सर्वेक्षण दल ने गत पांच वर्षों के दौरान टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों के कितने स्थानों पर खुदाई तथा अन्य सर्वेक्षण कार्य किए ; और

(ख) स्थानवार पाए गए खनिजों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार ने क्या योजनायें तैयार की हैं तथा भविष्य में कितने अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय ये मध्य प्रदेश के सागर-छतरपुर जिले के हीरापुर, मड़देवड़ा, बस्सियां में, छतरपुर जिले के अंगोर में तथा टीकमगढ़ जिले के कारी भेतरी और परेवा में खनिज खोज कार्य किया है।

(ख) ये खोजें हीरापुर, मड़देवड़ा, बस्सिया तथा अंगोरे में फास्फोराइट के लिए, कारी, भेतरी और परेवा में पाइरोफिलाइट के लिए तथा पन्ना जिले के अंगोर एवं अन्य क्षेत्रों में हीरों के लिए की गई हैं। 1981-82 के चालू क्षेत्रगत सत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का सागर और छतरपुर जिलों में फास्फोराइट कर खोज कार्य जारी रखने तथा सागर जिले में विनध्यान सुवर ग्रुप का क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण करने का प्रस्ताव है।

बिक्री-योग्य इस्पात और पिण्ड इस्पात का उत्पादन

3320. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में बिक्री योग्य इस्पात और पिण्ड इस्पात का कितना उत्पादन हुआ तथा 1980-81 को उसी अवधि में कितना हुआ ;

(ख) इसी अवधि में एल्यूमिनियम के उत्पादन के बारे में क्या स्थिति है ; और

(ग) देश में इस्पात संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1981-82 में नवम्बर तक छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात और इस्पात पिंड का उत्पादन क्रमशः 45.7 लाख टन और 55.4 लाख टन हुआ है। वर्ष 1980-81 की इसी अवधि में उत्पादन क्रमशः 37.6 लाख टन और 46.5 लाख टन हुआ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 में अक्तूबर तक इस्पात कारखानों में इस्पात पिंड का उत्पादन 11.3 लाख टन हुआ है और 1980-81 की इसी अवधि में उत्पादन 11.1 लाख टन हुआ था।

(ख) वर्ष 1981-82 में नवम्बर के अन्त तक एल्यूमिनियम का उत्पादन 1,38,951 टन हुआ। 1980-81 में इसी अवधि में उत्पादन 1,24,062 टन हुआ था।

(ग) विशाखापत्तनम और पारादीप में दो नये इस्पात कारखाने स्थापित किए जायेंगे और भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा राउरकेला, दुर्गापुर तथा हरको के कारखानो के आधुनिकीकरण/विस्तार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

चालू वर्ष में निर्यात लक्ष्य

3821. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या निर्यात सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावनाएं हैं ; यदि नहीं, तो निर्यात लक्ष्य में कितनी कमी होने की सम्भावना है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात की कौन सी वस्तुएं निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1981-82 के लिए निर्यात लक्ष्य अन्तिम तौर पर 8400 करोड़ रु० रखा गया था।

(ख) तथा (ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे वातावरण को देखते हुए सही-सही अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का विस्तार कार्यक्रम

3322. **श्री जायनल अबेदीन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय पर्यटन विकास निगम के उस विस्तार कार्यक्रम की ओर दिलाया गया है जिसका उद्देश्य खाड़ी धनराशि की सहायता से नितांत वाणिज्यिक आधार पर दिये गये पूंजी निवेश से शीघ्र आय प्राप्त करना है ;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक परम्परा तथा गौरवमय अतीत को लोकप्रिय बनाने का कार्य भी सम्मिलित है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क), से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में खाड़ी धनराशि की सहायता से किसी भी विस्तार कार्यक्रम या

किसी भी होटल के निर्माण की योजना नहीं बनाई है। भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 42 करोड़ करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है और उसमें कई स्थानों पर होटलों के निर्माण पर परिकल्पना की गई है । परियोजना के वास्तुशिल्प-परक डिजायनों, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों, कलाकृतियों के प्रदर्शन, सज्जयुक्त वस्तुओं के प्रचार आदि द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम की सभी स्कीमों के अन्तर्गत देश की सांस्कृतिक विरासत और सुदूर अतीत को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जाती है।

पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी का शाखा कार्यालय

3323. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी के 14 नवम्बर, 1981 तक देश में राज्यवार तथा क्षेत्रवार शाखा कार्यालयों की सख्या कितनी है ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने दुर्घटना से मृत्यु के मामले में बीमा की राशि में वृद्धि कर दी है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) पीयरलैस कम्पनी के दिनांक 31 मार्च, 1981 को कुल आस्तियां और देयताओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : रिजर्व बैंक तथा सरकार के पास 14-11-81 की स्थिति के अनुसार, सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31-12-80 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के तुलनपत्र के मुताबिक उक्त तारीख को इस कम्पनी के कार्यालयों/शाखाओं की स्थिति निम्नलिखित थी :-

पूर्वी क्षेत्र	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या
पश्चिम बंगाल	26
उड़ीसा	2
बिहार	6
असम	4
त्रिपुरा	1
पश्चिमी क्षेत्र	
महाराष्ट्र	2
मध्य प्रदेश	2
गुजरात	1

उत्तरी क्षेत्र	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या
दिल्ली	2
पंजाब	2
उत्तर प्रदेश	4
राजस्थान	1
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	1
कर्नाटक	1
जोड़	55

(ख) इनामी चिटें तथा धन परिचालन स्कीम (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से इस कम्पनी के कार्य-कलापों की जांच नहीं की जाती है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के पास इसकी राशि में किसी वृद्धि के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) 31-3-81 की स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं है। 31-12-80 की स्थिति के मुताबिक कम्पनी के तुलनपत्र के अनुसार इसकी देनदारियों तथा परिसम्पत्तियों की संक्षिप्त स्थिति नीचे लिखे अनुसार थी :-

(करोड़ रुपये)

देनदारियां		परिसम्पत्तियां	
प्रदत्त पूंजी तथा प्रारक्षित निधियां	1.45	स्थायी परिसम्पत्तियां, भवन तथा फर्नीचर आदि	1.53
रक्षित देयतायें			
समाज कल्याण स्कीम फण्ड (जनता की देनदारियां अर्थात इस स्कीम के अधीन प्रमाणपत्र धारकों को)	95.18	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में किये गये निवेश)	109.14
		अन्य निवेश	2.63

	रोकड़ तथा बैंक इतिशेष	9.57
	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	7.75
अन्य देनदारियां		
चालू तथा बकाया देनदारियां तथा व्यवस्था ।	33.99	
जोड़ :	130.62	130.62

उड़ीसा में पर्यटन स्थलों के लिए राज्य सरकार की योजनाएं

3224. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन पर्यटन स्थालों के नाम क्या हैं जिसके बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार को योजना भेजी है ;

(ख) 1981-82 में उसके लिये राज्य सरकार को दिये जाने के लिए कितनी धनराशि अलाट की गई है ; और

(ग) इस राशि को किन योजनाओं पर खर्च किया जायेगा और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 16.4.1981 को नई दिल्ली में हुई बैठक में उड़ीसा में निर्धारित यात्रा परिपथों के आधार पर उड़ीसा सरकार से पर्यटन विकास के ब्लू प्रिन्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। पर्यटन विकास के ब्लू प्रिन्ट्स अभी प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा में पर्यटक केन्द्रों के नाम, जो ब्लू प्रिन्ट्स में शामिल हैं, निम्नलिखित हैं :- (1) पुरी (2) भुवनेश्वर (3) कोणार्क (4) चिल्का झील (5) चन्दागिरि उदयगिरि हिल्स और (6) सिमलीपाल नेशनल पार्क।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों को पर्यटन विकास के लिए धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता। पर्यटन योजनाएं केन्द्रीय सेक्टर में या राज्य सेक्टर में केन्द्र द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता के आधार पर प्रारम्भ की जाती हैं। केन्द्रीय सेक्टर में 1981-82 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं पर अमल किया जा रहा है :

केन्द्र	योजना	कुल अनुमानित लागत व्यय ।	1981-82 के दौरान प्रत्याशित व्यय ।
		(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
पर्यटन विभाग	सिमलीपाल नेशनल पार्क	एक वन गृह का निर्माण	30.00	2.00
	2. ललित-गिरी उदयगिरी रत्नगिरी	मास्टर प्लान की तैयारी (भूमि-प्रयोग योजना)	5.00	1.00
भारत पर्यटन विकास निगम	1. पुरी	होटल (उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना)	50.00	3.00
	2. कोणार्क	बीच काटेज (ओ० टी० डी० सी० के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना)	45.00	2.00

नई दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में 5-स्टार होटलों का निर्माण

3225. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में अब तक कितने 5-स्टार होटलों का निर्माण किया गया है ; और

(ख) उपर्युक्त स्थानों पर चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे कितने होटल बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 3 महानगरीय शहरों में अभी तक निर्मित 5-स्टार होटलों की संख्या इस प्रकार है :-

दिल्ली-7

बम्बई-6

कलकत्ता-3

(ख) इस समय दिल्ली में 5-स्टार की श्रेणी वाले 9 होटल, जिसमें एक का विस्तार शामिल है, निर्माणाधीन है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बम्बई में विद्यमान एक 5-स्टार होटल के विस्तार का काम भी शुरू किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

3226. श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिये विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया है तथा उसे योजना आयोग द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन का कितना विकास किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री(श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) से (ग) केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटक केन्द्रों के महत्व, पर्यटकों में उनकी लोकप्रियता और पर्यटकों को आकर्षित करने संबंधी उनकी संभाव्यता के आधार पर पर्यटक का विकास किया जाता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया । तथापि, हमारे अधिकांश पर्यटक केन्द्र गैर शहरी क्षेत्रों में हैं, अत: ऐसे केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास करने से ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य गैर-शहरी क्षेत्रों में पर्यटन का विकास होगा ।

महालेखाकार कार्यालय पश्चिम बंगाल में भर्तों पर प्रतिबन्ध

3227. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसरित रोजगार करने की

नीति के कारण तथा पश्चिम बंगाल में महालेखाकार के कार्यालय में भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण पश्चिम बंगाल में महालेखाकार-कार्यालय की कार्य की क्षमता लगातारबढ़ रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिक्त पदों को भरे जाने की बजाय सरकार कार्य कम कर रही है और उसे कहीं अन्य अन्तरित कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की बजाय पश्चिम बंगाल में महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी श्रमिक विरोधी नीति अपना रहे हैं ; और

(ड.) कर्मचारियों की मांग पूरा करने, तथा पश्चिम बंगाल में महालेखाकार के कार्यालय में अधिक रोजगार बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिससे कार्यालय में सुचारु रूप से कार्य हो सके ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सबाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ड.) प्रत्यक्षत: इस प्रश्न का संकेत महालेखाकार, पश्चिम बंगाल द्वारा परम्परागत रूप से किए जाने वाले कुछ कार्यों को राज्य सरकार द्वारा उत्तरोतर अपने अधीन ले लिए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर है । राज्य सरकार ने हकदारी और खजाना कार्यों को क्रमश: 1 नवम्बर, 1977 और 1 फरवरी, 1978 से अपने अधीन लिया । इसके परिणाम स्वरूप क्रमश: 130 और 404 अधिकारियों और कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया जिनमें से पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल 29 व्यक्तियों को 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया । पश्चिम बंगाल सरकार ने सिद्धान्त रुप में नगरपालिकाओं आदि में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को 1 जुलाई, 1980 से अपने अधीन लेने का भी निर्णय लिया है ; और राज्य सरकार को पेंशन अदायगी कार्य का अन्तरण करने का भी प्रस्ताव है । इस कार्रवाई के परिणामस्वरुप और अधिक कर्मचारियों के फालतू हो जाने की सम्भावना है ।

फालतू होने वाले कर्मचारियों को खपाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में रिक्त पदों को खाली रखा जाए और महालेखाकार पश्चिम बंगाल के कार्यालय में लेखा परीक्षकों के 58 पदों को भी खाली रखा जाए ।

महालेखाकार, पश्चिम बंगाल के कार्यालय के कर्मचारी कुछ समय से पदोन्नति के और अधिक अवसरों के लिए अब आन्दोलन करते आ रहे हैं ताकि उन्हें पदोन्नति के वही अवसर मिल सकें जोकि उन्हें उस स्थिति में मिलते यदि कार्य की कुछ मदें राज्य सरकार को अन्तरित न की जाती । चूंकि रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक कार्यों और नए पदों का सृजन वास्तविक कार्यभार पर निर्भर करता है, इसलिए इन सभी मांगों को मानना सम्भव नहीं हो सका है । वास्तव में महालेखाकार—पश्चिम बंगाल ने लेखापरीक्षकों तथा लिपिकों के मदों पर काफी पदोन्नतियां की हैं, जिसमें लेखा परीक्षकों और लिपिकों के ग्रेड में निर्धारित कोटे से अधिक पदोन्नतियां भी शामिल हैं । इस बात पर भी सहमति हुई है कि महालेखाकार, पश्चिम बंगाल के कर्मचारी संघ

के विचारों की जहाँ तक पुनः गठन की कार्रवाई से कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव पड़ा है, उन पर विचार किया जाएगा और उनके सुझाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि महालेखाकार, पश्चिम बंगाल ने मजदूर-विरोधी नीति अपनायी हुई है।

कुद्रेमुख अयस्क के लिए भारत-बहरीन करार

3328. **श्री कमल नाथ :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के बीच में बनाये जाने वाले चालीस लाख मी० टन "पेलेटाइजेशन" संयंत्र के लिए सप्लाई किये जाने वाले कुद्रेमुख अस्यक की तकनीकी विशिष्टियों के बारे में भारत और बहरीन ने मामले को पूरी तरह समझ लिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) अक्तूबर, 1981 में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के बहरीन के दौरे के फलस्वरूप बहरीन की अरब आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेट को एक आशय-पत्र दिया है और 1984 के मध्य से शुरू करके 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख टन सांद्रण खरीदने की पेशकश की है। सांद्रण के मूल्य प्रतिवर्ष आपसी बातचीत से तय किए जाएंगे ये मूल्य अन्य स्रोतों से इस प्रकार की समग्री के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण

3329. **श्री पी० रामगोपाल नायडू :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 26 करोड़ डालर के ऋण के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) विश्व बैंक 23 करोड़ डालर के एक संभावित ऋण के लिए भारतीय सीमेंट निगम की एक परियोजना का मूल्यांकन कर रहा था। चूंकि विश्व बैंक द्वारा परियोजना के वित्त पोषण करने में देरी होने की संभावना थी, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, इसलिए परियोजना को पूरा करने के लिए अपने ही स्रोतों से वित्त व्यवस्था करने का निर्णय कर लिया गया।

विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना

3330. **श्री राम अवध** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया था ;

(ख) इन मेलों में भाग लेने के लिए कल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) भारत ने इन मेलों से किस प्रकार का लाभ उठाया और तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कार्यक्रम पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा में व्यय की कुल राशि इस प्रकार है :

1978-79	235.54 लाख रु०
1979-80	110.30 लाख रु०
1980-81	243.31 लाख रु०

(ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों का मुख्य उद्देश्य भारत की औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमताओं की एक समन्वित झांकी प्रस्तुत करना है । इसके अलावा इन मेलों के दौरान 2.45 करोड़ रुपए के मूल्य की वस्तुएं बेची गई, 66.40 करोड़ रु० का कारोबार शुरू किया गया और 64.81 करोड़ रु० तक की वस्तुओं के लिये व्यवसायिक वार्तायें आरम्भ की गई ।

विवरण

जिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत ने तीन वर्षों (अर्थात 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81) में भाग लिया, उन मेलों तथा उनसे हुए लाभ दर्शाने वाला विवरण

1978-79

क्रमांक	मेलों का प्रदर्शनी का नाम	स्थल पर बिक्री	बुक किया गया कारोबार
			(लाख रु० में)
1.	मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली) अप्रैल, 1978	7,85	29,00

1	2	3	4
2.	जाम्बिया अन्तर्राष्ट्रीय मेला, नडोला (जाम्बिया) जुलाई, 1978	6,25	110,34
3.	दामश्क व्यापार मेला, दामश्क (सिरिया) जुलाई, 1978	—	2,56
4.	भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी मास्को (सोवियत संघ) अगस्त, 1978।	26,87	454,00
5.	अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला, स्टाक्होम (स्वीडन) अगस्त सितम्बर, 1978।	2,38	4,90
6.	तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, तेहरान (ईरान) सितम्बर 1978।	—	294,18
7.	बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला, बुडापेस्ट (हंगरी) सितम्बर, 1978।	0,42	496.00
8.	बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद ईराक) अक्तूबर, 1989।	3,45	130,00
9.	त्रिपोली अन्तर्राष्ट्रीय मेला, त्रिपोली (लिबिया) मार्च, 1979।	2,50	—
10.	काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला, काहिरा (मिस्र अरब गणराज्य) मार्च 1979।	5,67	81.60
11.	लीपोजन बसन्त मेला(जर्मन जनवादी गणराज्य) मार्च, 1979।	—	593,00
	योग	61,39	2195,58

क्रमांक	मेले प्रनर्शनी का नाम	स्थल पर बिक्री	बुक किया गया कारोबार
			लाख रु० में
1.	मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली) अप्रैल 1979।	10,00	30,55

1	2	3	4
2.	दार-ए- सलाम अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दार-ए-सलाम (तंजानिया) जुलाई, 1979 ।	—	2,55
3.	दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दमिश्क (सीरिया) जुलाई, 1979 ।	—	13,28
4.	15 वां अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मापुतो (मोजाम्बिक) जुलाई, 1979 ।	0,35	—
5.	प्लोवदीव अन्तर्राष्ट्रीय मेला, प्लोवदीव (बल्गारिया), सितम्बर, 1979 ।	—	124,00
6.	अल्जीरियाई अन्तर्राष्ट्रीय मेला- अल्जीयर्स सितम्बर, 1979 ।	3,00	200,00
7.	जैएरेव अन्तर्राष्ट्रीय आटम मेला, जैगरेव यूगोस्लाविया, सितम्बर, 1979 ।	—	104,80
8.	बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद (ईराक) अक्तूबर, 79 ।	7,17	350,00
9.	चिलिमन वार्षिक व्यापार मेला, सेन्टीयांगों (चिली) अक्तूबर 1 नवम्बर, 79 ।	3,50	—
10.	नैवुल 42 वां अन्तर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेला, ब्रसेल्स (बोल्जयन) नवम्बर, 1979 ।	2,03	7,69
11.	लीपाजग बसन्त मेला, लीपाजग (जी डी आर) मार्च, 80 ।	10,00	705,00
12.	भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, मनीला (फिलीपीन (मार्च 80	9,60	32,50
13.	काहिर अन्तर्राष्ट्रीय मेला, काहिरा (अमिरात अरब गुणराज्य)	0,16	180,00
14.	त्रिपोली अन्तर्राष्ट्रीय मेला, त्रिपोली (लीविया) मार्च, 80 ।	—	—
	योग :	50, 81	1750,37

1980-81

क्रमांक	मेले प्रदर्शनी का नाम	स्थल पर बिक्री	शुरु किया गया कारोबार
			लाख रु० में
1.	मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली) अप्रैल, 1980।	21,00	5236
2.	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी दुबई (संयुक्त अरब अमिरात) मई, 1980।	65,00	696,20
3.	बार्सीलोना, अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बार्सीलोना, स्पेन, जून, 1980	1,00	10,50
4.	योजना अन्तरर्राष्ट्रीय मेला (पौलैंड जून 1980।	—	28,00
5.	दामश्मक अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दामश्क, सीरिया, अगस्त, 1980।	0,08	200,00
6.	प्लावदीव अन्तर्राट्रीय मेला, त्लावदीव (बल्गारिया) सितम्बर, 1980।	0,03	289,38
7.	जैगरेव अन्तर्राष्ट्रीय मेला जैगरेव (यूगोस्लाविया) सितम्बर, 1980।	—	336,00
8.	बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद (इंराक) अक्तूबर ,1980।	1,36	—
9.	सैन्टयागो अन्तर्राट्रीय मेला, सैन्टयागो (चिली) अक्तूबर-नवम्बर, 1980।	11,22	15,90
10.	भारतीय प्रदर्शनी, लागोस (नाइजीरिता) जनवरी-फरवरी, 1991।	20,00	401,62
11.	भारतीय प्रदर्शनी, सिंगापुर मार्च-अप्रैल 1981।	7,20	100,00
12.	भारतीय प्रदर्शनी, जेद्दा, (सऊदी अरब) मार्च-अप्रैल 1981।	5,00	564,09
13.	त्रिपोली अन्तर्राष्ट्रीय मेला, त्रिपोली (लीबिया) मार्च-1981।	—	—
	योग :	131,98	2693,96

कालीकट हवाई अड्डा परियोजना के लिए प्रावक्लन

3331. **श्री ए० ए० रहीम :**

श्री के० ईम्बीचीबाबा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई-अड्डे के लिए परियोजना पर मंजूरी दे दी गई है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रावक्लन तैयार किए हैं ;

(ख) अभी तक कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) केरल में कालीकट (करीपुर) में एक विमान क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव सार्वजनिक पूंजी-निवेश बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है। निर्माण-कार्य के इस प्रस्ताव के स्वीकृत कर दिए जाने के छः महीने बाद आरम्भ हो जाने की आशा है।

खनिज सांरिधकी डिवीजन का प्रतिवेदन

3332. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज सांरिधकी डिवीजन ने उन शर्तों का विश्लेषण किया है जिन पर गत दशक में धातु निर्यात किये गये और उसके आधार पर भारत को निर्यात वस्तुओं के लिए श्रेष्ठतर मूल्य प्राप्त करने और खनिजों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित प्रयास करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में अन्य क्या मुख्य विचार व्यक्त किये गये हैं ?

वणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) हमारी निर्यात वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई कीमतें प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यथासंभव अधिक से अधिक सीमा तक प्रोसेस करने के बाद खनिज। अयस्क निर्यात किये जाएं ताकि अपेक्षाकृत अधिक इकाई मूल्य प्राप्त हो सके। खनिजों का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए खनिजों के नये निक्षेपों का पता लगाने के लिए भी प्रयास जारी हैं।

बुनाई क्षमता पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

3333. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कपड़ा मिलों की बुनाई क्षमता पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की सूती कपड़ा उद्योग की मांग को स्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) वस्त्र नीति के अन्तर्गत, जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का सुव्यवस्थित और संतुलित विकास करना है संगठित मिल क्षेत्र में बुनाई क्षमता के विस्तार की अनुमति केवल निर्यात के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दी जानी है। यह इसलिए किया गया है ताकि हथकरघा क्षेत्र की रक्षा हो सके, जिसे कपड़े की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रथम प्राथमिकता दी गई है।

पणजी और मद्रास में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

3334. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पणजी और मद्रास के निकट शीघ्र ही निर्बाध व्यापार क्षेत्र (फ्री ट्रेड जोन) स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने देश में कोई और मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के बारे में अभी तक निश्चय नहीं किया है। तथापि, सरकार ने कांडला तथा सीप्ज के विद्यमान मुक्त व्यापार क्षेत्रों के कार्य-करण का अध्ययन करने के लिए श्री पी० एल० टंडन, अध्यक्ष, एन० सी० ई० आर० ए० की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार नये मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की नीति के बारे में विनिश्चय करेगी।

रुमानिया को लौह अयस्क कंसेन्ट्रेट के लिए अतिरिक्त मांग

3335. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया मंगलौर पेलेट संयंत्र के लिए पहले ही 30 लाख टन के लिए हुई सहमति के अतिरिक्त कुद्रेमुख से लौह अयस्क के कंसेन्ट्रेट की अतिरिक्त मात्रा खरीदने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब कितनी अतिरिक्त मात्रा ली जायेगी ; और

(ग) क्या उपरोक्त मांग के अतिरिक्त कुद्रेमुख से अन्य देशों को लौह अयस्क पेलेटों की सप्लाई के लिए अधिक मांगें बुक की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन के हिसाब से अक्तूबर 1981 से मार्च, 1985 तक लगभग 35 लाख टन कुद्रेमुख के सांद्रण की सप्लाई के लिए रुमानिया के मिनरल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ एक करार किया है।

(ग) हाल में मेरे दौरे के दौरान हुई बातचीत के फलस्वरूप इन्डोनेशिया ने प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख टन कुद्रेमुख के पैलेट खरीदने की पेशकश की है। इन्डोनेशिया अपने उत्पादन कार्यक्रम और प्रौद्योगिक दृष्टि से पैलेटों की उपयुक्तता तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तों के सन्तोषजनक ढंग से तय हो जाने पर 17.5 लाख टन तक पैलेट खरीद सकता है।

भारत-पाक व्यापार संवर्धन

3336. **श्री जयनारायण रौत :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान भारत-पाक व्यापार संवर्धन के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दोनों देशों के बीच एक नया व्यापार करार निष्पादित करने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ताओं के कई दौर आयोजित किये गये हैं। सरकार का ऐसा विचार है कि इस प्रकार के करार से दोनों देशों के बीच व्यापार में संवर्धन होगा।

(ख) यद्यपि अभी तक भी करार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, किन्तु इस विषय पर विचार विमर्श जारी रहने की आशा है।

मोहिनी मिल्स संख्या 2 का पुनः खोला जाना

3337. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सरकार से मोहिनी मिल्स संख्या 2, जो बीस महीनों से अधिक समय पूर्व बन्द हो गई थी, को पुनः खोलने के लिए चार करोड़ रुपए देने को कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) मिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : जी हां।

(ख) एन० टी० सी० को सलाह दी गई है कि वे अपनी आरम्भिक निधि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंकों से वार्ता करें।

(ग) उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के पुनः स्थापन की दिशा में पहले कदम के रूप में क्लीनिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा आरम्भ किया गया आधुनिकीकरण कार्यक्रम

3338. **श्री तारिक अनवर :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने अपनी वर्तमान मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु विशाल कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या आधुनिकीकरण कार्यक्रम से ऊर्जा के दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है। स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड (सेल) की विभिन्न इस्पात मिलों का आधुनिकीकरण करना/सशक्त बताया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और ऐसे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना तथा उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना और लाभदायकता में वृद्धि करना है। इसके उद्देश्यों में दुर्लभ कच्ची सामग्री तथा ऊर्जा का संरक्षण भी शामिल है।

आयातित अशोधित रेशम के धागे के बुनकरों में वितरण के लिए विक्रय केन्द्र खोलना

3339. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयातित अशोधित रेशम के धागे का बुनकरों में वितरण करने के लिए विक्रय केन्द्र खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। हथकरघा के राज्य निदेशक आयातित कच्चे रेशम के वितरण का प्रबन्ध करेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन का गांठों का निर्यात

3340. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1981 के दौरान पटसन की गांठों का निर्यात बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम इस विवाद में उलझा हुआ है जिसमें यह विरोध भड़का है ; और

(घ) यदि हां, तो कार्यवाही को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) से (घ) : सामान्य

रूप से गांठ बांधने वालों के माध्यम से कच्चे पटसन का निर्यात नवम्बर, 1981 में बन्द नहीं किया गया है। भारतीय पटसन निगम ने गांठ बांधने वाले सभी सूचीबद्ध व्यक्तियों को सलाह दी है कि जब वे अपने खाते में कच्चे पटसन के लिए निर्यात आदेश बुक करें तो उस समय कीमत, डिलीवरी, कार्यक्रम तथा संविदा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में भारतीय पटसन निगम का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। तथापि, कुछ गांठ बांधने वालों ने भारतीय पटसन निगम से क्लीयरेन्स प्राप्त किये बिना विदेशी खरीदारों को कच्चे पटसन बेचा और इसलिए भारतीय पटसन निगम ने इन खास विक्रियों को स्वीकार करने से मना कर दिया और तदनुसार गांठ बांधने वालों तथा विदेशी खरीदारों दोनों को सूचित कर दिया। अन्य गांठ बांधने वालों के माध्यम से कच्चे पटसन के निर्यात नवम्बर, 1981 में किये गये।

वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

3341. **श्री जयपाल कश्यप** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1979,1980 के दौरान तथा सितम्बर, 1981 तक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजन के लिये कुल कितना ऋण दिया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को कुल कितना ऋण दिया गया ; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में कितने व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक का ऋण दिया गया और कुल कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भगतभाई बारोट) : (क) और (ख) :- उपलब्ध अन्तिम आकड़ों के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम दिसम्बर 1979 और दिसम्बर 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार क्रमशः 20666 करोड़ और 23671 करोड़ रुपये के थे। समनुरूप अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र को अग्रिम: 7727 करोड़ और 9302 करोड़ रुपये के थे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं को अग्रिम, जिनमें कृषि लघु उद्योग, सड़क तथा जल परिवहन और खुदरा व्यापार तथा छोटे कारबार, शिक्षा तथा समाज के कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, दिसम्बर 1979 और दिसम्बर 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक क्रमशः 6485 करोड़ और 7999 करोड़ रुपये के थे।

(ग) : पांच सौ रुपये से अधिक की अधिक की ऋण सीमाओं का उपभोग करने वाले ऋणकर्ता खातों के सम्बन्ध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण के बारे में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गए हैं :-

(राशि करोड़ रुपये में)

	खातों की संख्या	बकाया राशि
दिसम्बर, 1979	45574	1280.407
जून, 1980 (सबसे हाल के उपलब्ध)	45763	1379282

काफी का आयात

3342. श्री वी० एस० विजयराघवन

श्री ई० के० ईम्बीचीबाबा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी का आयात करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है और इस आयात के क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादकों को लाभकर मूल्य की गारन्टी देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्पादन लागत के समय समय पर किए गए अध्ययनों के आधार पर आन्तरिक बाजार में काफी की रिलीज के लिए न्यूनतम रिलीज कीमत इस प्रकार निश्चित की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपजकर्ताओं को अपनी पूंजी पर समुचित लाभ मिल जाये। जहां तक निर्यात नीलामियों का सम्बन्ध है, आपक्षित कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रवृत्तियों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। रिलीज कीमतों की इस क्रियाविधि से उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमत सुनिश्चित होती है।

विदेशों में भेजी गई राशि

3343. श्री जो० एस० रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक को यहां किसी गैर अल्पसंख्यक संगठन को विदेशों से भेजी गई राशि अथवा सहायता के बारे में जानकारी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो ये संगठन कौन कौन से हैं और उनके प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक संस्था को 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क), से (ग) भारत में किसी भी संगठन को विदेशों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये संगठन विदेशी अभिदाय (विनिमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत आते हैं जिसका प्रशासन गृह मन्त्रालय करता है। विदेशों से धनराशियां या सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों का ब्यौरा और उन राशियों के वर्ष वार आंकड़े साधारणतया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखे जाते।

कडांला स्थित गोदाम से चुराया गया राज्य व्यापार निगम का आयातित तेल

3344. श्री डी० एम० पुत्ते गौडा

श्री के० ए० राजन

श्री धर्मवीर सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स केमिकल्स एण्ड रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड, कांडला के के गोदाम में पड़ा राज्य वार व्यापार निगम का करोड़ों रुपये का आयातित तेल चुरा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) चुराये गये तेल का अनुमानित मूल्य क्या है इसमें किन व्यक्तियों का हाथ है ;

(घ) क्या किसी जाँच का आदेश दिया गया है ; और

(ड.) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) (क) तथा (ख) : 30 सितम्बर, 1981 को स्थानीय पुलिस ने मैसर्स कैमीकल्स एण्ड रेजिन्स प्राइवेट लि० से कांडला मे खाद्य तेलों के भण्डारण के लिए एस० टी० सी० द्वारा किराये पर लिये गये स्टोसेज टैंक से 10 टैंक लारियों का, जिनमें लगभग 100 मेंट्रिक टन निष्प्रभावित ताड़ का तेल था, अनाधिकृत सुपुर्दगी के बारे में एस० टी० सी० कांडला को सूचित किया था। 10 में से 9 ट्रक स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये है।

(ग) से (ड') : रिलीज कीमत के अनुसार अनधिकृत रूप से सुपुर्द किये गये तेल की मात्रा की अनुमानित कीमत 7,21,000 रु० है। पुलिस द्वारा अभी भी जांच जारी है।

जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ्सएण्ड ट्रेड में दायर किये मामले का वापस लिया जाना

3345. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के साथ सितम्बर, 1981 में किये गये उस करार का ब्यौरा क्या है जिसके परिणामस्वरूप भारत जेनेवा स्थित अतर्राष्ट्रीय सगठन, जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ्स एण्ड ट्रेड में दायर किए गए अपने मामले को वापस ले सकता है ; और

(ख) इस कारण अनुमानतः कितनी हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुशीर्द आलम खांन) : (क) और (ख) अगस्त, 1980 में संयुक्त राज्य सरकार ने भारत के सम्बन्ध मे उपदानों तथा प्रतिरात्मक सम्बन्धी टोकियो दौर करार के अप्रयोजनीय खण्ड का आश्रम लिया था। इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी कि भारत से शुल्क लगान योग्य उत्पादों का अनुदान प्राप्त आयात, ऐसे उत्पादों पर प्रतिकरात्मक शुल्क लगाने से पहले,

जैसा कि करार के अन्तर्गत आवश्यक था, संयुक्त राज्य घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रहे हैं। भारत ने गाट में संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध इस आधार पर विवाद उठाया है कि कुछ अन्य देशों पर लागू करते समय संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत पर क्षति-परीक्षण को लागू न करना गाट के परम मित्र राष्ट्र के उपबन्ध के विपरीत था।

2. तथापि, भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के बीच आगे विचार विमर्श के परिणामस्वरूप एक करार हुआ जिसके द्वारा (1) संयुक्त राज्य अमरीका भारत के विरुद्ध करार के अप्रयोजनीय खण्ड के अपने आश्रय को वापस लेगा, (2) संयुक्त अप्रतिकरात्मक शुल्क मामलों में शुल्क योग्य उत्पादों के क्षति परीक्षण भारत पर लागू करेगा, (3) संयुक्त राज्य सरकार के साथ पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा भारत अपने निर्यात सहायता कार्यक्रमों की नीति का एक एक विवरण देगा, और (4) भारत गाट में संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध अपनी शिकायत को वापस लेगा क्योंकि यह मामला दोनों पक्षों द्वारा हल कर लिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही 25 सितम्बर, 1 81 को साथ साथ की गई थी।

3. गाट से संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध हमारी शिकायत को वापस लिये जाने से हमारे लिए कोई वित्तीय अथवा अन्य हानि अन्तर्ग्रस्त नहीं होगी। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ करार से यह सुनिश्चित होगा कि भारत से आयातों से संबंधित सभी भावी प्रतिकारी शुल्कों के मामलों में अमरीकी सरकार यह सिद्ध करने के बाद ही प्रतिकारी शुल्क लगायेगी कि भारत से उपदान प्राप्त आयात समान उत्पादों का उत्पादन करने वाले अमरीकी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। इससे भारत से आयातों के आधार पर प्रतिकारी शुल्क लगाना अधिक कठिन हो जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध बैंकों के कर्मचारियों की मांग

3346. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री मूल चन्द डागा :

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध बैंकों के कर्मचारियों ने मांग की है कि इन सम्बद्ध बैंकों को स्टेट बैंक से अलग करके स्वतंत्र बना दिया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) सहायक बैंकों के स्तर को निर्धारित करने का प्रश्न, बैंकिंग तंत्र के समुचित ढांचे को निर्धारित करने के व्यापक प्रश्न से संबन्धित है इसलिए इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों को बिल्कुल स्वतंत्र बनाने का इस समय, कोई

प्रस्ताव नहीं है ।

एल-बेस क्लियरेन्स के दौरान दिल्ली में बैंक गारन्टी मांगा जाना

3347. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एल-बेल की क्लियरेन्स के समय सीमा शुल्क प्राधिकारी, सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 64/67 के अन्तर्गत बैंक गारन्टी दिए जाने का आग्रह करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के अन्य भागों में इस प्रकार की बैंक गारन्टियों के लिए आग्रह नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) जहां आयात बैंक गारन्टी के बिना अन्त्य प्रयोग वाण्ड को स्वीकारने का औचित्य सिद्ध करने के लिए सुरक्षित प्रतिभूति प्रस्तुत करते हैं वहां दिल्ली और अन्य पत्तनों पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारी सीमाशुल्क अधिसुचना सं० 64/79 के अन्तर्गत एल-बेल की निकासी के लिए बैंक की गारन्टी प्रस्तुत करने के लिए आग्रह नहीं करते हैं । अन्य सभी मामलों में बैंक की गारंटी के लिए आग्रह किया जाता है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 28-11-1981 से एल-बेल कर से सीमा शुल्क की आंशिक छूट भी वापस ले ली गयी है ।

अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा उद्योगपतियों और कृषिकों को ऋण दिया जाना

3348. **श्री उत्तम राठौर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा उद्योग-पतियों और कृषिकों को ऋण दिए जाने के संबंध में भारतीय बैंकों द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषकों को ऋण देते समय अनुसूचित बैंकों की सहकारी बैंकों द्वारा कृषि भूमि के मूल्य का मूल्यांकन बहुत ही कम किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) से (ग) बैंकों द्वारा चाहे वे

सहकारी हों अथवा वाणिज्य बैंक, कृषकों और उद्योगकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों की मंजूरी के अपनाए जाने वाले सामान्य मानदण्ड नीचे लिखे अनुसार हैं ।

कृषि के लिए बजट उन्मुख ऋणों प्रणाली के आधीन फसल ऋण आवश्यकता पर आधारित होते हैं न कि जमानत पर । ये ऋण खेती की लागत को ध्यान में रखकर प्रत्येक जिले में फसलदार प्रति एकड़ वित्त पोषण के लिए एक तकनीकी ग्रुप द्वारा निर्धारित की गई दरों से दिए जाते हैं । कृषक की पात्रता उसकी खेती की जमानत के आकार और उसके द्वारा पैदा किए जाने वाली फसल के संदर्भ में तय की जाती है । वापसी अदायगी की अपेक्षा उसकी फसल की बिक्री की आय से की जाती है । पूंजीगत सम्पत्तियों की प्राप्ति और भूमि सुधार के लिए ऋण की मात्रा का निर्धारण प्रस्तावित पूंजी निवेश की मात्रा और ऋणकर्ता की वापसी अदायगी की क्षमता के आधार पर किया जाता है और इसमें परिसम्पत्ति की जीवन-अवधि का भी ध्यान रखा जाता है । 5 हजार रुपये से अधिक की राशियों के ऋणों के बारे में वाणिज्यिक बैंक अतिरिक्त जमानत के तौर पर भूमि को गिरवी रखने की मांग कर सकते हैं । इस प्रकार की गिरवी की मांग पर जोर प्रायः भूमि विकास बैंकों द्वारा लम्बी अवधि के ऋणों के बारे में दिया जाता हैं ।

उद्योगपतियों को कार्यकारी पूंजीगत वित्त पोषण के सम्बन्ध में बैंक अपने ऋण को उस उद्यम की उत्पादन अपेक्षाओं मे जोड़ते हैं और केवल जमानत के ही विचार से ही ऋण नहीं देते । बैंक वित्त पर ऋणकर्ताओं की निर्भरता को कम करने के लिए सामान्यत. बैंकों को राय दी जाती है कि वे यह सुनिश्चत करें कि ऋणकर्ता औद्योगिक यूनिटों की स्वीकार्य चालू परिसम्पत्तियों के 50 प्रतिशत के बराबर रकम स्वयं लगायें ।

जो भूमि ऋण के लिए प्राथमिक अथवा अतिरिक्त जमानत के रूप में ली जाती हैं उसका मूल्य उस क्षेत्र के समतुल्य उपज वाली भूमि की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर और गिरवी रखी हुई जमीन पर देय राजस्व के गुणकों के रूप में और उस भूमि के बाजार भाव के बारे में स्थानीय अनुमानों तथा लाभ पाने वाली भूमि से सम्भावित आय के गुणकों के रूप में तय किया जाता है । इस प्रकार जमानत की भूमि का मूल्यांकन केवल बैंकों द्वारा अलग थलग रूप में नहीं किया जाता है बल्कि प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों और बैंकों से भिन्न अभिकरणों द्वारा किये गये मूल्यांकनों के आधार पर किया जाता है । अतः बैंकों द्वारा इस प्रकार के मूल्यांकनों में विभिन्न प्रकार के ऋणकर्ताओं के बीच भेदभाव का प्रश्न सगत नहीं है ।

आय-कर विभाग, दिल्ली में कर-सहायक

3349. **श्री सोमजी डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर विभाग दिल्ली में कर-सहायक के पदों को स्थायी घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें कब स्थाई पद घोषित किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि वे कम से कम 3 वर्ष से लगातार अस्तित्व में रहे हों और विभागाध्यक्ष का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसे पद स्थायी किस्म के कार्य के लिए अपेक्षित हैं। कर-सहायकों के 292 अस्थाई पद 31-3-1978 से बनाये गये थे और ये 31-5-1978 से भरे गये थे। इन पदों को जारी रखने और उन्हें स्थाई पदों में बदलने के प्रश्न की जांच की जा रही है और शीघ्र ही कोई फैसला लिये जाने की सम्भावना है।

"रु० 23 लाख एस० बी० फ्राड" शीर्षक समाचार

3350. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 26 सितम्बर, 1981 के "ब्लिट्ज" में "23 लाख एस० बी० फ्राड" शीर्षक समाचार को देखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) :- भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि 26 सितम्बर, 1981 के ब्लिट्ज की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सम्भवत: उनकी काडी शाखा के प्रबन्ध द्वारा मुख्यत: मई से अक्तूबर, 1978 की अवधि के दौरान स्वीकृत किये गये कुछ ऋणों से सम्बन्धित हैं। जैसे ही ये अनियमितताएं बैंक की जानकारी में आई, इनकी जांच स्वयं बैंक द्वारा और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी की गई और शाख प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया गया। शाखा प्रबन्ध और मुख्य खजांची के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1979 में दो मामले दर्ज कराये। पहले मामले के सम्बन्ध में बैंक ने (तत्कालीन) शाखा प्रबन्धक और मुख्य खजांची के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। अलबत्ता हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय ने जांच कार्यवाहियां स्थगित करा दीं और यह मामला न्यायाधीन है केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चार व्यक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (एडीशनल चीफ ज्यूडिशिअल मैजिस्ट्रेट) नारोल, अहमदाबाद के न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला भी न्यायाधीन है।

31 मार्च, 1980 को, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक तीसरा मामला काडी शाखा के (तत्कालीन) शाखा प्रबन्धक और मुख्य खजांची और दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया है और जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने भी शाखा प्रबन्ध और अन्यों के विरुद्ध तीन मामले दर्ज किये हैं और ये मामले फैसले के लिए न्यायालयों के पास लम्बित हैं।

पहले मामले में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरुद्ध आगे कार्यवाही तभी की जा सकती है जबकि निषेधाज्ञा निरस्त हो जाए और इस समय जांच के अधीन, मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशें उपलब्ध हो जायें तथा विभिन्न न्यायालयों के फैसले पूरे हो जायें। इस बीच, पुराने वाहनों की खरीद के वास्ते परिवहन परिचालकों को ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रियाओं की बैंक ने समीक्षा की है और इस विषय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं।

बम के आतंक को रोकने की नई प्रणाली

3351. **श्री के० मालन्ना :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम के आतंक की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, बम की इस प्रकार आतंक फैलाने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए हवाई अड्डों के सुरक्षा कर्मियों ने एक नई प्रणाली निकाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिहार को प्रति व्यक्ति सहायता

3352. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 में बिहार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सबसे कम प्रति व्यक्ति सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि 1979-80 में बिहार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्रति व्यक्ति रु० 6.29 की सहायता मिली जबकि गुजरात को रु० 88.20 महाराष्ट्र को 62.08 कर्नाटक को रु० 47.19 और केरल को 38.24 की सहायता मिली ; और

(ग) यदि उक्त (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार इस अत्यधिक अन्तर को दूर करने का और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से बिहार को उचित सहायता दिलाने में सहायता करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) यह सच नहीं है कि 1979 80 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से बिहार को सबसे कम प्रति व्यक्ति सहायता मिली।

(ख) और (ग) :- 1979-80 के दौरान, भारती औद्योगिक विकास बैंक ने, बिहार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक और केरल को क्रमश: रु० 4.60 रु० 71.6', रु० 33.14, रु० 35.21 और रु० 19.38 की दर से प्रति व्यक्ति सहायता स्वीकृत की बिभिन्न राज्यों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता मुख्यत: किसी राज्य विशेष में उद्यमियों के क्रियाकलापों, अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारियों के स्थान विषय निर्णयों, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान किये गये विशेष प्रोत्साहनों पर निर्भर होती है। परियोजनाओं के स्थान मुख्यत: उद्यमियों के निर्णय से तय किये जाते हैं। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नियंत्रण में नहीं आते। इसके अलावा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता की स्वीकृति राज्यवार आधार पर नहीं की जाती। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उन सभी उपयुक्त योजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों।

पश्चिम बंगाल के महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों की मांगे

3353. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखाकार, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं जिनके लिए वे 29 अगस्त, 1981 से संघर्ष कर रहे हैं ; और

(ख) महालेखाकार, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : महालेखाकार पश्चिम बंगाल के कार्यालयों के कर्मचारी संघ द्वारा रखी गईमांगें निम्नलिखित हैं :

(1) वेतन और लेखा कार्यालय, कलकत्ता, को लेखा परीक्षा से पूर्व कार्य का अन्तरण होने और राज्य सरकार को हकदारी कार्य का अन्तहरण होन के परिणामस्वरूप पदोन्नति के अवसरों की हानि की क्षतिपूर्ति करना।

(2) भर्ती पर रोक को समाप्त करने और सीधी भर्ती को अस्थगित रखकर लिपिकों और लेखापरीक्षकों के संवर्गों में सभी रिक्त पदों केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाना।

(3) लेखापरीक्षा सम्बन्धी जांच की मात्रा में कमी होने और राज्य सरकार को लेखाकरण कार्य की पदों का अन्तरण होने के कारण उत्पन्न आन्तरिक और बाह्य पुनर्गठन कार्रवाई को रोकना। यदि ऐसे उपाय लागू कर भी दिए जाएं तो उन्हें सघ के साथ पूरा-पूरा परामर्श करके लागू किया जाए।

(4) लिपिकों और लेखापरीक्षकों के संवर्गों में गतिरोध को दूर करने के लिए तत्काल पदोन्नतियां।

(5) दौरे पर दैनिक भत्ते में उर्ध्वमुखी संशोधन।

(ख) : (1) पश्चिम बंगाल सरकार को हकदारी और खजाना कार्यों जैसे कुछ कार्यों के अन्तरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्तरों पर 534 व्यक्ति महालेखाकार, पश्चिम बगाल के कार्यालय में फालतू घोषित किए गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए केवल 298 व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया था और इस प्रकार पदोन्नतियों पर प्रभाव पड़ा अत पदोन्नतियों की हानि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कार्य का पुन: वितरण होने के परिणाम स्वरूप हुई।

(2) इस समय लिपिकों के 15 प्रतिशत पद ग्रुप 'घ' से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। और 25 प्रतिशत लेखा परीक्षकों के पद लिपिक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। बाकी 75 प्रतिशत लेखा परीक्षिकों के पद और 85 प्रतिशत लिपिकों के पद सीधी भर्ती के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरे जाते हैं ताकि क्षमता का आवश्यक स्तर बना रहे सके।

इस उद्देश्य से कि राज्य सरकार को कार्य का अन्तरण हो जाने के कारण फालतू घोषित हो जाने वाले कर्मचारियो को खजाने की दृष्टि से लेखापरीक्षक स्तर के कुछ पदों को खाली रख लिया गया था।

(3) छश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जुलाई, 1980 से स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य को अपने हाथ में लेने का भी सिद्धान्तरूप में निर्णय कर लिया था राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को अपने अधीन लेने से सबंधित प्रश्न पर उसके साथ अभी भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है। इस बात पर सहमित हो गई है कि जहां तक कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव डालने वाली पुनर्गठन कार्रवाईयों का प्रश्न है, महालेखाकार पश्चिम बंगाल के कार्यालय के कर्मचारी संघ के दृष्टिकोण पर विचार किया जायेगा और संघ द्वारा दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(4) महालेखाकार ने कर्मचारियों की सहायता करने के लिए निर्धारित सख्या से भी अधिक लेखा परीक्षकों और लिपिकों के ग्रेडों में से अनेक पदोन्नतियां की हैं। जिनमें अग्रिम पदोन्नतियां भी शामिल हैं।

(5) दौरे पर दैनिक भत्ते में उर्ध्वमुखी संशोधन करने का एक ऐसा प्रश्न है जो सामान्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर असर डालता है। राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) के कर्मचारी पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में मांग उठायी गई थी। इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

औषधि निर्माण में प्रयुक्त अन्तस्थों (इन्टरमीडिएट) के लिए सीमाशुल्क की रियायती दरें ।

3354. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने औषधि निर्माण में प्रयुक्त कई अन्तस्थों के लिए सीमाशुल्क की रियायती दरों को अधिसूचित किया है ;

(ख) किन कारणों से सरकार ने औषधि निर्माण में प्रयुक्त अन्तस्थों पर सीमाशुल्क कम किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने औषधि निर्माण से प्रयुक्त होने वाले किसी अन्तस्थ को सीमाशुल्क के भुगतान से मुक्त किया है और यदि हां, तो वे कौन सी वस्तुएं हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां । वर्ष 1979-80 के बजट के अंगरूप में, 17 मध्यवर्ती औषध-द्रव्यों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क की दर को मूल्यानुसार 75 प्रतिशत से कम करके मूल्यानुसार 25 प्रतिशत कर दिया गया था । वर्ष 1981-82 के बजट के अंग रूप में, शुल्क सम्बन्धी यह रियायत और 9 और मदों पर लागू की गई है ।

(ख) आयात शुल्क की कम की गई दर से तैयार औषध द्रव्यों की अपेक्षा मध्यवर्ती औषध द्रव्यों के आयात को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार शुल्क रियासत भारत के औषध उद्योग की वांछित प्रगति में मददगार होगी ।

(ग) जी, हां । चार मध्यवर्ती औषध द्रव्यों पर लागू आयात शुल्क से आंशिक छूट 27.11.81 से वापस ले ली गई है । ये औषध द्रव्य निम्नानुसार हैं :.

(1) ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड

(2) डी-2 एमिनोबूटानोल

(3) डी-2-फैनायल ग्लायसीन

(4) ऐल-बेस

पहले तीन औषध द्रव्यों पर लागू छूट इसलिए वापस ले ली गई क्योंकि उनके स्थानापन्न औषध द्रव्य अथवा बहुत सी मूल किस्में पहले से ही रियायती शुल्क दर की पात्र हैं । अन्तिम मद से रियायत इस उद्देश्य से वापस ली गई ताकि देश में इस औषध द्रव्य का इसकी मूल अवस्था से उत्पादन किये जाने को बढ़ावा दिया जा सके ।

वाहनों के मालिकों को मूल्य ह्रास की अनुमति

3355. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाहनों के मालिकों को जो व्यापारी वर्ग के हैं वाहनों के मूल्य ह्रास की अनुमति है और कुछ वर्षों के पश्चात वाहनों की बुक वेल्यु नगण्य हो जाती है परन्तु जब उन्हें बेचा जाता है तो उनसे भारी रकम प्राप्त होती है जिसके परिणाम स्वरूप आय को छिपाने तथा उस पर कर की चोरी करने के लिए काफी बड़ी राशि अलेखावद्ध बच जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस चूक को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनसे युक्तियुक्त कर वसूल किए जा सकें ; और

(ग) क्या इस प्रकार के मामलों की जांच की गई है जैसे कि अभी हाल ही में सदर बाजार दिल्ली कैंट में बड़ी साईज की पूर्ण बस को लगभग 2 लाख रुपए में बेचा गया है परन्तु हिसाब किताब में केवल 25,000-रुपए ही दिखाए गए हैं और शेष 1 लाख 75 हजार रुपए की राशि नम्बर-2 में चली गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) तथा (ख) कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त वाहनों पर आयकर नियम, 1962 के नियम 5 के साथ गठित आयकर अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत मूल्य ह्रास सम्बन्धी छूट स्वीकार्य है। जहां ऐसे वाहन बेचे जाते हैं, वहां वास्तविक बिक्री मूल्य और अवालिखित मूल्य के बीच के अन्तर के कारण यदि कोई लाभ होता है तो वह आयकर अधिनियम की धारा 41 (2) के अधीन कर लगने योग्य होता है। जहां बिक्री मूल्य, उस लागत मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक होता है जिस पर वाहन वास्तव में खरीदा गया था, वहां ऐसा अधिक मूल्य "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अन्तर्गत कर लगने योग्य होता है। निश्चित आंकड़ों के अभाव में, यह समझना उपयुक्त नहीं होता कि जब ऐसे वाहन बेच दिये जाते हैं तो लेखाबद्ध लाभ वसूल किया जाता है। परिणामतः, परवर्ती भाग का, अर्थात क्या ऐसा लाभ कर के प्रयोजनों के लिए लेखावाह्य रहता है, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक ऐसे किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

बेनीफिट कम्पनियों द्वारा धोखा देने की शिकायतें

3357. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेनीफिट कम्पनियों द्वारा धोखा देने की अब तक सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) सरकार को किन बेनीफिट कम्पनियों के विरोध में शिकायतें मिली हैं ;

(ग) सरकार ने बेनीफिट कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) सरकार को गुजरात से कितनी तथा किन बेनीफिट कम्पनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य

के ध्यान में ऐसी कम्पनियां हैं जो इनामी चिटों, बचत और कल्याण स्कीमों को चला रही थीं। 1978 से अक्तूबर 1981 की अवधि के दौरान ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध रिजर्व बैंक को 171 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें निधियों के गबन, इनामों/जमाओं की अदायगी न करने आदि के आरोप लगाए गए थे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 12-12-78 से प्रभावी इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अनुसरण में इनामी चिटों/कल्याण स्कीमों के प्रायोजन/संचालन पर रोक लगा दी गई। इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो कि इस मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

(घ) रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार, 1978 से अक्तूबर 1981 तक की अवधि के दौरान गुजरात की चिट/कल्याण कम्पनियों अर्थात गुजरात सेविंग्स यूनिट प्रा० लि०, संतोष बेनिफिट प्रा० लि०, दिव्य वसुंधरा फाइनेंसियर्स प्रा० लि०, प्रशांत बेनिफिट एंड ट्रेडिंग कं० प्रा० लि० और कविता बेनिफिट प्रा० लि० के विरुद्ध 17 शिकायतें प्राप्त हुई।

राजस्थान के कोटा जिले के अटरू में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में कथित भ्रष्टाचार

3358. **श्री चतुर्भुज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कोटा जिले के अटरू में सेन्ट्रल बैंक आइ इन्डिया में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सभी राजनीतिक दलों में पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बैंक से जिन व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं उनकी सूची बनाने के बाद बैंक की इस शाखा के मामलों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का है, यदि हां, तो सरकार द्वारा यह कार्यवाही कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) कोटा जिले में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का अटरू शाखा के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक माननीय सदस्य की भी है। इनकी जांच बैंक प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है।

अफीम को देश से चोरी-छिपे बाहर ले जाना

3359. **श्री रशीद मसूद** :

श्री राजेश कुमार सिंह :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उत्पन्न अफीम के 4 प्रतिशत उत्पाद प्रतिवर्ष देश से चोरी-छिपे बाहर ले जाये जाते हैं और तस्कर सार्वजनिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, देश से चोरी-छिपे बाहर ले जाई जाने वाली अफीम की अनुमानित कीमत क्या है, यह किन देशों को भेजी जाती है, इसमें कौन-कौन से कथित तस्कर शामिल हैं, और इस मामले में सरकार द्वारा क्या रोकथाम/उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ी गई अफीम केवल नाम-मात्र की है। इसके अलावा, देश से चोरी-छिपे बाहर ले जाये जाने के प्रयास में पकड़ी गई अफीम की मात्रा देश में अफीम के कुल उत्पादन की तुलना में भी कम है।

अफीम की काश्त करने की इजाजत लाइसेंसिंग तथा नियन्त्रण की सख्त प्रणाली के तहत ही दी जाती है। अफीम को देश से बाहर चोरी-छिपे ले जाये जाने के हर प्रयास को रोकने के निमित्त सीमा शुल्क अधिकारी तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियां बन्दरगाहों और भू-सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखती हैं।

विद्युत चालित करघा बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव

3360. **श्री ओस्कर फर्नांडीस :**

श्री जगदीश टाईटलर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विद्युत चालित करघा विकास निगम अथवा बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) सरकार ने दिनांक 3 नवम्बर 1981 के संकल्प द्वारा अखिल भारतीय विद्युत चालित करघा बोर्ड गठित किया है।

आय-कर आयुक्त, कानपुर के अधीन इन्सपैक्टरों की रिक्तियों को अनारक्षित बनाया जाना

3361. **डा० वी० कलनदईवलु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर आयुक्त, कानपुर के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित इन्सपैक्टरो की रिक्तियों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पत्र संख्या ए-14013/1/80-एडी-VII दिनांक 10-4-1980 के द्वारा अनारक्षित किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या परस्पर परिवर्तन के नियम का पालन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों (जिन्हें अनारक्षित किया गया है) जो अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से विनिमय के लिए देय थी ; पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्राह्य कर्मचारियों को पदोन्नत न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त रिक्तियों के लिए तीन वर्षों तक 'आगे ले जाने' तथा तत्पश्चात परस्पर विनिमय का नियम लागू किया गया है ;

(ङ) यदि नियमों का पालन नहीं किया गया है तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों में विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने के लिए विचाराधीन हैं ; और

(च) इस अनारक्षण के कारण अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवारों को हुए नुकसान को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) कथित पत्र में जो रिक्त स्थान आरक्षण-मुक्त किये गए थे, वे अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित थे, न कि अनुसूचित जाति के लिए ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक रिक्त स्थान, जो विनिमय योग्य हो गया था, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को दिया गया ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) तथा (च) ये प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान में बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण/सहायता

3362. **श्री विरदा राम फुलवाडिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बैंकों द्वारा 1980-81 के दौरान किसानों को ऋण की कितनी राशि तथा कितने प्रतिशत अनुदान दिया गया ; और

(ख) जालौर-सिरोही जिले में दिए गए ऋण की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लगनभाई बरोट) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक किसानों को कोई अनुदान नहीं देते । वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध अन्य सम्बन्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

जून, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में कृषि के लिए दिए गए वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिम 49251 करोड़ रुपए के थे जबकि जालोर तथा सिरोही

जिलों में दिए गए अग्रिम 3.73 करोड़ रुपए के थे। जून 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल ऋणों तथा अग्रिमों की बकाया राशि 23.77 करोड़ रुपए थी। जून, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार पाली, सिरोही तथा जालोर जिलों में कार्यरत मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली के सिरोही तथा जालोर जिलों के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों की बकाया राशि 4.16 करोड़ रुपए बैठती है।

बोकारो इस्पात संयंत्र की परिसरीय ग्रामीण विकास योजना की प्रगति

3363. **श्री रुद्र प्रताप षांडगी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की परिसरीय ग्रामीण विकास योजना की प्रगति रुक गई है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और भावी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने में लगभग 4.28 करोड़ रुपये की कुल लागत से बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित की गई है। इनमें बनसिमली गांव के पास गर्ग नदी के ऊपर पैदल चलने वालों के लिए एक पुल का निर्माण, भिन्न-भिन्न गांवों में 20 हैंड-पम्प और 4 रिग-बोर पम्प लगाना, 5 स्कूलों की इमारतों की मरम्मत, बन गांव में एक प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन का निर्माण और 1930 में सूखे के दिनों में तोपचन्ची झील से गाद निकालना शामिल है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 2226 लोगों को शिक्षित किया गया है और डाक्टरी योजना के अन्तर्गत 1582 रोगियों का इलाज किया गया है।

वर्ष 1981-82 में कुछ और योजनाएं शुरू की जाएंगी जिन पर कुल मिलाकर लगभग 8 लाख रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं में 5 स्कूलों की मरम्मत, तेलमोचू पुल पर यातायात के लिए ट्रैफिक सिगनल की व्यवस्था, सेक्टर-8 के पास गर्ग नदी पर पैदल चलन वालों के लिए पुल का निर्माण, कर्मपाड़ा में सामुदायिक केन्द्र तथा एक स्कूल की इमारत का निर्माण, एक स्कूल की इमारत की मरम्मत और उसका विस्तार तथा किरिबुरु लौह-अयस्क खान के क्षेत्र में चलती-फिरती चिकित्सा-गाड़ी की सुविधा शामिल है।

बिन्नी मार्केट फैक्ट्री की महिलाओं का बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव

3364. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिन्नी मार्केट फैक्ट्री जो कि 4 जून, 1981 से बन्द पड़ी है के कर्मचारियों ने

सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजा है कि वे इस फैक्ट्री को छटनी किए गए कर्मचारियों द्वारा गठित महिलाओं की बहु-उद्देशीय सहकारी समिति के माध्यम से चलाना चाहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक ऐसा मामला है जिस पर कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा निर्णय लेना है ।

मद्रास में कोठारी औद्योगिक ग्रहों पर आयकर छापे

3365. **श्री के० टी० कौशलराम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने अभी कुछ समय पहले मद्रास में कोठारी औद्योगिक गृहों पर कोई छापे मारे थे ; और

(ख) यदि हां, तो वहां से प्राप्त माल का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के छापों के बाद क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) महोदय, आयकर विभाग ने 11 अगस्त, 1981 को मद्रास के कोठारी समूह के मामलों में तलाशियां ली हैं । तलाशियों के दौरान, प्रथमदृष्ट्या 56.40 लाख रु० अनुमानित मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पतियां पकड़ी गई थीं । इस समूह के मामलों में आयकर और अन्य प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं ।

शीघ्र कर-निर्धारण योजना

3366. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयकर अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र कर-निर्धारण योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शीघ्र कर-निर्धारण योजना से काला धन अधिक बढ़ता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । इसके किसी भी दुरुपयोग की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए योजना में विभिन्न अन्तर्निहित रक्षोपायों की व्यवस्था है ।

क्विलोन टाउन के थिरुमुल्लवरम बीच रिसार्ट का विकास

3367. **श्री बी० के० नायर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि एक लोकप्रिय "बीच रिसार्ट के रूप में विकास करने के लिए क्विलोन टाउन के थिरुमुल्लवरम बीच की भारी क्षमता है ;

(ख) क्या एक फर्लांग से अधिक क्षेत्र में चार फुट से कम गहरा पानी होने से यह स्थल कई दशकों से भारतीय और विदेशी स्नान करने वाले व्यक्तियों की भारी भीड़ आकर्षित कर रहा है ; और

(ग) क्या उनका विचार सभी आधुनिक सुविधाओं सहित एक "बीच रिसार्ट" के रूप में इसके विकास के लिए कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) भारत की लम्बी कोस्ट लाइन पर कई समुद्रतट विहार हैं जो पहले से ही स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और अन्य ऐसे भी हैं जो यदि विकसित किए जाएं तो पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता रखते हैं । चूंकि फिजिकल और वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण इन सभी समुद्र तट विहारों को विकसित करना सम्भव नहीं है, इसलिए फिलहाल अधिकाधिक संख्या में पर्यटक यातायात को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख पर्यटक गन्तव्य के रूप में केरल में केवल कोवलम समुद्रतट विहार को ही विकसित किया जा रहा है ।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को रियायतें

3368. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांगों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के दौरान अपंग व्यक्तियों के अभिभावकों को भी मानक कटौती मंजूर करने का है ; और

(ख) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अपंग व्यक्तियों को दी जा रही रियायतें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत, कोई भी निवासी व्यष्टि, जो पूर्णतया नेत्रहीन है अथवा किसी ऐसी स्थाई शारीरिक अपंगता (नेत्रहीनता से भिन्न) से पीड़ित है, जो किसी लाभदायक रोजगार अथवा व्यवसाय में लगने के लिए उसकी कार्यक्षमता को पर्याप्त रूप से कम करती है, अपनी कर लगने योग्य आय की संगणना में कतिपय विशिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, 10,000 रु० की कटौती का हकदार है ।

इसके अतिरिक्त, अपंग व्यक्तियों के सम्बन्ध में कर सम्बन्धी निम्नलिखित रियायतें भी उपलब्ध हैं :

(i) कोई नियोजक, जो पूर्णतः नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को नौकरी देता है, ऐसे व्यक्तियों को अदा किये गये वेतन के 1/1/3 गुना रकम के बराबर की रकम की अधिक कटौती का हकदार है । लेकिन यह अधिक कटौती केवल ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध

में स्वीकार्य है जिनकी आय 'वेतन' शीर्ष के अन्तर्गत संगत पिछले वर्ष के दौरान 20,000 रु० से अधिक नहीं होती है।

(ii) कोई करदाता, जो किसी अपंग आश्रित की चिकित्सा उपचार पर (जिसमें परिचर्या भी शामिल है) व्यय करता है, वह अपनी कुल आय की संगणना में ऐसे व्यय के सम्बन्ध में विनिदिष्ट कटौतियां पाने का हकदार है। किसी ऐसे मामले में, जहां कोई अपग आश्रित पिछले वर्ष के दौरान 182 दिन अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए किसी अस्पताल अथवा किसी परिचर्या-गृह अथवा किसी चिकित्सा संस्थान अथवा अन्य अधिसूचित संस्थान में भर्ती रहा हो, तो उस मामले में करदाता ऐसे व्यय के सम्बन्ध में 4.800 रु० की कटौती पाने का हकदार है। किसी भी अन्य मामले में, मिलने वाली कटौती 1,200 रु० की है।

विशेष धारक बोंडों की काले बाजार में बिक्री

3369. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री मई बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष धारक बांड अध्यादेश और अधिनियम की वैधता परिपुष्ट करते हुए उच्चतम-न्यायलय के निर्णय के बाद विशेष धारक बांड काला बाजार मूल्य पर बेचे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार के पास विशेष धारक बंधपत्रों का काला बाजार मूल्य पर बिक्री के सम्बन्ध मे कोई निश्चित सूचना नहीं है। बंध पत्रों की खरीद और बिक्री बिना नाम बताये की जा सकती है और उन्हें केवल सुपुर्दगी द्वारा खुले-आम हस्तान्तरित किया जा सकता है। इसलिए, सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

खेल-कूद के सामान का आयात

3370. **श्री हरीश कुमार गंगवार** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत निर्मित खेल-कूद के सामान को घटिया मानते हुए एशियाई खेलों के लिए फुटबाल, वालीबाल, बास्केटबाल और इलैक्ट्रानिक उपकरणों को आयात करने का निर्णय किया गया है हालांकि भारत यूरोप और अन्य देशों को बहुत सा खेल-कूद का सामान निर्यात करना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय सरकार ने किस लिए किया था ; और

(ग) हमारी विदेशी मुद्रा और खेल-कूद के सामान के उद्योग पर इस आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) से (ग) एशियाई खेलों के दौरान इस्तेमाल किए जाने के लिए फुटबाल, वालीबाल तथा बास्कटबाल जापान से मुफ्त प्रदान की जा रही हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाली मामूली-सी मात्रा से घरेलू खेल-कूद उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एशियाई खेलों के लिए इलैक्ट्रानिक्स उपस्कर के आयात में भी, कुछ मामलों को छोड़कर भुगतान अन्तर्गस्त नहीं है। अब तक व्यवस्थित किए गए आयातों में लगभग 11 लाख अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा व्यय अन्तर्गस्थ है। आमानों के सम्बन्ध में विनिश्चय करते समय घरेलू उद्योग के दृष्टिकोण का समुचित ध्यान रखा जाता है।

कम किराया लेने का कदाचार

3371. **श्री भीकूराम जैन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री दिनांक 30 अक्तूबर 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अण्डरकटिंग इन एयर फेयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रमुख केरियर एजेन्सियां अपने किरायों में भारी कटौती के कदाचार में लगी हुई है जिससे एयर इन्डिया के कार्य को भारी खतरा उत्पन्न हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/ अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इन्डिया ने एयरलाइन प्रतिनिधियों के बोर्ड की परिषद के सदस्यों, मुख्य आई० ए० टी० ए० अनुपालन अधिकारी तथा नागर विमानन के महानिदेशक के साथ बातचीत पहले ही आरम्भ कर दी हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष

3372. **श्री चित्त महाटा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० बनने से लेकर अब तक नियुक्त किये गये अध्यक्षों के क्या नाम हैं ;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बनने से लेकर अब तक इन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) स्टील अथारिटी

आफ इन्डिया लिमिटेड का गठन 24-1-1973 को हुआ था। तब से लेकर इसमें निम्नलिखित पांच अधिकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं :

1. श्री एम० ए० वदूद खान
2. श्री आर० पी० विलिमोर्या
3. डा० पी० एल० अग्रवाल
4. श्री के० सी० खन्ना
5. श्री एस० समरपुंगवन

(ख) और (ग) सेल के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों की वदली प्रशासनिक कारणों से की गई है।

दिल्ली के गांवों में ग्रामीण बैंकों को खोलना

3373. **श्री सज्जन कुमार :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या सरकार का दिल्ली के गांवों में ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान ऐसे कितने बैंक खोलने का विचार है और इन बैंकों को किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली के ग्रामों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए स्थानों का निर्धारण एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति की सिफारिशों पर इस बारे में समय-समय पर निर्णय किए जाते हैं।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर

3374. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मन्त्री अधिकांश विदेशी शेयर को अपने पास रखने के बारे में हिन्दुस्तान लीवर के अभ्यावेदन पर विचार किए जाने के बारे में 28 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना तीसरी पार्टी को निर्यात करने के लिए यूनी लीवर, यू. के. की एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर द्वारा विनियमन का उल्लंघन करने की कार्यकाही कितने समय से सरकार के विचाराधीन है और उसके क्या कारण हैं।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1981 में सरकार

से विशिष्ट निर्देश मांगे थे। यह मामला सरकार के विचाराधीन पड़ा रहा है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर किसी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से पूर्व अन्तर मंत्रालयिक परामर्श करना आवश्यक होता है और दूसरे इस कम्पनी के द्वारा 51 प्रतिशत अनिवासी शेयरधारिता को बनाए रखने के लिए दिए गए अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जाने वाला निर्णय इस प्रश्न के समाधान के लिए महत्वपूर्ण रूप से निश्चयात्मक आधार सिद्ध होगा कि क्या इस मामले में कम्पनी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया है।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन में आरक्षण

3375. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को स्टाफ क्यार्टरों के आवंटन में आरक्षण है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितने स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए गए हैं और कहां पर ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां। आजकल, किसी वित्त वर्ष के दौरान खाली स्टाफ क्वार्टरों में से 10 प्रतिशत क्वार्टर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित होते हैं।

(ख) 31 मार्च, 1981 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवंटित किए गए स्टाफ क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :

अनुसूचित जाति

	तीसरी श्रेणी	चौथी श्रेणी	तीसरी श्रेणी	चौथी श्रेणी
उत्तरी क्षेत्र :				
दिल्ली	5	20	—	—
चण्डीगढ़	3	—	—	—
अजमेर	1	3	—	—
जोड़ :	9	23	—	—
पूर्वी क्षेत्र :				
कलकत्ता	13	1	—	—

1	2	3	4	5
राउरकेला	6	—	2	—
जमशेदपुर	1	5	1	—
बोकारो	—	1	1	—
चक्रधरपुर	1	—	1	—
सिंदरी	1	1	—	—
आसनसोल	7	1	1	—
दुर्गापुर	4	—	—	—
कूच-बिहार	—	1	—	—
जोड़ :	33	10	5	—
पश्चिमी क्षेत्र :				
अहमदाबाद	1	—	—	—
बम्बई	12	11	—	—
पूणे	5	5	—	—
राजकोट	5	1	3	5
नागपुर	—	3	4	2
सूरत	7	1	1	2
जोड़ :	30	21	8	10
मध्य क्षेत्र :				
आगरा	—	1	—	—
कानपुर	—	2	—	—
देहरादून	—	—	1	—
भिलाई	10	2	—	—
जोड़ :	10	5	1	—

1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र :				
धारवाड़	8	1	—	—
हैदराबाद	1	—	1	—
विशाखापत्तनम	2	—	—	—
मद्रास	1	3	—	—
जोड़ :	12	4	1	—
सभी क्षेत्रों का जोड़ :	94	63	16	10

भोपाल में बैरागढ़ हवाई अड्डे की मरम्मत

3376. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में बैरागढ़ हवाई अड्डे में धावन-पत्र 1230 पर 20 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी जबकि यह स्थान 80 प्रतिशत अवतरण के लिए प्रयुक्त होने योग्य नहीं है और वाणिज्यिक उड़ानों के पायलटों ने उस हवाई पट्टी पर विमान उतरना जोखिमपूर्ण मानते हुए अवतरण से मना कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खर्च की गई इस भारी राशि से गड्डों और अन्य छोटी मरम्मत को छोड़कर धावनपथ 1230 की कोई मरम्मत नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है : यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भोपाल हवाई अड्डे पर दो धावनपथ अर्थात 06/24 तथा 12/30 हैं और वहां बहने वाली वायु की दिशा तथा बाधारहित एप्रोच के कारण धावनपथ 12/30 की व्यवहारोपयोगिता अधिक है। दोनों धावनपथ प्रयोग में हैं तथा धावनपथ की दशा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। धावनपथ 12/30 को मजबूत करने का ठेका अब दिया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के व्यक्तियों द्वारा गरवाला चिट फंड में जमा कराई गई राशि

3377. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरवाल चिट फंट नामक कोई संगठन मद्रास में पंजीकृत है,

(ख) इस संगठन में सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत विहार से कितने व्यक्तियों द्वारा धनराशि जमा कराई गई है और सावधिक जमा की अवधि पूरी होने के बाद कितने व्यक्तियों को पूरी राशि दी गई है ; और

(ग) सावधिक जमा अवधि पूरी होने के बाद यदि कुछ व्यक्तियों को इस संगठन द्वारा पूरी राशि नहीं दी गई है तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) गरुर चिट फंट नाम की किसी कंपनी से संबंधित, कोई सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है। संभवत, माननीय सदस्य के ध्यान में मैसर्स गरुड चिट एण्ड ट्रेडिंग कंपनी (प्रा०) लिमिटेड है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बंबई में है और प्रशासनिक कार्यालय मद्रास में है। रिजर्व बैंक के अनुसार, मैसर्स गरुड़ चिट एंड टेडिंग कंपनी प्रा० लि० ने अपन परंपरागत चिट स्कीमों के अंशदानों के अलावा कोई अन्य जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं। परंपरागत चिट स्कीमों के अभिदाताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है। इन चिटों के कार्यकलापों को विनियमित करने के वास्ते संसद के सामने एक विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

3378. **श्री सूरजभान** :

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितना ऋण दिया गया ;

(ख) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इसके परिणाम क्या हैं ; और

(ग) कम ऋण देने का कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जून 1979, जून 1980 और दिसम्बर 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों ऋणकर्ताओं को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के बारे में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	खातों की संख्या (000')	बकाया राशि (करोड़ रुपये)
जून, 1979	1178	171
जून, 1980	1733	278
दिसंबर, 1980	2071	339

(ख) और (ग) विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित ऋणकर्ताओं और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। बैंकों को सलाह दी गई है कि :

(1) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के प्रवाह को 1985 तक कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ा दें।

(2) 1985 तक कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले सीधे कृषि ऋण के अनुपात को 50 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ा दें।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण के अनुपात को, 1985 तक, लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल अग्रिमों के 12/1/2 प्रतिशत तक बढ़ा दें ;

(4) अनुसूचित जातियों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला ऋण आयोजनाओं में उन पर जोर दें,

(5) गहन ऋण कार्यक्रम के वास्ते गाँवों को अंगीकृत करते समय उन गाँवों का चयन करें जिनमें इन समुदायों के सदस्य काफी मात्रा में हों ; और

(6) इन समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकों की सहायता योग्य योजनाएं तैयार करें।

बैंकों ने अपनी ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रतिभूति तथा मार्जिन आवश्यकताओं को उदार बनाने के लिए भी उपाय किए हैं। इसके अलावा बैंक समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी भाग ले रहे हैं जिसमें इन समुदायों के पात्र लाभप्राप्तकर्ताओं की काफी बड़ी संख्या है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम के पटसन खरीद केन्द्र

3279. **श्री जमीलुर्रहमान**: क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम के कुल कितने पटसन खरीद केन्द्र हैं ; और

(ख) ऐसे केन्द्रों का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) चालू पटसन मौसम में भारतीय पटसन निगम बिहार में 13 सीधे खरीद केन्द्रों तथा 10 उप केन्द्रों को और पश्चिम बंगाल में 56 सीधे खरीद केन्द्रों तथा 42 उप केन्द्रों को चला रहा है।

(ख) 1981-82 के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा चलाए जा रहे राज्यवार सीधे खरीद केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

राज्य का नाम	सीधे खरीद केन्द्र	उप-केन्द्र	सहकारी समितियां
पश्चिम बंगाल	56	42	70
बिहार	13	10	25
असम	17	3	7
उड़ीसा	3	4	21
त्रिपुरा	4	1	122
आन्ध्र प्रदेश	7	2	7
उत्तर प्रदेश	1	—	—
कुल योग	101	62	252

देश की आर्थिक स्थितियों के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचार

3380. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आर्थिक स्थितियों के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचार जानने और देश का आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए उपाय ढूंढने हेतु देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों की बैठक बुलाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी बैठकें बुलाई गई हैं और इन बैठकों में किन प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया ; और

(ग) चर्चा किये गये विषयों का ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्तमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार द्वारा ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा नहीं होते।

व्यापारियों और व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा आयकर का भुगतान किया जाना

3381. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारी और व्यावसायिक व्यक्ति जैसे हलवाई, कानूनी सलाहकार, मेडिकल प्रेक्टीशनर आदि भारी आय कमा रहे हैं और वे सरकार को आयकर और अन्य करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, और

(ख) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि व्यक्ति उचित आयकर अदा करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार को, व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा आयकर और अन्य करों के अपवंचन की जानकारी सामान्यतः होती है। आयकर विभाग सर्वेक्षण के जरिए, नये करनिर्धारितियों का पता लगाने का प्रयत्न करता है, जिनमें व्यापारी और व्यवसायी भी शामिल हैं ; छानबीन के लिए चुने गये मामलों में करनिर्धारण अधिकारियों को उन सभी तथ्यों की जांच करनी होती है, जो कर लगने योग्य आय के निर्धारण से सम्बन्धित होते हैं। यदि कोई ऐसी निश्चित और विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कर की चोरी का पता चलता हो तो आयकर प्राधिकारी उस पर समुचित कार्यवाही करते हैं।

उड़ीशा में लौह-अयस्क खानों का बंद होना

3382. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बारबिल बांसपानी क्षेत्र में लौह-अयस्क की बहुत सी खानें बन्द कर दी गई हैं और 15,000 से अधिक आदिवासी खनिज बेरोजगार हो गये हैं,

(ख) यदि हां, तो कितनी लौह-अयस्क खानें बन्द की गई हैं और उसके क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि उड़ीसा के बारबिल-बांसपानी क्षेत्र में लोह-अयस्क की बहुत सी खानें बन्द कर दी गई है। जनवरी, 1981 से लेकर क्योंझर जिले की थुकुरानी और बेलकुण्डी की लौह-अयस्क की मात्र दो खानों ने, बाजार मे निम्न ग्रेड के अयस्क के लिए स्थिति अनुकूल न होने के कारण लौह-अयस्क का उत्पादन करना बन्द कर दिया है। ऐसा होने पर भी कुल मिलाकर उड़ीसा राज्य की लौह-अयस्क खानों में उत्पादन और रोजगार में कोई विशेष कमी नहीं हुई है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए अपर्याप्त बैंक ऋण

3383. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि अपने राज्यों में ग्रामीण विकास योजना के लिए बैंकों से पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं,

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है, और

(घ) यदि हां, तो इनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) से (घ) सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलनों और क्षेत्रीय संगोष्ठियों (सेमीनरों) में राज्य सरकारों ने समय-समय पर विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करने में पेश आने वाली कठिनाई की ओर बार-बार ध्यान दिलाया है। सरकार ने योजना आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की है जो विभिन्न ऋण संस्थाओं द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को दिए जाने वाले सहयोग की मात्रा की समीक्षा करेगी और सभी सम्बन्धितों द्वारा आवश्यक सुधार के उपायों के बारे में सुझाव देगी ।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए हाल ही में 21 - 11 1981 को भरतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और राज्य के मुख्य सचिवों ने भाग लिया था। इस बैठक में बैंकों और राज्य सरकारों के ध्यान देने योग्य जो मुख्य मुद्दे तय किये गये, वे विवरण में बताये गये हैं।

विवरण

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों के शाखा जाल को बढ़ाना आवश्यक है ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ।

(ख) बैंकों और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रशासकीय और प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाओं को विकसित करना आवश्यक है। जिला परामर्शदात्री समितियां राज्य अभिकरणों और बैंकों के बीच घनिष्ट समन्वय स्थापित करने की स्थिति में होनी चाहिए कार्य निष्पादन की नियमित निगरानी और समीक्षा होनी चाहिए। जिसके लिए एक तर्कसंगत अवधि के भीतर आंकड़े होने चाहिए।

(ग) लाभ प्राप्त-कर्ताओं का निर्धारण और उनके लाभ के लिए अर्थक्षम योजनाओं की तैयारी हाथ में ली जानी चाहिए और इस कार्य में यद्यपि राज्य अभिकरण मुख्य भूमिका अदा करेंगे फिर भी बैंकों को भी मदद करनी चाहिए और विभिन्न स्तरों पर उनसे सम्बद्ध रहना

चाहिए। ऋण के अवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया फैली हुई होनी चाहिए और आवेदनों को समूह बनाकर निपटाने से बचना चाहिए।

(घ) बैंकों की ऋण प्रदान करने की प्रथाओं में एक सीमा तक एकरूपता लायी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए आवेदन फार्मों, दस्तावेजों आदि को एकरुपता दी जानी चाहिए। ऋण के आवेदनों पर शीघ्रता से विचार किया जान चाहिए और इस दिशा में ऋण कर्ताओं को हर तरह की मदद की जानी चाहिए।

(ड) बैंक कर्मचारियों द्वारा जमानत/दृटिबन्धक के बारे में, रिजर्व बैंक द्वारा दी गई हिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और जोर कार्यक्रम की अर्थक्षमता पर न कि ऋण क्षमता पर होना चाहिए। ऋणों को स्वीकृत करने के लिए यदि आवश्यक हो तो ऋण केम्प लगाये जाने चाहिए और बैंक के कर्मचारियों को धन के उपयुक्त और सामयिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये ऋणकर्ताओं से निकट का सम्पर्क रखना चाहिए।

(च) निर्धन से निर्धन बिशेषत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तिओं को सहायता देने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। बिभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिए जाने वाले ऋण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को यथासम्भव अधिक से अधिक व्याप्त किया जाना चाहिए।

(छ) राज्य सरकारो को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऋणो की वसूली का वातावरण दूषित न हो क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि ऋण देने वाली संस्थाओं को उपलब्ध धन आदान प्रदान के चक्र मे रहे। जिन राज्यो मे ऋणों की तेजी में वसूली के विषय मे कानून या तो अपर्याप्त है अथवा अनुपस्थित हैं वहां राज्य सरकारों को उपयुक्त विधान बनाने पर विचार करन की आवश्यकता है।

भारत में बहुराष्ट्रिक कम्पनियां

3384. श्री डी० पी० जादेजा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को भारत में कितनी और कौन सी बहुराष्ट्रिक कम्पनियां कार्य कर रही थीं ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान किन्हीं नई विदेशी कम्पनियों ने भारत में अपना करोबार स्थापित करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) कौन-कौन सी नई कम्पनियों को अनुमति मिल गई है और उनका व्यापार क्या है, और

(ड.) अनुमति देने के लिए अपनाये गये मानदंड क्या हैं।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) : एक विवरण संलग्न है जिसमें ऐसी "फेरा" कम्पनियों के नाम दिए गए हैं जो इस समय देश में कारोबार कर रही हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सख्या एल० टी० 3074/81]

(ख) से (ड.) चालू वर्ष में नई "फेरा" कम्पनी की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी गई है। व्यापार तथा व्यापारिक कारोबार आदि जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाती। विनिर्माणकारी क्षेत्रों में जिनमें देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध न हो या निर्यात प्रधान उत्पादन क्षेत्रों में ऐसी अनुमति दिए जाने की बात पर विचार किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश व हमीरपुर जिले के नदुआं खण्ड में बैंकों का खोला जाना

3385. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीपुर जिले में नदुआं खण्ड के (एक) बारा (दो) भुमपाल (तीन) कंगु (चार) सेरा और (पांच) गेलोर गांवों में राष्ट्रीकृत बैंकों की कोई शाखाएं खोलन की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किस-किस वर्ष में (कौन-कौन सी शाखा) खोले जाने की सिफारिश की गई थीं,

(ग) क्या सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेन्स जारी कर दिये हैं तथा उक्त शाखाएं किस तारीख तक खोल दी जाएंगी, और

(घ) यदि नहीं, तो लाइसेन्सों के किस तारीख तक जारी हो जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क(ने (घ) :- भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश में बैंक खोलने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1980 में उसे 29 केन्द्रों की सूची भेजी थी। इस सूची में हमीरपुर जिले से तीन केन्द्रों अर्थात (1) भ्रमपाल (2) कांगु तथा (3) गेलोर को शामिल किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1.10.1981 को भ्रमपाल तथा गेलोर केन्द्रों को, पंजाब नेशनल बैंक को और कांगु केन्द्र स्टेट बैंक आफ पटियाला को आबंटित किया है। बैंकों को सलाह दी गई है कि इन प्राधिकार पत्रों को शीघ्रता पूर्वक कार्यान्वित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा बारा तथा सेरा केन्द्रों का शाखा खोलने के लिए निर्धारण नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में जीवन बीमा निगम की डिवीजन का खोला जाना

3386. **श्री प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में जीवन बीमा निगम की डिवीजन खोले जाने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) : जी, हां ।

(ख) : जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश में निगम को जो नया जीवन बीमा कारबार प्राप्त हुआ है वह फिलहाल डिवीजिनल कार्यालय की स्थापना के लिए निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड से भी काफी कम है ।

जीवन बीमा निगम ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पालिसीधारियों को सेवा प्रदान करने से संबंधित कार्यों को विकेन्द्रीकृत करके उसे शाखाओं को अन्तरित कर दिया गया है तथा यह कार्यक्रम शीघ्र ही उत्तरी क्षेत्र की शाखाओं में भी लागू कर दिया जायेगा जिसमें हिमाचल प्रदेश की शाखाएं भी शामिल है । शाखाओं के विकेन्द्रीकृत स्वरूप में डिवीजनल कार्यालय का कार्य केवल पर्यवेक्षण का होगा । इस तरह स्वयं शाखाओं के जरिए ही पालिसीधारियों को संतोषजनक सेवा प्रदान करना सभव हो सकेगा ।

जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यटन केन्द्र

3387. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) जम्मू और कश्मीर (दो) हिमाचल प्रदेश राज्यों में किन-किन राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यटन केन्द्रों का पता चला है ;

(ख) क्या उन सभी केन्द्रों पर सरकारी या भारतीय पर्यटन विकास निगम के आवास गृहों की व्यवस्था है ;

(ग) इन दो राज्यों में, जिलेवार कितने कितने पर्यटन केन्द्रों का विकास किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे जिलों में अब तक उपेक्षित रहे स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए और अधिक स्थालों का विकास करन का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से, यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर निम्नलिखित पर्यटक केन्द्र विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं :-

जम्मू और कश्मीर

(1) जम्मू कटरा (वैष्णव देवी) कुद-बटोट-किश्तावर (केवल ट्रैकिंग के लिए) ।

(2) श्री नगर-गंदरबल-कंगन-सोनमर्ग-द्रास कारगिल मुलबेक लमायारु लेह ।

(3) श्री नगर अवंतीपुर अनन्तनाग अच्छाबल कुकुरनाग दकसुम अच्छाबल भारतंड पहलगाम श्रीनगर।

हिमाचल प्रदेश

(1) परवान चैल कुफरी नारकंडा शिमला परवान।

(2) मंडी कुल्ल मनाली मनीकरण कुल्लू मडी।

(3) डलहौजी चम्बा डलहौजी.नरपुर त्रिलोकपुर गोगल धर्मशाला कांगडा ज्वालामुखी कांगड़ा-पालमपुर जोगिन्दर नगर बारोट जोगिन्द्र नगर मंडी बिलासपुर-शिमला/बिलासपुर-नैना-देवी (चंडीगढ़)।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम जम्मू में एक होटल (होटल जम्मू अशोक) और कुल्ल तथा मनाली में एक-एक यात्री गृह का परिचालन कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटक केन्द्रों का विकास जिला वार आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि केन्द्रों की पर्यटकों आकर्षित करने की संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत जुटाई गई सुविधाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां। इन्हें ऊपर पैरा (क) में दिए गए यात्रा परिपथों में दर्शाया गया है। यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए इन केन्द्रों पर पर्यटक आधारित संरचना का विकास किया जाए।

विवरण

दूसरी, तीसरी, तीन वार्षिक योजनाओं, चौथी योजना, पांचवी योजना और 1979-80 1980-81 के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत शुरू की गई पर्यटन स्कीमें दर्शाने वाला विवरण।

जम्मू और कश्मीर

दूसरी पंचवर्षीय योजना

भाग-1

1. जम्मू और कश्मीर में पर्यटक स्कीमें

तीसरी पंचवर्षीय योजन'

1. दूसरी योजना से स्पिल स्कीमें

(इमदाद की बकाया राशि का निपटाप) 17.00 000

वार्षिक योजना 1966-67

1. टनमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क का निर्माण (स्पिल ओवर)	2.00.000

वार्षिक योजना 1967-68

1. टनमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क का निर्माण (स्पिल ओवर)	10.00.000

वार्षिक योजना 1968-69

1. टनमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क का निर्माण (स्पिल ओवर)	8.19.441
स्की प्रशिक्षक संस्थान को शामिल करते हुए गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का परिचालन	1.91.000
	10.10.741

चौथी पंचवर्षीय योजना

1. पटनीटाप में यूथ होस्टल	2.78.332
2. गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का विकास	60.06.552
3. श्रीनगर में शालीमार गार्डन में प्रकाश तथा ध्वनि प्रदर्शन	27.58.000
	90.42.885

भारत पर्यटन विकास निगम

चौथी पंचवर्षीय योजना

लगुमर्ग में होटल (वास्तुकार की फीस (प्रारम्भिक ड्राइंग्स, आदि)	4.58.000
जम्मू में मोटल	39.95.000
	44.52.000

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

पर्यटन विभाग

गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का विकास	25.34.004

2. पटनीटाप में यूथ होस्टल	69.000
	26.03.004

भारत पर्यटन विकास विभाग

जम्मू मोटल	1.87.000

1975-76

पर्यटन विभाग

1. गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का विकास	24.64.000

भारत पर्यटन विकास निगम

1. जम्मू मोटल	16.000

1976-77

पर्यटन विभाग

1. गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का विकास	4.52.886

भारत पर्यटन विकास निगम

जम्मू मोटल	10.000

1977-78

पर्यटन विकास

1. गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का विकास	20.40.000
2. अवन्तिपुर, मार्तण्ड ओर पाण्डरेथन की मास्टर प्लानें	2.80.000
	23.20.000

भारत पर्यटन विकास निगम

1. जम्मू मोटल	1.83.000

हिमाचल प्रदेश

दूसरी पचवर्षीय योजना

पर्यटन विभाग

1. कुफरी में स्की कुटीर	15,000
2. मन्डी स्थित रेस्ट हाउस को शामिल करते हुए रेस्ट हाउसेज का सुधार	33,602

3. कुल्लू और मनाली में पर्यटक ब्यूरो		3,900
4. डलहौजी में पर्यटक ब्यूरो		15,000
×5. कुल्लू में एल आई जी रेस्ज हाउस		1,00,000
×6. मनाली में एल आई जी रेस्ट हाउस		43,250
×7. धर्मशाला में एल आई जी रेस्ट हाउस		37,500
×8. नांगल में एल आई जी रेस्ट हाउस		1'02,500
	जोड़	3,50,755

तीसरी पंचवर्षीय योजना

पर्यटन विभाग

1. कुल्लू में पर्यटक बंगला		3,74,000
2. मनाली में पर्यटक बंगला		6,19,000
×3. मनाली में खच्चरों के लिए कैम्पिंग ग्राउन्ड्स और खच्चरवानों के लिए शैड्स		26,260
×4. कटरैन में कुटीर		40,000
	जोड़	9,59,250

वार्षिक योजना 1966 67

पर्यटन विभाग

1. मनाली में पर्यटक बंगला (क्लास—11)		18,000

वार्षिक योजना 1967-68

1. गोविन्दसागर में कैफेटेरिया का निर्माण		4,00,000

चौथी पंचवर्षीय योजना

पर्यटन विभाग

1. डलहौजी में यूथ होस्टल		3,57'100
2. धर्मशाला में पर्यटक बंगला		2,32,000

× इन स्कीमों पर किया गया व्यय केन्द्रीय पर्यटन विभाग और राज्य सरकार द्वारा बराबर शेयर किया गया था।

3. गोविन्दसागर में कैफेटेरिया	7,25 000
	जोड़ 13,14,100

भारत पर्यटन विकास निगम

1. कुल्लू में यात्री गृह	29,000
2. मनाली में यात्री गृह	66.000
	जोड़ 95,000

पांचवी पंचवर्षीय योजना

1974-78

पर्यटन विभाग

1. धर्मशाला में पर्यटक बंगला	10,88,000
2. गोविन्दसागर झील के लिए मोटर लांचें (2)	21,05,500
	जोड़ 31,93,500

1678-79

पर्यटन विभाग

मनाली में क्लब हाउस का निर्माण	3,00,000

भारत पर्यटन विकास निगम

कुल्लू और मनाली में यात्री गृहों पुनरुद्धार	30,000

1979-80

पर्यटन विभाग	शून्य
भारत पर्यटन विकास निगम	शून्य

1980-81

पर्यटन विभाग

1. मनाली में क्लब हाउस बिल्डिंग	4,50,000
2. वशिष्ट में जल सर्वेक्षण	2,25,000
3. ट्रैकिंग उपस्कर	4,95,000

4. पोंग बांध के लिए नौका (5)	88,560
जोड़	12,58,560
भारत पर्यटन विकास निगम शून्य	शून्य

कुल जोड़ : 79,19,165

1978-79

पर्यटन विभाग	
गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का विकास	77,000
अवन्तिपुर, मार्तण्ड और पण्डरेथन की मास्टर प्लानें	50,300
	1,27,000
भारत पर्यटन विकास निगम	
जम्मू होटल (मांडिफिकेशन्स)	1,43,000

1979-80

पर्यटन विभाग	
गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना का विकास	5,59,000
भारत पर्यटन विकास निगम	
जम्मू होटल	22,000

1980-81

पर्यटन विभाग	
हिम क्रीड़ाओं का विकास	2,05,000 (अनन्तिम)
भारत पर्यटन विकास निगम	
जम्मू होटल	2,00,000 (अनन्तिम)

कुल जोड़ : 3,65,58,516

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का कार्यकरण

3388. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने अपने कार्य के प्रथम दस वर्षों में जिन सौ इकाइयों के लिए सहायता प्रदान की थी उनमें से केवल पाँच इकाइयां ही पुनः काम शुरू कर सकीं ;

(ख) यदि हां, तो इस निराशाजनक कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं और उपरोक्त पांच इकाइयां कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उनके मन्त्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मननभाई बरोट) : (क) जून, 1981 के अन्त तक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०) द्वारा सहायता प्राप्त 11 इकाइयों में से 5 इकाइयों का पुनः स्थापन कर दिया गया है और उन्होंने निगम की कुल देय राशियों को पूरी तरह वापस अदा कर दिया है । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अवधि में आई० आर० सी० आई० से सहायता प्राप्त 19 इकाइयों का राष्ट्रीयकरण भी किया जा चुका है । दो राष्ट्रीयकृत इकाइयों ने भी निगम की देय राशियों को पूरी तरह वापिस कर दिया है ।

(ख) उन 5 सहायता प्राप्त इकाइयों का नाम जिनका पुनः स्थापन किया जा चुका है निम्नलिखित है :

1. गणेश फ्लोर मिल्स क० लि०
2. अमृतसर आयल वर्क्स लि०
3. इन्डो-जैयनीज इन्डस्ट्रीज लि०
4. प्रीति पेपर बोर्ड मिल्स प्रा० लि०
5. सी० एस० आई० केमिकल्स एण्ड पत्रमाष्यूटिकल्स प्रा० लि०

रूग्ण एककों का पुनरूजीवन एक कठिन और समय-साध्य कार्य होता है । आई० आर० सी० आई० के अतिरिक्त इसके लिए बैंकों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, प्रबन्धक वर्ग, श्रमिकों आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों के एक जुट और समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है । फिर यह भी देखने में आया है कि बहुत-सी रूग्ण इकाइयों को, आई० आर० सी० आई० करे उस समय सौंपा जाता है जबकि वे रूग्ण की बहुत अग्रिम अवस्था तक पहुच चुकी होती हैं और साथ ही सामाजिक-आर्थिक विचार भी अन्तर्ग्रस्त होते हैं जिससे पुनरूजीवन अधिक कठिन हो जाता है । आई० आर० सी० आई० से सहायता प्राप्त रूग्ण एककों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें से तेल और अन्य सामग्री के बढ़ते हुए मूल्यों, बिजली की कटौती, श्रमिक संघर्ष, बाजार में घटी हुई साख, अच्छे प्रबंधकों को प्राप्त करने/अपने पास बनाये रखने की कठिनाइयाँ आदि से उत्पन्न समस्याएं शामिल होती हैं और इनके कारण किसी इकाई का पुनरूजीवन और कठिन हो जाता है । इसमें से कई पहलुओं पर इन इकाइयों का स्वयं अपना कोई नियंत्रण नहीं होता ।

(ग) आई० आर० सी० आई० ने अपने कार्यालयों की समीक्षा की है और इस प्रकार अनुभव के साथ वह रूग्ण इकाइयों की पुन: स्थापना के लिए उपयुक्त कार्य तैयार करने का प्रयास कर रहा है । इस कार्य नीति के भाग के रूप में वह सहायता प्राप्त इकाई के संयंत्र के

आधुनिकीकरण और तकनीक को अद्यतन बनाने पर अधिक जोर दे रहा है। इसने पहले से एक औद्योगिक प्रबन्ध समुच्चय (पूल) का निर्माण कर दिया है ताकि सहायता प्राप्त इकाई में कार्यपालकों को नियुक्त किया जा सके। यह निगरानी और मूल्यांकन सबंधों को भी मजबूत बना रहा है ताकि पुनः स्थापना के लिए ऐसी ही रूग्ण इकाइयों को लिया जा सके जिन्हें अर्थ क्षमता की संभावनाओं से युक्त माना गया हो। अक्तूबर, 1981 में सरकार द्वारा रूग्ण इकाइयों के बारे में घोषित नीति के अनुसार आई० आर० सी० आई० समेत सभी वित्तीय संस्थाएं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करेंगी जो कि उनके द्वारा सम्बन्ध इकाई के तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पर आधारित होंगी और साथ ही, वह रूग्णता से बचने के लिए भी सामयिक उपचारात्मक कार्रवाई करेंगी।

वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संशोधित योजना

3389. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी ऐसी संशोधित योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत रेशे के उपयोग के आधार पर वस्त्र उद्योग के वर्गीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके अन्तर्गत किस-किस किस्म के रेशे सम्मिलित किए जाएंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार समय-समय पर वस्त्र उद्योग से प्राप्त सुझावों/अनुरोधों के जवाब में सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद 23 के अन्तर्गत आने वाले रेशों के बारे में लाइसेंसिंग प्रावधानों पर विचार कर रही है।

रुपए का मूल्य और मुद्रा स्फीति

3390. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए का मूल्य घटकर 21.9 पैसे रह गया है और मुद्रास्फीति की दर 13.4 प्रतिशत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मुद्रास्फीति की दर में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए तथा रुपए का मूल्य और न घटने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) रुपए की क्रय शक्ति, जो औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के व्युत्क्रमी (रेसीप्रोकल) के रूप में मापी जाती है, सितम्बर 1981 में 21.9 पैसे थी। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में सितम्बर 1981 के लिए 13.4 प्रतिशत बैठती है।

(ख) सरकार मुद्रास्फीति के नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध

बहुत से मुद्रास्फीति-रोधी उपाय किए गए हैं। इसके फलस्वरूप, मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर में, थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) के रूप में, उल्लेखनीय कमी हुई है।

यात्रियों को कोई भी सामान हाथ में ले जाने की अनुमति न दिया जाना

3391. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा-निदेशक, नागर विमानन भारत के विमानपत्तन प्राधिकरणों और एयर-लाइनों को इस आशय के अनुदेश जारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि विमान पर चढ़ते समय यात्रियों को कोई सामान हाथ में ले जाने की अनुमति न दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों को जारी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे देश के उन यात्रियों को अत्याधिक असुविधा नहीं होगी, जो कम सामान लेकर चलते हैं और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ रखते हैं, विशेष रूप से विदेशी उड़ानों पर, जब यात्रियों को पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज आदि अपने-अपन साथ रखने पड़ते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ। अन्तर्देशीय उड़ानों के बारे में एक ऐसा प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्ताव का उद्देश्य नागर विमानन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध, जिनमें विमानों का अपहरण भी सम्मिलित है, विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए और सशक्त उपायो की व्यवस्था करना है।

(ग) अनुदेशों को लागू करते समय, यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जाएंगे कि यात्रियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम किया जाए। ऊपर दिए गए प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, आंतरिक उड़ानों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्तिम निर्णय लेते समय, यात्रियों को होने वाली समस्त संभावित असुविधाओं पर यथोचित विचार किया जाएगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की शिकायतें

3392. **श्री रेणुपद दास :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; जिसमें उनकी कुछ शिकायतों का उल्लेख है ;

(ख) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों से विभिन्न स्तरों पर कुछ समय पहले कुछ अभ्या-

वेदन प्राप्त हुए थे। उनके द्वारा की गई मुख्य माँगों और उन पर की गई कार्यवाही विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की युनियनों/एसोसिएशनों की मुख्य मांगें

मांग	सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई
1. कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता और प्रबन्ध तथा नीति निर्माण में कर्मचारियों की भागीदारी	श्रम मन्त्रालय द्वारा तैयार की गयी "उद्योग में अनुशासन की संहिता" और "यूनियनों की मान्यता के मानदण्ड" में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की प्रतिनिधि यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान करने के बारे में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।
	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में कर्मकार निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक में इस विषयक सचालन समिति ने भी इस पर विचार किया था और उसका भी मत यही था कि यह सुझाव समय से पूर्व है और इससे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है।
2. क्षत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक जैसे वेतन और अन्य लाभों से युक्त अखिल भारतीय सेवा नियमों का बनाया जाना	आदर्श (स्टाफ) सेवा विनियम को मई, 1980 में जारी किया गया था। देश के अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इन विनियमों को अपना लिया है।
	जहाँ तक एक समान वेतनक्रमों और अन्य लाभ का सवाल है, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में यह शर्त है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अफसरों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक अधिसूचित क्षेत्रों की राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के समतुल्य स्तर और हैसियत के कर्मचारियों

के वेतन ढाँचे को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए ! अतः सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक वेतनमान निर्धारित करने की माँग स्वीकार नहीं की जा सकती ।

जब 1975 में, आरम्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे तो फील्ड आफिसरों, एकाउन्टेंटों और अन्य क्लैरिकल स्टाफ के वेतनमान राज्य सरकार के समतुल्य पदों के बराबर कर दिए गए थे । शाखा प्रबन्धकों के मामले में तदर्थ आधार पर एक-सा वेतनमान स्वीकार किया गया था । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वेतन के ढाँचे को तर्कसंगत बनाने के पूरे प्रश्न संचालन समिति और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ब्यौरे के साथ विचार किया गया । शाखा प्रबन्धकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करते हुए सरकार का आदेश 29 अप्रैल, 1 80 में जारी किया जा चुका है।

3. कर्मचारियों की भरती और स्थायीकरण के बारे में उपयुक्त नीति निर्धारित की जानी चाहिए ।

सेवा विनियमों में परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा में स्थायी किए जाने का उपबन्ध मौजूद है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सलाह दी गयी है कि नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जिन कर्मचारियों ने परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो उन्हें स्थाई कर दिया जाए ।

पदोन्नति की नीति के मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

4. अधिकारियों से ऊपर के पदोन्नति वाले पदों को बनाया जाए ।

अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कारोबार का स्तर अध्यक्ष से निचले स्तर के अधिकारियों के ऊपर स्तरीय पदों के निर्माण को न्यायसंगतता नहीं प्रदान करता । फिर भी

यह महसूस किया गया है कि जहां कारोबार का स्तर 3 करोड़ रुपए को पार कर गया हो और बैंक की 50 से अधिक शाखाएं हैं। वहां अध्यक्ष से नीचे महा-प्रबन्धक का पद बनाया जा सकता है।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रतिनियुक्ति वाले स्टाफ का वापस लिया जाना।

यह आदेश जारी किए जा चुके हैं कि प्रायोजक बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आये स्टाफ की संख्या न्यूनतम रखी जाए।

6. सम्बद्ध इकाई के लाभ/हानि पर विचार किए बगैर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी।

यह आदेश जारी किए जा चुके हैं कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को बोनस अदायगी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बोनस अदा किया जाए। जहां तक लाभ न होने पर बोनस की अदायगी का प्रश्न है, बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 में यह उपबन्ध है कि केवल उस लेखा वर्ष के लिए बोनस देय होगा जिसमें नियोजन ने अपने अस्तित्व के पहले 5 वर्षों में लाभ कमाया था।

7. अंशदायी भविष्य निधि और पारिवारिक पैंशन स्कीम के लाभ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी "कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम" से व्याप्त हैं और भविष्य निधि में अंशदान दे रहे हैं। परिवार पैंशन के लाभ भी इन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

बम्बई में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा निषिद्ध माल सहित मालवाहक जहाज का जब्त किया जाना

3393. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1981 में बम्बई में सीमा-शुल्क अधिकारियों ने निषिद्ध माल सहित किसी ऐसे मालवाहक जहाज को जब्त किया था, जो दक्षिण अफ्रीका से आ रहा था ;

(ख) यदि हां, तो मालवाहक जहाज किस देश का था और जब्त किएगए माल का क्या मूल्य है ; और

(ग) इस संबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां । बम्बई सीमा शुल्क विभाग ने 13.11.1981 को एक मालवाहक जलयान अर्थात एम० वी० अल नीलम पकड़ा था जिसमें 1696 मीटर टन विद्युत अपघटनी ताम्र तार की छड़ें लदी हुई थीं ।

(ख) मालवाहक जलयान पनामा में दर्ज है । पकड़े गये माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का अनुमान लगभग 3 करोड़ रुपये लगाया गया है ।

(ग) 1696 मीटर टन ताम्र तार छड़ों सहित जलयान को पकड़ लिया गया है । जांच पूरी हो जाने पर, जांच के परिणामों के आधार पर संगत कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

जबलपुर में गैर सैनिक हवाई अड्डा

3394. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में गैर-सरकारी हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं । जबलपुर में एक विमान क्षेत्र पहले से मौजूद है । परन्तु इसके आर्डिनेंस डिपो के बहुत नजदीक होने के कारण, एक वैकल्पिक स्थान का निर्धारण कर लिया गया है परन्तु निधियों की कमी के कारण वहां एक नये विमानक्षेत्र का निर्माण करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में आयोजित होने वाला विश्व पर्यटन सम्मेलन

3395. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व सम्मेलन के आयोजन का कोई प्रस्ताव है और उस पर अनुमानतः कितनी धन राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए शिष्टमंडलों को मध्य प्रदेश के खजुराहो, और विशेष रूप से भेराघाट जैसे पिछले पर्यटन स्थलों पर ले जाया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां । भारत के निमन्त्रण पर, विश्व पर्यटन (डब्ल्यू० टी० ओ) । की आगामी आम सभा 1983 में भारत में होगी । व्यय सम्बन्धी ब्यौरे डब्ल्यू टी० ओ से परामर्श करते हुए उपयुक्त समय पर ही तैयार किए जाएगे ।

(ख) ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अवसर पर यह एक आम प्रथा है कि सम्मेलनों से पहले और बाद में महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों को कवर करते हुए टूअर्स की पेशकश की जाती है जिनका डेलीमेंटस द्वारा भुगतान करते हुए अपनी पसन्द के हिसाब से लाभ उठाया जा सकता है ।

स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड के पास जमा स्टाक

3396. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड के पास आज तक कितना स्टाक है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 1 दिसम्बर, 1981 को "सेल" के पास विक्रेय इस्पात का कुल स्टाक 8.66.500 टन था । इसमें तेल कारखानों, आन्तरिक बिक्री स्टाकयार्ड और निर्यात/आयात स्टाकयार्डों के पास पड़ा स्टाक भी शामिल है ।

उड़ीसा में इन्डियन ओवरसीज बैंक कार्यरत शाखाएं

3397. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इन्डियन ओवरसीज बैंक की कितनी शाखाएं काम कर रही हैं ;

(ख) ये शाखाएं किस-किस स्थान पर काम कर रही है ;

(ग) क्या उपरोक्त बैंक का विचार छठी योजना के अवधि के दौरान उड़ीसा में इसकी कुछ और नई शाखाएं खोलने का है,

(घ) यदि हां, तो इन शाखाओं का किस-किस स्थान पर खोले जाने का विचार है ; और

(ड.) उड़ीसा में इन्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना विवरण । में दी गई है ।

(ग) और (घ) नवम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उड़ीसा में कार्यालय खोलने के लिए जिन स्थानों के सम्बन्ध में इन्डियन ओवरसीज बैंक के पास प्राधिकृतियां (आथोराइजेशन्स) बकाया थी उनका ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है । इन प्राधिकृतियों का उपयोग 1981 के अन्त से पहले कर लिये जाने की सम्भावना है छठी पंचवर्षीय आयोजना की शेष अवधि को व्याप्त करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ड.) उड़ीसा के किसी भी जिले में इन्डियन ओवरसीज बैंक को लीड दायित्व नहीं सौंपा गया है । अलबत्ता राज्य के जिलों में कार्यरत इस बैंक की शाखाएं कृषि,लघु उद्योगों और

सेवा क्षेत्रों के अधीन उत्पादन योजनाओं के वास्ते बैंक ऋण के विस्तार को बढ़ाने के लिए लीड बैंक योजना के अधीन बनाई गई जिला ऋण आयोजनों के क्रियान्वयन में सक्रियता से भाग ले रही हैं। दो जिलों को व्याप्त करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी इस बैंक ने प्रायोजित किया है।

विवरण

उड़ीसा के उन केन्द्रों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जहां इन्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यालय कार्यरत हैं।

	जिला	केन्द्र	केन्द्रों का वर्गीकरण
1.	बालसोर	1. भद्रक	अर्ध-शहरी
		2. गुजी दरडा	ग्रामीण
		3. नलंग	,,
2.	बोलनगीर	1. तिहिलागढ़	अर्ध शहरी
3.	कटक	1. कटक धानमंडल	अर्ध शहरी
		2. धानमंडल	ग्रामीण
4.	धेनकनाल	1. कोसाला	,,
		2. जरापडा	,,
		3. अंगुल	अर्ध शहरी
5.	गंजाम	1. बरहामपुर	शहरी
		2. बिस्मागिरि	ग्रामीण
		3. कुकुडे हांडी	,,
		4. बेगुनी अपाडा	,,
		5. नरेंद्रपुर	,,
		6. नुआपाड़ा	,,
		7. गोलंथरा	,,
		8. डेंगापाडर	,,
		9. मुजागड़ा	,,
6.	कालांडी	1. भवानीपटना	अर्ध शहरी
		2. लंजीगढ़	ग्रामीण

1	2	3	4
		3. बेहेरा	ग्रामीण
7.		1. रायगड़ा	अर्ध शहरी
		2. जैपोर	ग "
		3. थेरुबाली	ग्रामीण
		4. जेकेपुर	"
		5. विसाम कटक	"
		6. बोइपरागुडा	"
		7. पदमपुर	"
		8. रामगुडा	"
		9. लक्ष्मीपुर	"
		10. हाटमुनिगुडा	"
8.	पुरी	1. भुवनेश्वर	शहरी
		2. जगनाथपुर	ग्रामीण
		3. मछेश्वर	"
		4. दुंगमाल	"
9	संबलपुर	1. संबलपुर	अर्ध शहरी
10.	सुन्दरगढ़	1. राउरकेला	शहरी
		2. राउरकेला स्टील आडन-शिप	"

विवरण-1

उड़ीसा में उन केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण जहां इन्डियन ओवरसीज बैंक के द्वारा कार्यालय खोले जाने के लिए (नवम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक) प्राधिकार थे ।

जिला		केन्द्र	केन्द्र का वर्गीकरण
1	बालासोर	1. कुरूद	ग्रामीण
2.	कटक	1. रसोल	"
3.	धेनकनाल	1. गुडासिला	अर्ध शहरी

1	2	3	4
4.	गंजाम	1. जाहडा	ग्रामीण
5.	कालाहांडी	1. मुखीगुडा	"
6.	कोरापुट	1. डांगोलोडि	"
7.	पुरी	2. पुजारीपुट	"
		1. भुवनेश्वर ओ० एस० ई० बी०	शहरी
8.	सुन्द्रगढ़	1. कुंडूकेला	"
		2. माझापोड़ा	"

गुजरात में आयकर सम्बन्धी छापे

3398. **श्री मोहन लाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान गुजरात राज्य में विभिन्न स्थानों पर आयकर सम्बन्धी अनेक छापे मारे गये हैं ; जिनमें बिना हिसाब-किताब के रुपये आभूषण, दस्तावेज और बेनामी खाते पकड़े गए हैं और जब्त किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों का ब्योरा क्या है और उन स्थानों पर कब-कब छापे मारे गए थे ;

(ग) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(घ) काले धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) महोदय, आयकर विभाग ने, पिछले छः महीनों अर्थात् 1 जून, 1981 से 30 नवम्बर, 1981 तक के दौरान, गुजरात राज्य में 290 तलाशियां ली हैं। इन तलाशियों के दौरान, प्रथम दृष्टया, लगभग 1.15 रुपये मूल्य की लेखावाह्य पारिसम्पत्तियां पायी गयीं तथा पकड़ी गई थीं, जिनमें नकदी, जवाहिरात, सोना-चांदी, तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध-आरोपणीय लेखा-बहियां तथा दस्तावेज भी पकड़े गये थे जिनसे कर-अपवंचन का पता चलता है।

तलाशियों के मामलों की संख्या बहुत अधिक होने से, प्रत्येक तलाशी की बाबत विस्तृत जानकारी देना व्यवहार्य नहीं होगा। लेकिन, माननीय सदस्य, यदि किसी तलाशी विशेष की बाबत जानकारी हासिल करना चाहते हों, तो वह जानकारी उन्हें उपलब्ध की जा सकती है।

इन मामलों में प्रत्यक्ष-कर कानूनों के अधीन यथापेक्षित समुचित कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने अपने कर-अपवंचन-निरोधक तंत्र को मजबूत बनाया है और वह आर्थिक कानूनों के विभिन्न उपबन्धों का कारगर ढंग से सहारा लेती रही है।

महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा आवास लाइसेंसों का दुरुपयोग

3399. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया गया है, जैसा कि दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के "इकोनोमिक्स टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को अप्रैल, 1980 से अब तक दुरुपयोग के 145 मामलों की रिपोर्ट भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बृन्दावन-गार्डन का सौन्दर्यकरण

3400. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में वृन्दावन गार्डन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों को सजाने संवारने के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने बृन्दावन गार्डन में फौवारों की पुनः प्रकाश-सज्जा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान 20 लाख रुपए की राशि की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे धनराशि के स्रोतों और उन मदों के उल्लेख सहित जिन पर केन्द्रीय सहायता मांगी गई है, विस्तृत प्रस्ताव भिजवाएं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की आदिवासी विकास परियोजनायें

3401. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने किन-किन राज्यों में अपनी आदिवासी विकास परियोजनायें शुरू की हैं ;

(ख) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया ने इस प्रकार की कोई आदिवासी विकास परियोजना उड़ीसा में शुरू की है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या छटी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उपरोक्त बैंक का उड़ीसा के आदिवासी जिलों में कुछ आदिवासी विकास परियोजनायें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) जनजाति विकास में मदद देने के लिए गुजरात तथा उड़ीसा राज्यों में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया द्वारा इन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, विभेदी ब्याजदर योजना के अधीन इसके माध्यम से देने के लिए बैंक ने एक करोड़ रुपये की सीमा तक के ऋण स्वीकृत किये थे। सरकार द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बकाया कार्य को पूरा करने के लिए, बैंक ने इस योजना को कार्यान्वित करने के वास्ते 10 लाख रुपये की अन्तरिम सुविधा की अनुमति दे दी है।

राज्यों में लीड बैंकों का कार्यकरण

3402. **श्री मनमोसन टुडु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में लीड बैंक काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसे कोई लीड बैंक काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उस राज्य में ये लीड-बैंक कब से काम कर रहे हैं ; और

(घ) उनका कार्यनिष्पादन संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के महानगरीय/शहरी क्षेत्रों में सभी जिलों के लिए लीड बैंकों को नामित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) लीड बैंक स्कीम 1970 के आरम्भ से प्रचलित है। उड़ीसा के 13 जिलों के वास्ते जिन 4 बैंकों को यह लीड भूमिका सौंपी गई वे निम्नलिखित हैं :

भारतीय स्टेट बैंक

(6 जिले)

1. बोलंगीर
2. बौध-खोंडमाल्स
3. कालाहांडी
4. कोरापुट

	5. सुन्दरगढ़
	6. सम्बलपुर
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	7. लालासोर
(4 जिले)	8. कटक
	9. धेनकनाल
	10. पुरी
बैंक आफ इंडिया	11. क्योंझर
(2 जिले)	12. मयूरभंज
आंध्र बैंक	13. गंजाम
(1 जिला)	

(घ) जिन बैंकों को इन जिलों के वास्ते लीड बैंक के रूप में नामित किया गया था उन्होंने इन जिलों के शाखाजाल के विस्तार में मदद देने, ऋण-अंतरालों वाले विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण करने तथा इन जिलों एवं राज्य सरकार के प्राधिकारों में कार्यरत अन्य वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्यान्वयन के लिए जिला ऋण आयोजनाओं को तैयार करने के वास्ते भी, इन जिलों का सर्वेक्षण करना आरम्भ कर दिया है। ऐसे समन्वय को, सुनिश्चित करने के लिए लीड बैंक स्कीम में जिला परामर्शदात्री समितियों के गठन की व्यवस्था है जिनकी अध्यक्षता जिला समाहर्ताओं (कलक्टरों) द्वारा की जाएगी तथा जिनमें वित्तीय संस्थाओं और विकास एजेंसियों के प्रतिनिधि सदस्यों के रुप में शामिल किये जायेंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत व्याप्त होने वाले सभी जिलों में ऐसी परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं और जिला ऋण आयोजनाओं के कार्यालय का कार्य जारी है।

कच्चा पटसन खरीद पुनरीक्षण समिति द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम

3403. **श्री एच० एम० नन्जे गौड** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा मिलों को खरीद पर निगरानी रखने के लिए गठित कच्चा पटसन खरीद पुनरीक्षण समिति ने मिलों के लिए दिसम्बर, 1981 तक का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को पटसन मिलों ने स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन मिलों ने को कोई सहायता प्रदान करने का विचार है और क्या मिलें अधिक पटसन खरीदने के लिए राजी हो गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) 20.9.81 को वाणिज्य मत्री की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के चैम्बर में हुई बैठक में लिए गए नर्णय के अनुसरण में पश्चिम बंगाल स्थित पटसन मिलों और भारतीय पटसन निगम तथा सहकारी समितियों द्वारा कच्चे पटसन की खरीद की नियमित आधार पर समीक्षा करने के लिए पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में और खाई जे० एम० आई०, भारतीय पटसन निगम तथा भारतीय स्टेट बैंक तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों सहित एक मानिटरिंग समिति की गठित की गई थी। पहली बैठक में पश्चिम बंगाल स्थित पटसन मिलों द्वारा की जाने वाली खरीद का सुझाव लक्ष्य अक्तूबर के लिए छः लाख गांठों और नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 के लिए नौ-नौ लाख गांठें इस शर्त पर निर्धारित किया गया था कि इसमें संबन्धित बातों के आधार पर बाद में वृद्धि की जा सकेगी। यह कार्यक्रम बैठक में उपस्थित आई० जे० एम० ए० के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया गया था। इस उद्देश्य से कि वे बड़ी मात्रा खरीद कर सकें सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. आवश्यक वस्त्र अधिनियम के अधीन डी० जी० एस० एण्ड डी० की मार्फत बन-डाईम ब्रिजिंग आपरेशन के रूप में बी ट्रिवल बोरों की एक लाख गांठों की अधिप्राप्ति करना।

2. 1.9.81 से पटसन माल के निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य दर नकद मुआ जा सहायता।

3. सीमेंट उद्योग पुराने पटसन बोरों के पैकेजिंग प्रयोजनों के लिए प्रयोग को घटाकर 10 प्रतिशत करना।

4. 14 हफ्ते तक की खपत और नवम्बर, 1981 से जनवरी 1982 के चरम मौसम के दौरान दो हफ्ते की अतिरिक्त खपत के लिए कच्चे पटसन की खरीद के लिए पटसन उद्योग की ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करता।

5. नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 के महीनों के दौरान कच्चे पटसन की खरीद के लिए मार्जिन को घटाकर 10 प्रतिशत तथा जनवरी, 1982 में की जाने जाने वाली कच्चे पटसन की खरीद के लिए 15 प्रतिशत करना।

मानिटरिंग समिति की अब तक हुई अनेक बैठकों में जो विचार प्रकट हुआ वह यह है कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग पटसन मिलों द्वारा खरीद कार्य किए जाने के लिए, पटसन आयुक्त के स्तर पर किए गए आग्रहपूर्वक प्रयासो के उन मिलो से वांछित परिणाम प्राप्त नही हुए जो वास्तव में पटसन माल बाजार में लगातार मंत्री और अत्यधिक माल जमा हो जाने के कारण नकदी संकट का सामना कर रहे हैं।

होटलों हेतु वित्त देने हेतु यूरोपीयन मुद्रा में ऋण

3404. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के भीतर होटलों का निर्माण करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु शीघ्र ही यूरोपीय मुद्रा बाजार में जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो होटल उद्योग को वित्त जुटाये जाने हेतु यूरोपीय मुद्रा बाजार से भारत को कितना धन मिल सकेगा ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान तथा अगले वर्ष एशियाई खेलों के लिए जो नवम्बर, दिसम्बर, 1982 के दौरान होंगे कितने होटलों का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) क्या भारत सरकार ने बैंकों विशेषकर समुद्रीपार कार्य कर रहे बैंकों को आदेश दिए हैं कि होटलों का निर्माण करने के लिए तेजी से धन उपलब्ध करायें, जिससे कि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ; और

(ड.) किस हद तक यह धन प्राप्त कर लिया गया है और क्या होटल उद्योग को विश्वास है कि वह ऐशियाई खेलों के शुरू होने के पूर्व इस मांग को पूरी तरह से पूरा कर सकेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) परियोजना के आकार तथा परियोजना के वित्तपोषण के सबसे उपयुक्त तरीके को ध्यान में रखते हुए, यूरोपीय मुद्रा बाजार सहित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों इन्टरनेशनल फाइनेंसियल मार्केट) से ऋण लेने के। प्रस्तावों पर सरकार विचार करती है। ऐसे निर्णय चयनात्मक आधार पर किये जाते रहेंगे यह नीति होटल परियोजनाओं पर भी लागू होती है।

(ख) 1982 के एशियाई खेलों के संदर्भ में स्थापित की जाने वाली दो होटल परियोजनाओं के मामले में, अब तक, 14.05 करोड़ रुपये की कुल राशि के बराबर यूरो-डालर के ऋण प्राप्त करने के आवेदनों को अनुमति दी गई है।

(ग) एशियाई खेलों के सम्बन्ध में राजधानी में चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के दौरान एक होटल के विस्तार सहित 10 होटलों की स्थापना की जाती है :

(घ) सरकार ने एशियाड होटल परियोजनों के प्रवर्तकों को विदेशी मुद्रा ऋणों की स्वयं व्यवस्था करने की सुविधा की अनुमति दी है। अलबत्ता, वे अपने स्तर पर इक्विटी अनुपात के आधार पर निर्धारित परियोजना लागत की एक तिहाई राशि के बराबर ऐसे ऋण प्राप्त करने में सहायता के लिए किसी भी बैंक से, अनुरोध कर सकते हैं। सरकार ने बैंकों को ऐसे आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के अनुदेश दिये हैं।

(ड.) : "एशियाड" होटल परियोजनाओं के लिए ऋणों के विदेशी मुद्रा घटक में से अब तक कुल 14.05 करोड़ रुपये की राशि की अनुमति दी गई है। प्रवर्तकों को एशियाई खेलों से पहले, 1896 अतिरिक्त कमरे तैयार हो जाने की आशा है, जो कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार उक्त खेलों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे।

भारत में विदेशी बैंकों की आश्वासन

3405. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत में विदेशी बैंकों को एक कोरा आश्वासन दिया है कि सरकार न केवल उनके कार्यकरण को रखने में मदद करेगी अपितु इसके विस्तार में भी उनकी मदद करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आश्वासन के बाद अनेक विदेशी बैंकों ने केन्द्रीय मन्त्रालय के पास प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) उन विदेशी बैंकों के नाम क्या है जिन्होंने मन्त्री के समक्ष कुछ योजनायें रखी हैं। और सरकार द्वारा उनकी कब तक मदद किये जाने की सम्भावना है तथा यह मदद भारत के लिए कहां तक लाभकारी होंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) से (ग) विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में इस सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन बैंकों की शाखाओं के खोलने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुणावगुण के आधार पर हमेशा यह ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि पारस्परिकता के सिद्धान्त का पालन हो। क्योंकि काफी संख्या में हमारे बैंकों की शाखाएं भी विदेशों में हैं, उन्हें विदेशों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वैसी ही सुविधायें विदेशी बैंकों को भारत में भी उपलब्ध करायी जाती हैं। विदेशी बैंकों को कोई आश्वासन नहीं दिये गये हैं और शाखाएं खोलने के अनुरोध के अलावा विदेशी बैंकों ने कोई और प्रस्ताव नहीं किये हैं।

निर्यात हेतु राज्यों से हथकरघा उत्पादन की मदों का लिया जाना

3406. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से निर्यात हेतु हथकरघा उत्पादों की विभिन्न मदों की राज्य-वार कितनी यात्रा किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : 1980-81 वर्ष में हथकरघा माल के निर्यात 330 करोड़ रुपये से अधिक के हुए। चालू वर्ष के दौरान इस राशि को बढ़ाकर 377 करोड़ रु० करने का लक्ष्य है। चूंकि निर्यात व्यापार अधिकांशतया गैर-सरकारी क्षेत्र में होना है अतः खास तौर पर निर्यात के लिए हथकरघा माल की कोई सरकारी खरीद नहीं की जाती। निर्यातित हथकरघा माल के राज्यवार उद्गम के सम्बन्ध में ब्यौरे नहीं रखे जाते।

हवाई अड्डों के लिए अत्याधुनिक हवाई मार्ग रडार

3407. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों के प्रभावी कार्यकरण हेतु उनके मन्त्रालय को कुल कितने अत्याधुनिक हवाई मार्ग रडारों की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक हवाई मार्ग रडारों का विकास किया है, जिसके लिये सरकार द्वारा आदेश तो दे दिया गया है किन्तु सरकार ने उन्हें उठाया नहीं है :

(ग) यदि हां, तो इन रडारों को न उडाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन रडारों को उठाने के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) नागर विमानन विभाग को अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर पहले से विद्यमानन चार हवाई मार्ग निगरानी राडरों के अतिरिक्त 5 और राडारों की आवश्यकता है जिससे कि मुख्य हवाई मार्गों की विशेषत: हवाई यातायात सेवा मार्गों के महत्वपूर्ण क्रासिंग प्वायंटों की आवश्वकता पूर्ति के लिए पर्याप्त राडारों की व्यवस्था की जा सके ।

(ख), से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने नागर विमानन विभाग/भारतीय वायु सेना द्वारा प्रयोग के लिए एक हवाई मार्ग निगरानी राडार का विकास किया है । हवाई मार्ग निगरानी राडार के विकास उपयोक्ता मूल्यांकन सम्बन्धी परीक्षण अभी अक्तूबर, 1981 में ही पूरा हुआ है हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से उक्त उपकरणों सम्बन्धी पक्की कोटेशन नागर विमानन विभाग को जून, 1981 में प्राप्त हुई थी जिसमें प्रत्येक हवाई मार्ग निगरानी राडार की अनुमानित कुल लागत 800 लाख रुपए बताई गयी है ।

यद्यपि नागर विमानन विभाग की हवाई मार्ग निगरानी राडारों की अतिरिक्त आवश्यकता पांच राडारों की है, वित्तीय संसाधनों पर कठोर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण एक हवाई मार्ग निगरानी राडार प्राप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में केवल 400 लाख रुपए का ही प्रावधान किया जा सका । हवाई मार्ग निगरानी राडार के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, जैसा कि अब हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स ने उद्धत किया है, यह आवश्यक होगा कि एक हवाई मार्ग निगरानी राडार प्राप्त करने के लिए भी, यदि इसका सप्लाई आदेश हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को दिया जाता है, सरकार की संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जाए ।

चेकोस्लोवाकिया द्वारा कुद्रेमुख कन्सेंट्रेटों की खरीद

3408. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या चेकोस्लोवाकिया ने कुद्रेमुख कन्सेन्ट्रेट खरीदने में रुचि दिखाई है ;

(ख) : क्या इस देश में कोई आदेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) : जी, हां । चैकोस्लोवाकिया ने परीक्षण के तौर पर कुद्रेमुख सांद्रण (कन्सेन्ट्रेट) खरीदते में रुचि दिखाई है ।

(ख) अभी तक कोई पक्का आर्डर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पारादीप इस्पात संयंत्र

3409. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिये ब्रिटिश फ़र्म द्वारा ठेका लेने में सहायता देने हेतु भारत को ब्रिटिश सरकार की विकास सहायता के प्रोत्साहन पर विवाद उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में जूट की खरीद का न किया जाना

3410. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम से पश्चिम बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों में पटसन की खरीद रोक दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल में अथवा पटसन उगाने वाले किसी अन्य राज्य में कीमत समर्थन सम्बन्धी कार्य बन्द नहीं किया है। तथापि, चूंकि अगैती बुआई किए जाने वाले क्षेत्रों में छोटे तथा सीमान्त उपज़कर्ताओं के पास उन कच्चे पटसन का शायद ही कोई स्टाक हो इसलिए ऐसे क्षेत्रों में कीमत समर्थन जारी रखने से अधिकांशतः दलालों तथा विचौलियों को लाभ पहुंचेगा। भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हिदा-

यतें दी हैं कि वे 21-11-1981 से केवल ग्रेड-5 तथा उससे ऊपर के ग्रेडों के लिए कीमत समर्थन कार्य के अन्तर्गत विभागीय खरीद के केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों पर उपजकर्ताओं से की जाने वाली खरीदारी को सीमित कर दें। तथापि, त्रिपुरा में येस्टा की, जो कि पछेती बुआई की जाने वाली फसल हैं, कीमत समर्थन खरीदारी की जा रही है।

पालम हवाई अड्डे के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में प्रवेश हेतु परिमिट प्राप्त लोग

3411. **श्री रघुन्दन लाल भाटिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री हवाई अड्डे पर प्रवेश के लिए परमिट जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 18 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4914 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पार्टियों की नवीनतम स्थिति क्या है, जिन्हें पालम हवाई अड्डे के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए परमिट जारी किये गए हैं ;

(ख) ऐसी गैर सरकारी सरकरी पार्टी कौन सी हैं जिनके पास सीमा शुल्क दीर्घा (कस्टम लॉज) तक प्रवेश करने के पृष्ठांकायुक्त परमिट हैं और उनके क्रियाकलापों पर क्या निगरानी रखी जाती है ;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक घरानों के सम्पर्क अधिकारी तथा अन्य कार्यकारी अधिकारी इन दीर्घाओं (लॉजों) में प्रवेश पाने में तथा अपने अतिथियों को विदा करने तथा स्वागत करने में सफल हो जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन गैर सरकारी लोगों द्वारा अपने निजी के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ सम्पर्क का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विमान क्षेत्रों में प्रवेश को नियंत्रित व व्यवस्थित करने के लिए पालम विमान क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त ने निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा की ओर से, विभिन्न संगठनों के विमान क्षेत्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये, अब फोटो पहचान कार्ड जारी कर दिये हैं। ऐसा सम्बन्धित विभाग अथवा एजेंसी की सिफारिश पर किया जाता है। पालम विमान क्षेत्र पर प्रवेश के लिए किसी भी प्राइवेट पार्टी को कोई फोटो पहचान कार्ड जारी नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमा शुल्क लौंज में अपने संगठन के प्रमुखों को छोड़ने तथा लेने आने के लिए प्रवेश के लिए औद्योगिक घराने के किसी भी सम्पर्क अधिकारी/अधिशासी अधिकारी (एग्जीक्यूटिव) को फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन बोर्ड

3413. **श्री रघुनन्दन भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरी बार यह निर्णय लिया है कि पटसन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर कार्यवाही स्थगित कर दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) पटसन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सरकार को अभी विनिश्चय करना है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हड़ताल के कारण उत्पादन पर प्रभाव

3414. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा अज्ञाय इस्पात संयंत्र के ठेकेदारी मजदूरों द्वारा तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० (एच० एस० पी० एल०) की बोकारो यूनिट के कर्मचारियों द्वारा हाल में हड़ताल किए जाने के फलस्वरुप उत्पादन की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में ठेकेदारों के श्रमिकों द्वारा 19.10.81 से 14.11.81 तक हड़ताल करने के कारण कारखाने के उत्पादन में हुई हानि का अनुमान इस प्रकार है :—

इस्पात पिण्ड	—	17346 टन
विक्रेय इस्पात	—	18162 टन

मिश्र-इस्पात संयन्त्र में ठेकेदारों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल के कारण उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन हड़ताल के कारण कच्ची सामग्री न पहुंचने की वजह से बढ़िया ग्रेड की वस्तुओं जैसे स्पेड इन्गट, वेद्रान इस्पात तथा बढ़िया मिश्र-इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। दुर्गापुर इस्पात कारखाने से कोक ओवन गैस प्राप्त न होने के कारण मिश्र इस्पात संयन्त्र में स्पेड इन्गट, फोर्जिंग्स, हीट ट्रीटेवल छड़ों, इन्डस्ट्रियल क्वालिटी की वेदाग इस्पात की प्लेटों के उत्पादन पर भी प्रभाव।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने मिश्र इस्पात कारखाने में एक संयुक्त सलाहकार मंच है जिसमें सीट, इन्टक और एटक से सम्बद्ध सभी तीन प्रमुख श्रमिक संघ मालिक-मजदूर सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विनियम में भाग लेते हैं। इन मचों में सभी विवादों पर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचार किया जाता है और इन बैठकों में आपसी सहमति तथा तीनों श्रमिक

संघों के साथ संयुक्त रूप से करार किये जाते हैं। साथ-साथ विवादों पर उस श्रमिक संघ के साथ भी विचार विनियम किया जाता है जिसने ये विवाद उठा हों। यदि स्थिति को देखते हुए राज्य की श्रमिक मशीनरी के हस्तक्षेप की आवश्यकता समझी जाए तो ऐसा भी किया जाता है।

विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा

3415. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 के दौरान भारत का कुल निर्यात कितना था और वर्ष 1981-82 के लिए क्या लक्ष्य हैं तथा इन वर्षों के दौरान कितना व्यापार में घाटा हुआ ;

(ख) पिछले पाच वर्षों के दौरान कुल विश्व निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा था ;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-तेल निर्यातक विकासशील देशों के कुल निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है ; और

(घ) सिले-सिलाये वस्त्र, इन्जीनियरिंग माल, वर्ग तथा चर्म-उत्पाद, रसायन, तम्बाकू उत्पाद, कांच तथा कांच का सामान, यात्रा सामग्री जैसी वस्तुओं के गैर- आपेक विकासशील देशों के निर्यात में भारत का हिस्सा उन वर्षों में कितना है जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1977-78 से 1980-81 के दौरान भारत के कुल निर्यात और व्यापार घाटे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	कुल निर्यात (एफ० ओ० बी०)	व्यापार घाटा
1977-78	5404.26	621.03
1978-79	5726.26	1088.04
1979-80 (संशोधित)	6458.76	2562.99
1880-81 (अनन्तिम)	6706.69	5727..9

वर्ष 1981-82 के लिए निर्यात लक्ष्य अस्थायी तौर पर 8400.00 करोड़ रु० तय किया गया था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सितम्बर, 1981 में जारी किये गए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, 1976 से 1980 के दौरान विश्व के कुल निर्यातों में भारत का भाग निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	विश्व के कुल निर्यातों में भारत का भाग (प्रतिशत)
1976	0.61
1977	0.62
1978	0.56
1979	0.52
1980	0.44

(ग) तथा (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सितम्बर, 1981 में जारी किए गए आकड़ों के अनुसार, 1976 से 1980 के दौरान गैर-तेल निर्यातक विकासशील देशों के कुल निर्यातों में भारत का भाग निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	गैर-तेल निर्यातक विकासशील देशों के कुल निर्यातों में भारत का भाग (प्रतिशत)
1676	4.12
1977	4.06
1978	3.75
1979	3.39
1980	2.79

विशिष्ट वस्तु/उत्पाद समूह के सम्बन्ध में विकासशील देशों (गैर-ओपेक) के निर्यातों में भारत के भाग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण को सौंपा जाना

3416. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण को पहले ही सौंपा जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब सौंपा गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के रूप में घोषित किए गए विमान क्षेत्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के प्रबन्ध के अन्तर्गत आते हैं । त्रिवेन्द्रम को कद्रास तथा बम्बई के साथ, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र हैं इन्डियन एयर लाइन्स की सेवाओं से पर्याप्त रूप से जोड़ा हुआ है । इसे दृष्टि में रखते हुए, त्रिवेन्द्रम को एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र घोषित करने का तथा उसे भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में 3-स्टार होटलों का निर्माण

3417. **श्री केयूर भूषण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास के सहयोग से मध्य प्रदेश में '3-स्टार' होटलों के निर्माण की योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ में "3-स्टार" होटलों के लिए कुछ स्थानों का चयन करने के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी हां । मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एम० पी० एस० टी० डी० सी०) के सहयोग से धारक पर्यटन विकास निगम भोपाल में एक 60 कमरों वाले होटल के निर्माण पर विचार कर रही है । भारत पर्यटन विकास निगम और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की लगभग बराबर साझेदारी के आधार पर एक नई कम्पनी द्वारा होटल का निर्माण किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश में संयुक्त सेक्टर के अन्तर्गत होटल परियोजनाओं के निर्माण के लिए किन्हीं अन्य केन्द्रों का चुनाव नहीं किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थानों का प्रचार

3418. **श्री केयूर भूषण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य रुचि की जानकारी दर्शाने वाले पोस्टर तथा पुस्तिकायें (फोल्डर) प्रकाशित की है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये प्रकाशन अपर्याप्त हैं ;

(ग) मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों का विदेशों में पर्यटन प्रचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश पर एक रंगीन फिल्म फिल्माने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन विभाग ने अपने सतत प्रचार प्रकाशन कार्यक्रम के अंग के रुप में निम्नलिखित फोल्डर, ब्रोशर और पोस्टर, जिनमें मध्य प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सूचना दी गई है···प्रकाशित किए है :

(1) खजुराहो फोल्डर

(2) भोपाल-सांची-मांडु फोल्डर

(3) इन्दौर डायरेक्टरी

(4) जबलपुर डायरेक्टरी

(5) खजुराहो पोस्टर

(6) सांची पोस्टर

(7) खजुराहो डायरेक्टरी

उपर्युक्त के अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश पर 16-पृष्ठ का एक ब्रोशर प्रकाशित करने का कार्यक्रम है ।

(ख) जी, नहीं ।

ग) विज्ञापनों सेमिनारों और कार्यशालाओं पर्यटक प्रचार साहित्य के वितरण, फिल्म प्रदर्शनों, श्रव्य-दृश्य प्रदर्शनों आदि के माध्यम से भारत सरकार पर्यटक कार्यालय द्वारा विदेशों में मध्य प्रदेश के पर्यटक आकर्षणों को समुचित रूप से प्रचारित किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य-वार आधार पर फिल्में नहीं बनाता।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

रायपुर हवाई अड्डे के विश्राम गृह में सुविधायें

3419. श्री केयर भूषण : पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए रायपुर हवाई अड्डे का महत्व बढ़ गया है ;

(ख) क्या सच है कि रायपुर हवाई अड्डे के विश्राम गृह में यात्रियों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस हवाई अड्डे के विकास हेतु कोई व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) रायपुर विमान क्षेत्र का हाल ही में कुछ महत्व बढ़ गया है और इण्डियन एयरलाइन्स एच० एस० 748 विमानों से यहां के लिए सप्ताह में चार सेवाओं का परिचालन कर रही है। रायपुर विमान क्षेत्र पर ऐसा कोई विश्राम गृह नहीं है। पुराने तकनीकी ब्लाक में एक वी० आई० पी० कक्ष मौजूद है। रायपुर के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं आरम्भ किए जाने के पश्चात, एक छोटे टर्मीनल भवन का निर्माण किया गया है।

(ग) और (घ) 9.05 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक नये कंट्रोल टावर व तकनीकी ब्लाक का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। 7.09 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से पहुंच मार्ग तथा कार पार्किंग व सुरक्षा कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान तथा बैरक टाइप के आवास के निर्माण का भी प्रस्ताव है। 0.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक "डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर" की व्यवस्था कराने का भी प्रस्ताव है।

लोहे तथा इस्पात की उच्च लागत का लघु उद्योगों पर प्रभाव

3420. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योग विशेशकर उड़ीसा राज्य के लघु उद्योग लोहे और इस्पात की उच्च लागत का भार वहन करने की स्थिति में नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण आयातित इस्पात को बड़े तथा मध्यम लघु उद्योगों को

आवंटित करने का प्रस्ताव है तथा सम्पूर्ण देशी संसाधनों को राज्य लघु उद्योग निगम को दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में तैयार किया गया इस्पात सारे देश में समान मूल्य पर बेचा जाता है, बफर प्रोग्राम के अन्तर्गत आयातित इस्पात की सप्लाई या देशीय सप्लाई से की जाती है या बफर प्रोग्राम के अन्तर्गत आयात किए गए इस्पात से। सेल द्वारा "बैक टू बैक व्यवस्था के अन्तर्गत आयात किया गया इस्पात उन उपभोक्ताओं को दिया जाता है जो इसके लिए मांग पत्र भेजते हैं। इसके अलावा आयात नीति के अन्तर्गत भी आयात किया जाता है। इस प्रकार का आयात उपभोक्ता सीधे करते हैं।

धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा में खनिजों की खरीद

3421. **श्री के० प्रधानी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा में खनिज की खरीद हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा विभिन्न प्राइवेट कम्पनियों तथा राज्य सरकार की खानों से लौह अयस्क, ढलावा लोहा, मैंगनीज, बाक्साइट तथा अन्य खनिजों की खरीदी गई मात्रा सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार उड़ीसा में खनिजों की खरीद हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम उड़ीसा से लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोम अयस्क की अभिप्राप्ति करता है। 1979-80 और 1980-81 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा से लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की खरीद के लिए यात्रा सम्बन्धी कोई लक्ष्य तय नहीं किए गए थे। इन दो वर्षों के दौरान क्रोम अयस्क के लिए खरीदारी के अनुमान क्रमशः 2.37 लाख तथा 1.57 लाख में टन थे

(ख) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उड़ीसा राज्य से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए निम्नलिखित यात्राओं में लौह अयस्क, क्रोम अयस्क तथा मैंगनीज की खरीद की गई।

मात्रा लाख में टन में

मद	वर्ष	खरीदी गई मात्रा		
		राज्य सरकार की खानों से	गैर सरकारी खानों के मालिकों से	योग
लौह अयस्क	1979-80	8.18	16.73	24.91
	1980-81	6.65	17.24	23.89

1	2	3	4	5
क्रोय अयस्क	1979-80	1.14	1.03	2.17
	1980-81	0.34	1.11	1.45
मैंगनीज अयस्क	1979-80	1.68	1.46	3.14
	1980-81	1.69	1.51	3.20

(ग) चूंकि कोई लक्ष्य तय नहीं किये जाते उनका अनुसरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निवेश बोर्ड का अनुमति के लिए लम्बित पड़ी पोरियोजनाएं

3422. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं में माल पोत कोयला परियोजनाओं के लिए मुख्य योजना तथा पेट्रोलियम रसायन उर्वरक मंत्रालय की परियोजनायें भी शामिल हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सबाई सिंह सिसोदिया) (क) 5 12.1981 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा विचार किये जाने के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सचिवालय में माल वाहक जहाज या कोयला परियोजना ने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है। पैट्रोलियम विभाग की दो परियोजनाओं जिनमें से एक परियोजना नवम्बर में और दूसरी दिसम्बर, 1981 में प्राप्त हुई) और रसायन तथा उर्वरक विभाग की एक परियोजना (जो दिसम्बर 1981 में प्राप्त हुई) पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अभी विचार किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में काफी के पौधे लगाया जाना

3423. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में काफी के पौधे लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) उनके मन्त्रालय ने उड़ीसा में काफी के पौधे लगाने के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 में कितनी धनराशि की व्यवस्था की है ; और

(ग) काफी के पौधे बड़े पैमाने पर लगाने के लिए उड़ीसा सरकार तथा काफी बोर्ड ने किन-किन जिलों को चुना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बेरोजगार वाणिज्यिक पायलटों को भारतीय पर्यटन विकास निगम में रोजगार

3424. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में बेरोजगार वाणिज्यिक पायलटों को भारतीय पर्यटन विकास निगम में रोजगार दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो

(1) भारतीय पर्यटन विकास निगम में कितने पायलटों को रोजगार दिया गया है :

(2) उनके पदनाम और वेतनमान क्या हैं ; और

(ग) नागर विमानन में विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हें नागर विमानन में उड्डयन नौकरी न देने के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) और (ख) बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से, उन्हें भारत पर्यटन विकास निगम सहित इस मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों में उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने पर विचार करने का प्रस्ताव है । अभी इस समय यह बताना संभव नहीं होगा कि इनमें से कितने बेरोजगार वाणिज्यिक बिमान चालकों को भारत पर्यटन विकास निगम में खपा लिया जायेगा और ये पद किस प्रकार के होंगे ।

(ग) बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों को इंडियन एयरलाइन्स नागर विमानन विभाग में रोजगार दिया जाएगा बशर्ते कि वे इसके लिए उपयुक्त हों तथा भर्ती नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों ।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में नियुक्त पायलट

3425. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कितने पायलटों को वर्षवार नौकरी दी गई है ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स को अधिक पायलटों की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों में अपेक्षित पायलटों की संख्या कितनी है ; और

(घ) वायुसेना में कितने पायलट एयर इण्डिया में कार्यरत हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	नियुक्त किए गए विमान चालकों की संख्या	
	इण्डियन एयरलाइन्स	एयर इण्डिया
1977-78	15	18
1978-79	25	15
1979-80	34	12
1980-81	24	कुछ नहीं
1981-82 (अद्यतन)	15	कुछ नहीं

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइन्स में विमान चालकों की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। परन्तु (सेवा निवृत्ति आदि) स्वाभाविक अपचय प्रक्रिया के कारण होने वाली कमी को गुंजाइश रखते हुए इण्डियन एयर लाइन्स प्रति वर्ष 12 से 15 नये विमान चालक भर्ती कर सकती है।

(घ) आज तक, एयर इंडिया के वेतन रजिस्टर में वायु सेवा के 157 विमान चालक है अर्थात ऐसे विमान चालक जो भारतीय वायु सेना से भर्ती किए गए है।

बैंकों में समयोपरि भत्ता तथा स्टाफ

3426. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में स्टाफ की कमी के कारण बैंक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो अगले वित्त वर्ष में कितने कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे ; और

(ग) आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति भर्ती किए जाने हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) बैंकों में समयोपरि (ओवर टाइम) भत्ते की अदायगी, सामान्यतः काम के अचानक और अत्याधिक बढ़ने विशेषतः लेखों के अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समापन के समय, स्टाफ की अस्थाई कमी के कारण काम की निकासी के बन्द होने अथवा किसी आन्दोलन आदि की वजह से बड़े पैमाने पर कार्यालय से अनुपस्थिति जैसे कुछ पहलुओं के कारण, की जाती है।

(ख) और (ग) अगले वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, बैंकों की विद्यमान शाखाओं के कारबार में वृद्धि तथा नई शाखाओं आदि के खुल जाने की वजह से बैंकों की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर होगी। इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अगले वर्ष के दौरान भर्ती दिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा, क्योंकि रिक्तियों की वास्तविक संख्या का प्रतिशत होता है, अतः यह अगले वर्ष भरी जाने वाली वास्तविक रिक्तियों की संख्या पर निर्भर होगा।

पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधी नीति

3427. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्धी नीति क्या है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान के साथ भारतीय मुद्रा में वर्षवार कितनी धनराशि का व्यापार किया गया ;

(ग) पाकिस्तान को कौन-सी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्राइवेट पार्टियों को पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की हमारी नीति के समानुरूप हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापार सरकार की विद्यमान निर्यात-आयात नीतियों तथा निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार हो रहा है।

(ख) तथा (ग) पिछले दो वर्षों के लिए पाकिस्तान के साथ व्यापार की मात्रा से संबंधित जानकारी और साथ ही पाकिस्तान को निर्यात किए जा रहे उत्पादों से सम्बन्धित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जहां तक भारत की गैर-सरकारी पार्टियों का सम्बन्ध है, सरकार ने उन्हें पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए वही सुविधाएं तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराये हैं जो उन्हें अन्य देशों के साथ व्यापार करने में उपलब्ध हैं। तथापि, पाकिस्तान सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अपने अभिकरणों को ही भारत से आयात करने की अनुमति दी है, और इसलिए पाकिस्तान को हमारे निर्यात उन तक सीमित हैं जो वे अभिकरण हमसे आयात करना चाहते हैं।

विवरण

अप्रैल-अगस्त/सितम्बर. 1980 के दौरान पाकिस्तान के साथ व्यापार के आंकड़े (अद्यतन उपलब्ध) दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य भारतीय लाख रु० में)

प्रमुख मदें	मात्रा की इकाई	1980-81 मात्रा	मूल्य
पाकिस्तान			
क-निर्यात (अप्रैल-सितम्बर, 1980)			
पत्थर रेत कंकरी	मे० टन	495	3
बीड़ी लपेटने की पत्तियां	000 किग्रा.	537	20
ब्लीचिंग पाउडर	000 किग्रा.	699	7
पूर्णतः या मुख्यतः वस्त्रों की तैयार वस्तुएं	—	—	7
मशीनें तथा परिवहन उपस्कर	—	—	10
अन्य मदें	—	—	3
कुल निर्यात	—	—	50
ख-आयात (अप्रैल-अगस्त, 1980			
अपरीष्कृत वनस्पति सामग्री	—	—	1
शीट तथा प्लेट, कोल्ड रोल्ड तथा अन्य ग्रेड का लोहा तथा इस्पात	मे० टन	190	6
अन्य मदें			2305*
कुल आयात			2312

1979-80 के दौरान पाकिस्तान के साथ व्यापार के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य भारतीय लाख रु० में)

प्रमुख मदें	मात्रा की इकाई	1979-80 मात्रा	मूल्य
क-निर्यात			
चीनी	000 मे. टन	20	5,31

*इसमें पेट्रोलियम उत्पादों के आंकड़े शामिल हैं।

1	2	3	4
कार्क तथा लकड़ी	—	—	85
बीड़ी लपेटने की पत्तियां	000 किग्रा.	462	21
इस्पात के साथ प्रबलित सीमेंट पाइप	मे० टन	1,300	13
लोहा तथा इस्पात	000 मे. टन	5	1,15
धातु से बनी वस्तुएं	—	—	54
मशीनें तथा परिवहन उपस्कर	—	—	13
अन्य	—	—	18
कुल निर्यात	—	—	8,50
ख-आयात			
अपरिष्कृत वनस्पति सामग्री	—	—	1
मसाले	किग्रा०	853	1
अन्य अखबारी काम	000 किग्रा.	1,122	38
छपी हुई सामग्री	—	—	2
विशेष सौदे	—	—	3
अन्य*	—	—	24,24*
कुल आयात	—	—	24,69

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से राज्यों द्वारा कार्य लेना

3428. **डा० सरदीश राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने नियंत्रक तथा महालेखाकार से जी० ए० डी०/पी० एफ०/पेंशन/बराडशीट/पेंशन अंशदान आदि का कार्य तथा लेखापरीक्षा कार्यालयों का स्टाफ ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

*इसमें पैट्रोलियम उत्पादों के आंकड़े शामिल हैं ।

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लेखा परीक्षा कार्यालयों में कर्मचारी फालतू हो गए हैं ; और

(घ) इन फालतू कर्मचारियों को रोजगार देने सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सबाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार को छोड़कर जिसने 2 लेखा अधिकारियों, 5 अनुभाग अधिकारियों और 27 लेखा परीक्षकों को पेंशन कार्य के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्ति पर लिया है, जिन राज्य सरकारों ने, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से जी० ए० डी०/भविष्य निधि/पेंशन/ग्राड-शीट/पेंशन अंशदानों आदि का कार्य सम्भाला है, लेखा-परीक्षक कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को नहीं लिया।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और क्या सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अशोक, अकबर, जनपथ, लोधी और रणजीत होटल, नई दिल्ली में व्यय तथा रियायतों का ब्यौरा

3429. **श्री के० ए० राजन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक, अकबर, जनपथ लोधी और रणजीत होटल, नई दिल्ली में 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में मनोरंजन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने यह धनराशि खर्च की है;

(ख) अशोक होटल में वित्तीय वर्ष 1980-81 में कमरे के किराये और/या अन्य खाद्य तथा पेय वस्तुओं में कुल कितनी धनराशि की छूट और, या रियायत दी गई तथा उन ग्राहकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह छूट, रियायत दी गई ;

(ग) अशोक, अकबर, जनपथ, लोधी और रणजीत होटलों में वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान नवीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई और प्रत्येक होटल में किए गए नवीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अशोक होटल में रेस्टोरेंट की संख्या कितनी है और तथा वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान प्रत्येक रेस्टोरेंट के लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है जो कि ऊपरी खर्च सहित दिए गए भोजन पर खर्च धनराशि और उससे प्राप्त धनराशि पर आधारित हो ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्रशुल्क और कर्मचारियों के वेतनमान

3430. **श्री के० ए० राजन** : क्या पर्यटन और विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक, अकबर, जनपथ, लोधी और रणजीत, होटलों में विभिन्न किस्म के कमरों की शुरू में संख्या कितनी थी और इस समय संख्या कितनी है तथा कमरों के समय-समय पर लिए जाने वाले प्रशुल्क का ब्योरा क्या है ;

(ख) अशोक, अकबर, जनपथ, लोधी और रणजीत होटलों में प्रत्येक में शुरू में कर्मचारियों की संख्या, अधिकारियों सहित, कितनी थी और इस समय यह संख्या कितनी है तथा समय-समय पर उनके श्रेणी-वार वेतनमान का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों में कुछ अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा तथा इसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात का आयात

3431. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में आयातित इस्पात की कोटि तथा मूल्य क्या है और यह किस एजेन्सी के माध्यम से आयात किया गया ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे यह आयात किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कार्बन इस्पात और मिश्र इस्पात की श्रेणियों का इस्पात आयात किया जाता है । आयात करने वाले अभिकरण हैं — सेल और खनिज तथा धातु व्यापार निगम, वास्तविक उपयोक्ता और पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत लाभानुभोगी । वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 के दौरान इस्पात का कुल आयात और 1980-81 में सेल द्वारा किया गया इस्पात का आयात नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1977-78	4,28,502	175.12
1978-79	10,50,374	354.01
1979-80	23,46,494	698.59
1980-81	10,04,906	358.22

(ख) अलग-अगल वर्षों में अलग-अलग देशों से आयात किया गया है। आयात मुख्यत: जापान, पश्चिम जर्मनी, यू० के०, फ्रांस, बेल्जियम, रूस, रूमानिया, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, पोलैंड, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, हालैंड, इटली, उत्तरी कोरिया, नार्वे, दक्षिणी कोरिया, स्वीडन, स्पेन, ताइवान आदि देशों से किया गया है।

राज्य की राजधानियों में होटल

3432. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की अतिरिक्त आवास की मांग पूरी करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों की राजधानियों में होटल बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किस एजेंसी के माध्यम से इन होटलों का निर्माण कराए जाने की सम्भावना है ;

(ग) उन राजधानियों के नाम क्या हैं जिनमें ये होटल पहले ही मौजूद हैं ;

(घ) उन राजधानियों के नाम क्या हैं जिनमें ये होटल बनाए जाने की सम्भावना है ; और

(ङ.) उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ङ.) संसाधनों पर प्रतिबन्ध के कारण भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में सभी राज्यों की राजधानियों में होटलों के निर्माण को शामिल नहीं किया गया है। तथापि, छठी योजना अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों में होटलों के निर्माण की परिकल्पना की है :

राज्य	राजधानी	प्लान आउटले (लाख रुपयों में)
असम	गोहाटी	75.00
हरियाणा और पंजाब	चंडीगढ़	120.00
मध्य प्रदेश	भोपाल	60.00
राज्य	**राजधानी**	**प्लान आउटले (लाख रुपयों में)**
तमिलनाडु	मद्रास	100.00

1	2	3
महाराष्ट्र	बम्बई	400.00
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	100.00
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	
गुजरात	अहमदाबाद	

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के निम्नलिखित केन्द्रों पर छोटे होटलों के निर्माण को केन्द्रीय पर्यटन विभाग की छठी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है जिनका कार्यान्वयन/प्रबंध संचालन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एजेंसी आधार पर किया जाएगा :

राज्य	राजधानी/अन्य केन्द्र
अरुणाचल प्रदेश	एटानगर/बोमडिला
मणिपुर	इम्फाल
त्रिपुरा	अगरतला
मिजोरम	एजल/कोलासिव
नागालैंड	कोहिमा

तथापि इन स्कीमों को राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से शुरू किया जाएगा, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

इसके अलावा, भारतीय होटल निगम, जो एयर इंडिया की एक सहायक संस्था है, पांच स्टार श्रेणी इन दो के होटलों का निर्माण कर रहा है—जम्मू और कश्मीर के अन्तर्गत श्रीनगर में 20.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 28 कमरों वाला एक होटल और महाराष्ट्र के अन्तर्गत बम्बई में 22.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 355 कमरों वाला एक होटल।

(ग) इस समय भारत पर्यटन विकास निगम निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों में होटलों का परिचालन कर रहा है :

बिहार	पटना
कर्नाटक	बंगलौर
उड़ीसा	भुवनेश्वर
राजस्थान	जयपुर
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
गुजरात	अहमदाबाद (प्रबंध आधार पर)
मेघालय	शिलांग —वही—

ग्रामीण बैंकों के ब्रांच मैनेजरों को महगाई भत्ते का लाभ

3433. **श्री अजीत कुमार शाहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंकों के ब्रांच मैनेजर 1975 से 1980 के बीच हुई मूल्य सूचकांक में वृद्धि के परिणाम स्वरूप देत मंहगाई भत्ते से हकदार नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार इस विष में विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) से (घ) क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों में, शाखा प्रवन्धक के पद के लिए रु० 700-40-900-50-1250 का समेकित वेतनमान नियत किया गया था। वेतन ढांचे में पहली मई, 1980 से किए गये संशोधन होने तक पदधारी इस समेकित वेतन पर कार्य करते रहे। शाखा प्रबंधक के पद को, राज्य सरकारों के खंड बिकास अधिकारी के बराबर कर दिया गया और इन अधिकारियों को मिलने वाला मंहगाई भत्ता ऐसे शाखाधिकारियों को देय हो गया है। इस वथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1975 से 1980 की अवधि के दौरान, शाखा प्रबन्धक के पद के वास्ते एक समेकित वेतनमान नियत किया गया था, पूर्वप्रभावी रूप से, मंहगाई भत्ते की भी व्यवस्था करने का कोई आधार नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभ की विकास की दर

3434. **आचार्य भगवान देव** :

श्री अशोक गहलोत : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभ की विकास दर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पिछले वर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई वरोट) (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के पिछले पांच वर्षों के लाभों के प्रकाशित आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

लाख रुपये

बैंक समूह	1976	1977	1978	1979	1981
1. सरकारी क्षेत्र के बैंक	3613	3647	3857	4465	5192
		(0.94)	(5.76)	(15.76)	(16.28)

1	2	3	4	5	6
11. 6 नए राष्ट्रीयकृत बैंक	238	218 (-8.40)	247 (13.30)	344 (39.27)	403 (17.15)
जोड़ 28 सरकारी क्षेत्र के बैंक	3851	3865 (0.36)	4104 (6.18)	4809 (17.18)	5595 (16.34)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

जबकि, समग्र रूप से, 1981 में सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने लाभों में, पिछले वर्ष की तुलना में, 786 लाख रुपये की वृद्धि को बनाये रख सकें, लाभों की विकास दर में 1979 के 17.18% के मुकाबले 1980 में 16.34% की कमी हुई। यद्यपि वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे अपने परिचालनों पर लाभ कमायें तथापि उन्हें उन सरकारी नीतियों की सफलता पर अधिक जोर देना होता है जिनका उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना होता है। फिर भी, अपने ऋण कार्यक्रमों में अपनाई जाने वाली नीतियों की सीमा में रहते हुए उन्हें समय-समय पर अपनी उत्पादकता, कार्य निष्पादन, और कार्यक्षमता को सुधारने तथा उपव्ययों को कम करने की सलाह दी होती है।

राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

3435. **आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कोई वित्तीय सहायता या ऋण देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदी हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) और (ख) ताप विद्युत परियोजनाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) से वित्तीय सहायता की पात्र है। आई० डी० बी० आई० ने सूचित किया है कि राजस्थान से ताप विद्युत परियोजना के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय पटसन निगम को कार्य निष्पादन

3456. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पट-

सन निगम ने पश्चिम बंगाल में चालू गहाई मौसम में पंजीकृत पटसन उत्पादकों से पटसन की घोषित मात्रा क्यों नहीं खरीदी और अनोपयोगिता सिद्ध की ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : 1981-82 के दौरान पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद की जाने वाली 12.75 लाख गांठों के लक्ष्य में से निगम ने 30.11.81 तक 9.18 लाख गांठों अर्थात् लगभग 70 प्रतिशत मात्रा की खरीद की थी जबकि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 4.01 लाख गांठों की खरीद की गई थी। यदि राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल की पंचायत एजेन्सियों द्वारा उपज र्ताओं को पटसन कार्ड वितरित करने में देरी न की जाती तो भारतीय पटसन निगम ने और अधिक खरीद की होती। तथापि खरीद जारी है और भारतीय पटसन निगम को विश्वास है कि वह पश्चिम बंगाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

पाहवा मेंसन हाउस, नई दिल्ली द्वारा आयकर अपवंचन

3437. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री रोतलाल वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1/11 बी पाहवा मेंसन हाउस आसाफली रोड, नई दिल्ली में स्थित कुछ व्यापारिक घराने किसी तीसरी पार्टी को जारी लाइसेंस पर विदेशों रसायनों के आयात का व्यापार कर रहे हैं और इस प्रकार वे दो नम्बर का व्यापार करके आयकर आदि का अपवंचन करते हैं और पिछले महीने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उनके बही खाते जब्त किये है;

(ख) यदि हां, तो इन व्यापारिक घरानो का ब्योरा, उनके कार्य करने का तरीका तथा कर अपवंचन की धनराशि क्या हैं और वे कब से कर अपवंचन कर रहे हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्योरा है ; और

(घ) यदि नहीं' तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ख) आयकर प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि फर्म मेसर्स अमर जनरल इण्डस्ट्रीज ए-1, रहमान मार्केट सदर बाजार, दिल्ली जिसका कार्यालय 1/11-बी, पाहवा मेन्शन हाउस आसफअली रोड, नई दिल्ली में स्थित है कि 1-4-81 से 14-10-81 तक की अवधि की चालू रोकड़-बहीं को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आपराधिक विश्वास भंग के संबन्ध में की गयी कुछ शिकायतो के सिलसिले में अपने कब्जे मे ले लिया था न कि कर-अपवंचन के सम्बन्ध में आयकर प्राधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से अनुरोध किया है कि उन्होंने जिस रोकड़ बही को अपने कब्जे में लिया है उसे वे विस्तृत जांच के लिए आयकर विभाग को उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी रिपोर्ट दी है कि उक्त फर्म रबड तथा रबड रसायनों की खरीद तथा बिक्री कर व्यापार करती

है और यह कि उसके रिकार्डों से पता चलता है कि उसने पिछले 8 वर्षों के दौरान न तो विदेश से रसायन आयात किये हैं और न ही इसे कोई आयात लाइसेंस ही जारी किया गया था।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की व्यवस्था

3438. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में बैंकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार देश में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा जाल में 35707 शाखाएं शामिल थीं जिसमें से 1750 शाखाएं ग्रामीण केन्द्रों और 8426 शाखाएं अर्ध-शहरी केन्द्रों में थीं। इसी तारीख की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में बैंक शाखाओं की कुल संख्या 2792 थी जिसमें से 1389 ग्रामीण केन्द्रों में और 616 अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थीं।

"ए० पी० टू इंस्टाल टी० वी० फार साइक्लोन वार्निंग शीर्षक समाचार

3439. **श्री हरिनाथ मिश्र** :

श्री के० लकप्पा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर,1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ए० पी० टू इस्टाल टी० वी० फार साइक्लोन वार्निंग" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी,प्रायः तूफान ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार की योजना शुरू की जायेगी; और

(घ) यदि हां तो कैसे और कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) "इनसैट" संकट चेतावनी प्रणाली" संकट चेतावनी संदेश भेजने के लिए इस समय टेलीग्राफी तथा आकाशवाणी द्वारा ऐसे मौसमीय संदेश भेजने की वर्तमान प्रणालीकी तुलना में अधिक कारगार प्रणाली सिद्ध होवेगी।

प्रस्तावित स्कीम के अन्तर्गत ऐसे स्थानों पर जहां अधिक चक्रवाती तूफान आते हैं, विशेष प्रकार के रिसीवर स्थापित किए जाएंगे जहां चेतावनियां प्राप्त की जा सकेंगी। प्रथम चरण में, "इनसैट" संकट चेतावनी प्रणाली को मद्रास में केन्द्रीय स्टेशन से प्रयोगात्मक आधार पर परिचालित किया जाएगा और इसका प्रयोग उत्तरी तटीय तमिलनाडु तथा दक्षिण तटीय आन्ध्र प्रदेश को चक्रवाती तूफानों की चेतावनी देने के लिए किया जाएगा। इस प्रणाली के परिचालनात्मक

तथा तकनीकी ब्यौरों का फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रणाली के स्थापन तथा परिचालन का कार्य 1983 से चरणों में आरम्भ होने की सम्भावना है। इस प्रयोजन के लिए 80 लाख रुपए के व्यय का अनुमोदन किया जा चुका है। प्रस्तावित संकट चेतावनी रिसीवर राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के ऐसे अधिकारियों के संरक्षण मे रहेंगी जो सामान्यतः चेतावनी प्राप्त होने पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(ग) और (घ) जी हां। इस प्रणाली का भारत के पूर्वी तथा पश्चिम समुद्रतट के ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी जहां चक्रवात अधिक आते हैं, विस्तार करने के प्रस्ताव पर उक्त चरणबद्ध प्रयोगों के परिणामों के आधार पर विचार किया जाएगा।

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की संख्या

3440. **श्री आर० पी० राकेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) आरक्षण का श्रेणीवार अनुपात क्या है ;

(घ) अब तक कोटा पूरा न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या अनुदेशों का अनुपालन न करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) और (ख) 31 मार्च 1981 को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की (श्रेणी वार) कुल संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है ;

क्रम सं०	श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी
1	पहली श्रेणी	4,47	28	7
2	दूसरी श्रेणी	6,383	30	12
3	तीसरी श्रेणी	36,775	1,632	240
4	चौथी श्रेणी	7,790	1,391	208

(ग) से (ङ.) केन्द्रीय सरकार के सामान्य अनुदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवारों के लिए 7/1/2 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं।

गैर-राष्ट्रीयकृत कम्पनियों में कोई आरक्षण की प्रणाली नहीं थी और राष्ट्रीयकरण के समय भूतपूर्व कम्पनियों के कर्मचारी जीवन बीमा निगम को अन्तरित कर दिए गए थे। इसके बाद 1971 में सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सामान्य राष्ट्रीय नीति का अनुपालन करने के लिए जीवन बीमा निगम के नाम अनुदेश जारी कर दिये थे। तब से सरकार के अनुदेशों का अनुपालन कर रहा है और निगम ने आयु,अर्हताओं आदि के मामले में रियायतें भी दी है ताकि एक अपेक्षित पदों को ऐसे उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सके ।

इस्पात

"आफ डयूविप्स मेरिट" शीर्षक समाचार

3441. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर'1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" की सम्पादकीय टिप्पणी में "आफ डयूविप्स मेरिट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पारादीप में स्थापित किये जाने वाले 15 लाख टन के इस्पात संयंत्र का ब्रिटिश सरकार का "टर्न की" प्रस्ताव स्वीकार करने का निणय किया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि :—

(एक) 2.8 बिलियन डालर के पारादीप संयन्त्र की अनुमानित परियोजना लागत प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयन्त्र के लिये मेकान द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत से केवल 10 करोड़ डालर कम है ;

(दो) क्या प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयन्त्र 30 लाख टन के लिये हैं जबकि पारादीप में स्थापित किये जाने वाला संयन्त्र 15 लाख टन के लिये है ;

(तीन) किसी भारतीय इंजीनियरी फर्म को यह कार्य सौंपने के बजाय ब्रिटिश "टर्न की" प्रस्ताव स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पारादीप इस्पात कारखाने की स्थापना का कार्य आद्योपान्त आधार पर ब्रिटेन के मेसर्स डेवी येकी को सौंपने का निर्णय लिया है बशर्ते कि करार की सभी शर्तें सन्तोष जनक ढंग से तय हो जाएं ।

(ग) (1) से (3) पारादीप इस्पात परियोजना के लागत अनुमान पक्के हैं जबकि विजय नगर इस्पात कारखाने के लागत अनुमान मात्र संकेतात्मक हैं और निश्चित अनुमान तैयार करने होंगे। अत: पारादीप इस्पात कारखाने के लागत अनुमानों की विजयनगर इस्पात कारखाने के लागत अनुमानों की विजयनगर इस्पात कारखाने के लागत अनुमानो से तुलना करना संभव नहीं

हैं। संसाधनों की उपलब्धि में दिक्कतों के कारण ही विदेशी पार्टी को ओद्योपान्त आधार पर काम सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत परियोजना के लिए धन की समूची व्यवस्था विदेशी पार्टियों से अनुदान और ऋण लेकर की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरी और परामर्शी संगठनों मेटलर्जीकल एन्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इन्डिमा) लिमिटेड (मेकन) को इस परियोजना के लिए मुख्य सलाहकार के रुप में पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

उत्तर कोरिया को सीमेंट का आयात

3442. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो मिलियन टन सीमेंट का आयात करने के लिए उत्तर कोरिया के साथ एक सौदे को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर तथ्य इसका विवरण कब किया जाएगा।

(ग) क्या ऐसी कोई एजेंसी थी, जिसके जरिए इस सौदे को अन्तिम रूप दिया गया था, यदि हां, तो उसका नाम तथा उसे दलाली अथवा कमीशन के भुगतान की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पिछले सप्लाइयों में दोषों के कारण उत्तर कोरिया से सीमेंट का आयात रोक दिया गया था अथवा काली सूची में दर्ज कर दिया गया था; और

(ड.) यदि हां, तो नया आयात सौदा किए जाने के क्या कारण हैं और भारत के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) एक मिलियन टन सीमेंट का आयात करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० कोरिया के साथ एक संविदा की अन्तिम रूप दिया है।

(ख) खरीदारियां प्रतियोगी कीमतों पर की गई हैं लेकिन वास्तविक कीमत बताना सार्वजनिक हित मे नहीं होगा। सीमेंट की संविदाकृत मात्रा की सुपुर्दगी अक्तूबर, 1981 से जून, 1982 के बीच में होने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पटसन की भारी खरीद किए जाने हेतु प्रतिबन्ध

3443. **श्री चित्त वसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों को, भारतीय पटसन निगम के हस्तक्षेप से बाजार में आने और मिलों द्वारा सीमित मात्रा में पटसन उठाये जाने

के कारण अपना पटसन कानूनी न्यूनतम मूल्य पर भी 16 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की छूट देकर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा;

(ख) भारतीय पटसन निगम और पटसन मिलों द्वारा क्रमश: कितनी मात्रा में पटसन की खरीद की गई ; और

(ग) उनके द्वारा अधिक पटसन की खरीद किए जाने हेतु क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) यह सच है कि पश्चिम बंगाल के और पटसन उगाने वाले अन्य राज्यों के सभी राज्यों में विशेषकर निम्न ग्रेडों के पटसन की कीमतें, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से कम थी और कम चलती रहीं। इस समय पश्चिम बंगाल में निम्न ग्रेड का पटसन 15 प्रतिशत तक कम कीमत पर बिक रहा है। कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे पटसन के बाजार में व्यापार और उद्योग की लगभग अनुपस्थिति रहा है, बाजार में भारतीय पटसन निगम का विलम्ब से प्रवेश करना नहीं।

(ख) चालू मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम ने 30 नवम्बर, 1981 तक पश्चिम बंगाल में 9.18 लाख गांठें खरीदी हैं। जैसा कि भारतीय पटसन मिल्स एसोसियेशन ने बताया है पटसन मिलों ने इस मौसम में 7 नवम्बर, 1981 तक 21.56 लाख गांठें खरीदी हैं. तथापि यह बताना कठिन है कि इसमें कितनी हाजिर खरीदारी हैं और कितनी वायदा खरीदारी।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार में मन्दी की स्थिति और संश्लिष्ट पदार्थों से तीव्र प्रयोगिता तथा पटसन उद्योग के निर्यात बाजार में बंगलादेश द्वारा कम बोली दिए जाने के फलस्वरूप पटसन माल के अनबिके स्टाक के जमा हो जाने से नकदी की प्रतिकूल स्थिति बन जाने के कारण मिलों के सामने अधिक मात्रा में खरीदारी करने में रुकावटें रही हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन की तुलना में मंहगाई भत्ते की योजना का जारी रखना

3444. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को यहां तक स्वीकार कर लिया है कि मूल्य स्तर में वृद्धि होने के कारण मंहगाई भत्ता देना आवश्यक होने की स्थिति में सरकार वेतनमानों में वृद्धि करने की तुलना में मंहगाई भत्ता देने की योजना को जारी रखेगी; और

(ख) यदि हां, तो महगाई भत्ते की किस्तें उनके देय हो जाने पर अपने आप ही न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि यदि कीमत स्तर औद्योगिक

कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960=100) के 12 महीने के औसत 272 अंकों को पार कर जाए तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई भत्ते की योजना को और आगे बढ़ाया जाए या वेतनमानों में ही संशोधन कर दिया जाय। तदानुसार सरकार ने राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया और यह निर्णय किया कि महंगाई भत्ता तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(ख) तीसरे वेतन आयोग ने यह वांछनीय नहीं समझा था कि किसी दिए गये फारमूले के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में स्वत: ही स्वीकृति के लिए सरकार को कहा जाए चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किश्त की अनुमानित लागत 62 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैठती है इसलिए इनकी अदायगी के प्रश्न पर सामान्य आर्थिक स्थिति और इसके बजट पर इसके प्रभाव के आलोक में ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ता है।

गोआ, दमन और दीव के सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3445. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव के सरकारी कर्मचारी वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर साढ़े सात प्रतिशत मकान किराया भत्ता के रूप में प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर भत्ता दिए जाने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर भत्ता देने की यह पद्धति सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए समान है ; और

(घ) यदि नहीं, तो खासतौर पर गोवा आदि क्षेत्र के लिए विशेष जोर देने के कारण क्या हैं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां,

(ख) भारत सरकार का विद्यमान नीति के आधीन, कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की अदायगी के लिए, 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केवल ऐसे नगरों को 'ग' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनकी जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। गोआ दमन और दीव संघशासित क्षेत्र में किसी भी नगर/कस्बे को इस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सका 1962 में गोआ की स्वाधीनता के तुरन्त पश्चात, 200 रुपये से नीचे के वेतनों स्तरों पर, कुछ भिन्नता के साथ वेतन के साढे सात प्रतिशत की दर पर मकान किराये भत्ते की अदायगी आरम्भ की गई थी। इस रियायत को मकान किराया भत्तों के सम्बन्ध में 'ग' श्रेणी कि विद्यमान दर, अर्थात वेतन के साढे सात प्रतिशत के अनुरूप कर दिया गया है। जो अधिक से

अधिक 200/- रुपये प्रति माह है और जिसे जनसंख्या मानदन्ड पर विचार किए बिना वार्षिक समीक्षा के आधार पर जारी रखा गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। लेकिन, संघ-शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह से ऐसे कर्मचारी जो निः शुल्क आवास के हकदार हैं, और यदि उन्हें आवास प्रदान करना सम्भव नहीं है, तो उन्हें वेतन के साढे सात प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता दिया जाता है। यह भी सामयिक समीक्षा की शर्त के अधीन है।

मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में गोवा, दमन और दीव के कर्मचारियों द्वारा की गई मांगे :

3446, **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और दीव के सरकारी कर्मचारी 15 प्रतिशत मकान किराए भत्ते की मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त मांग अनुचित है ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 4 लाख की आबादी वाले नगरों को वेतन के 7/1/2 % की दर से किन्तु अधिक से अधिक 200/- रु० प्रतिमास, मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए 'ग' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गोआ, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र में मारमुगोआ को छोड़कर कोई भी शहर 'ग' श्रेणी में नहीं आता। वेतन के 15% की दर से और अधिक से अधिक 400/- रु० प्रतिमास मकान किराया भत्ता उन्हीं शहरों में दिया जाता है जिन्हें कम से कम वी-2 श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और उसके लिए 1971 की जनगणना के आधार पर अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या 4 लाख से अधिक हो। गोआ संघ शासित क्षेत्र में कोई भी शहर 'वी-2' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किए जाने योग्य नहीं है।

गोवा में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की दरें

3447. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा बी-2 श्रेणी का शहर है ;

(ख) यदि हां, तो गोवा में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दिए गए मकान किराए भत्ते की दरें, ब्योरे सहित क्या हैं ;

(ग) क्या कर्मचारी 15 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) : जी, नहीं। परन्तु तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गोवा को असामान्य रूप से महंगा समझा गया और इसलिए वहां प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता 1-8-1981 से बी-2 श्रेणी नगर की दरों पर दिया जाता है।

(ख) 1962 में उसके मुक्त होने के पश्चात संघ शासित क्षेत्र गोवा ने 200/- रुपये प्रतिमास से कम वेतन स्तर पर कुछ संशोधन की शर्त के अधीन मकान किराया भत्ता वेतन के 7 1/2 प्रतिशत की दर पर स्वीकार्य किया गया। यह दर मकान किराये भत्ते के लिए 'ग' श्रेणी नगर की विद्यमान दर, अर्थात वेतन का 7/1/2 प्रतिशत परन्तु अधिक से अधिक 200/- रु० प्रतिमास, के अनुरूप कर दी गई है और यह कर्मचारियों को इस तथ्य के बावजूद भी रियायत के रूप में अदा किया जाता है कि इस संघ शासित क्षेत्र में मोरमुगाव को छोड़कर कोई भी शहर/कस्बा 'ग' श्रेणी में (अर्थात 1971 की जनगणना के अनुसार जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 50,000 हो) नहीं आता है।

(ग) जी, हां।

(घ) वेतन के 15 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता उन नगरों में स्वीकार्य है जो 'बी-2' श्रेणी (अर्थात वे नगर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 4 लाख से ऊपर है) और इससे ऊपर के हैं। संघ शासित क्षेत्र गोवा में कोई भी नगर 'बी-2' श्रेणी या इससे ऊपर की श्रेणी में नहीं आता है।

फिलीपीन में संयुक्त रूप से काजू के बाग लगाने में भागीदारी का प्रस्ताव

3448. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिलीपीन में संयुक्त रूप से लगाए जाने वाले काजू के बागों में भाग लेने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) इस तरह के प्रस्ताव के कार्यान्वयन में दोनों देशों के सम्बन्ध संगठनों ने अब तक क्या प्रगति की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय काजू निगम सम्भाव्यता अध्ययन करा रहा है और प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बारे में अन्तिम निर्णय अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

नायलोन धागा आयात करने वाली कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना

3450. श्री रीतलाल प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नाइलोन धागा आयात करने वाली कम्पनियों की संख्या कितनी है और कितने यूनिट नाइलोन धागे के लिए उनको आयात लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं ;

(ख) कितनी कम्पनियों के लाइसेंस रद्द हो गए है तथा उनका पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) कितनी कम्पनियों के लाइसेंस नवीकरण के मामले गत चार पांच वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके नाइलोन धागे को 2000 से 6000 तक यूनिटों का आयात करने के लाइसेंसों का 1980-81 के दौरान नवीनीकरण किया गया है ;

(घ) क्या उद्योगों की उन्नति को तेज करने और श्रमिकों के रोजगार की दृष्टि से सभी आवेदकों के लाइसेंसों का नवीकरण करने का विचार है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) नाइलोन धागें की कुछ किस्मों के आयात भारतीय राज्य रसायन तथा ये भेषज निगम की मार्फत मार्गीकृत है। नाइलोन धागे की कुछ अन्य किस्मों के आयात वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किये जाते हैं। 210 तथा उससे अधिक डेनियर का औद्योगिक नाइलोन धागा प्रतिबंधित सूची में हैं और इसके आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) को आटोमेटिक तथा अनुपूरक लाइसेंसों के आधार पर दी जाती है। पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत नाइलोन यार्न के आयात की अनुमति दी जाती है। लाइसेंस प्राप्त करने वालों के नाम सहित सभी लाइसेंसों के ब्यौरे मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात द्वारा जारी किए जाने वाले वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिस, एक्सपोर्ट लाइसेंसिस एण्ड इण्डिस्ट्रियल लाइसेंसिस में प्रकाशित किये हैं और उनकी प्रतियां ससद पुस्तकालव को भेजी जाती है।

(ख) रद्द किये गये लाइसेंसों के ब्यौरे वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिस, एक्सपोर्ट लाइसेंसिस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस में प्रकाशित किये जाते हैं।

(ग) इस सम्बध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) तथा (ड.) आयात लाइसेंसों का पुनर्वेधीकरण अलग अलग मामलों में गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

लोहे के सम्बन्ध में दोहरी मूल्य पद्धति

3451. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात और खांन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोहे के सम्बन्ध में दोहरी मूल्य पद्धति शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने का है, जैसा कि चीनी के मामले में किया गया है ;और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खेल सामान उद्योग द्वारा मंदी का सामना किया जाना

3452. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय खेलतसामान उद्योग को, चीन सेस, जो कि परम्परागत व्यापार सम्बन्धों को विघटित करो पर आधारित रणनीति के रूप में दुनिया भर में खेल सामान की भरमार कर रहा है ; कड़ी स्पर्द्धा के कारण जबर्दस्त मंदी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मंदी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने/उपाय किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) चीन खेल कूद के सामान सहित विभिन्न मदों के सम्बन्ध में कड़ी प्रतियोगिता कर रहा है। इस प्रतियोगिता के प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारती खेल कूद के सामान को प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार ने निम्नोक्त कदम/उपाय किए हैं :-

(1) खेल कूद के सामान के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता दी जा रही है।

(2) नायलन ट, ऐशबुड तथा बीच बुड, विल्लो क्लेफ्ट, फैदर तथा कार्क बाटम के आयात करे बिना शुल्क की अनुमति दी गई है।

(3) खेलकूद सामान निर्यात सवर्धन परिषद तथा व्यापार को सरकारी सहायता अनुदान से विदेशों में मेले प्रदर्शनियों में भाग लेन की अनुमति दी जाती है।

(4) विदेशों को बिक्री दलों अध्ययन दलों को प्रायोजित किया जा रहा है।

सरकारी पूंजीनिवेश (पब्लिक इनवेस्टमेंट) बोर्ड की बैठक

3453. **श्री जी० नर्रासिहा रेड्डी :**

श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पूंजीनिवेश (पब्लिक इनवेस्टमेंट) बोर्ड की गत तीन महीनों से नियमित बैठकें नहीं हो रही हैं ;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हुई हैं ;

(ग) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड की बैठकों में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) पूंजी निवेश प्रस्तावों के सम्बन्ध में शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) पिछले तीन महीनों (सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर 1981) के दौरान सार्वजनिक निवेश बोर्ड की प्रत्येक महीने में एक-एक बैठक हुई है।

(ख) जी, नहीं। केवल 8 प्रस्तावों पर (दो संशोधित लागत अनुमानों सहित) सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है। इनमें से 5 प्रस्ताव नवम्बर में और 3 दिसम्बर, 1981 में प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों में से अधिकांश पर 17.12.1981 को होने वाली अगली बैठक में सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा विचार किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा बहुमुद्रा ऋण समझौता

3454. **श्री एच० एन० नंजे गौडा :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) ने विदेशी बैंकों की सहायता से 39 करोड़ रुपए का एक बहुमुद्रा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन-किन बैंकों ने इस सहायता के लिए आश्वासन दिया है ; और

(ग) भारत में इस ऋण को किस तरह वितरित किए जाने की सम्भावना है और कौन-कौन सी योजनाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आएंगी ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) ने 19 अक्तूबर 1981 को 3 करोड़ डूयश मार्क, 3 करोड़ स्विस फ्रांक और 3 अरब जापानी येन की राशियों के एकत्रय मुद्रा ऋण करार पर, हस्ताक्षण किए हैं जिसकी राशि कुल मिलाकर लगभग 39 करोड़ रुपया बैठती है। इस ऋण का प्रबन्ध 13 अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के संघ ने किया है जिनमें लायड्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, लंदन तथा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य व्यवस्थापक हैं।

(ग) उपर्युक्त ऋण, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के औद्योगिक उपक्रमों के मशीनरी और उपकरणों के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के वाणिज्यिक स्तर पर उधार लेने का कार्यक्रम का ही एक अंग है।

खड़कपुर में कोल्ड रोल्ड चद्दरों का निर्माण करने वाले एकक की स्थापना

3455. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्ड रोल्ड चद्दरों के निर्माण के लिए खड़कपुर में एक एकक की स्थापना किए जाने हेतु लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसमें केन्द्रीय सरकार का निर्णय/प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या खड़गपुर इस तरह के उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान है अथवा नहीं ;

(ङ) क्या देश में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस तरह के उद्योगों की कोई आवश्यकता है ; और

(च) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रस्ताव क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सरकार उन राज्यों की, जहां ठंडी वेलित चादरों/स्ट्रिप की क्षमता नहीं है आवश्यकता पूरी करने के लिए 10,000 टन वार्षिक क्षमता तक आशय-पत्र देने पर सहमत हो गई है। सामान्यतः इसे दो आवेदकों में बांट किया जाता है जिससे अधिकाधिक उद्यमियों को अवसर मिल सके। यदि किसी राज्य में वार्षिक क्षमता 10,000 टन से कम है तो क्षमता 10,000 टन तक बढ़ाई जा सकती है। यह नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी लागू होती है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विद्युत संयंत्र की स्थापना किया जाना

3456. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने भिलाई स्थित इस्पात संयंत्रों को चलाने के लिए अपने स्वयं के इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और इस पर आने वाली लागत उत्पादन

क्षमता जैसे कार्यक्रमों का क्या ब्यौरा है और कब तक ये संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाएंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता 40 लाख टन तक बढ़ायी जा रही है। इस क्षमता के लिए बिजली की आवश्यकता अंशत: संयंत्र में उत्पादित बिजली और अंशत: मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से लेकर पूरी की जाएगी। 40 लाख टन क्षमता के विस्तार के अन्तर्गत एक नये रक्षित बिजली संयंत्र (बिजली संयंत्र नं० 2) की स्थापना का कार्य अन्तिम चरण में है। इस संयंत्र की कुल क्षमता 67 मेगावाट होगी और इसमें दो सेट प्रत्येक की क्षमता 26.6 मेगावाट और 14 मेगावाट क्षमता का एक सेट होगा। आशा है यह सयत्र 1982 में चालू हो जाएगा। यह संयंत्र इस्पात कारखाने को बिजली का आवश्यक लोड सप्लाई करेगा जिससे उपस्करों को क्षति से बचाया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त होने वाली बिजली की स्थिति लगातार असन्तोषजनक होने और बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी को रोकने तथा उससे समबद्ध मामलों को सुलझाने की दृष्टि से 3 × 60 मेगावाट की इकाइयों के एक अतिरिक्त रक्षित बिजली सयत्र (बिजली संयंत्र नं० 3) की स्थायना के बारे में प्राप्त हुआ सुझाव सरकार के विचाराधीन है। इस संयंत्र से मुख्य मिलों की बिजली की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 122.76 करोड़ रुपये है। इस संयंत्र की मंजूरी मिलने की तारीख से इसे चालू करने में 48 महीने लगेंगे।

विदेशों के साथ व्यापार समझौते

3457. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वाणिज्य मन्त्री व्यापार समझौते के बारे में 1 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6472 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (ख) के उत्तर में बताए गए देशों में से उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस बीच सरकार ने व्यापार समझौते किए हैं ;

(ख) क्या उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित देशों में से किसी देश के मूल समझौते की समाप्ति के पश्चात व्यापार समझौते का नवीनीकरण से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम है ; और

(घ) 1 अगस्त 1980 से अब तक हस्ताक्षरित समझौतों की शर्तें क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) अर्जेन्टीना, कीनिया घाना, लाइबेरिया, मोजाम्बिका तथा मालदीप।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 1 अगस्त 1980 से विदेशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित सभी नए व्यापार करार एम० एफ० एन० (परममित्र राष्ट्र व्यवहार) स्वरूप के व्यापार करार हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ उन बातों की व्यवस्था मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान व्यापार का संवर्धन, व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित करने की सुविधा देगा, वाणिज्यिक जानकारी का आदान प्रदान, द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर परामर्श करने के लिए संयुक्त समितियों आयोगों का गठन, व्यापार सम्बन्धी यात्रा के लिए सुविधाएं प्रदान करें। जी० डी० आर०, पोलेन्ड, रोमानिया तथा सोवियत संघ के साथ करार भी जोकि 31 दिसम्बर, 1980 के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किए गए थे, सामान्य एम० एफ० एन० स्वरुप के है लेकिन उन सभी वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक सौदों को अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में तय करने की व्यवस्था है।

पश्चिम बंगाल के लघु क्षेत्र के लिए इस्पात का आवंटन

3458. **श्रीमती गीतामुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लघु क्षेत्र को 1980 में कितने इस्पात का आवंटन किया गया था ;

(ख) उसी वर्ष दिल्ली को इस्पात का कितना आवंटन इसी क्षेत्र के लिए किया गया था ;

(ग) उस वर्ष पश्चिम बंगाल के लघु क्षेत्र को वस्तुतः कितने इस्पात की सप्लाई की गई ;

(घ) उसी वर्ष दिल्ली के लघुक्षेत्र को वस्तुतः कितने इस्पात की सप्लाई की गई ; और

(ङ) उसी वर्ष पश्चिम बंगाल और में दिल्ली के लघु क्षेत्र के एककों की संख्या कितनी-कितनी थी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

औद्योगिक एककों द्वारा वित्तीय संस्थाओं को ऋणों की वापसी

3459. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि औद्योगिक एककों के तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त प्रोमोटर्स/निदेशकों की जिनको वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति की जाती है ; ऋणों को

वापसी दिये जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और वे प्राय ऋणों की अदायगी से पहले ही उन एककों को छोड़ देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको, ऋण की वापसी किए जाने तक उद्योग का प्रभारी बनाये रखने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऋण स्वीकृति करने वाली वित्तीय संस्थाओं से नाममात्र की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ऋण प्राप्त करने वाले एकक अपना उत्पादन को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और वित्तीय संस्थाओं का उस ऋण-राशि पर कोई प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं रहता ; और

(घ) यदि हां, तो ऋण लेने वाले उपक्रम के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि में से उन्हें दिए गए ऋण की किश्त वसूल करने में ऋणदाता संस्थाओं के सामने क्या दिक्कतें आती हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थाओं ने सूचना दी है कि उनके द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों, चाहे वे तकनीकी दक्षता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा संचालित की गई हैं, अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा, दोनों की ही जिम्मेदारी होती है कि वे स्वीकृत ऋण को वापस अदा करें। वित्तीय संस्थायें सुनिश्चित करती हैं कि संचालक/निदेशक उनसे और उनके सहयोगियों से स्वीकृति लेकर संस्थाओं में बने रहें और वित्तीय संस्थाओं की पूर्व-अनुमति लिये बिना कम्पनी में अपनी शेयरधारिता को नहीं बेचें। इसके अलावा, औद्योगिक इकाइयों और संस्थाओं के बीच हुए ऋण करार के अनुसरण में ऐसे संचालकों/निदेशकों को, संस्थाओं की लिखित पूर्वानुमति के बगैरह अपने पदों से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं होती।

(ग) और (घ) औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री एक सामान्य बिक्री का कार्य है और इसलिए ऐसे कार्यकलापों के वास्ते इन संस्थाओं की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता, ये संस्थाएं सहायता पान वाली बड़ी कम्पनियों के बोर्डों में नामितों की नियुक्ति, आवधिक निरीक्षण, आवधिक प्रगति रिपोर्टों, तुलनपत्र मंगाने आदि द्वारा इकाइयों के कार्य-निष्पादन पर नजर रखती हैं।

राज्यों में भारतीय पटसन निगम की विभागीय पदोन्नति समितियों और उपकेन्द्र

3460. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के वर्षों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही भारतीय पटसन निगम की विभागीय पदोन्नति समितियों और उपकेन्द्रों की संख्या कितनी है तथा कर्मचारियों, फील्ड स्टाफ और केन्द्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान कच्चे जूट की खरीद में अन्तर्ग्रस्त सहकारी समितियों की संख्या कितनी है और 1980-81 और 1981-82 के वर्षों में पंचायतों और विभिन्न राज्य एजेंसियों से किस प्रकार की सहायता मांगी गई और प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 (15 नवम्बर, 1981 तक) भारतीय पटसन निगम, के विभागीय खरीद केन्द्रों और उप केन्द्रों की संख्या, सहकारी खरीद केन्द्रों की संख्या तथा मुख्यालय और क्षेत्र कार्यालय में भारतीय पटसन निगम के नियमित कर्मचारियों की संख्या नीचे तालिका 1 तथा 2 में दी गई है :—

तालिका-1

खरीद केन्द्रों तथा सहकारी समितियों की संख्या

राज्य	2978-79			1979-80			1980-81			1981-82		
	विभागीय केन्द्र	उप केन्द्र	सहकारी केन्द्र	विभागीय केन्द्र	उप केन्द्र	सहकारी केन्द्र	विभागीय केन्द्र	उप केन्द्र	सहकारी केन्द्र	विभागीय केन्द्र	उप केन्द्र	सहकारी केन्द्र
प० बंगाल	47	21	56	47	26	65	47	27	64	56	42	70
बिहार	15	10	8	11	11	24	13	10	24	13	10	25
आसाम	15	2	—	14	—	7	15	—	7	17	3	—
उड़ीसा	4	1	—	4	3	19	4	2	7	3	4	21
त्रिपुरा	4	1	33	4	1	91	4	1	85	4	1	122
आंध्र प्रदेश	6	6	3	6	4	7	6	2	7	7	2	—
उत्तर प्रदेश	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—

तालिका-2

भारतीय पटसन निगम के नियमित कर्मचारियों की संख्या

	1978-79 30 जून 78 को	1979-80 30 जून 79 को	1980-81 30 जून 80 को	1981-82 15 नवम्बर, 1981 तक
(क) मुख्यालय	273	262	271	211
(ख) क्षेत्रीय कार्यालय				
1. प० बंगाल	389	390	408	434

1	2	3	4	5
2. बिहार	108	10	09	12
3. उत्तर प्रदेश	4	4	4	4
	1979-80	1979-80	1980-91	1981-82
4. उड़ीसा	1	20	25	29
5. असम	105	106	107	113
6. आन्ध्र प्रदेश	36	37	36	43
7. त्रिपुरा	27	26	24	29
योग	690	693	713	773
(क) तथा (ख) का योग :	963	955	984	1044

(ख) राज्य सहकारी समितियों के अलावा, जोकि 1972-73 से भारतीय पटसन निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करती रही है, पश्चिम बंगाल में कमांड एरिया विकास निगम की एजेंसी की मार्फत तथा पंचायतों की सहायता से भी खरीदारियां की जाती हैं। नवम्बर, 1979 में दिये गए सरकारी निदेशों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल के कुछ चुनिन्दा जिलों में 5 पंचायत समितियों के माध्यम से खरीद करने हेतु एक योजना शुरू की गई थी। जबकि यह योजना जारी रखी जा रही है, किन्तु इसकी सीमा सीमित है।

राज्य प्रशासन की सीधी निगरानी और उसके नियन्त्रण में पंचायतों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर पश्चिम बंगाल में उपकर्ताओं से कच्चे पटसन की खरीद के लिए सरकार के अनुमोदन से सितम्बर, 1980 के अन्त में भारतीय पटसन निगम ने एक प्रणाली आरम्भ की थी। बंगला देश की सीमा पर स्थित खण्डों को छोड़ कर, जहां खरीदारी पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उपजकर्ताओं को जारी किए गए पटसन कार्डों के आधार पर की गई, उस समय तक के लिए जब तक पटसन कार्ड जारी नहीं कर दिए नये चालू मौसम के दौरान भी वही योजना जारी रखी गई। 1981-82 में पहली बार बिहार और त्रिपुरा की सरकारों ने उपजकर्ताओं की आसानी से पहचान के लिए लाग बुकाप्रमाण-पत्र और पटसन कार्ड जारी करने की प्रणाली आरम्भ की। तथापि, चूंकि सभी उपजकर्ताओं को लगा बुकाप्रमाण-पत्र/कार्ड नहीं मिल पाए, इस लिए भारतीय पटसन निगम ने अन्य उपजकर्ताओं से पटसन खरीदने का निश्चय किया जिनको प्रशासनिक देरी के कारण लाग बुका प्रमाण पत्र/कार्ड नहीं मिल पाए थे।

जनरल इन्शोरेन्स इंस्पेक्टरों का अभ्यावेदन

3461. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को "आल इन्डिया फेडरेशन आफ जनरल इन्शोरेन्स इन्स्पेक्टर्स एसोसिएशन" से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) साधारण बीमा उद्योग में कार्य करने वाले निरीक्षकों की परिलब्धियां और सेवा की शर्तें उत्पादकता के आधार पर लागत मान दण्ड योजना के द्वारा नियन्त्रित की जाती हैं । कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन आफ जनरल इन्शोरेन्स इन्स्पेक्टर्स एसोसिएशन ने ग्रेड वेतन-वृद्धियों और अन्य कर्मचारियों की तरह नौकरी की सुरक्षा की मांग की है । साधारण बीमा निगम ने महासंघ की मांगों की जांच की है लेकिन उसने सेवा की शर्तों से उत्पादकता अलग करना उचित नहीं समझा ।

"माफिया रुल एट आई० एस० बी० टी०" तथा रेन आफ टेरर एट आई० एस० बी० टी०' शीर्षक से समाचार

3462. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 1981 के 'इन्डियन एक्सप्रेस और हिन्दुस्तान टाइम्स' में क्रमश: 'माफिया रूल एट आई० एस० बी० टी०' तथा 'रेन आफ टेरर एट आई० एस० बी० टी०' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो शराब बिक्रेता के लेखाबाह्य धन का मूल्यांकन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : जी, हां, ।

(ख) तथा (ग) प्रकाशित समाचारों का सम्बन्ध मूल रूप से कानून और व्यवस्था की उस समस्या/स्थिति से है जो अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर विद्यमान बताई है । आयकर प्राधिकारियों ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का सामान्य सर्वेक्षण दल को अन्तर्राज्यीय बस अड्डे में स्थित भवनों (बाल्लेबस) मे कोई भी शराब की दुकान नहीं मिली । लेकिन सर्वेक्षण दल को जानकारी में यह बात आई कि लुधियाना/जालधर के एक फिल्म वितरक की अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर दो दुकानें हैं, जिनकी सं० 47 और 32 है और दुकानें

'स्नैक-बार' के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। उसके मामले में कर की देनदारी निश्चित करने सम्बन्धी कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के अधीन इस्पात संयंत्रों द्वारा अर्जित लाभ

3463. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक इस्पात संयंत्र ने क्रमशः वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में कितना शुद्ध लाभ कमाया है और यदि इन संयंत्रों ने कोई लाभ नहीं कमाया है तो उसके क्या कारण हैं, और उनमें से प्रत्येक को कितनी शुद्ध हानि हुई ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस्पात संयत्रों द्वारा उपयोग में लाई गई क्षमता का वर्षवार प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के अधीन इस्पात कारखानों के पिछले तीन वर्षों के कार्य-परिणाम इस प्रकार हैं :—

आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं

लाभ (+)
हानि (—)

	1978-79	1979-80	1980-81
राउरकेला इस्पात कारखाना	(+) 47.24	(+) 47.65	(+) 13.97
भिलाई इस्पात कारखाना	(+) 49.96	(+) 39.53	(+) 17.84
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(+) 4.37	(—) 22.39	(—) 8.44
बोकारो इस्पात कारखाना	(—) 32.42	(—) 34.15	(—) 17.30
इस्को	(—) 24.31	(—) 34.94 (अस्थाई)	(—) 24.10

हानियां निम्न कारणों से हुई हैं :

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

1. मुख्य रूप से बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कम उत्पादन होना ;

2. कुछ विक्रेय उत्पादों विशेष रूप से रेलवे सामग्री के मूल्य अलाभप्रद होना।

बोकारो इस्पात कारखाना

1. वर्ष 1978-79 और 1979-80 में कारखाने को बिजली की अत्यधिक कमी तथा

कोयले की अपर्याप्त सप्लाई का सामना करना पड़ा जिससे कारखाने में उत्पादन और लाभदायकता पर प्रभाव पड़ा ;

2. बोकारो इस्पात कारखाने का रूपांकन 40 लाख टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन के लिए किया गया है और इसकी अर्थ क्षमता इसके 40 लाख टन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने पर निर्भर है। कारखाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता मात्र 25 लाख टन इस्पात पिण्ड की है ;

3. प्रथम चरण अर्थात 17 लाख टन क्षमता के लिए किए-गए पूंजी निवेश में कुछ ऐसी सुविधाएं भी शामिल हैं जो 40 लाख टन क्षमता के लिए हैं। इसलिए खातों में दिखाया गया मूल्य-ह्रास अभी बढ़े हुए उत्पादन में परिलक्षित नहीं होता है। इन सुविधाओं के लाभ बाद में प्राप्त होंगे जब कारखाना 40 लाख टन उत्पादन क्षमता पर कार्य करना शुरू करेगा ;

4. चूंकि बोकारो इस्पात कारखाना टनेज संयंत्रों में अपेक्षाकृत हाल में लगाया गया कारखाना है इसलिए इसका पूंजीगत खर्च बहुत अधिक है। इस्पात के वर्तमान मूल्य उत्पादन लागत में इस खर्चों के अनुरूप नहीं हैं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को)

1. इस्पात कारखाने की प्रौद्योगिकी पुरानी होने के कारण उत्पादन लागत अधिक है ;

2. बिजली की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्धों के कारण कारखाने के उत्पादन तथा लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

3. कभी-कभी मालिक-मजदूर सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे हैं जिससे भी कारखाने की लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) 1978-79 से 1981-82 के वर्षों में सेल के अधीन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात की निर्धारित क्षमता का वर्षवार प्रतिशत नीचे दिया गया है :

संयंत्र	उपयोग में लाई गई क्षमता का प्रतिशत					
	इस्पात पिण्ड			विक्रेय इस्पात		
	1978-79	1979-80	1980-81	1978-79	1979-80	1980-81
मिलाई इस्पात कारखाना	88.0	84.3	81.6	939	86.8	92.5
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	59.1	55.1	46.3	62.8	48.8	48.3

1	2	3	4	5	6	7
राउरकेला इस्पात कारखाना	73.3	70.4	64 7	85.1	85.3	80.4
बोकारो इस्पात कारखाना	70.3	57.0	36.9	68.7	43.1	42.8
इस्को	62.8	56.5	60.9	60.1	53.8	65.4

इस्पात संयत्रों को पर्याप्त संख्या में रेलवे वैगन उपलब्ध न कराना

3464. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों की अपर्याप्तता के कारण इस्पात संयत्रों को डोलोमाइट चूना-पत्थर, कच्चे लोहे आदि जैसे कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां तो इस हालत में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए और उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) पिछले वर्षों के महीने-वार उत्पादन की तुलना में वर्ष 1981 में उत्पादन में कितनी हानि हुई और संयंत्र-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पत और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) इस्पात कारखानों को की जाने वाली कच्चे काल की सप्लाई पर विभिन्न स्तरों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है और जब कभी-कभी पाई जाती है, उसको सुधारने के लिए कार्यवाही की जाती है। 1981 में कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण इस्पात कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई कम हुई है।

मूंगफली का निर्यात

3465. **श्री डी० पी० जडेजा** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां सूखे मेवों के रूप में भारतीय मूंगफली की काफी मांग है ; और

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा उसका उपयोग खाने के तेलों का आयात करने हेतु मूंगफली के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारतीय एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात खाद्य मूंगफली के रूप में पश्चिम तथा पूर्व यूरोपीय देशों तथा अन्य स्थानों को किया जाता है। घरेलू उत्पादन और कीमत स्तरों सहित संबंधित बातों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित किए गए सीमित कोटे के अन्दर निर्यात की अनुमति दी जाती है।

"एक्साईज इवेजन आंफ रूपीज 13 लेक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

3466. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1981 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में" एक्साईज इवेजन आफ 13 रूपीज लेक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की करवंचना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिल्ली और इसके आस-पास उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कितने उद्योग विद्यमान हैं और क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश उद्योगपति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के क्षेत्रीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ से उत्पादन शुल्क की चोरी कर रहे हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की उन प्राधिकारियों द्वारा, जिन के अन्तर्गत वे काम नहीं करते हैं, अचानक जांच की गयी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; यदि नहीं तो भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां, । यह समाचार उत्पादन शुल्क के अपवंचन के मामले के सम्बन्ध में है जिसका पता दिल्ली स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ततिय के कर्मचारियों द्वारा लगाया था।

(ख) विभाग द्वारा उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन का पता लगाने वाले विभागीय तंत्र को चुस्त बनाने के लिए उपाय किए गए हैं।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा राज्य, दिल्ली स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। दिल्ली और हरियाणा के आस-पास के कस्बों में लगभग 1600 इकाइयां हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के क्षेत्रीय कर्मचारियों के सांठ-गांठ करके उत्पादन शुल्क का अपवंचन किए जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) इस समाहर्तालय के अपवंचन निवारक कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है। इस समाहर्तालय और महालेखाकार के कार्यालय के लेखा परीक्षा दलों द्वारा लेखों की समय-

समय पर लेखा परीक्षा भी की जाती है। ऐसी जांच/लेखा परीक्षा के दौरान जानकारी में आने वाली अनियमितियों के सम्बन्ध में उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

फैशन और डिजाइन वाले वस्त्र-संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

3467. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए फैशन और डिजाइन वाले वस्त्र संस्थान की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालयमें राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) तथा (ख) : जी हां। प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

"यूनाटेड स्टेटस टूअर आपरेटर्स एसोसिएशन" का सत्र भारत में होना

3468. **श्री अर्जुन सेठी**

श्री के० मालन्ना : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "यूनाइटेड स्टेट्स टूअर आपरेटर्स एसोसिएशन" जो विदेशों में बड़े पैमाने पर अमरीकी पर्यटकों को आकृष्ट करने वाला सबसे बड़ा तथा सुविख्यात संगठन है के वर्ष 1983 के सत्र के लिए भारत को चुना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) (क) और (ख) : जी, हां। भारत को यूनाइटेड स्टेट्स टूअर आपरेटर्स एसोसिएशन (यू एस टी ओ ए) के 1983 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन के आयोजन-स्थल (वेन्यू) के रूप में चुना गया है। यह सम्मेलन लगभग 10 दिन तक चलेगा। यू० एस० टी० ओ० ए० द्वारा अन्य ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

'आई० टी० डी० सी० मूव टू केटर इण्यिन टूरिस्ट' शीर्षक समाचार

3470. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्या दिनांक 12 अक्तूबर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "आई० टी० डी० सी० मूव टू केटर टू इण्डियन टूरिस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार ऐसी सुविधाओं और आधार ढांचे की स्थापना करने के लिए प्रयास करने का है, जो देशी पर्यटन व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा ;

(ग) क्या उपयुक्त कार्य के भाग के रूप में संयुक्त उपक्रम के लिए असम, आन्ध्र प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोआ तथा चंडीगढ़ के साथ करार किए गए हैं ; यदि हां, तो उपयुक्त प्रत्येक राज्य के साथ किए गए करारों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम में ऐसी परियोजनाएं आरंभ की जा रही है जिनमें देश के सभी सातों उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोई लाभ नहीं होगा ; यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम का नेट वर्क और कार्यकलाप लगभग पूरे देश को कवर करते हैं। विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार के पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। विशेष रूप से 12 केन्द्रों पर अवस्थित. यात्री गृह मितव्ययी पर्यटकों के लिए जिनमें भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं; उनके संसाधनों के अन्तर्गत रह कर सस्ता आवास जुटाते हैं। स्वदेशी पर्यटकों की जरूरतों को मुख्यत: ध्यान में रखते हुए अब 2 से 3 स्टार होटलों/यात्री गृहों और जनता टाइप होटलों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। अशोक यात्री निवास नामक 1200 कमरों वाले एक होटल का नई दिल्ली में निर्माण किया जा रहा है। राज्यों की राजधानियों और विविध राज्यों के अन्य शहरों में 2 से 3 स्टार होटलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के साथ करारों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ग) उपयुक्त नीति के अनुसरण में, गौहाटी में एक होटल के निर्माण के लिए असम की राज्य सरकार के साथ हैदराबाद में एक होटल के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश यात्रा तथा पर्यटन के साथ कोर्णाक/पुरी में एक होटल के निर्माण के लिए उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ, खपोली में एक रेस्तरा के प्रबन्ध के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के साथ, मेघालय सरकार के साथ शिलांग में उनके होटल के प्रबन्ध के लिये संयुक्त उद्यम होटल-करार कर लिए गए हैं। अथवा अन्तिम रूप दिए जाने की आखिरी स्टेज पर हैं। गोआ के आर्थिक विकास निगम चंडीगढ़ प्रशासन के साथ ऐसे ही करार अन्तिम रूप दिए जाने की विभिन्न आवश्यकताओ मे हैं।

सहयोग करारों में व्यापक तौर पर एक नई कंपनी की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम का संबंधित राज्य सरकार और पर्यटन विकास निगमों के साथ लगभग बराबर का इक्विटी पार्टीसिपेशन होगा। यह नई कम्पनी परियोजनाओं की लागत को वहन करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में भी होगी और इस प्रकार भारत पर्यटन विकास निगम के संसाधनों के साथ अपने संसाधनों को मिला सकेगी। इन होटलों की आयोजना और प्रबन्ध भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उपयुक्त वाणिज्यिक शर्तों पर किया जाएगा।

(घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास को दृष्टि में रखते हुए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रों पर छोटे होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव जैसा कि नीचे दर्शाया गया है विचाराधीन है :

राज्य का नाम	केन्द्र	परियोजना के ब्यौरे
असम	गोहाटी	राज्य सरकार के सहयोग से 75 कमरों वाला एक ३-स्टार होटल
अरूणाचल प्रदेश	बोमडिला या एटानगर	30 कमरे मूलभूत सुविधाओं सहित
मणिपुर	इम्फाल	30 कमरे मूलभूत सुविधाओं सहित
त्रिपुरा	अमरतला	30 कमरे मूलभूत सहित
मिजोरम	एजुल/कोला-सिव	प्रत्येक स्थान पर 15-20 कमरे मूलभूत सुविधाओं सहित
नागालैंड	कोहिमा	भारत पर्यटन विकास निगम का राज्य सरकार द्वारा निर्मित 24 बैड वाले एक पर्यटक गृह को प्रबन्ध आधार पर अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

ये परियोजना संबर्धनात्मक प्रकृति की हैं और इसलिए निकट भविष्य में शायद लाभ न दिखा सकें । तथापि, इससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए पर्यटक यातायात, विशेष रूप से स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में और पर्यटन से मिलने वाले सामाजिक आर्थिक फायदों को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तक लाने में सहायता मिलेगी ।

आयकर आयुक्त, कानपुर के अधीन आरक्षित पद

3471. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या वित्त मन्त्री निम्नलिलिखत जानकारी को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर आयुक्त, कानपुर के अधीन उन श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग अनुरक्षित कर दिया गया है ;

(घ) क्या आरक्षित पदों को अनुरक्षित करने से पूर्व अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जाति से जनजाति के लिए आरक्षित पदों को परस्पर बदले जाने सम्बन्धी नियम का तथा आरक्षित रिक्तियों को लगातार तीन वर्षों तक आगे ले जाए जाने वाले नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं और आरक्षित पदों को अनारक्षित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर आयुक्त, कानपुर के अधिकार-क्षेत्र में जिन आरक्षित पदों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षण-मुक्त किया गया उनकी श्रेणी-वार संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) वह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षण-मुक्त किये गये पदों का विवरण

पद की श्रेणी	1978		1979		1980		जोड़	
	अनु० जा०	अनु० ज० जाति	अन० जाति	अनु० ज० जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० ज० जाति
निरीक्षक	—	—	—	1	—	4	—	5
पर्यवेक्षक ग्रेड-i	2	1	—	—	1	1	3	2
पर्यवेक्षक ग्रेड-ii	—	1	—	—	—	1	—	2
प्रधान लिपिक	—	—	—	—	—	2	—	2
आशुलिपिक (500 रु० —900 रु०)	—	—	—	—	—	1	—	1
आशुलिपिक (425 रु०—700 रु०)	—	—	—	—	1	1	1	1
कर-सहायक	—	—	—	—	18	16	18	16
उच्च श्रेणी-लिपिक	—	—	—	—	5	6	5	6
रिकार्ड कीपर	—	—	—	—	—	1	—	1
नोटिस तामीलकर्ता	—	—	—	—	—	1	—	1
	2	2	—	1	25	34	27	37

पर्यटन विभाग के कार्यालयों और होटलों में कर्मचारी

3472. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पर्यटन विभाग में 1 नवम्बर, 1981 को कार्यालयों में (कार्यालय-वार) और होटलों में (होटल-वार) विभिन्न संवर्गों के (संदर्भ-वार), कितने-कितने व्यक्ति विभिन्न राज्यों के (राज्यवार) है ; और

(ख) भर्ती के तरीकों के साथ उपरोक्त का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"बिग आई० टी० हाल इन कैपीटल" शीर्षक समाचार

3473. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'नेशनल हैराल्ड' दिनांक 11 नवम्बर, 1981 में "विग आई टी० हाल इन कैपीटल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छापे में बरामद अभिशसी दस्तावेज कितने और किस प्रकार के हैं, कितनी नकद राशि मिली, मियादी जमा राशि की कितनी रसीदें मिलीं और बरामद जेवरात का मूल्य का है ;

(घ) आयकर अपवंचन का तरीका क्या है और कोयला प्रयोकता संगठनों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं और ;

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है (पूरे ब्यौरे दिए जाएं) ;

(च) उक्त व्यापारी द्वारा कितने लोक वाहन तथा बसें ली गई तथा कब से ; और

(छ) ये वाहन कहां पर चलते हैं और किस नाम से चलते हैं तथा किस के अधिकार से चलते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां :

(ख) तथा (ग) दिल्ली में सुरामचन्द तथा एक भूतपूर्व लेखावाल के रिहायशी और कार्यालय परिसरों की 6 तथा 7 नवम्बर, 1981 को तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान 1,25,000 रु० की नकदी, 48,491 रु० की सावधि जमा रसीदें तथा दो नम्बर की बहियां और पत्र-व्यवहार पकड़ा गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐसा कारबार चलाया जा रहा है जो विभाग को नहीं बताया गया है।

(घ) कोयले को "कोल यूजर्स एसोसिएशन्स" जो फर्जी सदस्यों से बनाई गई थी, के नाम पर आवंटित करवाया गया था और तत्पश्चात उसे कालेबाजार में भारी मुनाफे पर बेचा गया था। इसमें ग्रस्त एसोसिऐशन ये हैं :—

(i) न्यू स्माल फाउण्ड्री एसोसिएशन, दिल्ली ;

(ii) दी स्माल फाउन्ड्री एसोसिएशन, दिल्ली ;

(iii) दिल्ली स्माल इण्डस्ट्रीज़ एण्ड स्टीम कोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन, दिल्ली।

उपर्युक्त संगठनों को कार्यालय परिसरों का सर्वेक्षण भी किया गया था तथा उनकी तलाशी भी ली गई थी।

(ड.) आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष-कर अधिनियमो के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(च) तथा (छ) इन पार्टियों ने स्वीकार किया है कि उनके पास, उनके अपने और उनके परिवार के नामो से, पांच ट्रक और एक जीप है। वाहनों का दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था।

जीवन बीमा निगम के कार्यों को यन्त्रीकृत करने का प्रस्ताव

3474. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम अपने कार्यों को यन्त्रीकृत करने का विचार कर रहा है ;

(ख) क्या आई० एम० टी० यू० सी० ने जीवन बीमा निगम के इस विचार का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) "इन्टक" की कार्य समिति ने जीवन बीमा निगम के अपने कार्यों को यन्त्रीकृत करने के निर्णय के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है। जिसमें यह कहा गया है कि जीवन बीमा निगम के ऊपर रोजगार उपलब्ध कराने की एक सामाजिक जिम्मेदारी है और इस उद्देश्य की पूर्ति जीवन बीमा निगम को श्रम प्रधान बनाकर ही की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस समय भी जीवन बीमा निगम के कार्य मशीनों से किए जाते हैं। लेकिन, जैसा कि जीवन बीमा निगम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त समिति ने कहा है कि वर्तमान यूनिट रिकार्ड मशीने पुरानी पड़ गई हैं और जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों की सेवा के स्तर में गम्भीर रूप से गिरावट आने का यही मुख्य कारण है। इसलिए समिति ने जोरदार सिफारिश की है कि जीवन बीमा निगम को चाहिए कि वह आंकड़ों

के संसाधन की यूनिट रिकार्ड मशीनों और अड्रेमा मशीनों पर आधारित वर्तमान प्रणाली को यथाशीघ्र बहुद्देशीय और आधुनिक प्रणाली में बदलने की व्यवस्था करें। पालिसी होल्डरों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीवन निगम और सरकार ने समिति के इन निष्कर्षों और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जीवन बीमा निगम ने तीन डिवीजनों में प्रोगात्मक आधार पर वर्तमान आंकड़ा संसाधन प्रणाली को बदलने की कार्यवाई शुरू कर दी है।

जीवन बीमा निगम ने यह आश्वासन दिया है कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की कोई छटनी नहीं की जाएगी या आय अथवा मजदूरी में कोई हानि होगी या कर्मचारियों के काम की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चमड़े के सामान के निर्यात को बढ़ावा देना

3475. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने चमड़े से निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई० आई० एफ० टी०) ने "सेफ्टी चमड़ा उत्पादों की निर्यात सम्भावनाएं" विषय पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन में ऐसे उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया गया है। अध्ययन ने दस्तानों, जैकेटों और एप्रनों के, जिनकी अध्ययन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए अपेक्षित क्वालिटी के चमड़े की सप्लाई बढ़ाने की आवश्यकता का सुझाव दिया है। अध्ययन ने यह भी सुझाव दिया है कि उचित टैक्नोलाजी अपनाई जाये तथा कारीगरी एवं अन्तिम उत्पादों की की फिनिशिंग में सुधार लाया जाये ताकि उनकी स्वीकार्यता बढ़ सके ऐसे उत्पादों के लिए अधिक मात्रा में व्यापार सम्वर्धन उपाय करने की आवश्यकता का भी सुझाव दिया गया है।

मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के सरिया मिल और गढ़ाई कारखाने का आधुनिकीकरण

3476. **श्री नीरेन घोष** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित इस्पात संयन्त्र, दुर्गापुर के सरिया मिल और गढ़ाई कारखाने का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जबकि इस्पात कारखाने के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय तथा अन्य सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इस समय मिश्र-इस्पात संयंत्र के विस्तार तथा आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है जिसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। विस्तार के प्रथम चरण में इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता को 1,00,000 टन से बढ़ाकर 1,60,000 टन किया जाएगा। विस्तार के दूसरे चरण में इस्पात पिण्ड की क्षमता को आगे और बढ़ाकर लगभग 204,000 टन किया जाएगा/वर्तमान सुविधाएं बढ़े हुए समस्त उत्पादन तथा उसे बिक्री योग्य उत्पादों में बदलने के लिए पर्याप्त हैं।

एच० एस० सी० एल० कर्मचारी एसोसिएशन से ज्ञापन

3477. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एच० एस० सी० एल० कर्मचारी एसोसिएशन को दिनांक 9 अप्रैल 1981 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त थापन में उठाए गए मुद्दों का ब्योरा क्या है ;

(ग) उक्त ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तत्सम्बन्धी मुद्दा-वार ब्योरा क्या है ;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों का ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से परामर्श करके इस ज्ञापन पर विचार किया गया है और सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा इस बारे में कार्रवाई करना आवश्यक और उचित था और यह कार्रवाई कानून के उपबन्धों के अनुसार की गई है।

विवरण

(1) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कर्मचारी संघ (सीटू) के अध्यक्ष श्री के० रामदास आचारी और 174 अन्य कामगारों को 27 मार्च, 1981 को छटनी का नोटिस दिया गया था परन्तु श्री आचारी को यह नोटिस नहीं मिला। श्री आचारी 23 से 28 मार्च, 1981 तक छुट्टी पर थे और उन्होंने तार द्वारा अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी।

(2) श्री आचारी 4 जून, 1977 को ड्यूटी पर आये थे और हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स

कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा जारी किए गए दिनांक 19/23 अप्रैल, 1979 के आदेश द्वारा उनकी सेवा अवधि 2 जून, 1981 तक बढ़ा दी गई थी। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को कुद्रेमुख के प्रमुख कार्य-स्थल का दिया गया काम चल रहा था और परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूरा होने में तीन से चार महीने और लगेंगे। 330-560 रुपये के वेतनमान के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाला अनुसचिवीय कार्य पूरा करने में और छः महीने लगेंगे। श्री आचारी को नौकरी से निकालना नौकरी के करार की शर्तों के खिलाफ है।

(3) श्री आचारी 26 वर्ष की आयु-सीमा पार कर चुके हैं और उन्हें स्थाई प्रकार की दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती है।

(4) श्री आचारी की छंटनी करते समय क्षेत्रीय वरीयता को ध्यान में नहीं रखा गया है और उनसे कनिष्ठ कामगारों को नौकरी में बने रहने दिया गया है। इससे औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम के नियम 77 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (जी०) का उल्लंघन हुआ है। हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रबन्धकों ने श्री आचारी की छंटनी के मामले में अपनी मर्जी की है क्योंकि कर्मचारी संघ के अनुसार प्रबन्धकों द्वारा तैयार किए गए दिनांक 28 फरवरी, 1981 के जन-शक्ति विवरण में कनिष्ठ सहायकों आदि की संख्या कुद्रेमुख के कामगारों की स्वीकृत संख्या से कम दिखाई गई है। श्री आचारी को हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की किसी दूसरी इकाई में भेजा जा सकता था जैसा कि कम्पनी पहले करती रही है।

(5) 1965 से लेकर इस आधार पर कि किसी परियोजना विशेष में काम पूरा हो गया है अथवा कम्पनी की कोई विशेष इकाई बन्द हो गई है, किसी कामगार की छटनी नहीं की गई है। इस प्रकार की छंटनी पहली बार की गई है और इस बार की गई है और इस बारे में अपनायी गई नीति भेदभाव की नीति है।

(6) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की दिनांक 13 फरवरी, 1981 की गृह पत्रिका "निर्माण पत्रिका" में यह बताया गया था कि कम्पनी को भारत और विदेशों में क्रमशः 1050.42 करोड़ रुपये और 205.22 करोड़ रुपये का काम लिखा है। कुद्रेमुख इकाई के बन्द होने के आधार पर श्री आचारी की सेवाएं समाप्त करना अनुचित है।

(7) श्री आचारी की नौकरी समाप्त करने के बारे में कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है। उन्हें न तो कोई आरोप-पत्र दिया गया है और न ही उनके मामले में कोई जांच की गई है।

जेनिका एसोसिएट्स, बम्बई के कार्यालय पर आयकर छापे

3478. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने वीनानुकूलित बाजार, तारदेव, बम्बई स्थित जेनिका एसोसिएट्स के कार्यालय पर छापे मारे थे ;

(ख) क्या यह सच है कि जेनिका एसोसिएट्स द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" बम्बई में जारी किया गया विज्ञापन इस छापे का कारण था ; और

(ग) यदि हां, तो इस विज्ञापन का ब्यौरा क्या है तथा उक्त परिसर कार्यालय में मारे गए छापे में क्या निष्कर्ष रहे और छानबीन से क्या बातें सामने आईं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) आयकर विभाग ने इस मामले में तलाशी ली क्योंकि उनके पास यह विश्वास करने के कारण थे कि तलाशी लेने से छिपाई गई आय का पता चलेगा । इस तलाशी के परिणाम: प्रथम दृष्टया, 8.4 लाख रुपये की लेखाबाह्य नकदी पकड़ी गई है । उक्त पार्टियों ने स्वेच्छा से 3 लाख रुपये के अंकित मूल्य के धारक बन्ध प्रपत्र भी यह बताते हुए आयकर विभाग के सुपुर्द किये थे कि ये किसी अन्य व्यक्ति के हैं । बाद में जांच करने पर उस व्यक्ति ने उक्त बन्ध-पत्रों की मालिकी स्वीकार नहीं की ।

कलात्मक वस्तुओं की तस्करी

3479. **श्री माधवरावे सिन्धिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत से कलात्मक वस्तुओं की तस्करी की घटनाएं पिछले अनेक वर्षों से बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं । अथवा उठाने का विचार है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) प्रश्न का सम्बन्ध संभवत: पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत समय-समय पर यथा अधिसूचित पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों की तस्करी से है ।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि हाल ही में ऐसी वस्तुओं की भारत से बहार बड़े पैमाने पर तस्करी की गई है ।

(ग) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियों का निर्यात करने पर रोक लगाई गई है, किन्तु महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी किये गई वैध पर मट के तहत निर्यात किया किया जा सकता है ।

ऐसी वस्तुओं को भारत से बहार चोरी छिपे ले जाये जाने के हर प्रयास को रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ तालमेल रखते हुए सीमाशुल्क अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर कडी निगरीनी रखते हैं ।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेट के अन्तर्गत समेकित इस्पात संयंत्रों में कोकिंग-कोक के भण्डार की स्थिति

3480. **श्री सुबोध सेन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अथारिटी आफ इण्डिया के अन्तर्गत छः समेकित इस्पात संयंत्रों में कोकिंग-कोल के भंडार की नवीनतम स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) 6 दिसम्बर, 1981 को टिस्को को मिलाकर छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का इतिशेष स्टाक (क्लोजिंग स्टाक) 2,92,697 टन था ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकारियों द्वारा लिया गया विमान किराया

3481. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के चेयरमैन प्रबन्ध निदेशक, उप महा प्रबन्धक (तकनीकी) और प्रबन्धक (सी० तथा पी० एफ०) विमान किराये के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा एककों के ईपरोक्त अधिकारियों द्वारा 1979-80 और 1980-8. के दौरान मांगे गये तथा प्राप्त किये गये विमान किराये के ब्यौरे क्या हैं ;. और

(ग) उपरोक्त अवधि में उनको कितना यात्रा भत्ता प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को भुगतान किए गए यात्रा भत्ते आदि के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार है :—

	1979-80	1980-81
(1) अध्यक्ष सह	रु०	रु०
प्रबन्धक निदेशक	43,155,50	31,707,17
उप महा प्रवन्धक (तकनीकी)	27,814,42	22,065,00
उप महा प्रबन्धक (लागत निर्धारण एवं परियोजना वित्त)	14,435,73	25,647,80

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत से मांगा गया समर्थन

3482. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री गुलाम मोहम्मद खान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि ने प्रधान मन्त्री की इटली की यात्रा के दौरान विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार लाने में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भारत का समर्थन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस बारे में दी जाने वाली सहायता का व्यापक ब्योरा क्या है ?

वित्तमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के महानिदेशक ने प्रधान मन्त्री से उनकी हाल की इटली यात्रा के दौरान भेंट की थी और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की विभिन्न गतिविधियों और उन प्रयासों से अवगत कराया था जो अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के आगामी पुनर्भरण पर सहमत होने के लिए किए जा रहे हैं ।

(ख) भारत ने 1981-83 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के अगामी पुनर्भरण के वास्ते भारतीय मुद्रा में 65 लाख रुपए के अभिदान का वचन दिया है ।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए ऋण हेतु विश्व बैंक की शर्तें तथा केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर इसका प्रभाव

3483. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक अधिकारी भारत में विद्युत क्षमता में वृद्धि करने के लिए अपने ऋण जिसका पहले आश्वासन दिया जा चुका है के लिए, शर्त के रूप में विद्युत प्राधिकरणों के पुनर्गठन तथा बड़े पैमाने पर केन्द्रीयकरण पर जोर दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी शर्तों को स्वीकार करने पर विद्युत के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में संविधान में परिभाषित केन्द्र राज्य सम्बन्धों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए आसान शर्तों पर ऋण की सुविधाओं का वापस लिया जाना

3484. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाले आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा समाप्त करने पर जोर दे रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि जिस ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने पहले वचन दिया था, वह संभवतः उसे भी पूरा नहीं करेगी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विद्युत कार्यक्रम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर इसका क्या असर पड़ने की सम्भावना है तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता के बारे में बातचीत चल रही है ।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते ।

ऋण नीति में सुधार

3485. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण वितरण में पाए गए इन्टर ग्रुप विकारों को दूर करने के लिए ऋण नीति में कुछ सुधार किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग इस सम्बन्ध में विचार तथा प्रयास कर रहा है कि कुल संस्थागत ऋण का 50 प्रतिशत कमजोर वर्ग को मिले ;

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्ग को अन्य कौन-सी विशिष्ट सहायता दी जा रही है ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में 1981-82 के दौरान उसमें से कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में जो कि राष्ट्रीय उत्पादन में भरपूर अंशदान करते हैं तथा विस्तृत उत्पादक रोजगार के लिए क्षमता रखते हैं, वाणिज्यिक बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण को सुधारने के वास्ते सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, निरन्तर प्रयास करते रहे हैं । इसलिए, कुल ऋण में इन क्षेत्रों को दिए गए ऋण का अंश जो कि जून, 1969 में 14 प्रतिशत था, बढ़कर जुलाई, 1981 में 34.5 प्रतिशत के करीब हो गया ।

(ग) और (घ) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के पक्ष में सामान्य झुकाव के अलावा इस आयोजना में ऐसे व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कतिपय विशिष्ट योजनाए शामिल की गयी हैं । इनमें से मुख्य ये हैं :—समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य एक ओर तो कृषि तथा इससे सम्बद्ध गतिविधियों एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है और दूसरी ओर संवर्दनशील वर्गों के संसाधनों तथा आय को बढ़ाना है, कृषि की मन्दी की अवधियों के दौरान निर्धन ग्रामीणों को पूरक रोजगार उपलब्ध

कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, लोगों को कुछ मूलसुविधाएं उपलब्ध कराने के वास्ते न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग विकास कार्यक्रम और अनुसूचित जातियों के वास्ते विशेष घटक योजनाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित कीमत पर आवश्यक उपभोक्ता माल की सप्लाई, रियायती शर्तों पर ऋण की व्यवस्था आदि से भी कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचेगा।

1981-82 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के वास्ते 1876 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों तथा अनुसूचित जातियों के लिए घटक आयोजनाओं के वास्ते विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 287 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि में शामिल किए गए कार्यक्रमों के अलावा बाद वाले कार्यक्रमों के लिए राज्य क्षेत्र आयोजना परिव्यय से किए गए विनियतनों के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। इस समय उपर्युक्त व्यवस्थाओं पर, चालू वर्ष में सम्भावित व्यय के बारे में बताना भी सम्भव नहीं है।

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम को विश्व बैंक का ऋण

3486. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त विकास निगम ने वर्ष 1982-83 के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से आसान शर्तों पर 35 करोड़ डालर के ऋण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो वे कितना ऋण प्राप्त कर सके हैं ;

(ग) भारत को यह ऋण कब तक दिए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) भारत में यह राशि किस प्रकार उपयोग किये जाने की सम्भावना है और इसे चुकाने का तरीका क्या होगा ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक परियोजना विश्व बैंक के सामने रखी है। विश्व बैंक से इस परियोजना के लिए 35 करोड़ डालर की सहायता मिलने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) ऋण-करार के सम्बन्ध में हाल में बातचीत हुई है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड के द्वारा इसका अनुमोदन होना बाकी है।

(घ) इस ऋण का स्तेमाल भूमि विकास बैंकों जैसी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं को लघु सिंचाई और बागान तथा बागवानी, खेती के मशीनीकरण, पशुधन, मीन उद्योग, वनपालन, भंडारण आदि के प्रयोजना से नानाविध ऋण देने के लिए कृषि पुनर्वित्त

विकास निगम के कामों का वित्तपोषण करने के वास्ते किया जाएगा। वापसी अदायगी की प्रक्रिया का पता करार को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही लगेगा।

केरल में हथकरघा उद्योग

3487. **श्री ए० नीलालोहिथादसन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि केरल के हथकरघा उद्योग के सामने आ रही समस्याओं के बारे में भारत सरकार को एक ज्ञापन पेश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या मुख्य-मुख्य मांगें की गई हैं ; और

(ग) उन मांगों पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) जी हां।

(ख) मांगों में शामिल है यार्न की कीमतों पर नियंत्रण, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का ढांचा तथा उद्देश्य, प्रतिशत, कताई मिलें शुरू करने के लिए केरल राज्य सरकार को सहायता, छूट हथकरघा क्षेत्र के लिए हथकरघों का आरक्षण तथा राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाना।

(ग) यार्न सप्लाई तथा हैण्डलूम माल की कीमतों से सम्बन्धित मामलों पर नई दिल्ली में आयोजित राज्य मन्त्रियों की बैठक में चर्चा की गई थी और यह महसूस किया गया कि हथकरघों में सरकारी तथा निगम क्षेत्र में आबद्ध उत्पादन के लिए सहकारी कताई मिलों, राज्य वस्त्र निगम मिलों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों से बैंक यार्न उत्पादन की एक तरह की पूलिंग कर दिए जाने से समस्याओं को हल करने में काफी मदद मिल सकती है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि एन० टी० सी० मिलों से वे सीधे मांगकर्ता अभिकरण बन जायें, जिससे वे नियमित रूप से तथा निर्धारित कीमत पर बैंक यार्न प्राप्त कर सकें। बैंक यार्न विशेषत: ऋण काउन्टों वाले यार्न की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण करने के विचार से अभी हाल में सरकार ने एक लाख रुई की गांठें आयात करने का विनिश्चय किया और उसमें से 30,000 गांठें, हथकरघा क्षेत्र में वितरित किए जाने के हैंक यार्न में परिवर्तित किये जाने के वास्ते एन० टी० सी० तथा हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों के लिए निर्धारित की गई है। प्रस्तावित हथकरघा विकास निगम के उद्देश्यों में हथकरघा बुनकरों में वितरित किए जाने के लिए मिलों से यार्न खरीदने के वास्ते राज्य सरकार के अभिकरणों को सहायता देना शामिल है।

केरल के दक्षिणी क्षेत्र में प्रशिक्षण, एक और बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है। बुनकर कताई मिलों के मामले में दो मिलों को पहले ही सहायता प्रदान की जा चुकी है और छठी योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र में दो और कताई मिलें स्थापित करने का मामला राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वह आवश्यक प्रस्थापनाओं

को प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जरिए दी जाएगी।

जहां तक छूट का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर की सहभागिता में हर वर्ष 30 दिन की अवधि के लिए 20 प्रतिशत की विशेष छूट देती रही है और चालू वित्तीय वर्ष (1981-82) के लिए भी 30 दिन की अवधि के लिए विशेष छूट मंजूर की जा चुकी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय हथकरघा मिलों में विशेष छूट उपलब्ध है जो अभी हाल में हैदराबाद तथा दिल्ली और कलकत्ता, बम्बई व मद्रास जैसे स्थानों पर आयोजित किए गए थे।

हथकरघा माल के आरक्षण के मामले में कुछ मदें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पूरी तरह से हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन किए जाने के लिए आरक्षण सूची में पहले ही रख दी गई है। इन आरक्षण आदेशों की गुंजाइश तथा विषय वस्तु पर एक अध्ययन दल इस समय विचार कर रहा है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है। जहां तक क्षेत्रीय मजदूरी नीति का सम्बन्ध है, चूंकि इस प्रकार की न्यूनतम मजदूरियां विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर निर्धारित की जाती है, अतः हथकरघा जैसे विकेन्द्रित उद्योग के लिए इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय अथवा एक समान मजदूरी नीति सम्भव नहीं होगी।

मजूरी, आय और मूल्यों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

3488. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मजूरी, आय और मूल्यों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) आय और मूल्य नीति का मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में मौजूदा नीति छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रलेख के अध्याय 7—नीति सम्बन्धी आधार स्वरूप में दी गई है।

मंगलौर पेलेट प्लाण्ट के लिए देशी मशीनरी

3489. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पेलेट प्लान्ट के लिए अपेक्षित अधिकांश मशीनरी देशी श्रोतों से उपलब्ध कराने का विचार था ;

(ख) क्या इसके बावजूद ऐसे उपकरणों के लिए 7 करोड़ रुपए के बड़े आर्डर विदेशी सप्लायरों को दिए गए ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय निर्माता मशीनें उपलब्ध क्यों नहीं करा सके ; और

(घ) क्या समझौते पर पुनर्विचार करने के बाद ऐसा किया गया क्योंकि उनमें यह व्यवस्था थी कि ये मशीनें केवल भारत से ही ली जाएगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने मंगलौर में पैलेट संयंत्र लगाने के लिए रुमानिया के मैसर्स यूनीनएक्सपोर्टहम्पोर्ट के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि उनकी पेशकश तकनीकी दृष्टि से इसी कार्य पेशकशों में मूल्य की दृष्टि से सबसे कम थी। इस पेशकश में यह व्यवस्था है कि बैटरी सीमा में 35.44 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरणों की सप्लाई अपतटीय स्रोतों (रुमानिया और फ्रांस) और 6.92 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरण देशीय स्रोतों से प्राप्त किये जायेंगे। लेकिन अस्थायी तौर पर देशीय स्रोतों से प्राप्त किये जाने वाले उपकरणों की आपूर्ति अपतटीय देशों से करने का निर्णय निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के लिए लिया गया है :

(i) अन्तरित की गई मदों का मूल्य और प्रेषण के समय के बारे में पक्की पेशकश की गई है और इन पर लागत बढ़ने अथवा समय बढ़ने की कोई शर्त नहीं है ;

(ii) फ्रांस से लिए जाने वाले उपस्करों का पूरा मूल्य अर्थात 80 मिलियन फ्रैंक का ऋण फ्रांस द्वारा आसान शर्तों पर दिया गया है ; और

(iii) रुमानिया द्वारा खरीदे जाने वाले लौह अयस्क सांद्रण की मात्रा में तदनुरूप वृद्धि (लगभग 0.5 मिलियन टन) की जाएगी जिससे कुद्रेमुख सांद्रण के उपस्कर में वृद्धि होगी जिसके लिए इस समय और कोई खरीददार नहीं है जिससे इस देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और इसके साथ-साथ कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० की अर्थ क्षमता में भी सुधार होगा।

इस उपकरण के अपतटीय स्रोतों से खरीद के लिए अन्तरित किए जाने के बाद भी कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड अभी भी बैटरी सीमा क्षेत्र के बाहर लगाए जाने वाले उपकरण देशीय स्रोतों से प्राप्त करेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारी-बारी से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर रोक

3490. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवा के कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारी की बारी-बारी से स्थानान्तरणों पर, सरकार की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण, रोक लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है क्योंकि यह निर्णय एक स्थान से अपनी पसन्द के दूसरे स्थान पर तैनात किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले पर पुनर्विचार करके और बारी-बारी से स्थानन्तरण करने की निति को तत्काल पुनः लागू करने तथा अन्य क्षेत्रों में बचत करन का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) किफायत के उपाय के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, 1979 में अनुदेश जारी किये गये थे, जिनके द्वारा, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति या अति विशेष व्यक्तिगत कारणों से होने वाले स्थानान्तरणों को छोड़कर, मुख्यालय के परिवर्तन सम्बन्धी स्थानान्तरणों पर एक वर्ष की अवधि के लिए रोक लगा दी गई थी। ये अनुदेश सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और कार्मिकों पर लागू नहीं होते । एक साल बाद जब इस मामले की समीक्षा की गई तो केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर लगाई गई रोक जारी रखने का निर्णय किया गया था। फिर भी, "सम्वेदनशील" पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रत्येक 2/3 वर्ष के बाद बारी से स्थानान्तरणों की अनुमति दी गई थी। 'सम्वेदनशील' पदों के वर्गीकरण के संबंध में मन्त्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों के परामर्श से निर्णय लेना उनके सचिवों पर छोड़ दिया गया है।

इस बात का ध्यान रखने के लिए सावधानी बरती गई है कि बारी-बारी से होने वाले स्थानान्तरण पर लगाई गई सामान्य रोक का सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि इन आदेशों में पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति या अति विशेष व्यक्तिगत कारणों से होने वाले आवश्यक स्थानान्तरणों की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, कठिनाई वाले स्थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के बारे में इस सम्बन्ध में प्रदान की गई हैं। इसलिए सरकार का इन अनुदेशों में किसी प्रकार का संशोधन करने का इरादा नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रणव कुमार मुखर्जी।

काफी बोर्ड के वर्ष 1978-79 और 1979-80 (सामान्य निधि) तथा वर्ष 1977-78 (सामूहिक निधि) के लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण वर्ष 1979-80 के लिए खनिज विकास बोर्ड नई दिल्ली एव भारतीय रूई निगम लि० बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण पर सरकार की समीक्षायें और विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण आदि आदि

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) काफी बोर्ड के वर्ष 1978 79 और 1979-80) सामान्य निधि) तथा वर्ष

1977-78 (सामूहिक निधि के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित कांफी बोर्ड के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 3047/81]

(2) (एक) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खनिज विकास बोर्ड नई, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये सं० एल० टी० 3048/81]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक-एक प्रति :-

(एक) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) भारतीय रूई निगम लिमिटेड का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 3049/81]

मुखर्जी

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की हड़ताल के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एक सूचना दी हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप इसे यहां क्यों उठाते हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपको इस बारे में अनुमति देनी चाहिए। वे पन्द्रह दिन से हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझसे मिलना चाहिए। और मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए। आपको यहां नहीं उठाना चाहिए आप मुझे बता सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है, मै आपको इस बारे में बताऊंगी ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, वेतन समिति के सवाल को लेकर 6 लाख टीचर्स और गवर्नमेंट एम्पलाईज आज से पूरे बिहार में हड़ताल पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय ; यह राज्य का विषय है । इसके लिए कोई समय नहीं दिया जायेगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है । मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे सकता । आप सदन का समय अनावश्यक रूप से क्यों ले रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : आप सुन तो लीजिए । टीचर्स तो कानकरेन्ट लिस्ट में आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो शास्त्री है, फिर खाहमि खा ऐसा क्यों कर रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) सेना को घटिया कम्बल सप्लाई किये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल एक दफा उठाया जा चुका है । राजदा साहब ने उठाया था या किसी और ने उठाया था । किसी ने इस सवाल को उठाया था । मुझे याद रहता है । इस मामले को सदन में पहले ही उठाया जा चुका है ।

श्री हरिकेश बहादुर : किसी माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में नियम 229,230 और 231 के उल्लघंन के बारे में आपको क्या कहना है ।

श्री मनीराम बागड़ी : गिरफ्तार किया गया और रिहा कर दिया गया, लेकिन सदन को कोई जानकारी नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : बुलेटिन को पढ़िए और फिर मुझे बताये ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, यह कायदे कानून इस तरह से नहीं बदला करते है । फर्ज कीजिए, मुझे गिरफ्तार करें और अदालत मुझे रिलीज करे यहां दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी हो और यहां सदन चल रहा हो फिर भी आपको उसकी इत्तला न दी जाए मैं तो कहूंगा कि यह आपके साथ अन्याय किया जा रहा है कि मेंबर कि गिरफ्तारी करके आपको इत्तला नहीं दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदया : मेरे पास इत्तला है मैंने बुलेटिन में दिया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आपको कब इत्तला मिली ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह जानकारी लोक सभा स्थगित होने के बाद मिली । कृपया ऐसा मत कीजिए । ऐसा रोजाना मत कीजिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : इसी तरह से आपको कुतुब मीनार के बारे में इत्तला नहीं मिली जिसमें कि इतने लोग मारे गए थे । उस समय आपके लोग लंच उड़ाने में लग रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : अति सर्वत्र वर्जयेत् ।

श्री मनीराम बागड़ी : इसमें अति क्या है ?

यह विशेषाधिकार का प्रश्न था आपने इतना बड़ा एनाउन्समेंट किया ···

अध्यक्ष महोदय : रेडियो में आया हुआ और बुलेटिन में दिखा दिया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने खुद सुना है रेडियो ।

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना है मेरे पास रिकार्ड है ।

श्री मनीराम बागड़ी : वह गलत है रिकार्ड, आप मिला लीजिए । चौधरी छोटू राम के नाम की "दिल्ली समीक्षा" में है आपने सारे सदन की राय जाहिर की थी, यह मामूली फैसला नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : यह लिखा हुआ है इसमें । सारे सदन की राय के मुताल्लिक ही इसमें लिखा हुआ है (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : जब चव्हाण सहाब पकड़े गए तब तो ये सारे लोग बोल रहे थे, तब कानून टूट गया था लेकिन अब मुझे गिरफ्तार करके उसकी इत्तला न दी जाए तो कानून क्या नहीं टूटा ? (व्यवधान)

भारतीय पैकोजिंग संस्थान बम्बई के वर्ष 1980-81 के हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण पर सरकार की समीक्षायें और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण भारतीय मध्य-स्थल परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण पर सरकार की समीक्षा, चाय अधिनियम 1953 के अन्तर्गत अधिसूचनाओं और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्री खुर्शीद आलम खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 3050/81]

(2) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास के वर्ष 1079-80 के वार्षिक

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) उपयुक्त (2) से उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 3051/81]

(4) (एक) भारतीय मध्यस्थता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय मध्यस्थता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 3052/81]

(5) चाय अधिनियम 1953 की धारा 16घ की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड कलकत्ता द्वारा पशोक टी एस्टेट, डाकखाना पशोक जिला दार्जिलिंग के प्रबन्ध को पांच वर्ष से आगे 10 अक्तूबर, 1982 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखने के बारे में का० आ० 732 (ड.) जो दिनांक 6 अक्तूबर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड कलकत्ता द्वारा लुकसान टी स्टेट, डाकखाना केरोन जिला गड़पाईगुड़ी के प्रबन्ध को पांच वर्ष के आगे 10 अक्तूबर, 1982 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखने के बारे में का० आ० 733 (ड.) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड कलकत्ता द्वारा बाह-तुकवार टी एस्टेट दार्जिलिंग के प्रबन्ध को पांच वर्ष से आगे 10 अक्तूबर, 1982 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखने के बारे में का० आ० 734 (ड.) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल टी० 3053/81

(6) (एक) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, एरणाकुलम, कोचीन के वर्ष 1979-80

के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मसाला निर्यात संबर्धन परिषद, एरणाकुलम कोचीन के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) उपयुक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी०3054/81]

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, 31 दिसम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) कामराज ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1981 को दिनांक 29 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2254 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम 1981 जो दिनांक 29 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 2255 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) ढनकानल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम 1981, जो दिनांक 29 अगस्त 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 2256 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए स० एल० टी० 3055/81]

(2) 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र को बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 3056/81]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना सं० सा० का० नि० 640 (इ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक

5 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो देश में बने फिलंट वटनों सहित "खुदरे ओपथेलमिक ग्लास ब्लैंकों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट दिए जाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 3057/81]

श्री हरकेश बहादुर : नियम 231 के उल्लंघन के बारे में आपको क्या कहना है। नियम 231 है कहा गया है—

निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र अध्यक्ष उसे पढ़कर सुनाएगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों के अनुसार कार्य करेंगे।

लोक लेखा समिति

विवरण

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में विनिर्दिष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही तथा अध्याय-5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) ऊनी वस्त्रों को फटे पुराने वस्त्र बताने पर उनको अनियमित रूप से छोड़ देने के बारे में 36 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(दो) सीमा-शुल्क प्राप्तियों के बारे में 67 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(तीन) जस्ते की सिल्लियों की खरीद के बारे में 88 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)

(चार) सीमा-शुल्क प्राप्तियों के बारे में 99 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(पांच) रक्षा सेवाओं के बारे में 100 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)

(छः) टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में 105 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(सात) अन्दमान वन विभाग के बारे 111 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(आठ) हल्दिया गोदी परियोजना के बारे में 115 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(नौ) सीमा शुल्क प्राप्तियों के बारे में 122 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(दस) तम्बुओं, असम्बली स्प्रिगों, एंगोला शर्टिंग तथा गन मेटल धातुपिंडों की खरीद के बारे में 124 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(ग्यारह) प्रत्यक्ष करो के बारे में 133 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(बारह) संघ उत्पादन शुल्कों के बारे में 145 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(तेरह) संघ उत्पादन-शुल्क के बारे में 146 वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा)।

(चौदह) डी०सी० विद्युत ट्रेक्शन के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)

(पन्द्रह) रेल लाइनों को पुनः चालू करने तथा निर्माण के बारे में चौथा प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(सोलह) मोहनवाड़ी धाबनपथ के बारे में पांचवा प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(सत्रह) अवशोषी रूई के निर्यात के लिए नकद सहायता के बारे में प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(अठारह) शंटरों के लिए डीजल इंजनों के निर्माण के लिए सहयोग करार के बारे में 15 वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(उन्नीस) विशेष उद्देश्य वाले दोषपूर्ण वाहकों का आयात तथा ठेकों में गलत आंकड़ों के समावेश के बारे में 22 वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आता है, तो कहते हैं। (व्यवधान) जो कानून हैं, जो करना होता है, वह कानून के हिसाब से कर दिया।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं।

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लौटाने का निर्देश हुआ है जो 26 नवम्बर, 1981 को आयोजित अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और राज्य सभा की सिफारिस के लिए उसे भेजा गया था और मुझे यह कहना है कि इस सदन को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 10 दिसम्बर, 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 नवम्बर, 1981 को पास किए गए सिनेमा थिएटर कर्मकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक, 1981 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गए हैं। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आपने क्या एनाउन्स किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से आकर बात कर लेना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे नियमों के अनुसार करते हैं। (व्यवधान) में इस बात को देखूंगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह संभव है कल यह मामला सदन में उठाया गया था तब जानकारी आपके पास न पहुंची हो। परन्तु बाद में आपको इस बात की जानकारी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इस जानकारी को सदन मे देना चाहिए था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था और रिहा कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें रिहा कर दिया गया है तो ऐसा नहीं किया जाता है। यदि वह अभी भी विरुद्ध होते, तो ऐसी घोषणा कर देता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं नहीं। इस तथ्य को कि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया था, सदन में अवश्य घोषित करना चाहिए भले ही उसे बाद में रिहा कर दिया गया हो।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद हम बुलेटिन के माध्यम से जानकारी देते है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले ऐसी परम्परा नहीं रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं गलत हूं तो आप मुझसे इस बारे में बता सकते है। और मैं ग़लती को सुधार दूंगा। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप इस बारे में गलत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं गलत नहीं हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : आप गलत हैं इस मामले में।

अध्यक्ष महोदय : मैं गलत नहीं हूं मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको परम्परा के बारे में बताऊंगा। मुझे आप बता दीजिएगा मैं मान लूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपको बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दिखा दूंगा, जो प्रमाण हैं, जो प्रथा है जो रूल है, जो कन्वेंशन है, वह मैं आपको दिखा दूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरा नियम 231 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अव्यवस्था का प्रश्न है। **श्री सतीश अग्रवाल** :

———

लोक लेखा समिति

61 वां और 63 वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं

(1) स्वीकृत अनुदानों और प्रभावी विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में प्रथम और चौबीसवें प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 61 वां प्रतिवेदन।

(2) विभाजन पूर्व घाटे और अनियमितताओं सम्बन्धी 63 वां प्रतिवेदन।

श्री हरिवेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कहा गया है "यदि किसी सदस्य की रिहाई कर सूचना उसकी गिरफ्तारी के बारे में सभा को सूचित करने से पहले प्राप्त हुई हो या यदि किसी सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई की सूचना एक साथ प्राप्त हुई हो तो ऐसी सूचनायें सदस्यों की जानकारी के लिये समाचार भाग-दो में प्रकाशित की जाती है" हमने यह कर दिया है।

(व्यवधान)

हम तो परम्परा पर चलते हैं। उनसे बाहर नहीं जाते।

(व्यवधान)

मुझे क्या लगता है इतना बोलने में, मैं वह भी बोल देता हूं। मुझे क्या तकलीफ होती थी।

तब मुझे व्यवस्था के विरुद्ध जाना होगा।

श्री हरिकेश बहादुर : नियम 231 में कहा गया है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उस नियम को जानता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : तब आपको सभा को सूचित कर देना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वही किया है जो किया जाना चाहिये।

श्री हरिकेश बहादुर : आप यह नहीं कर रहे हैं। आपको उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिल गई थी। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : जब शैशन न हो तो।

अध्यक्ष महोदय : हाउस अगर उठा हो और बाद में आप रीलीज हो गए हों, तो फिर बुलिटिन में आता है। अगर आप आज भी अन्दर होते, सरकार के मेहमान होते, तो मैं जरूर कर देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया ।

याचिका समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : श्रीमन् मैं याचिका समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजेश पायलट (भरत पुर) : मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं इस समाचार में आप यह कहते हैं कि अमुक सदस्य भारतीय दण्ड संहिता की अमुक धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है । चूंकि हमें भारतीय दण्ड संहिताओं का पता नहीं है इसलिये आपको गिरफ्तारी के कारण भी सरल भाषा में बताने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हमें जो जानकारी मिलती है हम उसी को दोहराते हैं ।

श्री राजेश पायलेट : बात यह है कि हम भारतीय दण्ड संहिता को नहीं समझते ।

अध्यक्ष महोदय : आपको समझाना चाहिये ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं एक जानकारी चाहता हूं । कल सेन्ट्रल हाल में दो टेलीविजन सेट लगे हुए थे । यह सम्भवत: सदस्यों के लिए क्रिकेट मैच को देखने के लिए लगाये गये थे । इससे कुछ लोगों को यह कहने का मौका मिल जायेगा कि सदस्यों को समय की कार्यवाही में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे सभी सेन्ट्रल हाल में जमा हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, आपको मालूम होना चाहिये था कि यह एक परम्परा के अनुसार किया गया है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : राम-घर बना रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : बगैर टी० वी० भी नहीं आते हैं । टी० वी० नहीं होता है तो कौन आते हैं ? यह तो "12 बजे" आपको लाता है ।

श्री मनीराम बागड़ी : फिर क्यों रोक रहे हो ?

विहार के धनवाद जिले में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में 7 दिसम्बर1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिचाई तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र) :

बिहार के धनबाद जिले में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में लोक सभा में 7-12-1981 को माननीय संसद सदस्य श्री ए० के० राय द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 209 के उत्तर के दौरान मैंने यह कहा था कि "इस कार्यक्रम में उस स्थान पर चल रही न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता है । "उसके पश्चात अपने उत्तर के दौरान मैंने यह भी उल्लेख किया था कि "सरकार इस बात को नहीं मान सकती कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होना चाहिए ।" मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी सम्बन्धित क्षेत्र में चल रही मजदूरी की दरों अथवा उस क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप नहीं होती । तथापि, जो मैंने कहा था उससे यह प्रभाव पड़ सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी का न्यूनतम मजदूरी से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो कि सही नहीं है । सही स्थिति यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत "भुगतान की जाने वाली मजदूरी उस क्षेत्र में निर्धारित अकुशल कृषि श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर होनी चाहिए ।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्री राम स्वरुप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित लोक-महत्व के विषय की ओर माननीय निर्माण और आवास मन्त्री जी का ध्यान दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें—

"दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ किसानों को भूमि का अधिग्रहण किये जाने और उन्हें कम दर पर मुआवजा दिये जाने के विरोध में बोट क्लब, नई दिल्ली पर 30 नवम्बर, को उन किसानों द्वारा की गई रैलियों और प्रदर्शनों के समाचार ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के अधिग्रहण मुआवजे के बारे में बोट क्लब पर रैली और प्रदर्शनों के समाचार

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) अध्यक्ष महोदय, बादली क्षेत्र के गांव, बृहत योजना के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटाना योजना के अन्तर्गत अर्जन के लिए अधिसूचित की गई 68,000 एकड़ भूमि में से हैं । दिल्ली के गावों की भूमि का अर्जन दिल्ली के नियोजित विकास के लिए किया जा रहा है ताकि राजधानी शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति की जा सके । बृहत योजना जो कि 1950 के उत्तरार्ध में बनाई गई थी और जो 1 सितम्बर, 1962 से लागू हुई, के अन्तर्गत 1981 तक नगरीकरण योग्य भूमि लगभग 1,10,000 एकड़ है । इस क्षेत्र में लगभग 45 लाख की जनसंख्या के समायोजन की संभावना थी, जिसके आकड़ों को बाद में उच्चतम घनत्व मापदण्ड अपना कर संशोधित किया गया था । भारत की 1981 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 62 लाख आंकी गई है जिसमें लगभग 57.5

लाख की नगरीय जनसंख्या शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया जनसख्या प्रक्षेपण के अनुसार दिल्ली की नगरीय जनसंख्या वर्ष 2001 तक 122 लाख हो जाने की सम्भावना है।

दिल्ली की जनसख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण सरकार के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उचित आश्रय तथा सेवाओं के लिए साधन जुटाने आवश्यक हो गये हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए प्लाटों/फ्लैटों तथा सेवाओं के विकास और प्रावधान के लिए पिछले वर्ष रोहिणी योजना आरम्भ की की। इस योजना से सभी सेवाओं तथा सामूहिक सुविधाओं इत्यादि सहित 1,17,000 प्लाटों/फ्लैटों की व्यवस्था करके 8.5 लाख की जनसख्या को बसाया जा सकेगा। रोहिणी योजना का कुल क्षेत्रफल 2,490 हेक्टोयर है जिसमें बादली तथा अन्य 7 ग्रामों के क्षेत्र शामिल है, जिसमें से बादली गांव की भूमि 695 हेक्टोयर है। 2,490 हेक्टोयर भूमि में से 803 हेक्टोयर भूमि पहले ही अर्जन के लिए ले ली गई है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

अर्जित भूमि के लिए अपर्याप्त मुआवजे के परिणामस्वरूप किसानों की कठिनाई के के सम्बन्ध में श्रीमती प्रमिला दण्डवते तथा श्री भीष्म सिंह सहित श्री जगदीश टाइटलर और अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैंने पहले ही 19.3.81 की लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 23 और 24 के उपबन्धों के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित की जाती है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अर्जित भूमि के लिए दिये जाने वाले मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पर भूमि का बाजार मूल्य का हिसाब लगाया जाना होता है। निर्धारित मुआवजे के ऊपर अर्जन की आवश्यक लागत के रूप में 15 प्रतिशत दिया जाता है। इसके अलावा धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना के तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से आवार्ड की घोषणा तक 6 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष पुराने मामलों में ब्याज भी दिया जाता है। उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय पर बहस के दौरान मैंने बताया था कि सरकार उन किसानों की कठिनाइयों से अवगत थी जिनकी भूमि सरकार द्वारा अर्जित की गई थी, और सरकार को उनकी आवश्यकताओं से सहानुभूति थी। मैंने यह भी बताया था कि जिन लोगों की भूमि का अर्जन किया गया है उनकी कठिनाइयों को कम करने हेतु सरकार भूमि अर्जन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रही थी। तथापि, मैंने यह आश्वासन नहीं दिया था कि जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक निलम्बित पड़ी भूमि अर्जन की कार्यवाहियों में कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बादली और अन्य आस पास के गांव के मामलों में भूमि के अर्जन की कार्रवाइयां कई सालों पहले आरम्भ की गई थीं और अवार्ड अधिसूचना की तारीखों के अनुसार दिये गये हैं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रोहिणी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बादली

क्षेत्र के गांवों की भूमि की आवश्यकता थी । अर्जित भूमियों के लिए मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार निश्चित किया गया है, और 12.11.1981 को दिल्ली प्रशासन ने भूमि का कब्जा भी ले लिया है । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि बादली गांव में भूमि का मुआवजा, सान्त्वना तथा ब्याज सहित औसतन अदायगी 4.28 रुपये प्रति वर्ग गज होती है । तथापि, मुआवजे के अलावा जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उनके लिए निम्नलिखित फायदे भी मौजूद हैं :—

(क) पूर्व निर्धारित दर पर अर्जित भूमि के 40 प्रतिशत तक की सीमा तक अनुमोदित कालोनी में रिहायशी प्लाट या 250 वर्ग गज जो कम हो ।

(ख) बेदखल किए गए भूमि धारकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई दुकानों में से 10 प्रतिशत दुकानें पूर्व निर्धारित दरों पर लाटरी द्वारा उन्हें आवंटित की जाती हैं ।

जहां कहीं भी अर्जित की गई भूमि पर चालू मौसम में रबी की फसलें बोई गई हैं वहां सरकार ऐसी फसलों की कटाई के समय तक की अवधि के लिए उन किसानों को जिन्होंने फसलें बोई हैं ऐसी भूमि को लाइसेन्स पर देगी, जिसके बाद किसानों को वह जमीन छोड़नी होगी ।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सरकार का रवैया हमेशा किसानों की जरूरतों और कल्याण के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है और सरकार कानून के उपबन्धो के अनुसार किसानों की हर सम्भव सहायता करेगी । जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भी सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह 4.28 रु० प्रति वर्ग गज है तो लिंग प्राइस क्या होगी, आप इसको कितने में दूसरों को बेचेंगे ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : दिल्ली विकास प्राधिकरण उस प्लाट का विकास करके न लाभ न हानि के आधार पर बेचता है ।

अध्यक्ष महोदय : वैसे कुछ पता नहीं कि कितना पैसा होता होगा उसका ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : स्वाभाविक है कि विकास पर आने वाली लागत तथा अन्य चीजें भी शामिल की जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अल्टीमेटली वेल्यु कितनी है ? अच्छा, रामस्वरूप राम ।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्तिम पैरा में किसानों के प्रति सहानुभूति दिखायी है उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं । हमारी केन्द्रीय सरकार का, हमारी पार्टी का बराबर यह सिद्धांत रहा है कि फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसानों को उनकी चीजों के सही दाम मिलें और उनका विकास हो ।

मैं अपने सवाल को इसी परिवेश में पूछना चाहूंगा । बादली और उसके समीप गांव की

जो जमीन एक्वायर हुई है, जिसका कि मामला बहुत दिनों से पड़ा चला जा रहा था जिसके बारे में वहां के किसान कह रहे थे कि हमारी जमीन दो रुपये गज की दर से ली जाती है और वही जमीन दो हजार रुपये प्रति गज की दर से बेची जाती है। 20 कट्टे का हमारे यहां एकड़ होता है। बीस हजार रुपये प्रति एकड़ में जमीन ली जाती है और दो हजार गज में वह बेची जाती है। इतना ज्यादा मुनाफा डी० डी० ए० को मिलता है।

ये जो शुरू से बातें चली आ रही हैं, ये वहां के किसानों को, मार्जिनल फार्मर्स को बातें अच्छी नहीं लगीं। इसलिए उन्होंने सरकार के सामने प्रोटेस्ट किया कि हम को हमारी जमीन का मुआवजा सही दाम पर मिलना चाहिए और 1894 का जो लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट है उसमें संशोधन होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। डी० डी० ए० एक कल्याणकारी संगठन है, इसमें कमर्शियल जैसी बात नहीं होनी चाहिए। डी० डी० ए० को वेल्फेअर स्कीम्स के लिए काम करना चाहिए, इसमें कमर्शियलाइजेशन की बात नहीं चाहिए। जो भी जमीन ली जाए उसके किसान को सही दाम मिलने चाहिएं। यह न हो कि दो रुपये गज के हिसाब से किसानों से जमीन लेकर दो हजार रुपये गज मे उसे बेचा जाए। इससे किसानों का शोषण होता है।

इसीलिए, जब किसानों की जमीन एक्वायर की गई तो किसानों ने प्रोटेस्ट किया और वे कोर्ट में गए कि हमारी जमीन का बहुत सस्ती दर पर मुआवजा दिया जा रहा है। उस बीच कोर्ट ने सरकार को निदेश किया कि आप किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दें ताकि किसानों में जो रोष है वह सही मायनों में दूर हो सके।

इसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि 12-11-81 को बादली इलाके में जो लैंड रोहिणी प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहीत की गई थी और जिसके लिए कम मुआवजा देने के सम्बन्ध में किसान भाइयों ने कोर्ट में केस किया और सरकार से अधिकतम मुआवजा देने के लिए कोई निश्चित आदेश देने की मांग की। क्या सरकार अधिक मुआवजा देने के सम्बन्ध में कोई निदेश देना चाहती है या सरकार ने अब तक कौन सा आदेश दिया है जिससे कि किसानों का शोषण रुक सके?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर, जैसा कि उत्तर में बताया है कि किसानों के प्रति सब की सहानुभूति है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि दो रुपये प्रति गज जमीन ली जाती है, ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : 4.8 बताया आपने?

श्री भीष्मनारायण सिंह : 4.28 रुपये प्रति एक्वायर यार्ड के हिसाब से दाम दिए जाते है। ज्यादा मुआवजा देने के लिए जो कठिनाई है, उसका मैंने जिक्र किया है कि जो एक्ट बना बना हुआ है वह 1894···।

अध्यक्ष महोदय : उसको बदलिए।

श्री भीष्मनारायण सिंह : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि एक्ट को बदलने का काम

माननीय कृषि मन्त्री जी के अधीन है और वे इसके लिए सचेष्ट हैं और शीघ्र से शीघ्र संशोधन लाया जाएगा। इसलिए सरकार का प्रयास जारी है।

जहां तक इस जमीन को लेने का सवाल है तो यह कोई नए सिरे से नहीं ली जा रही है, बल्कि दिल्ली के विकास के लिए जो बहुत योजना बनाई गई थी, जिसके अन्तर्गत 68000 एकड़ भूमि ली जाने वाली थी, उसी क्रम में यह जमीन ली गई है। अभी तक तीन चौथाई जमीन ली जा चुकी है। कोर्ट के निर्देश के बारे में जहां तक मैं समझता हूं कि बादली क्षेत्र के न्यायालय से किसी खास प्रकार की भूमि के लिए यदि आदेश दिए गए होंगे, जैसे हार्टीकल्चर इत्यादि की भूमि है, तो उसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। बाकी जो जमीन ली गई है, उसमें कानून के अधीन ही मुआवजा दिया जा सकता है। अगर सरकार चाहे भी तो बढ़ाकर नहीं दे सकती, क्योंकि आडिट होता है, पब्लिक एकाउंट कमेटी देखती है, संसद का ही बनाया हुआ···।

अध्यक्ष महोदय : संसद बदले भी तो सकती है उसको, तब तक हम रुक सकते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रयत्नशील है और हमारे प्रधान मंत्री की किसानी के प्रति पूरी आस्था है और बादली क्षेत्र में जो जमीन एक्वायर की गई है, वहां पर किसी खास जमीन के लिए कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया होगा तो उचित मुआवजा जरूर दिया जाएगा।

श्री रामस्वरूप राम : कोर्ट के फैसले की जानकारी तो सरकार को होगी ?

गिरधारी लाल व्यास : (झीलवाड़) : मार्केट रेट पर मुआवजा मिलना चाहिए :

श्री भीष्म नारायण सिंह : मार्केट रेट की बात हमेशा की जाती है···।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय, हमको यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थ पर चलें, लकीर के फकीर हमको नहीं बनना है। कानून बदलिए। गरीब का कत्ल हमारे यहां नहीं होना चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आपका सुझाव बिल्कुल मान्य है। कानून में संशोधन होना चाहिए। गरीब का कत्ल कभी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, इसको पहले बन्द करो।

श्री रामस्वरूप राम : एक सप्लीमेंट्री और, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई प्रश्न न करें। आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते। मैं अनुमति नहीं देता (व्यवधान) कृपया बैठिए।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कृषकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। यह ध्यान आकर्षण कृषकों के

बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में जिन्हें उनकी जमीनों से उखाड़ दिया गया है। अतः मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले का विस्तार से अध्ययन करके उत्तर दें।

1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। हमने देखा है कि आजादी के बाद हम न केवल भलाई की गतिविधियों के लिए भूमि अर्जित करते रहें वरन् औद्योगिक तथा अन्य विभिन्न कार्यों के लिए भी ऐसा किया जाता रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारें भूमि अर्जित करती रही हैं। जब यह देखा गया कि इस विशेष भूमि अर्जन अधिनियम से लोगों को न्याय नहीं मिलता तो यह संशोधन करके 15 प्रतिशत मुआवजा दे दिया। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अनुभव किया कि यह पर्याप्त नहीं। इसमें काफी वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि भूमि का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है।

महोदय, जैसा आपको विदित है, आप स्वयं एक किसान है और कृषि भूमि का मूल्य ही बढ़ रहा है। यदि आप उद्योग या कारखाने की बात लें तो मशीनों का मूल्यह्रास होता जाता है। लेकिन भूमि पर खेती करके और आदान मिलाकर भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन सरकार ने कभी इस मुख्त बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद किसी के सुझाव···

अध्यक्ष महोदय : केवल यही नहीं कि भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। वरन् यह तो भूमि से हमारा लगाव है जो जीवन का स्रोत है। उससे भी कहीं अधिक है।

श्री उत्तम राठौर : इसीलिए मैंने "उखाड़ना और उसके फलस्वरूप विस्थापित किये जाने" के शब्दों का प्रयोग किया है।

सरकार ने मुल्ला समिति भी नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इस बीच में महाराष्ट्र सरकार ने 1977 में इस अधिनियम में एक संशोधन पास कर दिया और सुझाव दिया कि जिन लोगों की भूमि विभिन्न प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई है उन्हें 30% मुआवजा दिया जाये। यह विधेयक पिछले 4 वर्षों से लम्बित पड़ा है और राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति नहीं दी है।

जिनकी जमीनें ली गई है उन लोगों को ही कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें जमीनों का मूल्य नहीं मिलता। हमें खुशी है कि सरकार भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन ला रही है। माननीय मन्त्री श्री भीष्म नारायण सिंह ने पिछली बार मार्च में कहा था कि वे दिसम्बर में संशोधन ला रहे हैं। क्या सरकार भूतलक्षी प्रभाव से इस संशोधन को प्रभावी बनायेगी ! दूसरी बात यह है कि ऐसा संशोधन करने का विधेयक लाने तक क्या सरकार महाराष्ट्र भूमि अर्जन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेगी जो कि लम्बित पड़ा है। तीसरे मैं एक बात और पूछना चाहता हूं दुर्भाग्य से सबसे अधिक निर्धन लोगों को तंग करके विकास किया गया है। केवल कृषक ही नहीं श्रमिक भी खेत पर काम करते हैं और करीगर भी भूमि की खेती के कार्य में मदद करता है। सभी लोग प्रभावित होते हैं। क्या सरकार उनके अतिरिक्त जिनकी भूमि ली गई है इन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था करेगी ? क्या इन निर्धन लोगों को कुछ भूमि या रोजगार देने की भी कुछ व्यवस्था की जायेगी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जैसा मैंने पहले कहा है कि संशोधन लाने के बारे में दो राय नहीं है। हम इसलिए संशोधन ला रहे हैं क्योंकि हम सभी हम रे दल और हमारे नेता मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम संशोधन ला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : कृपया पहले मेरी बात सुनिए। मुझे पूरा उत्तर दें। बाद में यदि आप चाहें तो मैं और स्पष्टीकरण कर दूंगा। कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री जी भी यहाँ हैं। मैं आपके सुझाव उन तक पहुंचा दूंगा आपने भूतलक्षी प्रभाव तथा अन्य बातें कही हैं मैं आपके सुझाव उन्हें दे दूंगा।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : विधेयक तैयार किया जा रहा है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : वह ही आपको वचन दे सकते हैं। कि इसका मेरे मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है। वह यहां हैं मैं आपको तथा सारी सभा को बता रहा हूं इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना।

अध्यक्ष महोदय : आप यह कहिये कि भूतलक्षी प्रभाव से आप उसे लाएंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जहां तक प्लाट तथा अन्य बातों के बारे में आपका सुझाव है मैंने पहले ही कहा है कि किसानों की भूमि अर्जित की जाती है। हम उन्हें आवासीय क्षेत्रों में प्लाट देते हैं। हम क्या देते हैं इसे मैंने स्पष्ट कर दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासों सम्बन्धी भ्रांति दूर की जानी चाहिए। वह तथ्य नहीं है मुश्किल से 4 प्रतिशत भूमि नीलाम की जाती है और उसका पहले निर्धारण हो जाता है। भूमि का विकास किया जाता है और उसमें विकास व्यय अधिग्रहण लागत आदि जोड़ दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि भ्रांति दूर होनी चाहिए कि दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि ले लेता है और थोक के भाव में उसका नीलाम किया जाता है। कुल भूमि का केवल 4 प्रतिशत ही नीलाम किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० सिंह देव।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 239 के अधीन सभापीठ को यह अधिकार है कि वह सरकार को एक संशोधनकारी विधेयक लाने का निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह ध्यानाकर्षण का समय है। व्यवस्था के प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री के० पी० सिंह देव।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण इसलिए लाया गया है क्योंकि कुछ किसान आन्दोलन कर रहे हैं और दो मामलों के बारे में अपनी शिकायतें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : एक बात तो भूमि अधिग्रहण के बारे में ली थी और उसके लिए दिये जाने वाले नगण्य मूल्य सम्बन्धी है ।

दूसरी बात यह है कि जब दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि को बेचता है तो वह उसे बहुत अधिक मूल्य पर बेचता है और ग्रामीणों की भूमि लेकर उन्हें मुआवजा देने में बहुत विलम्ब होता है ।

ये दो मुद्दे हैं जिनके लिये किसान आन्दोलन कर रहे हैं और वोट क्लब पर अपनी शिकायतों के लिये आन्दोलन कर रहे हैं और वे प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर भी गये हैं ।

दिल्ली भूमि अर्जन अधिनियम, 894 के बहुत पुराना अधिनियम है और यह समय की और किसानों की मांगों को पूरा नहीं करता अत: सरकार ने प्रमुख संसदविज्ञ और विधिविशेषज्ञ श्री आनन्द नारायण मुल्ला की अध्यक्षता में 1970 में एक पुनरावलोकन समिति नियुक्त करी थी । समिति में 28 सदस्य थे और वे सब प्रमुख व्यक्ति थे उनमें से 25 तो संसद सदस्य थे । प्रो० एन० जी० रंगा भी उनमें से थे और कुछ सरकारी अधिकारी थे । उन्होंने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन किया मन्त्री जी के उत्तर के अनुसार उन्होंने दूरगामी सिफारिशों की जो आज तक प्रकाशित नहीं हुई हैं ।

मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अपने उत्तर में उन्होंने अपने उतर में सभा को विश्वास में लेते हुए बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण क्या करना चाहता है और सरकार किसानों तथा उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें विस्थापित कर दिया गया है । क्या करना चाहती है । यह विशेष महत्व की बात है ।

सभा की याद होगा कि पांचवें दशक में दिल्ली की मास्टर प्लान तैयार की गई थी अब आठवां दशक चल रहा है । तीन दशाब्दियां बीत चुकी हैं इसमें कहा गया है कि 1981 तक 1 लाख 10 हजार एकड़ भूमि पर 45 लाख जनसंख्या की जरूरतों को पूरा किया जायेगा । इस परियोजना का तो कुछ पता नहीं चलता । नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान जनसंख्या 62 लाख है । 1950 की मास्टर प्लान में जैसा सोचा गया था, यह उससे 50% अधिक है । मुझे तो इन दावों, अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में विरोधाभास प्रतीत होता है । इसके साथ-साथ सरकार इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर 28 करोड़ रुपया पहले ही व्यय कर चुकी है और और छठी योजना में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने कहा है कि इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य राजधानी दिल्ली की बढ़ रही आबादी को अन्य क्षेत्रों में बसाना है, खटाई में पड़ गया है क्योंकि हरियाणा पीछे हट गया है । ऐसे समय में जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात सोची जा रही है और 28 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा छठा योजना में 10 करोड़ रुपए व्यय किये जाने हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण किसानों से 1950 की मास्टर प्लान के अनुसार भूमि ले रहा है जिससे कृषि भूमि कम हो रही है तथा दूध, फल, सब्जियों तथा दिल्ली नगर के लिए जरूरी चीजों की कमी हो रही है । भूमि का उपयोग शहरी-

करण के लिए हो रहा है। इससे न केवल वातावरण सम्बन्धी बल्कि पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं पैदा होती है क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ने से राजधानी के लोग भूमि को वनों से साफ करते हैं जिससे इससे पर्यावरण की समस्या पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी सभा को विश्वास में लें और इन सभी विरोधी आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण की पर्यावरण सम्बन्धी समस्या कैसे सुलझाई जाएगी।

उत्तर के दूसरे भाग में मन्त्री जी ने कहा है के दिल्ली विकास प्राधिकरण उन लोगों को प्लाट देगा जिनकी जमीनें ली गई हैं :

> 'किसी मन्जूर शुदा कालोनी में अधिकृत की गई भूमि के 40 प्रतिशत के बराबर या 250 वर्ग गज, जो भी कम हो पूर्व निर्धारित दर पर''।

4.28 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से 250 वर्ग गज की लागत केवल 1000 रुपये होती है लेकिन जब गरीब किसान भूमि खरीदने के लिए जाता है तो उसे रिहायशी प्लाट मन्जूर शुदा कालोनी में पूर्व निर्धारित दर पर दिया जाता है। तो उसे बहुत अधिक राशि देनी पड़ेगी। मन्त्री जी ने आगे कहा है :

> 'जिन लोगों से जमीनें ली गई हैं उनके निर्वाह के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों में से 10 प्रतिशत दूकानें ऐसे लोगों को पूर्व निर्धारित दर पर दी जाती है।''

इस गरीब किसान को जिसकी भूमि ले ली गई है। 4.28 रुपये प्रति गज के हिसाब से पैसा मिलता है जबकि उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकान पूर्व निर्धारित मूल्य पर दी जाती है मैं चाहता हूं कि मन्त्रीजी सभा को विश्वास में लेकर वास्तविक स्थिति बताएं। कि (क) रिहायशी प्लाट और (ख) दुकान के लिए गरीब किसान को कितना पैसा देना पड़ेगा।

मन्त्रीजी ने न्यायालय में निर्णयों का हवाला दिया है ऐसे निर्णय तो समय-समय पर दिये जाते रहे हैं। न्यायालय का हाल ही का निर्णय उससे बिल्कुल अलग हो सकता है जो 10 वर्ष पहले दिया गया हो या 5 वर्ष पूर्व उसके द्वारा भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया हो। मन्त्री जी सभा को विश्वास में लेकर हमें बताएं कि किसान को किस दर पर मुआवजा दिया जायेगा या उसे कितनी राशि दी जाएगी और न्यायालय का हाल ही में लिया गया निर्णय क्या है।

एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि तीन दिन पूर्व हुई विचार-गोष्ठी में दिल्ली के उप-राज्यपाल ने कुछ विचारोत्तेजक बातें उठाई हैं। उनकी टिप्पणियां मन्त्रीजी के उत्तर से मेल खाती हैं कि वर्ष 2001 में दिल्ली की जनसंख्या 122.8 लाख होगी। और 1950 की मास्टर प्लान तो केवल 45 लाख व्यक्तियों के लिए ही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पानी और बिजली की कमी समस्याओं को बता भी दिया है। पानी निकासी की भी समस्या होगी। पर्यावरण में भी अन्तर आएगा। सरकार इन कठिनाइयों पर काबू पाने के बारे में क्या विचार कर रही है?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि जब दिल्ली विकास प्राधिकरण किसानों से 4.28 रुपये प्रति वर्ग से जमीनें ले रहा है और विकास व्यय आदि को जोड़कर बहुत अधिक मूल्य पर उसे बेचता

है। रेहिणी कालोनी जोकि समाज के दुर्बल वर्ग के लिए है को भी शीघ्र तैयार किया जाना चाहिए। इसमें भी अधिकतर राशि बिचोलियों और ठेकेदार ले जाएंगे। क्या सरकार किसानों की सहकारी समितियां बनाएगी जिससे वे भूमि का विकास कर सकें और बिचौलिए के स्थान पर स्वयं अधिक मूल्य ले सकें।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्षेत्र व्यापक कर दिया है। वास्तव में वह पर्यावरण सन्तुलन की बात कर रहे थे अब वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करने लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह फौजी आदमी हैं। उन्हें तो तगड़े होकर मांगना चाहिए था लेकिन वह आपसे डर गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मांगा है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उन्होंने कई बातें उठा दी हैं। ध्यानाकर्षण का सम्बन्ध भूमि अर्जन और विशेष रुप से कुछ समय पूर्व बादली में भूमि अर्जन से है। मेरे विचार से उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं पूछा है।

श्री के० पी० सिंह देव : पूरी रामायण सुनने के बाद यदि वह पूछते हैं कि सीता कौन थी तो मैं क्या कह सकता हूं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यदि वह पर्यावरण सन्तुलन के बारे में पूछना चाहते तो मैं उनकी सन्तुष्टि के लिए बता दूं। कि सरकार इस सन्तुलन को बनाए रखने को बहुत उत्सुक है और आपने देखा होगा कि सरकार के सत्ता में आने के तुरन्त बाद हमने पर्यावरण का विभाग गठित किया है जो इस सम्बन्धी समस्याओं को देखता है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सम्बन्ध यह योजना तो मृत प्रायः हो चुकी थी। छठी योजना में हमने इसे पुनर्जीवित किया है और 10 करोड़ रुपये की सांकेतिक व्यवस्था की गई है। मैंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे हैं क्योंकि उन्हें भी सहमत होना है। तब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने कहा है कि हमने कई निवादास्पद बातें कही हैं। विरोधाभास कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। हमने 45 लाख की जनसंख्या के लिए योजना बनाई थी और अब जनसंख्या 62 लाख है। इस वृद्धि की आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमें लोगों को अलग अलग जगहों पर बसाना है और इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना को पुनर्जीवित किया गया है। इस समस्या से पूरी तरह परिचित और उसके प्रति चिन्तित हैं और मुझे खुशी है कि सदस्य महोदय इतनी रूचि ले रहे हैं। हम सभी इस बारे में चिंतित है। विरोधाभास कुछ नहीं है।

किसानों के बारे में मैं पुनः कह दूं कि हम यथासम्भव शीघ्र विधान लाने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ तक बादली के किसानों का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कहा है कि विशेष प्रकार की भूमि के लिए न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार अधिकतम दर देने पर हम विचार करेंगे। हम त्रुटियों को दूर करेंगे···

अध्यक्ष महोदय : वे सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : कानून के अधीन मैं और क्या कह सकता हूं··· (व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कानून बदलना होगा।

एक माननीय सदस्य : नये संशोधन लाकर।

श्री के० पी० सिंह देव : मन्त्रीजी के उत्तर के सम्बन्ध में मैंने कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं। एक तो 250 वर्ग गज के प्लाट और उसके मूल्य के बारे में है। दुकानों के लिए पूर्व निर्यात मूल्य उन्हें क्या देना होता है ? न्यायालय का हाल ही का निर्णय क्या है और उसके अनुसार क्या दर रखी गई है और क्या किसानों को सहकारी समितियां बनाने और भूमि का विकास करके उन्हें बेचने की अनुमति होगी। सरकार पर छोड़ने के बजाय आप उसे क्यों नहीं करते।

श्री भीष्म नारायण सिंह : किसानों अथवा अन्य किसी को भी सहकारी समितियों को हम प्रोत्साहन देते हैं। यह हमारी नीति है। जहां तक किसानों को प्लाट देने का प्रश्न है वह उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है। वह प्लाट उन्हें पूर्व निर्धारित दर पर जिसमें जमीन की मूल्य, भूमि का अधिग्रहण मूल्य और विकास मूल्य शामिल हैं दिया जाएगा। मैं बार-बार कह चुका हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह न लाभ न हानि के आधार पर निर्धारित किया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय भीष्म बाबू तो बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन इनका जवाब बहुत गड़बड़ होता है।

प्रो एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : क्या इसका सम्बन्ध इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से है।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री जी 19 मार्च 1981 को जवाब दिया था और उसमें इन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रधान मन्त्री का नाम लिया था। प्रधान मन्त्री का नाम ले कर के इन्होंने कहा था मैं उस का रेलीवेंट पोर्शन पढ़ता हूं :

> "किसान रैली के समय प्रधान मन्त्री ने कहा था कि सरकार को उन किसानों की कठिनाइयों का पता है जिनकी भूमि शहरी विकाश के लिए अधिग्रहीत की जाती है। परन्तु 1894 का एक अधिनियम है और मुआवजा दिया जाता है। उसीअधिनियम के अनुसार अधिग्रहण किया जाता है। अतः हमें विस्तार से अध्ययन कर उसमें कुछ संशोधन करने होगे जिससे मुआवजा दिया जा सके और किसानों की कठिनाइयां दूर की जा सकें।"

यह 19 मार्च का इनका जवाब है। इसके पहले से भी हंगामा हो रहा है। अब इसकी कितनी जल्दी है यह आप देखें। भीष्म बाबू जब जल्दी कह दें तो हम सोचते हैं तीन बजे लेकिन इसमें कितनी जल्दी हो रही है यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

किसान दोनों तरफ से मार खा रहा है और मध्यम श्रेणी के लोग भी मार खा रहे हैं । अभी सोमवार को अपने जवाब में इन्होंने कहा था कि 85 हजार लोगों ने पांच पांच हजार रुपया डी० डी० ए० में जमा कर दिया है प्लाट के लिए और उसको पांच साल या दस साल में जाकर वह मिलेगा इस की कोई गारन्टी नही है । लेकिन वह पैसा जमा हो रहा है और करोड़ों रुपया डी० डी० ए० में जमा हैं । किसान की लूट अलग और इधर छोटेजो नौकरी पेशा या मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनकी लूट अलग । मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं लोक लेखा समिति के 18 वें प्रतिवेदन की तरफ जो लेटेस्ट 1980-81 का है डी० ड० ए० के बारे में उसकी क्या फाइंडिग है, यह में आपको पढ़कर सुना देता हूं इसमें कहा गया है :

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अंतर्गत "योजना के अनुसार दिल्ली का विकास करने के लिए" स्थापना की गई थी ।

समिति का दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों की जांच करने के पश्चात यह निष्कर्ष है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य रुप से एक लाभार्जन करने वाला संगठन बन गया है तथा उसके कारण आवासीय तथा वाणिज्यिक फ्लैटों तथा भवनों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

यह कोई आपकी कल्याणकारी संस्था नहीं रही है, प्राफिट कमाने वाली संस्था बन गई है ।

इसके द्वारा जरूरत मन्द लोगों को आवास नहीं मिल पाये हैं जबकि सरकार ने उद्देश्यों से इसकी स्थापना नहीं की थी ।

यह सर्वविदित तथ्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण भू-स्वामियों से बहुत कम दर पर भूमि का अधिग्रहण करता है तथा उसका विकास करने के पश्चात उसे बहुत ऊंची दरों पर बेचता है और इससे बहुत अधिक लाभ कमाता है ।

यह डी० डी० ए० के बारे में लोक लेखा समिति की फाइंडिग इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि ···

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, कृपया जाइए नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : रंगा साहब, आप किसानों के नेता हैं बैठिए (व्यवधान)

आप प्राइम मिस्टिर से कहिए, 16 तारीख को उन्होंने रैली की थी । प्राइस मिनिस्टर ने कहा था कि मैं खून देने के लिए तैयार हूं मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहिब, आप के खून से कुछ बनने वाला नहीं है । हल्ला मत कीजिए । प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए पहले हाउस, में प्राइम मिनिस्टर 16 तारीख को खून दे रही थीं किसानों के लिए पैसा जमा कर रही थीं । (व्यवधान)

मैं कह रहा था ।

इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि कालका जी जिला केन्द्र में भू-स्वामियों को प्रति वर्ग गज 2,50 रुपये की दर पर मुआवजा दिया गया था गणना करने पर सम्पूर्ण 66,4 एकड़ क्षेत्र.क सम्बन्ध में औसत विकास लागत (सामान्य और आन्तरिक दोनों ही मिलकर) प्रति वर्ग गज 80,15 रुपये बनती थी । लेकिन इसकी तुलना में प्लाटों की बिक्री 2704 रुपये प्रति वर्ग गज की औसत दर पर की गई थी । इसकी अवाधिक दर 17376 प्रति वर्ग गज थी ।

अस्सी रुपये एक तरफ, यानी सारा डेवलपमेंट होता है 80 रुपये में और बिक्री होती है 17376 रुपये में ।

"यह किसी प्रकार भी "लूट" से कम नहीं है । यदि भूमि का सरकारी प्रयोजनों के लिए भी अधिग्रहण किया जाता है, तब भी उचित मुआवजा दिया जाता है । किन्तु उन मामलों में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है । तथा बाद में उसे नीलामी द्वारा अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बेच दिया जाता हो, जैसा कि अधिकांश मामलों में हुआ हैं, समिति का विचार है कि भू-स्वामियों /किसानों को अपनी भूमि बहुत कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । इसलिए समिति सिफारिश करती है कि भूमि अर्जन अधिनियम में उचित संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि किसानों के हितों की उचित प्रकार से रक्षा हो सके । यह है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट ।

अध्यक्ष महोदय : और जब तक संशोधन नहीं हो तब तक अर्जन नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : हां, नहीं करना चाहिए । अब मैं इस पर आता हूं । सरकार हमेशा कहती है, यह भीष्म बाबू यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने 16 नवम्बर को किसानों के प्रतिनिधि के साथ और लैफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कहा था कि मैं कैंसिल करूंगा । आज आप यह नोटिफिकेशन आपने कल किया ? नोटिफिकेशन करके अभी तक आपने कितनी जमीन अर्जित की है और कितनी जमीन का आपने डवलपमेंट किया है ? यह किसानों की जो लूट हो रही है, लाभकारी संस्था के द्वारा कम से कम इस लूट को आप बचाइए और कोई मामला मैं इसमें नहीं लाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : लूट को नहीं, लूट से बचाइए ।

श्री राम विकास पासवान : हां, लूट से बचाइए ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह बिहारी ऐसे ही बोलते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं होता है । जो प्लाट आप अर्जित करते हैं उसमें भी आप पक्षपात करते हैं । राजेश पायलट जी यहां बैठे हुए हैं । मेहरौली में प्राइम मिनिस्टर का फार्म है, उसको नहीं एक्वायर किया गया गरीब लोगों के फार्मों को एक्वायर किया गया । जरा यह सब बात नोट करके रखिए···(**व्यवधान**)

मन्त्री महोदय को जबाव देने का पूरा अधिकार है, वह बतायेंगे कि एक्वायर किया गया

है या नहीं किया गया है।

जो गरीब लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिनको जमीन गांव मे मिली है ऐसे अगर कुछ लोग मिल गए जिन्होंने उनको जमीन दे दी तो उनके नाम पर उसका कोई वैधानिक कब्जा नहीं रहता है। अब जमीन जो एक्वायर की जा रही है उसका मुआवजा किसको मिलेगा वह जो गांव के गरीब लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनको वह पैसा मिलने वाला नहीं है क्योंकि गांव के लोगों ने संस्था बनाकर के उसको जमीन दी थी। इस तरह से दो तरफा लूट चल रही है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर दूसरे मामले जो हुए हैं। उनको में नहीं लाना चाहता हूं।

मन्त्री महोदय से मैं सीधा सादा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एवार्ड को कैंसिल करने जा रहे हैं या नहीं ? दूसरी बात आप बतलाइए कि इस कानून में संशोधन आप कब करने जा रहे हैं ? क्या 24 तारीख के अन्दर आप इसको यहां लाने वाले हैं या नहीं ? इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम लोगों से कहिए तो हम दोनों हाथ खड़ा करके आपका समर्थन कर देंगे। प्रधान मन्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह किसान रैली में खून दे रही थीं। आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप किसान हैं। तो किसी को आपत्ति नहीं है। किसी को आपत्ति हो तो आप उसको खड़ा करके पुछवा लीजिए कि कौन इसके विरोध में है ? कोई नहीं है हमको कहिए, सर्वसम्पति से यह पास हो तो सर्वसम्पति से पास हो जाएगा। इसलिए जो स्पीकर साहब की रूलिंग है, जो उन्होंने मन्तव्य दिया है उसके अनुसार इसको तब तक के लिए स्थगित कीजिए जब तक कि आप कानून में संशोधन नहीं कर लेते हैं।

यहां ही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं, पूरे देश में इस तरह की लूट चल रही है। एक तरफ बड़े बड़े शहरों का विकास और दूसरी तरफ किसानों की लूट कर रहे हैं। जनसंख्या को रोकने का उपाय यह है कि आप छोटी छोटी इन्डस्ट्री गुड़गांव में लगाइए, गाजियाबाद में लगाइए, दूसरी जगहों में लगाइए लेकिन आप तो सबको दिल्ली में, मद्रास में, कलकत्ता में, कंसेट्रेट कर रहे हैं, यह कंसेट्रेशन जो हो रहा है यह ठीक नहीं है कि इससे गांव जो मारे जा रहे हैं वह अलग हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून में आप इम्मीडिएट संशोधन कीजिए और जो तीस साल से लूट होती आ रही है और जो लूट होने वाली है उसको आप बन्द कीजिए। मैंने पहला प्रश्न यह पूछा था। कि कितनी जमीन आपने एक्वायर की है और कित्तनी डेवलप की है, यह बताइए और इस सेशन में आप संशोधन विधेयक लाने वाले हैं या नहीं, यह बताइए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर, श्री राम विलास पासवान एक अच्छे सांसद हैं और हमारे मित्र भी है लेकिन कभी कभी वे, स्वाभाविक रूप से, दलगत भावना में बह जाते हैं। श्री राम विलास पासवान जानते हैं कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी में मेरी अटूट आस्था है इसलिए हम अगर बराबर उनका नाम लेते हैं तो इसमें आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए। केवल में ही उनका नाम नहीं लेता हूं, पूरा किसान वर्ग उनका नाम लेता है — इस बात को भी कहने में मुझे किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि पासवान जी को हमारी कोशिश को सराहना चाहिए। यह कानून 1894 का है और इसको संशोधित करने के प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन बीच में हम सरकार में नहीं थे उस वक्त कोई प्रयास नहीं हुआ। अगर कोई प्रयास हो रहा है तो हमारी ओर से ही हो रहा है। वैसे मैं आपकी भावना का आदर करता हूं, मैं यह नहीं कहता कि राम विलास जी की इच्छा नहीं रही होगी लेकिन सरकार आपकी थी इसीलिए मैंने कहा कि आप हमारी कोशिश को सराहना कीजिए। कानून बनाने के लिए मैंने अभी जिक्र किया। हमारे राव बीरेन्द्र सिंह जी भी किसान हैं और हम भी किसान हैं—इस पूरे सदन की भावना पवित्र है। उनकी तरफ मैंने संकेत भी किया, वे जो प्रयास कर रहे हैं उसकी भी मैंने चर्चा की। लेकिन जो प्रोसीज्योरल ड्राफ्ट बना है उसमें कुछ समय लग ही जाता है। मैं राव साहब से आग्रह करूंगा कि वे इसको जल्दी से जल्दी ले जायें।

इस सवाल को उठाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह कानून बहुत पुराना है। इसकी धारा (4) के अन्तर्गत लैंड एक्वीजीशन के लिए जब नोटीफिकेशन होगा उस वक्त जो मार्केट रेट होगा वह दिया जाता है। इसी वजह से यह गिला सभी को है। इसलिए जब तक उसका संशोधन नहीं करेंगे तब तक जो राहत हम और आप दिलाना चाहते हैं वह नहीं मिल सकती है।

यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिस बादली क्षेत्र के सम्बन्ध में आया है जिसके सम्बन्ध में बोट क्लब पर रैली हुई थी और इस सम्बन्ध में आपने मेरा भी जिक्र किया कि हमसे भी वे मिले थे तो मैंने कभी कोई दूसरा आश्वासन उनको नहीं दिया। कानून के अन्तर्गत ही हमारा फर्ज बनता है कि हम चेष्टा करें। चूंकि हमारी पार्टी की ओर आप सभी की भी यह भावना है कि किसानों की मदद करें इसलिए मेरी कभी कोई दूसरी भावना नहीं हो सकती है। मैं भी एक किसान का लड़का हूं। मैं चेष्टा कर रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति में हम कैसे उनकी मदद करें।

इसमें मुख्य रूप से दो बातें थीं जिनकी रिलीफ वे चाहते थे। एक तो यह कि जो लैण्ड एक्वायर हो गई उसका ज्यादा मुआविजा कैसे मिले। दूसरी बात यह कि जो खड़ी फसल लगी हुई है, जब तक वह कट नहीं जायेगी, तब तक कैसे राहत मिलेगी। यह बात तो आसान थी और मैंने कहा कि लाइसेन्स दिलवा देंगे और जब फसल काट लेंगे तब फिर वह लागू रहेगा। लेकिन लैण्ड एक्वायर होने के बाद, एवार्ड होने के बाद और पजेशन लेने के बाद इस हस्तक्षेप कर सकते हैं कानून में इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी कठिनाई आई। हम कानून में सचमुच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यह सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने थी। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, इसके लिए मैंने जिक्र किया कि श्री राम स्वरूप राम जी ने चर्चा की, राठौड जी ने चर्चा की, देव जी ने चर्चा की और आपने भी चर्चा की तो रास्ता यही नजर आता है कि हाल में उस गांव में जो लैण्ड एक्वायर हुई है उसके लिए कोर्ट में जो हाइयस्ट एवार्ड हुआ है—हालांकि मैं यह नहीं कहता उससे उनको लीफ मिलेगी लेकिन···

श्री रामविलास पासवान : जब तक आप कानून में संशोधन नहीं करेंगे तब तक कोर्ट फैसला कैसे करेगी ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप मेरी बात सुन तो लीजिये, मैं बता रहा हूं। एक पार्टिकुलर कैटेगरी आफ लैंड का जी हाइयस्ट एवार्ड हुआ है कोर्ट से, उस पर हम विचार करेंगे। अदरवाईज तो और कोई उपाय है नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे भूतलक्षी प्रभाव से लाग् क्यों नहीं कर सकते और इस प्रकार इन लोगों को हानि से बचाते ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं इस प्रकार का आश्वासन कैसे दे सकता हूं। सब बातों पर विचार हो रहा है। यदि मैं कोई वादा करता हूं तो यह सरकार के लिए गलत होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह नहीं कह सकते कि हम इसका ध्यान रखेंगे ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह मैं पहले ही कह चुका हूं। सुझाव देते समय राव साहब का उल्लेख करते हुए मैंने कहा था कि वे पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं तथा उन्हें उस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम जनहित के रक्षक हैं। आज्ञा समूची सभा इससे सहमत होगी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सरकार की ओर से कोई वादा करना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : सरकार आपकी है।

श्री भीष्मनारायण सिंह : मैं कह चुका हूं कि सभी बातों पर विचार होगा। परन्तु मैं कोई निश्चित आश्वासन कैसे दे सकता हूं :

अध्यक्ष महोदय : यह आश्वासन लोगों के कल्याण के लिए है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : निश्चित आश्वासन यह है कि हम अधिनियम में परिवर्तन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग के कल्याण की दृष्टि से अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : राव वीरेन्द्र सिंह इस पर बिचार करेंगे, यह आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का शुक्रगुजार हूं। मैंने कहा था कि मार्च से मंत्रालय का जवाब आ रहा है कि बिल लाने वाले हैं, संशोधन करने वाले हैं। मैं एक सीधी बात पूछना चाहता हूं—आप कब तक संशोधन करने वाले हैं ? इस सत्र में करेंगे, अगले सत्र में करेंगे—कुछ तो बतलाइये ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने कहा है कि रुरल-री-कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री को बिल लाना है। मंत्री जी बैठे हैं, उनका प्रयास जारी है।...

श्री रामविलास पासवान : राव साहब, बतलाइये।

श्री भीष्म नारायण सिंह : दूसरी बात-रामविलास जी ने जिक्र किया था कि महरौली में प्रधान मन्त्री जी का फार्म हैं···

अध्यक्ष महोदय : उसे छोड़िए ।

श्री रामविलास पासवान : क्या है, उसमें ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : इन्होंने महरौली फार्म की चर्चा थी । जब कभी भी एक्वीजीशन का कोई काम हम लोग करते हैं तो साधारण व्यक्ति हो या प्रधान मन्त्री हो···

श्री रामविलास पासवान : बक्शा नहीं जाता है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जो तरीका होता है, उसके अनुसार किया जाता है । इसलिए यह चार्ज निराधार है।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : सरकार यह संशोधी-विधेयक लाने का निर्णय कर लिया है । विधि मंत्रालय विधेयक की जांच कर रहा है इसे तैयार किया जा रहा है और आशा है यह शीघ्र ही सभा के समक्ष पेश किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब क्या आप लोगों के हितों का ध्यान रखेंगे ?

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : पहले उठाई गई सभी बातों पर मुल्ला समिति ने विचार किये हैं। उसकी सभी सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है तथा जो भी निर्णय सरकार ने लिए हैं वे विधेयक के रूप में सभा के समक्ष आएंगे ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : परन्तु तब यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा ।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मुझे एक बात कहनी है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब निकला ? एक ही प्रश्न पूछा जाएगा घुमा-फिराकर कानून का संशोधन कब करने जा रहे हैं । जब तक संशोधन नहीं करेंगे ···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ।

श्री राम विलास पासवान : जवाब क्या निकला ? चार प्रश्न पूछे थे ···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : अगर ये जवाब नहीं देंगे तो हम वाक-आउट करेंगे । यह आपकी महानता है कि आप किसानों के प्रति हमदर्द हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब के प्रति हूं ।

श्री राम विलास पासवान : आपने इसको अत्यावश्यक समझ कर ही दोबारा काल-

एटेन्शन में लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाब आता रहे कि जल्दी आने वाला है, मैं संशोधन करने वाला हूं इसका क्या अर्थ है ? बहुत जल्दी का अर्थ दो महीने, तीन महीने, क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ।

श्री राम विलास पासवान : हम नहीं बैठगें, हम जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट बैठें ।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज के काल एटेन्शन की इम्पार्टेन्स इस बात से जाहिर है कि इस को दोबारा डिस्प्स कर रहे हैं मिनिस्टर साहब ने जो कहा है। सरकार किसानों की आवश्यकताओ और कल्याण के प्रति सदैव सहानुभूति पूर्ण रही हैं । सहानुभूति पूर्ण शब्द का उपयोग सही रूप में किया जाए। सिम्पेथेटिक कह देने से किसान सहानुभूति मानने वाले नहीं है। आप यह कहते रहें और हम लोगों से कहते रहें, तो इससे लोगों को यकीन होने वाला नहीं है। हमें इसे कार्य का रूप देना चाहिए तथा सरकार कार्य करे।

अध्यक्ष महोदय : कथनी और करनी में फर्क मिटाने चाहते हैं आप ।

श्री राजेश पाइलट : इस ध्यानाकर्षण पर यह मेरा पहला सुझाव है। 1961 में जब यह लैंड एक्वायर की गई थी, उस वक्त भी यह बात चली थी। उस वक्त भी लोगों की जमीन एक्वायर हुई थी। उस वक्त भी काफी ऐसे लोग थे लेकिन इतने नहीं जितने आज हैं उस वक्त 1 रुपये 25 पैसे, सवा रुपये गज के हिसाब से जमीन एक्वायर की थी और पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया था, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि यह जो 1894 का एक्ट है, इसको जल्दी से जल्दी एमेंट करेगें। इस तरह से आप देखें कि 1961 से यह बात चल रही है । 20 दिन बाद 1982 शुरू होने वाला है। और हम इस एक्ट को एमेंड नहीं करेगें और यही कहते रहेगें कि हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं तो इस पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं मैं एक निश्चित तिथि बताए जाने की बात से सहमत हूं। वह हमें बताना चाहिए। उसे दो, तीन या छः महीने तक बढ़ाए जाने की कोई समस्या नहीं है। उसको भी नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट यह तो कह सकती है कि जब कभी यह इफेक्टिव होगा, तो पिछली डेट से होगा जिससे किसानों में काफीडेंस आए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जब हाऊस के सामने आएगा, तो देख लेगें ।

श्री राजेश पाइलट : यह आज केवल किसानों का सवाल नहीं है। यह तो छोटे किसानों का सवाल है। जो बड़े बड़े फार्म वाले हैं, उनकी जमीन एक्वायर नहीं होती है, जिनके पास 200-200 बीघा जमीन है वह लैंड एक्वायर नहीं होती बल्कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी जमीन एक्वायर होती है। जो बड़े लोगों की जमीन है, उस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया हमें 10 बीघा 6 बीघा और 1/2 एकड़ वाले छोटे किसानों के बारे में विचार कर पक्का निर्णय लेना चाहिए। हमें पक्का आश्वासन देना चाहिए यदि आप इस पर विचार कर रहे है और चार

सदस्य इस पर पहले ही बोल चुके है तथा में भी वे ही बातें दोहराऊंगा, तब उन सबका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा ।

तीसरे मन्त्री महोदय, ने कहा है कि हम 4.28 रुपए दे रहे है। यह सरकारी सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं है, हमें दृढ़ होना चाहिए । दोनों साथी बैठे हुए है, वे बता सकते हैं ।

श्री राजेश पाइलट : मेरी जानकारी में दो प्रकार की भूमि है । एक नहरी लैंड कहलाती है और दूसरी बिना नहरी लैंड और इनके लिए जो मुआविजा है, वह उसी हिसाब से दिया जाता है । 4.28 रुपए औसत दर होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : 4.28 या 4.20 ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने 4.28 कहा था । मुझे 4.20 सुनाई नहीं दिया ।

श्री राजेश पाललट : यहां पर ये कही पर 3 रुपये 50 पैसे दे रहे है और कही पर 5 रुपये दे रहे हैं । 4.28 आपका औसत मूल्य होना चाहिए ।

आप इसको इस भाव से खरीद रहे हैं । एक महीने में, दो महीने में एक्ट बन सकता है पार्लियामेंट को एक्ट बनाने में कितना समय लगता है ? इसमें मुश्किल से एक दिन लगता है और हम दो दिन एक सप्ताह अथवा एक माह लेंगे । तब हम इस अधिग्रहण को रोक सकते है । आप यह सोचें कि 4.28 रुपये के हिसाब से आप जमीन ले रहे हैं । उस खेत में अगर ये किसान टिमाटर का पौधा लगा लें, तो भी वह उस टिमाटर को 4 रूपये 50 पैसे में बेच कर हफते में कमा सकता हैं । इस तथ्य पर विचार करें एक ओर हम उनका उत्थान करने की बात कहते हैं और दूसरी ओर उनकी भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं तीसरी भूमि अधिग्रहण के बाद वे कहां जायेंगे जैसे आप उन्हें आवासीय प्लाट दे रहे हैं । तो इससे उनको क्या फायदा ? आप उन्हें व्यवसायिक प्लाट क्यों नहीं देते उनके लिए आप जमीन रिजर्व करें । हर फैमली को जिनके नाम जमीन है, आप कार्मशियल प्लाट दीजिए ।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपको उन्हें गाय रखने लायक पर्याप्त जमीन देनी चाहिए ।

श्री राजेश पाइलट : गाय हो या भैंस, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है मैं कुछ सुझाव ना चाहता हूं । यदि सरकार स्वयं को सही समझती है तो वह कार्रवाही करे अथवा नहीं । कल आपने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि जो लोग जमीन बेच रहे हैं, उन्हें 400 रूपए प्रति वर्ग गज देना होगा । मुझे नहीं पता यह आपकी जानकारी में लाया गया है अथवा नहीं । पहले यह दर 80 रूपये थी और कल 400 रूपए. जबकि ध्यानाकर्षण पर आज चर्चा होनी थी ।

इस समय मेरा सुझाव है कि उन्हें कर्नाटक अथवा मद्रास के जैसा भुगतान किया जाए मद्रास में भूमि अर्जन के समय विकास प्रकार और कुछ थोड़ी राशि और सरकार को दी गई थी

तथा शेष उसे दिया गया जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया । आप उस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर सकते ।

जितने आपके डेवलपमेंट चार्जेज हैं, उतने आप ले लें, कुछ प्रोफिट भी ले लें और बाकी किसानों को दे दें । अगर 20 रुपये डेवलपमेंट चार्जिज हैं तो वे ले लें, 20 रूपये डी० डी० ए० के ले लें , 40 रूपये आप रख लें और बाकी 160 रूपये हमको दे दें। विकास के हमें 50 रुपए दिया जाए ।

उसका दुगना दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए लें क्योंकि आपके कर्मचारी भी इसके लिए काम करेगें । यह लागत 100 रुपये आती है । इस राशि के बाजार भाव में से या जिस भाव पर आप बेच रहे है, उसमें से घटा दें । आप इस पर उनके पक्ष में विचार करें, सहानुभूति पूर्ण नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही उचित सुझाव है ।

श्री राजेश पाइलट : मेरा दूसरा सुझाव यह है । यदि व्यवहार्य न लगे तो छोड़ दें । देश भर में हम सर्वत्र सहकारिता को प्रोत्साहन दे रहे हैं । सरकार भी ऐसा चाहती । किसानों के लिए सहकारी समितियां क्यों नहीं बनाते ? इसे परीक्षण के तौर पर एक दो स्थानों पर आजमाया जा सकता है और यदि सफल है और कोई शिकायत न हो तो उसे सब स्थानो पर अपनाया जाए । कोई कुछ नहीं कहेगा । बात इतनी सी है कि आप स्पष्ट कहें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई लाभ नहीं कमा रहा है । एक छोटे किसान का प्लाट 4.28 रुपए पर लिया जाता है और 200 रुपये के भाव पर बेच जाता है। कालोनाइजर 1 रुपये के भाव खरीदता है और अशोक विहार, शालीमार बाग आदि में 2000 रूपए में बेचता है । कौन चुप रह सकता है ? इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता हैं । जब मुझे यह पता चलता है कि एक जगह मुझे प्लाट 18 रुपए के भाव मिलाता हैं और दूसरी जगह 2 रुपए के भाव, तो स्वभावत: मैं सस्ता प्लाट खरीदूंगा । जब मेरा माल 2 रुपये में खरीदा जाता है और 2000 रुपये में बेचा जाता है तो कौन चुप रह सकता है ? कोई चुप नहीं रहेगा । इस प्रकार इसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है किसानों के साथ ही नहीं, सभी जगह ऐसा है । यदि सस्ता मिलता है तो वह उसे खरीदेगा । आप संसद का वेतल बढ़ाए जाने की मांग करते है स्वाभवत: हर संसद सदस्य इससे सहमत हो जाता है मैं चाहता हूं कि इस बात पर भी विचार किया जाए कि एक प्लाट जो 2 रुपये प्रति वर्ग गज बेचा जाता है वह पुन: 1000 रुपए प्रति वर्ग गज बेचा जाता है अथवा कुछ प्लाट इससे भी अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं । आप कह सकते है कि वे गरीब है अथवा सरकार गरीब है, परन्तु कुछ अनुपात तो होना चाहिए । आप इसे 10 या 20 रुपए कम पर दे सकते है परन्तु 2 रुपए और 2000 रुपए का अनुपात उचित नहीं है । इसे कौन सहन कर सकता है यह राजनीति से परे की बात है । यह राजनीतिक मामला नहीं हैं, इस प्रकार के कार्य के लिए नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मानवीयता के आधार पर भी इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

श्री राजेश पाइलट : तीसरे नम्बर पर मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण में रोजगार दिए

जाने के बारेमें कुछ कहना चाहता हूं। यदि किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है, अब वह वहां अपने परिवार को नहीं रख सकता। यदि आप उसे एक प्लाट देते हैं तो वह उसमें सुधार कर सकता है। मेरा सुझाव है कि आवासीय प्लाट के बजाय व्यवसायिक प्लाट दिया जाय आवासीय प्लाट दिये जाने पर वह काम कहां करेगा। अपनी जिविका कहां कमाएगा ? यदि आप 10 या 5 प्रतिशत का आवंटन उसे करेंगे तो किसान को लाभ हो सकता है। उन्हें रियायत दिए जाने से उनकी मदद होगी हमारी जमीन लेंगे तो कम से कम रोटी तो मिलती रहेगी। यह एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं। यदि आवश्यक हो तो अधिनियम में संशोधन कर उन्हें आवासीय प्लाट के स्थान पर व्यापारिक प्लाट दिए जाएं स्थानीय संसद सदस्य श्री जगदीश टाइटलर बता रहे थे कि भाव अब बढ़कर 400 रुपए हो गया है।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : यह स्थिति कुछ समय पहले की है।

श्री राजेश पाइलट : भाव अलग-अलग हो सकते हैं। चाहे यह 80 या100 रुपए हो। कल 400 रुपए था।

अतः मैं चाहता हूं कि चार सुझावों पर आप विचार करें। यदि बाजार भाव 2000 रु० तो विकास प्रभार घटा कर किसानों को भुगतान किया जाए। दूसरा सुझाव दिल्ली विकास प्राधिकरण में रोजगार देने का है। आपको इसके लिए आरक्षण करना चाहिए। तीसरे आवासीय प्लाटों के स्थान पर व्यापारिक प्लाट दिए जाए। आदमी कहीं भी रह सकता है, परन्तु उसे शाम को खाना मिलना चाहिए, चौथे यदि व्यापारिक प्लाट देना सम्भव नही है तो विकास प्राधिकरण किसानों के लिए सहकारी समिति बनाए जिससे उन्हें कोई समस्या न हो। कुछ आश्वासन अवश्य दिए जाए जिससे हम लोगों को उत्तर दे सके कि सरकार इतने समय में कुछ करेगी। खाना जब खाओं, पहले जवाब दो। आपकी तरह नहीं है कि इतने समय या महीने में किया जाएगा जिससे हम लोगों को बाहर आश्वासन दे सके।

श्री भीष्म नरायण सिंह : मान्यवर, राजेश पाइलट जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने ऐसे सुझाव दिये हैं। मेरे जो और साथी यहां बैठे उन्होंने भी अच्छे सुझाव दिये हैं जिन्हें मैं काफी देर से सुन रहा था और माननीय सदस्य भी सुन रहे थे। मैंने उन्हें नोट भी किया हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह तो डी० डी० ए० का है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : डी० डी० ए० तो बाद में आता है, पहले तो उनकी कीमत की बात है। डी० डी० ए० के सम्बन्ध में भी जो सुझाव दिये गये हैं वे अच्छे सुझाव हैं।

जहां तक दिल्ली के बारे में और डी० डी० ए० के बारे में इन सब सुझावों का सम्बन्ध है, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के हमारे सांसद, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, टाइटलर जी, सज्जनकुमार जी सब लोग डिस्कश करते रहते हैं क्योंकि यह वह अपना कर्तव्य समझते हैं जैसे कि आप लोगों ने अपना कर्तव्य जाहिर किया है। जो बातें आपने यहां बतायीं हैं, उन सारी बातों का और आपकी भावनाओं

का बिल में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जब तक कोई चीज सामने नहीं आती तब तक मैं कैसे कह दूं कि उसमें क्या क्या है। यह कठिनाई है। लेकिन इस चीज के लिए हम प्रयत्नशील हैं वह बिल शीघ्रातिशीघ्र तैयार हो। मैं तोयह भी चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बिल आ जाए और मैं आप लोगों से अनुरोध करके इसी सेसन में उसे पास करवा दू। यह हमारी काफी कोशिश है। (व्यवधान) मेरा अनुमान है कि कृषि मन्त्री जी भी आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत प्रत्यनशील हैं। आपने जो भावनाएं इस सदन में रखी हैं उनको देखते हुए हम लोग और ज्यादा प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत तो नहीं दे सकूंगा लेकिन मैं आपकी बात कह देता हूं कि एक बात तो आप कह सकते हैं कि किसानों के हितों का और इनके हितों का आप पूरा ध्यान रखेंगे। यह तो आप कह सकते हैं इनक नुकसान नहीं होने देंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए तो यह बिल बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो किसान इसके नीचे आ गये हैं उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके साथ न्याय हो, इस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, यह आप कह सकते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने यही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मध्यान भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे और 2.20 म० प० पर पुनः समवेत होंगे।

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्यान भोजन के पश्चात लोक सभा 2.25 म० प० पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 14 दिसम्बर, 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

(क) वर्ष 1981-82 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) तथा वर्ष 1979-80 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

(ख) वर्ष 1981,82 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) तथा वर्ष 1979-80 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

(ग) वर्ष 1981-82 के लिये असम राज्य की अनुदानों की अनुपूरक मांगें ।

2. कतिपय सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित करने संबंधी असम अधिसूचना का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा ।

3. असम राज्य के संबंधी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन चाहगें वाले संकल्प पर चर्चा ।

4. केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा ।

5. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य को किसी पद पर विचार ।

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार तथा पारित करना ।

7. संसद के किसी उप-चुनाव को पूरा कराने के लिये एक निश्चित अवधि का उपबन्ध न करने में निर्वाच विधि को अपर्याप्तताओं पर 14 दिसम्बर, 1981 को सायं 4.00 बजे नियम 193 के अधीन चर्चा ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है जिसमें शिक्षित व्यक्तियों की शक्ति का उचित ढंग से सदुप्रयोग नहीं हो रहा है बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को दूर करने के लिए अधिक से अधिक औद्योगिक विकास जरूरी है । इसलिए इस मामले पर आगामी सप्ताह विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ।

दूसरा, बंधुआ मजदूर की समस्या अभी बनी हुई है । उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश हरियाणा इत्यादि राज्यों में लाखों ऐसे व्यक्ति हैं । जो बंधुआ मजदुर के रूप में कार्य कर रहे हैं । यह गहरी चिन्ता का बिषय है । इसलिए इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : रहोदय, मैं आगामी सप्ताह से प्रारम्भ होने वाली कार्यसूची में निम्नलिखित मामला शामिल करने का अनुरोध करता हूं ।

"सिमेंट की कमी तथा उसका कुवितरण" ।

सिमेंट एक आश्वयक और नियंत्रित वस्तु है । राज्यों को जो सिमेंट दिया जाता है वह उनकी आवश्यकता आवंटित पूरा करने के लिए हसेशा अपर्याप्त होता है ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि इस अलभ्य वस्तु का वितरण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और वितरण पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है । समाचार पत्रों एवं अन्य मंचों से भ्रष्टाचार, कुवितरण के बारे में विशेषरूप से महाराष्ट्र में विभिम्न आरोप लगाए गए हैं ।

उत्पादन, आयात तथा वितरण सहित सिमेंट नीति पर एक विस्तृत चर्चा आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आप इससे सहमत होंगे।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित दो बातें सम्मिलित कराना चाहता हूं।

(1) देश में कपड़ा उद्योग की स्थिति विचारणीय बन गयी है। इस उद्योग में काम करने वाले लाखों मजदूरों और कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित है। मध्य प्रदेश की दो प्रमुख कपड़ा मिलें विनोद और विमल 8 नवम्बर से लगातार बन्द हैं। उक्त मिलों को रिलीफ अन्डर टैकिंग के तहत घोषित प्रावधानों की छूट मिली हुई है। किन्तु मिलें बन्द हैं। इन मिलों को इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रेगूलेशन ऐक्ट, 1951 के तहत तत्काल अधिग्रहीत कर हजारों मजदूरों की जीविका को बचाया जाना चाहिये।

इसी प्रकार राष्ट्रीय वस्त्र नियम (एन० टी० सी०) के मारकेटिंग डिवीजन जिसमें इस निगम द्वारा उत्पादित 3 प्रतिशत कपडे का ही व्यापार किया जाता है, कार्यरत कर्मचारियों का वेतन काफी कम है। इन कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इनके वेतन में वृद्धि करने का शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

अतएव कपड़ा उद्योग की सुस्थिति, बन्द मिलों को चालू करने तथा इनमें काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का विषय चर्चा में सम्मिलित किया जाये।

(2) किसान को उसके कृशि उत्पादनों का वाजित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। शक्कर कारखाने किसान को गन्ने का उपयुक्त मूल्य नहीं दे रहे हैं। कई शक्कर कारखाने अभी चालू नहीं हुए हैं। किसान गन्ने के खेतो में गेहूं की लेट वैरायटी को बोना चहाता है।उसे गन्ना सस्ते मूल्य पर बेचने को बाध्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जावरा और माहिदपुर रोड के शक्कर कारखानों ने किसानों और कर्मचारियों का लाखों रुपयों का बकाया भुगतान नहीं किया है।

अतएव मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों को उसके द्वारा उत्पादित गन्ना का उपर्युक्त समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करने के लिए उपर्युक्त विषय को सम्मिलित किया जाये।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही के लिये निम्न दो बातें सम्मिलित कराना चाहता हूं।

(1) आगरा जिले और उसके समीपवर्ती मैनपुरी, इटावा, बांदा, फतेहपुर कानपुर, एटा आदि जिलों में व मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों में

पुलिस मल्लाहों का उत्पीड़न कर रही है और उनके घरों को लूट रही है। उनके झूठे चालान कर रही है, उनकी स्त्रियों को बेइज्जत कर रही है। अनेक समाचार पत्रों में व सरकार के पास अनेक शिकायतें आई हैं परन्तु अब तक उन मल्लाहों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। बल्कि पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न बराबर बढ़ रहा है। तुरन्तु ही इस उत्पीड़न को रोकने की व्यवस्था होना आवश्यक है।

(2) देश में बराबर पुलिस आंतक व दमन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर लोगों के जान माल को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। पुलिस के मनमाने अत्याचारों व कानून को अपने हाथों में लेने के मामले बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। और लोग पुलिस व्यवस्था से भयभीत होने लगे हैं। इसलिए पुलिस व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है। पुलिस के कार्य को तीन भागों में विभाजित करना जरूरी हो गया है प्रथम सूचना दर्ज करने का कार्य मुन्सिफ व तहसीलदारों के हवाले कर दिया जाय और इन्वेस्टीगेशन सैकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेटों को सौंप दी जाए। शेष कार्य पुलिस के हाथ में रहे तभी पुलिस व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, पिछले अनेक अवसरों पर केन्द्रीय सरकार की आलोचना होती रही है कि यह अनेक मामलों में राज्य उचित दावों एवं प्रतिनिधित्वों का नजर अन्दाज कर रही है।

हाल ही में कलकत्ता की टेलीफोन सलाहकार समिति का जो पुनर्गठन हुआ है उसमें इस सम्बन्ध में सुस्थापित मानदंडों का अवहेलना करके नामांकन किए गए हैं और व्यक्तियों का चुनाव किया गया है। पद्यपि पश्चिम बंगाल में 294 व्यक्ति यों के सदन में 250 विधायक से अधिक विधायक वाम पक्षी मोर्चा के हैं तथापि वामपक्षी मोर्चे के किसी घटक के एक भी विधान सभा सदस्य को कलकत्त टेलीफोन सलाहकार समिति में शामिल नहीं किया गया है और न सतारूढ़ वामपक्षी मोर्चे का कोई प्रतिनिधित्व ही इसमें दिया गया है। इसलिए, अनुरोध है कि इस समिति में सभी दलों को उनकी संख्या के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

सलाहकार समिति के गठन में दूसरा ऐसा मामला देखा गया है ...

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा मद आप शामिल करना चाहते हैं ?

प्रो० रूप चन्द पाल : दूसरा मामला आकाशवाणी कलकत्ता से सम्बन्ध सलाहकार समिति के गठन में देखा गया है। सूचना और प्रमारण मन्त्री जो यहां बैठे हैं, इस बात से पूर्ण सहमत होंगे कि इस सलाहकार समिति के लिये व्यक्तियों के नामों का निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पश्चिम बंगाल के सूचना और संस्कृति कार्य मन्त्री द्वारा नामों की एक नाभिका भेजी गई थी। परन्तु पश्चिम बंगल के मन्त्री द्वारा की गई नाभिका में से एक भी व्यक्ति को समिति में नहीं लिया गया।

मेरा अनुरोध है कि इर निकायों के गठन पर चर्चा आगामी सप्ताह के लिये कार्य-सूची में शामिल की जानी चाहिए।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : यह सही नहीं है ।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1980 को बजट की कृषि मन्त्रालय की मांगों पर माननीय कृषि मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह, न लोक सभा में घोषणा की थी कि किसानों के हित में लैंड एक्वीजीशन एक्ट में संशोधन किया जाएगा । माननीया प्रधान मन्त्री ने 16 फरवरी, 1981 को किसान रैली के सम्मुख घोषणा की थी कि उपरोक्त एक्ट में संशोधन कराया जाएगा । मेरे दो पत्रों के उत्तर में माननीया प्रधान मन्त्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, उनमें भी ये आश्वासन दिए हैं ।

राज्य सभा में माननीय कृषि मन्त्री कह चुके हैं । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने भी घोषणा की है । मेरे मौखिक अनुरोध पर माननीय कृषि मन्त्री ने आश्वासन दिया कि यदि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री सहयोग करेंगे, तो संशोधन इसी सत्र में आ जाएगा । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने भी सहयोग करने का मौखिक आश्वासन दिया है, किन्तु माननीय सदस्य कार्य मन्त्री ने कार्यक्रम में उसका उल्लेख नहीं किया है ।

मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विल को कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित कर लिया जाए, ताकि लगभग 90 वर्ष पुराने एक्ट के कारण किसानों के साथ होने वाला अन्याय समाप्त हो जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखित में दिया है सिर्फ वही रिकार्ड में जाएगा ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूचि में निम्न लिखित विषयों को सम्मिलित करने का मैं आग्रह करता हूं ।

चालू मौसम में गन्ने का मूल्य 13 रुपये प्रति- क्विन्टल निश्चित किया गया है, जो निश्चित रूप से किसानों के लिए अलाभकर है । आज किसानों के उपर राजस्व की दर, डीजल खाद, बिजली, कृषि यंत्रों की कीमत, मजदूरी की दर में 25 से 45 प्रतिशत तक बढ़ने का भार है । किन्तु गन्ने का मूल्य है वही 13 रुपये, जो 1977 में निर्धारित हुआ था । सरकार ने अधिक दर में विदेशों से आयात कर भारतीय किसानों की पैदावार का मूल्य कम रखकर भारतीय किसानों का अहित किया है । आज सरकारी वेतन- भोगियों के वेतन 1977 की तुलना में 60 प्रतिशत बढ़ गये हैं । अतः गन्ने का मूल्य 1977 की दर पर रखने का कोई औचित्य नहीं है । उसका लाभकर मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए ।

मेरा दूसरा सुझाव मंडल आयोग का प्रतिवेदन संसद के सभा-पटल पर रखने के बारे में है । मंडल आयोग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने का आश्वासन सरकार ने संसद के पिछले सत्र में दिया था, किन्तु अभी तक नहीं रखा गया है । इस प्रतिवेदन से देश की 60 प्रतिशत जनता जुड़ी है । इसे इस सत्र पटल पर रखा जाए ।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार मुद्दों का उल्लेख करना चाहता था । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ दो मुद्दों का उल्लेख करने की

अनुमति दी है। इसलिए, मैं कानून व व्यवस्था की स्थिति और ऊपरि-पुल के गिरने के मामलों का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं केवल दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा।

अनुरोध है कि निम्नलिखित दो मुद्दों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के वित्तीय प्रबन्ध में अनेक अनियमित्ताएं प्रकाश में आई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक इन अनियमित्ताओं की छान-बीन पहले से कर रही है, परन्तु अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे है। यह मामला विनिधानकर्ताओं तथा निक्षेपकर्ताओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के कार्यों पर चर्चा की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि दुबई में काम कर रहे भारतीयों के प्रश्न ने पुनः भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट किया है। दुबई में एक जवान महिला के साथ बलात्कार किया गया। यह समाचार 8.12.81 को डेम्कान क्रोनिमल हैदराबाद में छपा है। इसके बारे में खाडी के देशों में कार्यरत भारतीयों के सम्पूर्ण प्रश्न के साथ चर्चा होनी चाहिए।

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के विधेयक बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं, जिसके परिणामस्वरुप भूमि सुधारों औद्योगिक कानूनों शिक्षा तथा अन्य विषयों पर विभिन्न महत्वपूर्ण विधान का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः उनका निपटारा शीघ्र करने की आवश्यकता है।

दूसरा, रेल सेवा आयोग का कार्यालय कलकत्ता में बहुत पहले पूर्ण रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे तथा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिए छत्तीसवे वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए स्थापित किया गया था और तबसे यह अपना कार्य संतोषजनक ढ़ंग से कर रहा हैं।

पूर्व रेलवे का एक बड़ा भाग पश्चिम बंगाल और बिहार में फैला हुआ है। भूतपूर्व रेल मन्त्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने उम्र आयोग के एक भाग को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर में स्थानन्तिरित कर दिया या ताकि बिहार के बेरोजगार युवको को पूर्व रेलवे में रोजगार मिल सके। वह कार्यालय अभी भी काम कर रहा है। उन कार्यालयों का शेष भाग कलकत्ता से ही कार्य करता रहा जो नौकरी के अवसरों के मामलों में पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों की आवश्यकता को पूरा करता हं।

अतः ऐसी सूचना मिली है कि वर्तमान रेल मन्त्री उक्त कार्यालय के शेष भाग को कलकत्ता से दानापुर (बिहार) में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है जिससे देश के पूर्वी भाग के बेरोजगार युवक नौकरी के अवसरों से वचित हो जाएंगे।

इससे क्षेत्रीयता की बू आती है। अन्यथा एक राज्य में दो रेल आयोग कार्यालय स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भेद-भाव की नीति के पीछे एक मात्र कारण पूर्वी क्षेत्रों के युवकों को बिहार के बाहर नौकरी के अवसरों से वंचित करना है और मेरी राय में यह भारतीय सविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है। इसलिए, मैं मांग करता

हूं कि यह सभा रेल मन्त्री को निदेश दे कि उक्त कार्यालय के कथित स्थानान्तरण का विचार परित्याग कर दें। जो क्षेत्रीय प्रयोजनों के लिए अपने पद के दुरुपयोग के समान है।

अगले सप्ताह की कार्य सूची में इस मद को शामिल किया जाना चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए मुद्दों के लिए उनका कृतज्ञ हूं। मैं इन कार्यवाहियों पर विचार करूंगा और यदि उचित समझा तो मैं इसे कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखूंगा।

कार्य मन्त्रणा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री भीष्म नारायण सिंह : : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 23 वे प्रतिवेदन जो 10 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 23 वे प्रतिवेदन, जो 10 दिम्बर, 1981 को सभा प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ .

चलचित्र (संशोधन) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर विचार करें अर्थात चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर विचार श्री बसन्त साठे अपना भाषण शुरू करें।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वाद-विबाद का उत्तर अभी देना शुरू किया है। चलचित्र संशोधन अधिनियम से संबन्धित विधेयक पर माननीय सदस्यों की चर्चा से मुख्य मुद्दे ये उठे हैं कि वे इस बात के लिए उत्सुक थे कि भारत में स्वस्थ अच्छी तथा सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में बनाई जाए। एक के बाद एक सदस्य ने यह विचार व्यक्त किया है कि फिल्म उद्योग अधिक व्यवसायिक है और इसलिए यह मांग तथा पूर्ति के नियम का शिकार हो रहा हैं। वे वैसी ही फिल्में बनाते है, जिनकी मांग है और इस तरह एक दुष्चक्र शुरू हो जाता। हमें यह पता है सबसे पहले आप ऐसी फिल्में बनाते हैं जो ओछा अथवा खराब रुची पैदा करती हैं कि ऐसी फिल्मों ही की मांग है और इसलिए ऐसी फिल्में बनाते रहते हैं।

यदि आप इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो में इस सभा में एक से अधिक बार कह चुका हूं कि आपको यह करना चाहिए कि'''क्या श्री शास्त्री को कोई आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी सिनेमा जाने की आदत नहीं है।

श्री वसन्त साठे : बड़ी अफसोस की बात है। वे कतिपय चीजों से वांचित हो गए हैं। वे एक अच्छा चरित्र अभिनेता होते।

मैं यह कह रहा था कि यदि हम वास्तव में फिल्म उद्योग को व्यापारिक शोषण के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह करनी होगी कि हमें फिल्म उद्योग को कतिपय विनियमकारी कानून के अन्तर्गत रखना होगा। अब क्योंकि वितरण और प्रदर्शन राज्य सूची के विषय हैं और उत्पादन केन्द्रीय सरकार की सूची में है, यद्यपि, सदस्य के बाद सदस्य यह कह रहे हैं। कि प्रदर्शन और वितरण समेत फिल्म उद्योग को विनियमित करने के लिए एक गहन कानून बनाया जाय, लेकिन मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत हम प्रदर्शन और वितरण को नियंत्रित अथवा विनिययित नहीं कर सकते सिर्फ उत्पादन क्षेत्र में ही हमने कुछ करने की कोशिश की है. लेकिन अच्छी फिल्म बना भी ली गई तो जब तक इसे छवि गृहों में प्रदर्शित नहीं किया जाता तब तक यह बेकार हो जाएगी और छवि गृहें वितरकों तथा प्रदर्शिकों के नियंत्रणाधीन है अतः प्रोडयूसर जिसका सिनेमा गृहों पर नियंत्रण है, प्रख्यात निदेशकों द्वारा बनाई फिल्मों को प्रदर्शित नहीं होने देगा।

इस प्रथा को अब तभी तोड़ा जा सकता है जब इस उद्योग को एक उद्योग घोषित किया जाए। लेकिन इस सम्बन्ध में भी कठिनाईयां हैं। वित्त मन्त्रालय पूछता है।

सांपरिर्वक प्रतिभूति क्या है। आपको प्रतिभूति के बारे में अपना समाधान करना है। यह काम बैंकों को करना है। कम से कम सिद्धान्त रूप मे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि यह काम कर लिया गया तो 60 प्रतिशत ऋण जो सूदखोरो द्वारा दिया जाता है। उसके शिकजों से उद्योग को बचाया जा सकता है। यही कारण है कि फिल्म निर्माता ऐसी फिल्में बनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि वे अपना नाम रिगेन करना चाहते है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में यहां कहा था कि सोवियत संघ जैसे देश में 1,50,000 सिनमा गृहों की तुलना में यहां मुश्किल से 10,000 सिनेमा गृह हैं 1,50,000 सिनमा गृह हमारे देश को जनसख्या के 1/3 भाग के लिए हैं। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा शक्तिशाली माध्यम यहां के लोगों को उपलब्ध नहीं है। सिनेमा गृह इतने कम हैं और आधकतर शहरी क्षेत्रो मे स्थिति हैं। और वह भी 10,000 सिनेमा गृहों में 6,000 सिनमा गृह दक्षिणी भारत में है उत्तरी भारत में मध्व प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है,। 400 अथवा 500 सौ से कम सिनेमा गृह हैं। यहां स्थिति बिहार और अन्य कतिपय राज्यों में है। यदि सिनेमा गृहों की कमी होगी तो सिनेमा तक लोगों की पहुंच कैसे हो सकती है । आप छोटे-छोटे सिनेमा गृह बनाएं चलता फिरता सिनेमा गृह भी बना सकते हैं, परन्तु सिनेमा गृह अवश्य होने चाहिए।

सिनेमा गृहों की संख्या बढ़ाने में कौन मदद कर सकता है ? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सिनेमा गृह बनाने के लिए ऋण दे रहा है । लेकिन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी सहायता से बहुत कम कर सकेगा, बल्कि राज्य सरकारों को प्रति वर्ष मनोरंजन कर के रूप 300 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं । अतः राज्य सरकारों को यह काम करना चाहिए । यदि इस राशि का 10 प्रतिशत भी सिनेमा गृह बनाने में उपयोग किया जाए तो स्वयं राज्यों को फायदा होगा, क्योंकि अधिक सिनेमा गृह का अभिप्राय है राज्यों को और और अधिक मनोरंजन कर की प्रति । अतः वित्तीय रूप से भी यह वांछनीय है कि यह काम किया जाना चाहिए । लेकिन इसके बारे में राष्ट्रीय एक रूपता होनी चाहिए । श्री पारुलेकर का यह सुझाव अच्छा है । कि वे विधेयक का संशोधन प्रस्ताव पेश करेंगे ।

श्री बापूसाहिब पारुलेकर (रत्नगिरी) : आप इस उद्योग को समवर्ती सूची में क्यों नहीं लाते ? आप इसे विधेयक लाए बिना कर सकते हैं । मैंने यह भी कहा है ।

श्री वसन्त साठे : हम इसे इस तरह नहीं कर सकते । मैं इस पर विवाद नहीं चाहता मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं इसे समवर्ती सूची में लाने के लिए दबाव डालने के पक्ष में नहीं हूं उससे मुझे क्या लाभ होगा ? कल दूसरे सदन में तमिलनाडु के हमारे मित्रों ने आपत्ति उठाई थी कि इसे समवर्ती सूची में न लाया जाए । मैं इसे समवर्ती सूची में लाने का इच्छुक नहीं हूं, जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए सहमत न हो जाय कि, समवर्ती सूची में इसे लाने से हमें एक राष्ट्रीय कानून बनाना होगा जो स्वस्थ उद्योग तथा स्वस्थ फिल्म के विकास को विनियमित तथासहायता करेगा डब्बिंग तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध होने के बावजूद एक क्षेत्र की फिल्में दूसरे क्षेत्र में नही दिखाई जा रहीं हैं । आखिरकार सिनेमा गृहों की उन्हें अवश्य स्वीकार करना चाहिए अतः हमें एक राष्ट्रीय विनियमकारी नीति अवश्य बनानी चाहिए । इससे भी थियेटरो तथा अन्य सेक्टरों में कार्यरत मजदूरों को लाभ पहुंचाने सम्बन्धी कानून बनाने में सहायता मिलेगी अन्य विधेयक के सन्दर्भ में ही मैंने इसका उल्लेख किया था ।

श्री राम जेठमलानी जो एक प्रख्यात वकील हैं ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि अपीलीय प्राधिकरण का गठन एक दिखावा है । मैं यह नहीं समझ सका । वस्तुतः इसका गठन उच्चतम न्यायालय में दिए गए आश्वासन के अनुसरण में किया गया है । अतः हमने उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक अपीलीय न्यायाधीकरण का गठन करने का उपबन्ध किया है अब इस तरह की आपत्ति की जा रही है उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायधीश को शामिल करना तो ठीक है परन्तु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के योग्य व्यक्ति को शामिल करना गलत है इसमें कुतर्क है । आपके अनुसार यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए सुपात्र नहीं है, लेकिन कोई सरकार विशेष अथवा कोई अन्य इसलिए उच्च न्यायालय का न्याययाधीश नियुक्त कर देता है कि उसके पास 10 वर्ष का अनुभव है, यद्यपि वह अन्यथा पात्र अथवा सक्षम नहीं है, तब पात्र उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिए जाने से वह बाद में न्यायाधीकरण में शामिल हो जाने का पात्र हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना देने से ही वह किसी न्यायाधीकरण में

शामिल होने के योग्य बन जाता है । प्रख्यात न्यायाविद भी हो सकते हैं । अतः हमें नेकनीयती अथवा बदनीयती का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए ।

मुझे सबसे अधिक हैरानी तब हुई जब श्री जेठमलानी ने कहा कि चल-चित्र युक्त होने चाहिए ; मुझे धक्का लगा । यदि उनका दल इस रवैये या नीति का समर्थक है तो मैं नहीं जानता मुझे क्या कहना चाहिए । लेकिन मुझे खुशी है कि उनके इन विचारों का समर्थन किसी ने नहीं किया । सभी सदस्यों ने इस सभा में तथा दूसरी सभा में और हर जगह कहा है कि चल चित्रों में देश की सामाजिक मान्यताओं नैतिकता तथा संस्कृति की झलक होनी चाहिए और युक्त समाज को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए जिससे उन देशों में जहां आज मुक्त समाज हैं, भारी बेचैनी तथा अशान्ति व्याप्त हो रही है । हम उसकी नकल नहीं करना चाहते—चाहे कोई जेठ मलानी का सुझाव हो ।

जहां तक 'थनीर' फिल्म का सवाल है, मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया है और इस मामले का फैसला अपील के समय गुणावगुणों के आधार पर किया जायेगा । जहां तक इस चल-चित्र का सम्बन्ध है हम किसी भी ओर आबद्ध नहीं है ।

मेरे मित्र श्री नवल किशोर शर्मा ने कहा है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए । व्यापक विधेयक कैसे लाया जा सकता है क्योंकि ये विषय राज्य सूची और संघ सूची में विभाजित हैं ? यदि वे सभी समवर्ती सूची में होते तो मैं व्यापक विधेयक बना सकता था, तब हम उन सभी कानूनों को जिन्हें हमने तब से बनाया है जब से हमारी सरकार सत्तारूढ़ हुई और उन कानूनों को जो वर्षों से निलम्बित हैं मिलायेंगे । कर्मचारियों को काम करने की शर्तों को संरक्षण देने के लिए हम एक विधान लाये हैं जिसे इस सभा ने अनुमोदित तथा पारित कर दिया है । निर्धनावस्था में कर्मचारियों की मदद करने के लिए हमने एक कल्याण निधि का निर्माण किया है । अब इस विधेयक को मैं स्वस्थ तथा सुन्दर चलचित्रों का निर्माण तथा विकास विनियमित करने के लिए लाया हूं ।

किसी ने कहा कि हमने सेंसर बोर्ड का प्रधान ऐसे व्यक्ति को बनाया है जो हमारे अनुकूल है यह कथन पूर्णतया द्वेष भावना से प्रेरित है क्योंकि इन माध्यमों एन० एफ० डी० सी० चलचित्र निदेशालय और सेंसर बोर्ड के प्रधान के रूप में व्यवसाय से मैंने आदमियों को नियुक्त किया है । श्री ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म जगत के ख्याति प्राप्त निर्माता एवं अन्यथा विख्यात व्यक्ति हैं । क्या आप कभी यह कह सकते हैं कि वह इस तरफ या उस तरफ झुकेंगे ?

उसके पश्चात् मेरे मित्र-मैं समझता हूं श्री पाल ने जो हमेशा राज्य बनाम केन्द्र की सोचते हैं— एक चल चित्र के बारे में कहा जिसमें उतपल दत्त द्वारा विवेकानन्द की पुस्तकें में से एक उद्धरण है । उन्हें मालूम नहीं है । उतपल दत्त जो एक विख्यात निर्देशक तथा निर्माता हैं स्वयंनेव सुधार करने के लिए सहमत हो गए हैं—केवल सहमत ही नहीं हुए बल्कि वह फिल्म पास हो गई और इस फिल्म को फिल्म उत्सव में दृश्य पटल में दिखाया जायेगा । मेरे मित्र को तथ्यों का तक पता नहीं है । वह सरकार के विरुद्ध आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, इसका मुझे वास्तव में दुख है ।

जहां तक विभिन्न वर्गों के इन फिल्मों का सम्बन्ध है, यह खोसला समिति की सिफारिशों और फिल्म पालिसी ग्रुप की भी सिफारिशों के अनुकूल है, हमने उन विख्यात लोगों के मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करने की कोशिश की है जिन्होंने इस विषय पर विचार किया है।

संक्षिप्त में मैंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जो मेरे मित्रों द्वारा इस वाद-विवाद में उठाये गये हैं और मुझे आशा है कि उनकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा और वे विधेयक का एक मत होकर समर्थन करेंगे ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : क्या मैं आपकी अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? उन सभी कठिनाइयों को देखते हुए जिन्हें आपने इस समय व्यक्त किया है क्योंकि निमार्ण और वितरण दो भिन्न सूचियों में हैं, आप कार्यकारी ग्रुप और आयोग द्वारा दिये गये 231 सुझावों को कैसे क्रियान्वित करेंगे ;

श्री वसन्त साठे : इन्तफाकन आपसे मैं यह कह सकता हूं कि 231 सुझावों में से 180 सुझाव हमने मान लिए हैं। उनमें से बहुत-से सुझाव मैंने इस विधान में जिसे मैं लाया हूं, समाविष्ट किए हैं। जिन्हें मैं नहीं ला सकता, वे पूर्णत: राज्य विषय हैं।

मैंने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे उनके बारे में कुछ करें। इस सम्बन्ध में वे ही कार्यवाही कर सकते हैं। 28 सुझावों को जो संवैधानिक स्वरूप के हैं, हम स्वीकार नहीं कर सके हैं। वे अब भी विचाराधीन हैं। उनके बारे में ऐसी स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अब श्री परुलेकर के संशोधन को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्डों पर अगली बार विचार करेंगे, साठे साहिब सिनेमा गृह में चार 'शो' होते हैं। इसलिए हमें चौथी बार आना पड़ेगा।

श्री वसन्त साठे : कुछ सिनेमा गृहों में कई सप्ताह तक एक ही 'शो' चलता है। यह भी कई सप्ताह चलेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी-समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

श्री वाई० एस० महाजन।

श्री वाई० एस० महाजन : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के

बत्तीसवें प्रतिवेदन से जो 10 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से जो 10 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्य अपने विधेयक पुरः स्थापित करेंगे पहला विधेयक श्री विखे पाटिल के नाम में है। श्री पाटिल। यह यहां नहीं हैं। अगला विधेयक भी उन्हीं के नाम में है। यहां नहीं हैं। तीसरा और चौथा विधेयक भी श्री पाटिल के नाम में ही हैं। वह यहां नहीं हैं। उससे अगला विधेयक श्री फर्नान्डीस का है। श्री फर्नान्डीस।

वह भी उपस्थित नहीं हैं। मद 6 और 7 के अन्तर्गत अगल दो विधेयक भी श्री फर्नान्डीस के ही हैं। वह उपस्थित नहीं हैं। मदें विधेयक संख्या 8 श्री राम स्वरूप के नाम में हैं। मद संख्या 9 के अन्तर्गत विधेयक रीतलाल प्रसाद वर्मा के नाम में हैं। श्री वर्मा

भारतीय सामाजिक विषमताएं और निर्धनता उत्साधन विधेयक 1981

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा। आप विधेयक पुरः स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत उत्सादन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत उत्सादन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 10 के अन्तर्गत विधेयक श्री रघुनाथ सिंह वर्मा के नाम में हैं। वह उपस्थित नहीं हैं। अगला विधेयक श्री नन्जे गौडा के नाम में है। श्री गौडा।

न्यासों (पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए) की स्थापना पर प्रतिबन्ध विधेयक, 1981

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : मै प्रस्ताव करता हूं कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सभी किस्म के न्यासों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं श्री बनातवाला इस विधेयक को पेश किये जाने के खिलाफ हैं। श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकम पर मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आप मुझे याद दिलायेंगे कि केवल संक्षिप्त वक्तव्य की अनुमति प्रदान की गई हैं। मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने का विरोध करता हूं।

विधेयक में अजीब उपबन्ध हैं। उदाहरणार्थ, इसमें पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए न्यासों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। क्या ऐसा है कि न्यासों का निर्माण केवल सम्पन्न वर्गों के कल्याण के लिए ही किया जा सकता है ? क्योंकि इस विधेयक में पिछड़े वर्गों के लाभ तथा कल्याणार्थ निर्मित न्यासों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का उपबन्ध है।

इस विधेयक में आगे यह व्यवस्था है कि पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए निर्मित सभी न्यासों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, न्यासों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा कि न्यासों का राष्ट्रीयकरण करने से सविधान के कई उपबन्धों का उलंघन होता है। अनेक समुदायों के वैयक्तिक कानून विशेषत: मुस्लिम वैयाक्तक कानून भी इस विषय में काफी सुस्पष्ट हैं। इसलिए, यह सही नहीं है कि न्यासों को अपन हाथ में लेने से समाधान अथवा हल हो जायेगा। अत: मैं अर्ज करूंगा कि यह घोर आपत्तिजनक है और इससे भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों का उलंघन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता अच्छी तरह समझता हूं। उन्होंने उसका उल्लेख विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में किया है। उनकी चिन्ता यह चिन्ता है कि इन न्यासों का प्रयोग कमजोर वर्गों के शोषण के लिए राजनैतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु यह तो इससे सर्वथा भिन्न विषय है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन न्यासों का निर्माण ही न किया जाए। इनका मतलब यह नहीं कि इन न्यासों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। शरियत कानूनों के साथ यह गम्भीर हस्तक्षेप भी है। इससे

अनुच्छेदाय का उलंघन होता है। केवल अनुच्छेद 14 का ही नहीं अपितु अनुच्छेद 25, 26, 29, 30 तथा कई अन्य अनुच्छेदों का उलंघन होता है। हालांकि मैं माननीय सदस्य की इस चिंता की सराहना करता हूं कि इन तथाकथित न्यासों द्वारा पिछड़े वर्गों को शोषण नहीं किया जाना चाहिए, किंतु मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति इन न्यासों के राष्ट्रीयकरण से नहीं हो सकती। जो इन लोगों का शोषण करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ देश के सामान्य कानूनों के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ कानून में पर्याप्त उपबन्ध हैं। मैं माननीय सदस्य से इस विधेयक को वापस लेने की अर्ज करूंगा। अन्यथा मैं मजबूरन सभा से अनुरोध करूंगा कि ऐसे विधेयक को जिससे संविधान के कई अनुच्छेदों का उलंघन होता है, पेश किये जाने की अनुमति न दें। धन्यवाद -

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक के पेश किये जाने में ऐसी आपत्ति क्यों उठाई है।

जैसा हम सबको विदित है, सभा के दोनों पक्षों के बहुत-से सदस्य बहुदा कहते रहते हैं कि न्यासों के नाम पर धन एकत्रित किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा धन एकत्रित किया जाता है। उन्हें विदेशों से भी धन प्राप्त हो रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : इस धन का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। जैसा आपको विदित हैं, अपने काले धन को इन न्यासों के नाम में रखने के लिए बड़े उद्योगपतियों के लिए यह धन काफी सुविधाजनक हो गया है जिससे वे फिर से इस धन का अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकें। इसलिए, मेरा प्रयोजन बहुत स्पष्ट है। इन न्यासों को अब लोगों की सेवा करने के लिए एक साधन नहीं समझा जाता है बल्कि ये न्यास सरकार को धोखा देने और अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपन काले धन का उपयोग करने केवल साधन हैं। वे राजनीतियों को काबू में रखने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं, हमने देखा है कि केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर तथा अन्यत्र क्या-क्या हुआ है। राजनैतिक प्रयोजनों के लिए इन न्यासों का प्रयोग कैसे किया जाता है, वह हमने देखा है, मेरा विचार यह नहीं है कि ये पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य न करें। मेरा विचार केवल यह है कि इन न्यासों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए और बदले में सरकार यह सुनिश्चित करे कि उद्देश्यों की पूर्ति हो और उनकी क्रियानीति हो। इस दिशा में सरकार सहायक हो सकती है। ऐसे न्यास क्यों रहें जब वे अब हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं हैं? वे केवल काले धनियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए मैं अपन विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने हेतु जोर दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस विधेयक को वापस ले जा रहे हैं?

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या आप मुझे सलाह देते हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सभी किस्म के न्यासों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एच० एन० नन्जे गौडा: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कृषि कर्मकार पेंशन और अन्य सुख-सुविधाएं विधेयक, 1981

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : मै प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के लिए पंशन, भविष्य निधि और अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों के लिए पेंशन, भविष्य निधि और अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

न्यास राष्ट्रीयकरण विधेयक, 1981

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में काम कर रहे धार्मिक, सामाजिक राजनैतिक या आर्थिक आदि सभी न्यासों के राष्ट्रीयकरण को उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह विधेयक भी ठीक उसी प्रकार है जिसे अभी थोड़ी देर पहले सभा में पुरःस्थापित किया गया है। फर्क केवल इतना है कि इसका क्षेत्राधिकार उससे थोड़ा अधिक व्यापक है। केवल पिछड़े वर्गों के लिए निर्मित न्यासों को ही नहीं अपितु जितने भी न्यास हैं उन सभी को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जायेगा और आगे किसी न्यास का निर्माण नहीं होगा। सभी धार्मिक न्यासों और सभी शैक्षिक न्यासों को अपने हाथ में लेना एक गंभीर हस्तक्षेप है मैं इस सभा से जोर देकर कहूंगा कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून में विभिन्न हमुदायों के वैयक्तिक कानूनों में ऐसा हस्तक्षेप मेरे

लिए स्पष्ट शब्दों में कहना जरूरी है, बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, न्यासों सम्पूर्ण का राष्ट्रीकरण से, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, अनुच्छेद, 25, 26, 29 और 30 तथा अन्य अनुच्छेदों का उल्लघन होता है। स्वाभावतः यदि माननीय सदस्य चाहें, तो इस बारे में विचार-विमर्श हो सकता है। किन्तु इस प्रकम पर मैं इस विधेयक में दिए गये गभीर किस्म के सुझाव के कारण इसके पेश किये जाने का अवश्य विरोध करूंगा।

मैं माननीय सदस्य का विचार अच्छी तरह समझता हूं कि उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है और राजनीतिक हथियार के रूप में न्यासों के प्रयोग पर काबू पाना है। इस सम्बन्ध में उन्हें काफी अनुभव है और लोगों के दिमागों में विभिन्न उदाहरण मौजूद हैं लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि किसी किस्म का कुप्रश सन कुकार्य प्रणाली, भ्रष्ट आचरण, न्यासों का विदेशी धन जमा करने के लिए प्रयोग और तब उसका प्रयोग करने की कोशिश, राजनैतिक हथियारों के रूप में न्यासों का प्रयोग करना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए न्यासों का प्रयोग करना, ऐसे मामले हैं जिनके प्रति सावधानी बरती जानी चाहिए और उन्हें दोषों से मुक्त रखने के लिए विज्ञमान कानूनों में पर्याप्त उपबन्ध भी हैं। प्रश्न विज्ञमान विधि के समुचित प्रशासन का है। यदि विद्यमान कानूनों को समुचित रूप से प्रयोग किया जाता है तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

मैं माननीय सदस्य से एक बार फिर अर्ज करूंगा कि वह ऐसा गम्भीर परिणाम उत्पन्न करने वाले विधेयक को पेश करने का आग्रह न करें क्योंकि इससे सभी लोगों के विशेषकर सम्पूर्ण देश में अल्प संख्यकों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दिमाग में क्षोभ उत्पन्न होगा। मैं उनसे अपील करूंगा कि वह इस विशिष्ट मामले पर अनावश्यक रूप से आन्दोलनों को पैदा न करें उनके इरादे तो नेक हैं किन्तु जैसा मैंने कहा हमारे ऐसे माध्यम पहले ही मौजूद हैं जिनसे उसकी पूर्ति हो सकती है। मैं उनसे विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करूंगा अन्यथा मैं सदन से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पेश करने की अनुमति न दे और यह सुनिश्चित करे कि इस किस्स के विधेयक सभा के समक्ष न रहें क्योंकि ऐसी चीजें दुर्भाग्यवश हमारे देश में क्षोम और आन्दोलन उत्पन्न करते हैं। धन्यबाद।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : जैसा पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं मेरे इरादे बहुत स्पष्ट हैं। यदि मैं माननीय सदस्य विधेयक पर विचार किये जाने के समय अपने संशोधन लाना चाहें, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मेरा आग्रह फिर भी यही हैं कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

> "कि भारत में काम कर रहे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक आदि सभी न्यासों के राष्ट्रीयकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जन संख्या वृद्धि रोक विधेयक, 1981

श्री पी० राजगोपाल नायूड (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ ।

> "कि देश में जन संख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बहुत कड़े उपबन्ध हैं । एक वाक्य में यह घोषणा की गई हैं कि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होंगे उसे सरकारी सेवा में नहीं लिया जायेगा ।

श्री एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : बिलकुल ठीक है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि सरकारी नौकरी में किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हो जायें तो उसे जुर्माने के रूप में सरकार को अपने वेतन का पांचवा भाग सरकार को देना पड़ेगा । यह बताने की जरूरत ही नहीं कि ये उपबन्ध ह्रास्यास्पद है ।सारी समस्या को उपहारजनक रूप से हल करने की कोशिश की गई हैं । यह एक गम्भीर प्रश्न है और इसे गम्भीरता से ही निपटाया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त परिवार आयोजन योजनाओं के मामले में बाध्यता नहीं होनी चाहिए । मैं सदा बाध्यता का विरोध करता रहा हूं क्योंकि इससे पहले बहुत दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई थी इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं, अतः हमें बाध्यता के इन तानाशाही ढ़ंगों को छोड़ देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप देश में आबादी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा किन्तु इसके लिए आपको मुझे पर्याप्त समय देना होगा । आप तानाशाही ढ़ंग अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी विकास शील अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधनों का पूरा लाभ उठाते हुए उनका उचित वितरण करना होता है । उन संसाधनों को समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं है ।

मैं यह भी कहूंगा कि बाध्यता का तत्व इस्लाम सहित कई धर्मों के सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल है । अतः मैं विधेयक को पुरः स्थापित करने के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें । अन्यथा मुझे सभा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वह इसे पुरः स्थापित करने की अनुमति न दे ।

प्रो० एन जी० रंगा (गुंटूर) : क्या उसको उत्तर देना अनुज्ञेय है ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू (त्रिचूर) : मेरे मित्र श्री बनातवाला ने जो बातें कहीं हैं उनको सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। (व्यवधान)। मेरे विचार में वह मेरे से सहमत है कि आबादी में वृद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। अत: मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक का विरोध न करें। उनका कहना है कि इसमें बाध्यता नहीं होनी चाहिए। दूसरे वह चाहते हैं कि हमें समझाना बुझाना चाहिये। हम तो पिछले 30 वर्षों से समझा बुझा रहे हैं किन्तु उसका परिणाम कुछ नहीं निकला है। आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ हो गई है। हम तो कुचेलों की तरह हैं। कृष्ण हमारी सहायता करने नहीं आयेंगे। यद्यपि खाद्य उत्पादन तीन गुना हो गया है और हरित क्रान्ति भी आई है तथापि हम अपने लोगों के लिए अनाज नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि आबदी बढ़ती जा रही है।

मैं बनातवाला से पूछना चाहता हूं : क्या आपकी यह मन्शा है कि कोई व्यक्ति चाहे कितने बच्चे उत्पन्न कर ले और बाद में उनका बोझ सरकार पर डाल दे और इस प्रकार विपक्षी दलों को यह कहने का मोका मिल जाये कि सरकार गरीबी दूर नहीं कर पा रही है।

इन सभी कारणों से यह नितांत आवश्यक है कि इस विधेयक को पुर: स्थापित किय जाये, यदि हम आबादी पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। दूसरे हमारे देश को लाभ होगा और वह समृद्ध हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन यहां नहीं हैं। प्रो० मधु दण्डवते भी यहां नहीं है। अब डा० बसन्त कुमार पंडित।

धर्म परिवर्तन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 1981

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) . मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में धर्म परिवर्तन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमोआ) : आज तो ऐसा दिन प्रतीत होता है जब धार्मिक चीजों को सामने लाया जा रहा है। मैं धर्म को इतना अधिक महत्व नहीं देता हूं। धर्म की भूमिका जितनी कम होगी उतना ही हमारे समाज के लिए अधिक अच्छा रहेगा। विधेयक के प्रस्तावक की मन्शा पर मुझे कोई सन्देह नहीं है। परन्तू इससे लोगों में दुर्भावना फैल जायेगी, जब हम धर्म परिवर्तनों का रजिस्ट्रीकरण करना आरम्भ कर देंगे : एक ऐसा ही विधान तानाशाह हिट्लर ने बनाया था जिसमें उपलब्ध था कि यहूदियों को 'स्टार आफ डेविट' को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाये। चाहे वह कितनी ही अहानि कर प्रतीत होता था उससे लोगों को बड़ा अपमान सहना पड़ता था क्योंकि उस समय यहूदी होना तो अपराध थां। वास्तव में इससे धारणा फैल जायेगी कि किसी धर्म विशेष का अनुसरण करना अपराध है। इस विधेयक में धर्मपरिवर्तन रजिस्ट्रार तो विभीषण का पक्ष होगा। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म का योगदान जितना कम रहेगा उतना ही हमारे समाज के लिए बेहतर रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी० एम० बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के प्रस्तावक के प्रति हमारी भावना अच्छी और सच्ची होनी चाहिये। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह धर्म परिवर्तन पर कोई रोक लगाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यह बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। यह तो वह मानते हैं कि यह तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वह एक धर्म को छोड़कर दुसरा धर्म अपना लें। उसकी मुख्य चिन्ता यह है कि धर्म परिवर्तन के मामलों में किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव या कोई अवांछनीय बात नहीं होनी चाहिये। उन्होंने धर्म परिवर्तनों के रजिष्ट्रीकरण का सुझाव दिया है परन्तु उनके इस सुझाव से स्थिति और बिगड़ जायेगी इससे विधि और व्यवस्था की भी एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वह चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने से पूर्व रजिस्ट्रार को सूचना दी जाये। तत्पश्चात एक डेढ़ मास की सूचना उस समुदाय के पुजारी या धार्मिक संस्था को दी जाये जिसमें से वह धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं दूसरे शब्दों में यह तो उस समुदाय के समाज विरोधी तत्वों को निमत्रंण देना होगा जो सब प्रकार की समस्यायें उत्पन्न कर सकेंगे। अतः हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिये और इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह तो किसी व्यक्ति के किसी भी धर्म का अनुसरण करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना होगा और इसका बड़ा अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जहां तक बलप्रयोग, अनुचित प्रभाव, कदाचार आदि का सम्बन्ध है, उनसे निपटने के लिए भारती दण्ड संहिता और अन्य विधियों में पहले ही पर्याप्त उपबन्ध हैं। यह तो एक बड़ी दुःख की बात है कि तमिलनाडु में जो धर्म परिवर्तन के मामले हुए हैं। उनके बारे में यह धारणा फैला दी गई है कि इनमें विदेशी धनराशि का हाथ है। बम्बई से 17 नवम्बर के एक दैनिक पत्र में कहा गया है कि संघ गृह मन्त्रालय के पास यह

रिपोर्ट है कि धर्म परिवर्तन के ये मामले भारी विदेशी धनराशि के कारण हो रहे हैं और धर्म परिवर्तन कराने के प्रयोजनार्थ एक विदेशी योजना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक समाचार पत्र की रिपोर्ट है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम यह अच्छी तरह जानते हैं । और हमारा ऐसी रिपोर्टों में विश्वास भी नहीं है । परन्तु कुछ ऐसी धारणा पैदा की जा रही है गृह मन्त्रालय ने कई बार कहा है कि इसमें विदेशी धनराशि का कोई हाथ नहीं है मन्त्रियों के वक्तव्य हैं जो मैं इस समय नहीं पढ़ना चाहता । तथापि तथाकथित विदेशी धनराशि, बड़े पैमाने पर में हुए धर्म परिवर्तनों और कतिपय विदेशी षड़यन्त्र के बारे में सुव्यवस्थित ढ़ग से प्रचार हो रहा है । इस विधेयक में माननीय सदस्य ने विदेशी धन की तथाकथित भूमिका और संदिग्ध धर्म परिवर्तनों का उल्लेख किया है । इस प्रकार के विधेयक उनके साथ लगे उद्देश्यों और कारणों के कथन और ऐसे विधेयकों को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव अनावश्यक रूप से तनाव उत्पन्न करते हैं । बिधेयक बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है । यह किसी व्यक्ति के धर्म का अनुसरण करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना होगा । इससे संघर्ष बढ़ेगा और विधि तथा व्यवस्था के प्रश्न उठेंगे । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

डा० वसन्त कुमार पन्डित : मैंने अपने दानों साथियों द्वारा विधेयक के पुरःस्थापन पर उठाई गई आपत्तियों को सुना है मैं समझता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्यों के कथन का अध्ययन नहीं किया है मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने के अधिकार में हस्तक्षेप किया जाये । हमारे हां जन्म रजिस्ट्रार मृत्यु रजिस्ट्रार और विवाह रजिस्ट्रार हैं । धर्म परिवर्तन से तो एक व्यक्ति का पुनर्जन्म सा हो जाता है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में इतनी आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं । मेरे विचार में विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न तो उठना ही है जब सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि धर्म परिवर्तन स्वतन्त्र अन्तःकरण से नहीं किया गया या बाह्यतः अथवा प्रलोभन से किया गया है । माननीय सदस्य ने भी दैनिक समाचार में स्वयं पढ़ा है इससे भी इसी बात का आभास होता है । हाल के वर्षों में विशेष रूप से जन संख्या के नये आंकड़ों से पता चलता है कि कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं । इस विधेयक द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को इस पर अच्छी तरह से विचार करने का मौका देना है क्योंकि अब धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं । एक, दो व्यक्तियों की बात हो तो कोई बात नहीं है जब धर्म परिवर्तन के इतने अधिक मामले हो रहे हों तो सन्देह उत्पन्न हो ही जाता है कि क्या यह सच्चे ऊंचों में धर्म परिवर्तन हो रहा है हमारे सामाजिक जीवन और धार्मिक व्यवहार में भी कोई ढंग होना चाहिये । धर्म को बदलना कोई साधारण बात नहीं धर्म का परिवर्तन दृढ़ विश्वास और आस्था पर होना चाहिये न कि प्रलोभन और वाह्यता द्वारा अतः मैंने केवल रजिस्ट्रीकरण का सुझाव दिया है जिससे सम्बन्धित व्यक्ति को उस पर सोचने का समय मिल सके । मैंने किसी व्यक्ति के धर्म बदलने के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न नहीं किया है । इन तर्कों से पता चलता है कि यह मामला कितना भावुकतापूर्ण है । किसी चीज को व्यवस्थित करने के ढंग से ही कुछ अल्पसंख्यक लोगों की भावनायें अस्तव्यस्त हो

गई है। धर्म परिवर्तन सम्बन्धी ये आंकड़े इतिहासकारों, अनुसन्धान कर्ताओं तथा राष्ट्रीय सांख्यकी के लिए उपयोगी होंगे। हम अल्पसंख्यकों को कुछ फायदे प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति यह कह सकेगा कि उसने फलां तारीख को धर्म परिवर्तन किया था, अत: उसे उस तारीख से फायदा दिया जाये। इन सभी तर्कों के बावजूद इसका कोई कारण नहीं कि इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

> "कि भारत में धर्म परिवर्तनों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपवन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

उपाध्यक्ष महोदय : जो पक्ष में नहीं हैं वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में 'हां' कहने वाले अधिक हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : 'नहीं' कहने वाले अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कक्षों को खाली किया जाये।

सभाकक्ष खाली हो गये हैं। डा० वसन्त कुमार पन्डित ने भारत में धर्म परिवर्तनों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी है। सर्वश्री जी० एम० बनातवाला तथा एडुआर्डो फैलीरो ने इसका विरोध किया है। अब मैं इसे के मतदान लिए रखता हूं।

रेल, शिक्षा और समाज कल्याण तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्रीमन् हम सामान्य परम्परा या स्थापित प्रथा का उल्लघंन नहीं करना चाहते। अत: हम इस ओर से मत-विभाजन के लिए आग्रह नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

> "कि भारत में धर्म परिवर्तनों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० वसन्त कुमार पन्डित : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———

संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए श्री मूलचन्द डागा द्वारा 15 सितम्बर 1981 को पेश किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी। श्री डी० पी० यादव अपना भाषण जारी रखेंगे

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : इस बिल पर आज अपना भाषण जारी रखने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। न केवल संसद सदस्यों या विधान सभाओं के सदस्यों के सामने परन्तु राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के सामने आज यह सवाल पैदा हो गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का काम क्या है ? मैं समझता हूं कि उनके काम को डिफाइन करने की आवश्यकता है, उनकी महत्ता को समझने की आवश्यकता है। यदाकदा अखबारों के जरिये और कभी-कभी पब्लिक स्पीचेज के जरिये यह कह दिया जाता है कि संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य अपनी सुविधाए और अपने प्रिवलेजिज बढ़ाने के लिए आतुर हैं। क्या सुविधा उनको मिलती है यह आप उनसे पूछें जो संसद मदस्य हैं या विधान सभा सदस्य हैं या उनकी क्या रिसपांसिवलिटीज हैं, क्या लायाबिलिटीज हैं। यों हंसी-मजाक मे कुछ कर देना आसान बात है। लेकिन उन लोगों से जो अखबारों के माध्यम से प्रचार करते हैं कि ससद मदस्य लाभ में आ गए हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संसद सदस्य के चुनाव पर राष्ट्र का कितना खर्च होता है ? अगर सारे देश में एक बार लोक सभा का चुनाव कराया जाए, तो 100 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं होता है, अर्थात एक संसद सदस्य को चुनने में सरकारी खजाने से 20 लाख रुपया खर्च होता है और जो केंडीडेट्स चुनाव लड़ते हैं, जो जीता और जो हारा, उन सभी केंडीडेट्स और पार्टी का खर्चा 15 लाख रुपये से कम नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि 35 लाख रुपये से पाँच साल के लिए एक एम पी तैयार होता है।

मगर यह कहीं डिफाइन नहीं हो रहा है कि 35 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट से, इतना हगामा करने के बाद, जो एम पी बनता है, उसकी उपयोगिता क्या है। देश के सामने सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि एम पी की उपयोगिता और यूटिलिटी को डिफाइन किया जाए। आज हम उससे कतरा रहे हैं। ब्यूरक्रेसी मंत्रियों और मन्त्रिमंडल के सदस्यों को आगे पीछे करके इतना फंसा कर रखती है कि वे समझते हैं कि सब हरा-भरा है। लेकिन जिस दिन मत्रिमंडल बर्खास्त होता है या गिरता है, उसके बाद उन्हें मालूम होता है कि सब हरा-भरा नहीं, उजड़ा है।

खासकर जो लोग मंत्री होते हैं, जब वे लोक सभा या विधान सभा के चुनाव में जाते हैं, तो पहले-पहले उन पर जनता की बौछार होती है। कोई कहता है कि कहिए मन्त्री जी, आप बड़ी गाड़ी पर चल थे, आप कहां थे, किधर आ गए। मन्त्रियों को ये सब ताने सुनने पड़ते हैं। हम लोग जो मन्त्री नहीं हैं, हमसे भी कहा जाता है कि कहिए एम पी साहब, पांच साल कहां थे, क्या कर रहे थे, हमें कुछ पूछने नहीं आए, आप चुनाव के समय ही आए थे, अब फिर पांच साल के बाद आए हैं।

हमारे मित्र, श्री अरविन्द नेताम, बता रहे थे कि उनका चुनाव-क्षेत्र, बस्तर, केरल प्रदेश

से ज्यादा लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। अब आप बताइए कि वह बेचारे चार सौ, साढ़े चार सौ मील लम्बे और साढ़े पाच सौ लम्बे क्षेत्र में घूमने के लिए 1500 रुपये तनख्वाह लेकर कैसे गाड़ी करेंगे और कौन उन्हें गाड़ी देगा। रेसपांसिबिलिटी तो हमारी है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, वे कलेक्टर, एम पी या कमिश्नर के पास नहीं जाते हैं। उनका सारा गुस्सा एम एल ए और एम पी पर उतारा जाता है। लेकिन वे बेगुनाह हैं। वे बेचारे गरीब कहां जाएंगे ? वे एम एल ए और एम पी के दरवाजे पर ही जाएंगे। यह अन्तर है ब्यूरोक्रेसी और चुने हुए प्रतिनिधियों में।

आज सबसे एसेंशल सवाल हो गया है कि डिफाइन किया जाए कि 35 लाख रुपए की लागत-पूंजी से तैयार किए हुए संसद सदस्य और 10, 12 लाख रुपए की लागत-पूंजी से तैयार किये हुये विधान सभा के सदस्य का जनता के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और अगर कोई उत्तरदायित्व है, तो उसको निभाने के लिए उसके इनस्ट्रुमेंट्स क्या हैं। सरकार ने एक बी डी ओ नियुक्त किया, तो उसको गाड़ी, आफिस और चपरासी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एम पी बनने के बाद उसका एक काम है कि एक दिन प्रधान मन्त्री का चुनाव करा दीजिए और एम एल ए का एक काम है कि मुख्य मन्त्री का चुनाव करा दीजिए। फिर वे लोग भजन करें, सरकारी दफ्तर की तरफ न देखें, यह न पूछें कि कहां क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना है। जो व्हिप होगा, उसके अनुसार वे बटन दबायेंगे। कुछ उसके उलट दबायेंगे। यह बटन दबाने का सिस्टम समाप्त होना चाहिए। सबसे ज्यादा आवश्यकता है पीपल्स-इन्वाल्वमेंट होना है। उपाध्यक्ष जी, भारत के संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए और श्री मल्लिकार्जुन साहब तथा गृह मन्त्री, ज्ञानी जी, यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम गरीब ससद सदस्यों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ज्ञानी जी, बड़ी असुरक्षा की भावना हो गई है, बड़ा परेशान रहते हैं। हम लोगों से उधर के लोग ज्यादा परेशान हैं। इसलिए ज्ञानी जी को नोट करना चाहिए कि इनके एम० पी० सुरक्षित हैं या नहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, यह हंसी मजाक का वक्त नहीं है। योजना मन्त्री जी, श्री चव्हाण साहब, यहां बैठे हुए है और यदाकदा उनके विभाग द्वारा बनाया हुआ छठी पंचवर्षीय योजना का यह डाक्यूमेंट है, इसमें कहा गया है – "डाक्यूमेंट आन सोशियल ट्रांसफार्मेशन"—क्या बढ़िया शब्द है :—

> "प्रशासनिक व्यवस्था के केन्द्रीयकरण तथा स्थानीय स्तर पर पर्याप्त तंत्र की व्यवस्था करने के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि आयोजन और कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण पर लोगों का पूरा सहयोग और सहभागिता हो।"

> "इस क्षेत्र में योजनाओं के लिए लोक निधि का नियतन, चाहे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या निधिकरण की किसी अद्धति के आधार पर किया जाये, ऐसा होना चाहिए जिससे योजना के लक्ष्य का पूरा किया जा सके।"

तथापि विशिष्ट कार्यों का चुनाव स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है और प्राथमिकतायें प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होगा···

राम दुलारी जी जरा ध्यान दीजिए ।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : जो कुछ आप कह रहे हैं, मैं उसे अच्छी तरह से सुन रही हूं ।

श्री डी० पी० यादव "तथापि विशिष्ट कार्यों का चयन स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है और प्राथमिकतायें प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होगा कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन तथा लोगों के प्रतिनिधियों विशेषकर लाभांवित होने वाले ग्रुप की सहभागी बनाया जाये ।"

यह प्लान डाक्यूमेंट में हैं—इन्वाल्वमेंट आफ पीपल्स रिप्रजेंटेटिव । उपाध्यक्ष जी, 14 लाख की आबादी है और 8 लाख वोटर्स । हम लोग 14 लाख को रिप्रजेंट करते हैं । अब 14 लाख की भावनाओं को दिल्ली तक लाना, मैं तो चूंकि बिहार का हूं, हम कैसे लायेंगे और कैसे बोझा ढोयेंगे, यह देश के सामने बड़ा भारी प्रश्न है । यह डाक्यूमेंट मैंने इसलिए पढ़ना शुरू किया है कि लोक प्रतिनिधियों को सहबद्ध करने के लिए एक नया चैप्टर जोड़ा गया है भारत की योजना में और स्पैसिफिकली कहा गया है कि पिछले 33 वर्षों में हमारी जो खामियां रही हैं, उन खामियों की पूर्ति के लिए जिस प्रकार संविधान में डायरैक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं और जिस प्रकार से योजना में डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स दिए गए हैं, आयोजन, कार्यान्वयन, प्रबोधन और मूल्यांकन ।

और आगे कहा गया है—

"इन तीनों क्षेत्रों में समस्या यह है कि इन क्षेत्रों में आयोजन कार्यान्वयन और मूल्यांकन भिन्न-भिन्न है ।"

वहां डिफ्रेंस होगा सैक्टर—टू—सैक्टर । उनको स्पष्ट कौन करेगा ? उसके बाद कहा गया है कि :

"योजना का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि वे योजना के लक्ष्यों को पूरा करने मे सहभागी हैं ।"

हमारा इन्वाल्वमेंट क्या है, छठी योजना के प्रारूप में, जोकि दो साल पहले बना···

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : एक साल पहले बना ।

श्री डी० पी० यादव : लिखा हुआ है—1980-85 ।

योजना मन्त्री(श्री एस० बी० चव्हाण) : लेकिन एक्चूयली फाइनलाइज हुआ है 1981 में ।

श्री डी० पी० यादव : एक साल हो गया है, लेकिन हमारे जैसे गरीब एम० पी० को पता नहीं है कि क्या हो रहा है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सभी एम० पी० बराबर हैं।

श्री डी० पी० यादव : हमको सब बात का पता रहना चाहिए, लेकिन पता रखने के लिए जब तक हम वहां जायेंगे नहीं, तो क्या पता चलेगा। उपाध्यक्ष जी, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रेन से उतरते हैं और मान लीजिए उसी ट्रेन से बी० डी० ओ० या दरोगा भी पटना से चढ़े हैं' तो स्टेशन पर उतरने के बाद ससद सदस्य तो रिक्शा के लिए चारों तरफ देखता रहता है लेकिन उसे कोई रिक्शा नहीं मिलती, दूसरी तरफ बी० डी० ओ० के दो चपरासी गाड़ी लेकर आते हैं, उसको सलाम मारते हैं, और मजे में गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। आप उन लोगों के लिए जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनके चलन के लिए सवारी का इन्तजाम नहीं करते हैं और जब ससद सदस्य यहां अपनी सुविधाओं के लिए चिन्ता करता है तो उसका हंसी और मजाक उड़ाया जाताहै। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अखबारों में निकाला करते हैं कि संसद सदस्य की तनख्वाह बढ़ जाएगी तो बड़ा भारी अन्याय हो जायगा, जरा मेरे घर अकर देखें कि मेरे घर की क्या स्थिति है। 35 और 40 आदमी आ जाते हैं, कोई दरख्वास्त ले कर आता है कि उसके इलाज की व्यवस्था कीजिये, कोई दूसरे काम को लेकर आता है, अब या तो उनके रहने की व्यवस्था कीजिये, या गाड़ी से उनको अस्पताल पहुंचाइये। हम इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पांच साल के बाद जब उसके पास जायेंगे तो वह कहेगा कि हमने ऐसा एम० पी० चुना जिससे अस्पताल जाने के लिए कहा तो उसने अस्पताल नहीं पहुंचाया। उसकी सोशल-आबलीगेशन को कैसे निभायें ? वे लोग जो काफी पीने में ज्यादा विश्वास करते हैं, बड़े-बड़े होटलों में गप-शप करने में विश्वास करते हैं, अपने ड्राइन्ग रूम को सजाने मे विश्वास करते हैं, वे क्या जानते हैं कि दूर-दराज में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर की क्या आवश्यकतायें हैं। वे अफसर को नहीं जानते, सिवाय पार्लियामेंट के मेम्बर या एम एल० ओ० को जानने के। वे उससे लड़ते हैं, झगड़ते-हैं, अपने दुख और तकलीफ को कहते हैं और हम जो उसके दुख और तकलीफ को आप तक पहुंचाने वाले हैं हमारे पास पोस्टलस टाम्पस भी नहीं हैं। अगर हम 30 चिट्ठी रोज भी लिखायें और एक चिट्ठी की कोस्ट 1 रुपया रखिये तो 900 रुपया महीना पोस्टेज पर लग जाता है। यदि हम कहते हैं कि हमें पोस्टल सुविधा दीजिये तो कहा जाता है कि मिस यूज होगा। 35 लाख रुपया लोक सभा का सदस्य सदस्य बनाने पर खर्च कर दिया, वह मिसयूज नहीं होगा। एक तरह से पार्लियामेंन्ट्री डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके लिए हमारी ब्यूरोकेसी तथा, क्षमा कीजिए, अखबार वाले भी जिम्मेदार हैं।

आप देखिये, मेरी कांस्टीचूएन्सी 14 लाख की है. कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, एपिडे-मिक हो गया, कहीं अस्पताल काम नहीं कर रहा है, कही ला-एण्ड-आर्डर की प्राबलम है, कहीं कोई दूसरी समस्या है, वहां के लोग समझते हैं कि काश हमारे संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य आते तो हमारी आँखों के आंसू पोछ सकते थे। अफसर जायेगा तो बढ़िया कमीज पहनकर जायेगा, हाथ में छड़ी लेकर जायेगा, उनके सामने डर से कोई भी कुछ कहने नहीं जायेगा। लेकिन संसद सदस्य चला जाय तो उसकी खटिया पर बैठेगा, उसका पानी पियेगा, सत्तू-रोटी जो भी मिलती है उसे खायेगा और अपने दुख-दर्द की बात कहेगा, लेकिन हम उससे दुख-दर्द की

कहानी को लोक सभा और संविधान सभा तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास साधन नहीं हैं। साधनों की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाय, इस पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब समाप्त कीजिये।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप उन्हें बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहाते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : समय बढ़ा दिया जाये। इन अन्य माननीय सदस्यों को, जो अभी तक नहीं बोल पाये हैं, अगली बार बोलने दिया जाये।

श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष जी, इसी डाक्यूमैंट में क्या कहते हैं—तनिक हमारे फैक्शन्ज को सुनिये। डायरेक्टिव प्रिन्सिपल एण्ड प्लोनिंग में कहा गया—

> "ब्लाक स्तर पर एक व्यापक योजना बनाने और क्षेत्र का विकास करने के लिए कार्यक्रम नियम करने का प्रस्ताव है। जिसका उद्देश्य स्थानीय सम्पन्नता संसाधनों, ब्लाक संसाधनों और भू-संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करना है।"

अर्थ रिसोर्सेज का अगर पता नहीं रहेगा, एन्डाऊमेंट सर्वे नहीं करेंगे और वाटर पौटेंशियल एरियाज को हम न ीं जानेंगे, तब तक प्रौसेस आफ प्लानिंग में पार्टनर कैसे होंगें।

और क्या यह कहता है :

इस खण्ठ का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों को एकीकृत करना है जिससे योजनाबद्ध उद्देश्यों के साथ सम्पन्नता का पूरा उपयोग किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, 12 कम्युनिटी ब्लाक्स हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं और हर कम्युनिटी ब्लाक में एक-एक लाख एकड़ जमीन पड़ती है। इसका मतलब यह होगा कि 12 लाख एकड़ जमीन का एन्डाऊमेंट सर्वे कराना है एक संसद सदस्य को, विधान सभा सदस्यों को। अगर उन को इसमें पार्टनर बनाना है, तो सबसे आवश्यक बात यह है कि जितनी फैसेलिटीज एक जिला मजिस्टेट को रहती है उससे ज्यादा फैसेलिटीज आपको मिलनी चाहिए, एक संसद सदस्य को मिलनी चाहिए।

श्री हरिनाथ मिश्री पीठाससीन हुए···15-57

सभापति एक बात और मैं कहूं। आपको प्रौटोकोल किया गया है और आर्डर आफ प्रीसीडेंस में क्या है।

वह सघ सरकार के सचिव के ऊपर और राज्य सरकार के मुख्य सचिव के ऊपर है बड़ी अच्छी बात है। जब कागज पर देखेंगे, तो लगेगा कि चीफ सैक्रेटरी भी सलाम करेगा और सैक्रेटरी भी सलाम करेगा। स्वतन्त्रता दिवस पर केवल बैठने के लिए विजय चौक पर एक जगह मिल जाती है और वही नजर आता है कि जो प्रौटोकोल है, उसमें एम० पी० ऊपर है और

सैक्रेटरी नीचे है। बाकी जगहों पर सैक्रेटरी और मुख्य सचिव हमेशा ऊपर है। बाकी दिन मुख्य सचिव ऊपर रहेगा। साल में एक दिन जाड़े में 26 जनवरी को जरूर उनके ऊपर बैठने की जगह मिलती है और वह भी पहुंचे या न पहुंचे, बाकी दिनों में प्रौटोकोल वाली बात नहीं रहती है।

उस दिन जरूर प्रौटोकोल के अनुसार नाम लिखा मिलेगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : वह भी अब नहीं है।

श्री डी० पी० यादव : सभापति जी, अब आप बता दीजिए कि जब हमको पोस्टल स्टैम्प्स की सुविधा नहीं दी जाएगी, तब हम क्या कर सकते हैं। आप पूछना चाहेंगे कि हम चाहते क्या हैं ? मेरे जैसे एम० पी को और मैं समझता हूं कि इससे सारे सदस्य सहमत होंगे कि अभी मिनीमम और तत्काल हमारी जरूरत यह है कि एक अंग्रेजी में, एक हिन्दी में हमें फुल-टाइम स्टेनो जरूर चाहिए।

दूसरा यह है कि पोस्टल स्टैम्प्स पर हमारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन्स नहीं रहनी चाहिए और तीसरा यह है कि मूवमेंट के लिए चाहे दिल्ली हो या हमारा क्षेत्र हो, वहां पर एक व्हीकिल सरकारी स्तर पर हमको जरूर एवेलरबिल रहनी चाहिए। हम वहां न रहें तो उसको वापस ले लें लेकिन अगर एक उप मन्त्री के लिए व्हीकिल है और सर्किट हाउस में वह रह सकती है, स्टेट मिनिस्टर के लिए वह रह सकती है, तो लोक सभा और विधान सभा के सदस्य के लिए वह मिलनी चाहिए, जिससे वह कम से कम अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के बाहर जा सके। वह गाड़ी चाहे बिना तिरंगा झंडा लगे मिले और तिरंगा झन्डा श्री मल्लिकार्जुन जी के लिए हो। हमें बिना तिरंगे झन्डे वाली गाड़ी दे दो।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : लगता है कि आपको पुराने दिनों की झन्डे वाली कार की याद है।

श्री डी० पी० यादव : उसका भी अनुभव है।

श्री मनोरंज भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : टाइपराइटर के लिए भी खोल दीजिए।

श्री डी० पी० यादव : टाइपिस्ट-स्टैनो के बारे में कह दिया है। सभापति महोदय, सबसे पहली बात है संसद सदस्य के कृत्य, फांक्शन्स को निभाने के लिए संसद सदस्य की शक्ति और उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुविधाएं। ये तीन मुख्य मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। एक बात और कहूंगा। मानसिक गुलामी इतनी अधिक हो गयी है कि उससे छुड़ाने की प्राबलम है। आप ब्लाक में जाइये, बी० डी० ओ० को बी० डी० ओ० साहब, कलेक्टर को कलेक्टर साहब कहा जाता है। लेकिन आप अपने क्षेत्र में जाइये, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कोई एम० पी० साहब या एम० एल० ए० साहब नहीं कहता। उनको साहब कहा जाता है और उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं। मानसिक गुलामी की यह स्थिति है कि जो लोग इस्टुमेंट आफ ट्रांसफोरमेशन हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है और जो लोग एक्चुअल्ली में इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सप्लोइटेशन हैं उनको साहब कहा जाता हैं। जो इंस्ट्रूमेंट आफ

डपलपमेंट है वह तो पांच साल के लिए एक बार चुन लिया गया और फिर चुना जाए। तो हमें यह डिफाइन करना होगा कि हमारा फक्शन क्या है ? हमें यह भी देखना होगा कि हमारी मानसिक गुलामी कैसे दूर हो।

शास्त्री जी यहां पर नहीं हैं। अगर वे रहते तो अच्छा होता। उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। वे यह कहते हैं कि सबकी तन्खवाह बढ़नी चाहिये। मैं सरकारी नौकरों की तंख्वाह बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि वे लोग इंस्ट्रूमेंट आफ प्लान को आरडिनेशन हैं। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।

सभापति जी मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता और न किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना चाहता हूं। सदन के सामने या देश के सामने बहुत बड़े खर्च की कोई योजना भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जो लोग कहते हैं कि संसद सदस्यों की बहुत बड़ी तंख्वाह हैं, मन्त्रियों की बहुत बड़ी तंख्वाह है उनको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे जा कर हमारे श्री कार्तिक उरांव की पत्नी से, उनके बच्चों से जा कर के पूछें कि आज उनकी क्या दशा है उनको यह मालूम नहीं है कि कल को उनको खाना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बच्चे दर-दर के भिखारी तो नहीं हो जायेंगे। कल तक वे एक मन्त्री की पत्नी और बच्चे थे, आने वाले कल में उनके बाल-बच्चों का क्या होगा ? इस पर कभी नहीं सोचा गया। आपकी ब्योरोक्रेसी का यह हाल है। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। यह इस पक्ष की या उस पक्ष की बात नहीं है। एक बार जयप्रकाश बाबू मुंगेर जाने वाले थे। हमारे कुछ आफिसर्स उनको सरकिट हाउस नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, उन्हीं अफसरो ने धर्मयुग से काट-काट कर उनके चित्र अपने कमरों में लगा लिये। वे अफसर पांच दिन पहले उन्हें सरकिट हाउस नहीं देना चाहते थे पांच दिन बाद यह वे कहने लगे। ऐसी बात कोई पब्लिक वर्कर नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी ही कर सकता है। कहीं सरकार से उनका महत्व कम न हो जाए इसलिए करता है। जब इन्दिरा गांधी पद से हटीं तो उन्हें भी सरकिट हाउस लेने में तकलीफ हुई। ये लोग आदमी की नहीं कुर्सी की पूजा करते हैं। मैं कहता हूं कि पूजा कुर्सी की नहीं आदमी की होनी चाहिये। यह डिफाइन होना चाहिए कि एम० पी० या एम० एल० ए० की क्या सुविधाएं हों, क्या उनके प्रोटोकोल हों।

सभापति महोदय : आप सरकारी नौकरों के बारे में कह रहे हैं लेकिन सरकार की पालिसी तो मन्त्रिगण और मन्त्रिमण्डल बनाता है, सरकारी अफसर, नहीं बनाते हैं।

श्री डी० पी० यादव : सभापति जी आप इस देश के एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, आप स्पीकर रहे हैं, आप मन्त्री रहे हैं, आप एम० एल० ए० और एम० पी० भी रहे हैं।

इतना अनुभव आपको है और आपके बारे में बिहार में लोग कहते हैं आप हीरे की तरह चमकते हैं और आपके बारे में लोग कहते हैं आप हीरे की तरह कठोर हैं और हीरे की तरह चमकते हैं ऐसे लोग भी हैं। आप भी तो सरकार में हैं। इसलिए मन्त्रिमण्डल के सभी लोग

करप्ट होते हैं ऐसी बात नहीं है। यह तो मानवी गुण है, कुछ लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोगों पर कंट्रोल करने के लिए लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्यों को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वे मन्त्रिमण्डल पर भी अटैक कर सकें।

सभापति महोदय : यह बिल कुल इतना आकर्षित कर रहा है मेंबरों को कि बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन होगा कि···

श्री डी० पी० यादव : बस मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : सभापति महोदय, मेहरबानी करके हर एक को बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है।

श्री मूल चन्द डागा : आप समय बढ़ा दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा।

सभापति महोदय : मैं सदन के रुख को देख रहा हूं और आपकी प्रार्थना भी सुन रहा हूं। आपकी प्रार्थना और सदन का रुख एक साथ मिलते हैं।

श्री डी० पी० यादव : सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। विश्व में सबसे कम सेलरी पाने वाला, विश्व में सबसे कम तन्खवाह पाने वाला यहां का ससद सदस्य और विधान सभा सदस्य है और सबसे ज्यादा चोट सहने वाला आम जनता और प्रेस की चोट सहने वाला, प्रेस वाले भी तो हम लोगों के खिलाफ हमेशा तैयार रहते हैं और आम जनता को तो आप जानते ही है, कभी धूल कभी रोड़ा, कभी जूते कभी पत्थर, कभी माला, ये सब बातें हमको ही सहनी पड़ती हैं।

मैं डागा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े साहब के साथ यह बात उठाई है कि डिफाइन दी फक्शंस, पावर्स एण्ड प्रिविलेजेज आफ मेंबर आफ पार्लियामेंट, प्रधान मन्त्री से लेकर संसद सदस्य और मुख्य मन्त्री से लेकर विधान सभा सदस्य तक इन तमाम चीजों को तय करना चाहिये और इनको इंस्ट्रमेंट आफ सोशल ट्रांस्फार्मेशन बनाना चाहते हैं तो एक कमीशन बनाइए, जिसमें इस देश के सुप्रीमकोर्ट का एक जज हो, एक वरिष्ठ पत्रकार और एक वरिष्ठ संसद सदस्य हो इन तीन आदमियों का कमीशन बनाइए जो सदस्यों का इन्टरव्यू ले और क्षेत्र में जाए। खासकर बरसात के मौसम में जरूर जाए ताकि उनको पता लगे कि संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भक्त जी, के क्षेत्र अन्डवार निकोवार में जाएं, जो एक पूरा का पूरा देश है। वहां पर जाकर पता चलेगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। और किस प्रकार से हम लोगों को काम करना होता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लोगों का तांता लगा रहता है। इसलिए इन सब चीजों को देखकर मल्लिकार्जुन जी जो भी सुविधाएं आप देना चाहते हैं, दीजिए।

एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो संसदीय प्रणाली को छानबीन करे और पता लगाए कि समाज को बदलने में ससद की क्या स्थिति और भूमिका है।

सभापति महोदय, एक बात में और कहूगा कि इस देश में एक अजीब सिलसिला हो

गया है कि ईमानदार होना गुनहगाकी है और बेइमान होना कल्चर। हमको उस कल्चर में न ले जाइए जहां पर बेइमानी ही बेइमानी हो और अगर हम ईमानदारी की बात करते भी हैं तो हमको गुनहगार समझा जाता है। कम से कम इससे हमको बचाइए। कहा जाता है। कि बहार से ढ़ोंग करता है, इस ढ़ोगी बनने से हमको बचाइए। हम ईमानदारी से भरपेट भोजन करना चाहते हैं। दूसरों की इज्जत करना चाहते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भरपेट खाना मिले, इज्जत मिले. इसकी चिन्ता करने का अवसर आप हमको दें। पांच साल के लिए देश की जनता ने हमको चुना है। हम पांच साल ही रहेंगे लेकिन निष्ठा और इमानदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे। जनता की बात को सरकार तक लाएंगे। इसके लिए साधन जुटाने के लिए क्या प्रावधान होना चाहिये, इस पर सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यबाद देता हूं और डागा जी को स्पेशल धन्यवाद देता हूं जिन्होने इस विधेयक को यहां ला कर इसको देश के सामने रखा है। लिमय जी जैसे बिरोधी दल के नेता का जो आर्टिकल छपा है वह आपने पढ़ा भी होगा। उन्होंने भी कहा है कि बिना सुविधाओं को बढ़ाए हुए आप इन से काम नहीं ले सकते हैं। बहुत से विरोधी दलों के नेताओं का यही कहना है। इससे आप मत डरिये कि लोग क्या कहेंगे। आज देश के सामने जो समस्यायें हैं उन ससस्याओं के समाधान के वास्ते संसद सदस्य अपनी भूमिका कैसे निभायेंगे इस पर आप तवज्जह दें, इस पर आप सोचें। यही मुझे कहना है।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : सभापति, मैं संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे विचार में यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस विषय पर गहराई से और ईमानदारी से विचार करना है। सर्वप्रथम सोचने की बात यह है कि भारतीय समाज में संसद सदस्य की हैसियत क्या आंकी जाती है। हम देश के उस उच्चतम मंच के सदस्य हैं जो 70 करोड़ लोगों के भाग्य का निर्णय करता है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संसद सदस्यों की हैसियत यह है। हम हर समस्या पर चाहे वह आर्थिक हो या भू-मौतिक हो, सामाजिक हो या क्षेत्रिय, नैतिक हो या आन्तरिक और प्रशासनिक हो या कोई अन्य विचार करते हैं। हम शीर्ष नेताओं को हर बात पर विचार करना होता है। हमें हर समस्या पर जिस पर देश के करोड़ों लोगों का भाग्य निर्भर है, विचार करना होता है और उसका हल ढूंढना होता है। फिर हमें अपनी तर्कों से अपना दृष्टिकोण वाद-विवद के दौरान व्यक्त करना होता है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरे माननीय मित्र श्री यादव ने जो मुझसे पहले बोले थे, बहुत सी बातों को बहुत योग्यतापूर्ण ढग से कहा है। इसी तरह श्री डागा ने भी, जो कि इस विधेयक के भार साधक सदस्य हैं, अपनी बातें बड़ी योग्यतापूर्ण ढंग से कही हैं। मैं अपना दृष्टिकोण बहुत सक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। मैं कम से कम अपना उदाहरण तो दे ही सकता हूं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश भाग एक सैनिक के रूप में व्यतीत किया है और मैं उच्च स्तर की योजनाएं बनाने और उन्हें सही ढंग से क्रियान्वित करने में लगा रहा हूं। मैं जीवन भर परिश्रमी रहा हूं और अपना अधिकांश समय व्यवसायिक काम में बिताया करता था। अब मैं एक संसद सदस्य हूं। मैं अपने राज्य में विधान मंडल का सदस्य भी रहा हूं। मैं ईमानदारी से

आपको एक बात बता सकता हूं। आप मेरे काम को देखिये और यह देखिये कि मुझे कितने घंटे काम करना पड़ता है। मुझे अपने इस व्यवसाय में अर्थात विधायक या संसद सदस्य के रूप में बहुत अधिक काम करना पड़ता है। मैंने यह उदाहरण दिया है। मुझे ज्ञात है कि इस सभा के तथा राज्य सभा सभी सदस्यों के देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक काम करना पड़ता है। यह एक बात है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हैसियत का बहुत महत्व होता है। काम करने के लिए हैसियत की जरूरत होती है। शास्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहता था कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वह इधर-उधर की बातें करते हैं। वह सोवियत संघ, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजवादी राष्ट्र है, तो अवश्य गये होंगे। मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व के अन्य देशों के अतिरिक्त सोवियत संघ में भी सदस्यों को वेतन दिया जाता है और भत्ते दिये जाते हैं, जिससे वे आराम से अपना काम कर सकें, दक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, अच्छी से अच्छी मोटर गाड़ियों में घूम सकें, रेल द्वारा यात्रा कर सकें, बढ़िया कारों में घूम सकें और यहां तक कि वायुयान में भी सफर कर सकें। उन्हें हर सुविधा प्राप्त है। आवास के लिए मकान भी दिया जाता है और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आवास की व्यस्था की जाती है। अत: क्या हम सुविधाओं से दक्षता नहीं बढ़ती है—चाहे कोई डाक्टर हो, इन्जीनियर या विधायक --सुविधाएं प्रदान करने से दक्षता बढ़ती है। वेतन और भत्ते दक्षता बढ़ाने में सहायक हैं। मैं समूचे मामले को स्पष्ट करने के लिए आपको एक उदाहरण और देता हूं। आप रेल द्वारा यात्रा कीजिये। आप देखेंगे कि आप कहां बैठे हैं। सिविल कैडर या सैनिक कैडर का हर अधिकारी जिसे 1600 रुपये या इससे अधिक मिल रहे हैं, प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करता है, जबकि संसद सदस्य को भीड़-भाड़ में यात्रा करनी पड़ती है और वह भी किनके साथ ? मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह ऐश-आराम की नहीं है, बल्कि यह है कि क्या ऐसे वातावरण में आप अपना काम दक्षता से कर सकते हैं ? सवाल यह है कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे आप उस समय में अपना काम आराम से कर सकें, अपना भाषण तैयार कर सकें आदि, आदि। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आप संसद सदस्य हैं और राजकीय सम्मान के क्रम में आपका स्थान जी० ओ० सी० अर्थात लैफ्टिनेंट जनरल से ऊपर है, केवल सेनाध्यक्ष से नीचे हैं। जब आप राष्ट्रपति भवन में किसी समारोह में जायें, तो आप देखेंगे कि आपका स्थान कितना ऊपर है। फिर क्या आपको वे सब सुविधायें उपलब्ध हैं ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमारी हैसियत में इतनी कमी क्यों की गई है ?

अब मैं वित्तीय कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिनकी ओर मेरे पूर्व वक्ता सदस्यों ने भली-भांति ध्यान दिलाया है। पहली बात जिस पर आपने ध्यान देना है वह यह है कि जब आप विधायक या संसद सदस्य के रूप में काम करते हैं, तो आपका अपने व्यवसाय को भूलना पड़ता है। आप कोई उद्योगपति नहीं रह सकते, कोई किसान नहीं रह सकते। मैं एक छोटा किसान हूं और मुझे पता है कि अपने काम की गैर-हाजरी से मुझे कितनी हानि हो रही है। आप अपना व्यापार या दुकान नहीं चला सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि आप आर्थिक

दृष्टि से भी पिछड़ जाते हैं तथा देश की सेवा करते समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जिन्हें राष्ट्र की सेवा का काम सौंपा जाये, उन्हें समुचित सुविधायें भी दी जानी चाहिए, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से अपने आपको ठीक रख सकें।

हमें इस संदर्भ में भी सोचना है कि हमें कभी भी अन्य लोगों की दया पर न तो जीवित रहना चाहिये और न ही इस बारे में सोचना चाहिये। यह सही नहीं है। सादे ढंग से रहें, कम खायें, परन्तु अपनी आवश्यकताओं को तो दूर नहीं कर सकते —हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हवाई यात्रा भी करनी होती है, दो-दो गृहस्थियां चलानी होती हैं और न्यूनतम स्तर भी रखना होता है, जैसा कि कम से कम एक नौकर चाहिये। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं उनका अतिथ्य भी करना होता है—अतिथ्य से मेरा अभिप्राय है कि कम से कम एक कप चाय देनी होती है। अतः आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यदि हम ठीक रहें और किसी को धोखा न दे, तो हमारे वेतन और भत्ते इतने नहीं हैं, जिनसे हमारा गुजारा हो सके। अतः संसद सदस्यों के वेतन भत्ते इतने होने चाहिए जिससे वे अपना काम दक्षतापूर्वक कर सकें और साथ-साथ अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सवाल कोई परिवहन सम्बन्धी सुविधायें या अन्य सुविधायें प्रदान करने मात्र का नहीं है, सवाल यह है कि हम सबको ऐसी सुविधायें दी जानी चाहिए जिससे हम सबको देश के शीर्ष नेता समझा जाए। केवल एक, दो, तीन, चार, पाच या छः को शीर्ष नेता समझने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। हम सब शीर्ष नेता हैं। हम में से प्रत्येक दस से पन्द्रह लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा हमारा दायित्व केवल अपने निर्वाचन के प्रति नहीं हैं, अपितु समूचे देश के प्रति है। इसलिए में उक्त कमान से अनुरोध करता हूं कि वह इन सब बातों पर विचार करें और यदि आवश्यक ही तो जब वह उचित समझे एक ऐसा व्यापक विधेयक लाये, जिससे संसद सदस्यों की आवश्यकतायें समुचित रूप से पूरी की जा सकें।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री डागा साहब को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, जो कि असलियत हैं, रखने का प्रयास किया है। यों, तो आजकल पत्रों में और बहुत से राजनीतिक अविचारक और संसद के बहार भी बहुत लोग आलोचना करते हैं। कि संसद के सदस्यों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए यहां बिल आया हुआ है। कई पेपरों ने ऐसा निकाला है। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि एक संसद सदस्य जो 15 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और कहीं-कहीं 250 वर्ग मील लम्बे तथा 100 मील चौड़ाई तक के संसदीय क्षेत्र हैं, मेरा अपना ही क्षेत्र "कोडरमा" बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, मैं यह महसूस करता हुं कि जो हमारी सुविधायें हैं उन सुविधाओं के अन्तर्गत आम जनता की हमारे द्वारा जितना लाभान्वित होना चाहिए, उतना लाभ उसे हम लोगों से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी अनेक कठिनाइयां है। वातायात ती व्यवस्था के अभाव में सुदूर गांवों में पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता है, जीप के सिवाय वहां कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां रेल नहीं है, यह ठीक है सरकार की ओर से रेल द्वारा फ्री जाने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां रेल

नही जा सकती, 100-100, 200-200 मील तक पैदल या जीप के अलावा जाने का कोई साधन नहीं है, वहां कैसे पहुंचा जाय ? पैट्रोल के दाम आज इतने मंहगे होते जा रहे हैं, यदि किराये की गाड़ी लेकर जाया जाय, तो वह कितना लम्बा और विशाल क्षेत्र होता है, एक संसदीय क्षेत्र में प्रायः 16-17 ब्लाक्स होते हैं, अगर हर प्रखण्ड में दो दिन भी कोई यात्रा करे तो हर जगह पहुंचना सम्भव नहीं होता है ।

इस तरह की और भी अनेक कठिनाइयां है, लेकिन यातायात की ही व्यवस्था हो जाय तो उसकी बहुत सी कठिनाइयां कम की जा सकती हैं । यह बात बिलकुल सर्व मान्य है, भले ही कोई आलोचना या इज्म के आधार पर भाषण दे दें, लेकिन मैं वह समझता हूं कि यह जनता के साथ न्याय नहीं है । मैंने स्वंय इस बात को अनुभव किया है कि हम जितना काम कर सकते हैं, जनता ने हमें जो पावर दी है, उस पावर के प्रयोग का बहुत आसान तरीका होता है कि उन के गांवों तक पहुंचा जाय । कई काम ऐसे होते हैं जो वहां जाने से हल हो सकते हैं । पिछले 35 वर्षों के दरमियान पांच पंच वर्षीय योजनायें समाप्त हो गई, अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया लेकिन गांवों का विकास नहीं हो सका । आज भी 70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । चारों तरफ से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जोर दिया जा रहा है । नाना प्रकार के वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है । इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि अपनी योजनाओं को हम गांवों तक नहीं ले जा सके हैं, उसका प्रयोग गांव में नहीं कर पाये द, शहरों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं । इसलिये आम जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो एक ऐमोक्रेसी में होना चाहिये, वह न जनता कर पाती है और न जन प्रतिनिधि कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सुविधायें बहुत सीमित हैं । जितनी भी योजनायें बनती हैं, उनको गांवों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण जनता को उनके बारे में समझाने के लिए, यदि जन प्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं जायेंगे तो इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके सारे अधिकारी अपने अपने आफिसों में रहते हैं, वे गांव में नहीं जाते, उनको सुविधायें मिलती हैं, उसकी तुलना हमारे यादव जी ने पहले ही बहुत अच्छी तरह से कर दी है । यदाकदा मैं जब भी अपने क्षेत्र की आम जनता के बीच में जाता हूं अपने क्षेत्र का भ्रमण करने का प्रयास करता हूं यदि एक दिन भी जीप लेकर जाता हूं तो 300 रुपया प्रतिदिन खर्च हो जाता है । दिन भर यात्रा करके हम लौट कर आ पाते हैं । और जाने से महसूस करता हूं । कि आम जनता का बहुत सा काम हमारे वहां पहुंचने से आसानी से हो जाता है और उन लोगों को भी बहुत संतोष होता है । मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत से संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में एक साल में शायद कभी एक बार पहुंचते हों और न कभी पहुंचते हों और पांच वर्षों के बाद चुनाव के समय ही वे पहुंचते हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग हार भी जाते हैं । यही एक कारण उनके हारने का हो सकता है वरना कोई प्रतिनिधि हार नहीं सकता अगर वह जनता के सम्पर्क में रहे और इन चीजों के अभाव के कारण ही वह ऐसा करता होगा, मैं ऐसा मानता हूं । इसलिए मैं समझता हूं कि डागा साहब जो यह बिल लाए हैं. यह बहुत ही उचित है और सरकार को इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

जहां तक संसद सदस्यों की सुविधाओं का सवाल है, विदेशों में देखा जाए । तो सभी

देशों में भारत से कहीं बहुत ज्यादा सुविधाएं संसद सदस्यों को मिलती हैं। जहां तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सवाल है, वहां एक एम० पी० को पर मंथ 12000 रुपये मिलता है। इसके अलावा और दूसरे एलाऊन्सेज मिलते हैं, जो इसके अतिरिक्त हैं। सिंगापुर एक सबसे छोटा देश है दुनिया का और वहां एक एम० पी० को 60 हजार रुपये भारतीय मुद्रा में मिलते हैं, जो 15,500 डालर वहां की मुद्रा के बराबर है। इस प्रकार से डेनमार्क और दूसरे देशों को देखा जाए, तो वहां भी उनको बहुत ज्यादा मिलता है और उनको दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। जबकि उनका क्षेत्र यहां के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। हमारे यहां 554 लोक सभा में एम० पीज हैं और 250 एम० पीज राज्य सभा में हैं और इतना विशाल हमारा देश है। इतने बड़े देश में एक संसद सदस्य को अपने क्षेत्र की पूरी जिम्मेवारियों, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो मिलता है, उसमें वह कुछ नहीं कर सकता। में अपने व्यवहार से यह जानता हूं कि पर मन्थ आवास, बिजली पानी और टेलीफोन आदि पर भी 400-500 रुपये कट जाते हैं और इसके बाद जो बचता है, वह अपने परिवार वालों और लोगों की आवभगत के लिए पर्याप्त नहीं है। इस युग के अनुसार एक संसद सदस्य को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ट बनाने के लिए उसकी सुविधाओं में अभिवृद्धि करना बहुत ही न्यायोचित होगा। वेतन न बढ़े, वेतन बढ़ाने की जरूरत मैं नहीं समझता और न मैं वेतन बढ़ाने की बात कर रहा हूं लेकिन जनता के लिए वह अधिक से अधिक काम कर सके, पंचवर्षीय योजना में सरकारी नीतियों के अनुसार कामों को करवाने के लिए वह आम जनता में व्यापक पैमाने पर जा सके और कार्यक्रमों को लागू करा सके ताकि कोई भी क्षेत्र असंतुलित न रह जाए, कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, इसके लिए कई चीजों की आवश्यकता है। अब क्या होता है कि वह अपनी कांस्टीटुयेन्सी में जाता है तो जैसा यादव जी ने कहा है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, तो उनके लिए तो कार, जीप और दूसरी सारी सुविधायें उपलब्ध रहती हैं लेकिन अगर संसद सदस्य होता है तो ऐसा लगता है कि आम जनता से कुछ आदर, नमस्कार तो मिल जाता है लेकिन इसके सिवाय और कोई सुविधा नहीं मिलती है और जीप आदि नहीं मिलती है।

सभापति महोदय : नमस्कार के बदले तिरस्कार भी होता है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जहां बैंकुस्ट्स मिलते है वहां बैंकुस्ट्स भी मिलती हैं यह सब तो होता ही है एक मिलिट्री डिस्पोजल की जीप की सुविधा मिलती है वह तो स्कूल, कमेटीज, सोसाइटीज के लोगों और रिटायर्ड लोगों को भी मिलती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

एक मेरा सुझाव यह भी है कि अगर कोई संसद सदस्य जीप या कार लेना चाहे, तो उसे इन्ट्रेस्ट फ्री और एक्साइज फ्री कार मिलनी चाहिए। ऐसा अगर होगा तो वह अपनी सुविधा के अनुसार कार ले सकता है। आज तो एक लाख रुपये की एक डीजल एम्बैसेडर कार आती है और उसका सूद देते-देते वह सवा लाख रुपये में पड़ती है। कोई ईमानदार पूर्वक उस कार को ले ले, तो यह सभव नहीं है। किसी न किसी तरीके का गलत काम करके और अनुचित लाभ उठा कर ही एक एम० पी० आज कार ले सकता है। इसलिए अगर एम० पीज को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ट बनाना है, तो सरकार को इस दिशा में विचार करना होगा कि एक्साइज फ्री और इन्ट्रेस्ट फ्री कार एक एम० पी० ले सके।

दूसरे पोस्टेज की फेसिलिटीज भी उनको मिलनी चाहिए। टिकट, स्टेशनरी वगैरह की व्यवस्था संसद सदस्यों के लिए करनी चाहिए। संसद सदस्यों के पास प्रतिदिन सौ, डेढ़ सौ पत्र आते हैं उन सभी के जवाब देने होते हैं। इसलिए हिन्दी और अंग्रेजी के टाइप राइटरों की व्यवस्था भी संसद सदस्यों के लिए करनी चाहिए ताकि वे आम जनता के कामों को ठीक तरह से कर सकें।

इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी समस्या है मैं कई बार ट्रेन में यात्रा करता हूं। किसी निगम का अध्यक्ष तो ए० सी० फर्स्ट क्लास में चलता है और हम लोग फर्स्ट क्लास या टू टायर ए० पी० में चलते हैं मुझे एक बार एक अधिकारी मिले जो कि अपनी पत्नी के साथ ए० सी० फर्स्ट क्लास में जा रहे थे, और कहने लगे चलिए हमारे कम्पार्टमेंट में, वहां बैठ कर चाय पीजिए। मैंने कहा मैं जिसका अधिकारी हूं, मुझे वहीं रहने दीजिए। अधिकारी वर्ग तो अपनी पत्नी के साथ ए० सी० फर्स्ट क्लास में जाते हैं। लेकिन एक एम० पी० अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट क्लास में भी नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में एम० पी० लोगों की क्या दुर्दशा होती है, इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं। अगर वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा तो उसे कितना किराया अपने पास से देना पड़ेगा। 1500 रुपये पाने वाला एक एम० पी० कैसे यह कर सकता है। इसलिए एम० पीज० की सुविधाओं में संशोधन किया जाना चाहिए। आजकल मिलने वाली सुविधायें वास्तविकता से परे हैं। मैं आलोचना और उलझन में जाने की बात नहीं करता। हमें औचित्य और अनौचित्य को देखना चाहिए और संसद सदस्यों की फेसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए।

संसद सदस्यों को कम से कम एक महीने में दो बार वायुयान से यात्रा करने की भी सुविधा होनी चाहिए जिससे कि वे देश में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर वहां तुरन्त पहुंच सकें। ट्रेन में आये दिन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए महीने में दो बार वायुयान से यात्रा करने की हमें सुविधा मिलनी चाहिए। अगर सरकार इन सब बातों पर विचार करे और हमें सुविधाएं प्रदान करे तो हम अपने क्षेत्र की जनता को बहुत ही संतोष प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय डागा जी ने जो सेलेरी, अलाउंसिज, पेंशन आफ मेम्बर आफ पार्लियामेंट संशोधन विधेयक रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अभी आपके सामने जिक्र किया कि मेम्बर, आफ पार्लियामेंट का स्टेट्स होना चाहिए। मेम्बर आफ पार्लियामेंट 15 लाख की आबादी से चुनकर आता है। आज उसकी क्या स्थिति है?

आज जिले के अन्दर जितनी भी जिला कमेटियां होती हैं उनका हमेशा कलेक्टर ही चेयरमेन होता है। मेम्बर आफ पार्लियामेंट और एम० एल० एज० उनके सदस्य होते हैं। आपके आर्डर आफ प्रायोरिटी में एम० पी० को सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर रखा है, लेकिन जिले में एक कलेक्टर कमेटी का चेअरमेन बने और मेम्बर आफ पार्लियामेंट मेम्बर मात्र हो तो उसकी क्या स्थिति रह सकती है। यह स्थिति बदली जानी चाहिये। जिले के अन्दर जितनी भी

कमेटी हों, किसी भी सरकार की कमेटी हो, उसका चेयरमेन पार्लियामेंट का मेम्बर होना चाहिए ताकि उसका स्टेट्स मेन्टेन रहे। इस प्रकार की व्यवस्था जिला लेबल पर और कांसीस्टीच्युएंसी लेवल पर होगी तो मेम्बर आफ पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ेगी।

इसी प्रकार से क्षेत्र के अन्दर जितने भी बी० डी० ओ०,तहसीलदार और कलेक्टर होते हैं, जितने भी जिला अधिकारी होते हैं, उनके पास जीप्स होती है। हम भी वही काम करते हैं जो अधिकारी लोग करते हैं। हम भी जनता को उठाने के लिए, जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जगह जगह जाकर काम करते हैं। उसमें हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है और जो आफिसर्स हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। मेरे कहन का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के मेम्बर जो कि जिले की तमाम कमेटियों का मेम्बर होता है, तमाम कार्यक्रमों की निगरानी करनी होती है, सारे कामों की देख-रेख करनी होती है, उसको भी इस प्रकार की सुविधाए अपने क्षेत्र में मिलनी चाहिए, ताकि डेपलपमेंट वर्क में होने वाली गड़बड़ियों को वह देख सके और उनको दूर करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सके। इसलिए इस प्रकार की सुविधाएं उसको निश्चित रूप से दी जानी चाहिए।

जैसा कि कहा गया है कि हमें जितना पैसा मिलता है, अगर हम एक बार क्षेत्र का दौरा कर लें तो सारे का सारा एक दफा में ही समाप्त हो जाता है। इससे अपने क्षेत्र के प्रति कर्त्तव्यों का सदस्य सही रूप में पालन नहीं कर पाता और जिन लोगों ने हमको इसलिए चुनकर भेजा है। कि उनकी सुख-सुविधाओं का हम खयाल रखें, गरीबी निवारण, और बेरोजगारी और अन्य कार्यक्रमों में सरकार का हाथ बढ़ाएं और कार्यक्रमों को किस प्रकार से कार्यान्वित करना है इन सबमें सही रूप में हिस्सा लेने के लिए सदस्य को सुविधाए मिलनी चाहिए, तभी वह अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके ये काम कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।

डागा साहब ने जो अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया है, उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। सेक्शन (2) में पहली सब क्लाज में 500 में रुपए से 800 रु० और डेली अलाउन्स 51 रुपए से बढ़ा कर 85 रुपए करने के लिए कहा है। मैं चाहता हूं कि यह पैसा बढ़ना इतना आवश्यक नहीं है, जितना हमारी सुविधाओं को ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा बढ़ा दें तो कोई हर्ज नहीं है, उससे एफिसिएन्सी बढ़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से हमको खर्च करना पड़ता है, उसके लिए सुविधाएं बढ़ाना आवश्यक है। हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, उनकी वजह से टेलीफोन का खर्च और पोस्टेज खर्च, मकान, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का खर्च हमारे ऊपर पड़ता है। इन सबका पैसा सरकार को सदस्य देता है। जो 1500 रुपए मिलते हैं, मकान किराया, बिजली, पानी और फर्नीचर का किराया ही लगभग 500 रुपए हो जाता है और टेलीफोन का भी 2-3 सौ तो कम से कम आ जाता है। ये सुविधाएं पार्लियामेंट के मेम्बर को पैसा देकर लेनी होती हैं। उसके बाद कितना पैसा बचता है ?

सभापति महोदय : टेलीफोन जहां आप चाहते हैं, वहां लग जाता है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, यह तो विषय दूसरा था, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। जैसे टेलीफोन के बारे में आम शिकायत है। आज दो साल हो गए हैं, मेरे क्षेत्र में आज तक मुझे टेलीफोन पर बात नहीं हो सकी है। इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए टेलीफोन की बात करना तो बेकार है। पिछली दफा जब चर्चा हुई थी तो हमने टेलीफोन के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। फिर भी जो खर्चा होता है, ट्रंकाल करें, और न मिले तो कैंसल करवाने पर भी कुछ देना हो पड़ता है, इस प्रकार से काफी बिल आ जाता है। जैसा यादव जी ने कहा पार्लियामेंट के सदस्यों के पास डाक इतनी आती है जिसका उनको जवाब देना पड़ता है कि उस पर काफी खर्च हो जाता है। फिर उन पत्रों की पैरवी भी उन्हीं को करनी पड़ती है। अब पन्द्रह सौ रुपए हमें मिलता है। इन सब खर्चों के लिए कितना पैदा बचता होगा इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। दस पन्द्रह लोग इसके निर्वाचन क्षेत्र से या प्रदेश से उसके पास रोज आते रहते हैं। उनका खर्चा भी आप लगाएं। अब अगर सदस्यों को 51 रुपए भत्ता न मिले तो उनके वास्ते तनख्वाह में काम चलाना भी मुश्किल हो जाए। दोनों को मिलाकर बड़ी मुश्किल वह काम काम चलाता है। परिवार के लोगों को खिलाए या न खिलाएं यह अलग चीज है। सारा पैसा कैस्टिट्युएन्सी के काम के लिए मकान के किराये, टेलीफोन डाक आदि में खर्च हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट का सदस्य ईमानदार रहे तो ठीक प्रकार से उसके लिए आपको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मैं यह नहीं कहता जैसे डांगा जी ने कहा कि पांच सौ की जगह आप आठ सौ कर दें। लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि सदस्यों की सुविधायें बढ़नी चाहिए। पैसा आप भी न दें लेकिन उसको आप मकान, फर्नीचर, लाइट पानी फ्री दें, सफाई करने वाले की आप व्यवस्था करें, टेलीफोन की व्यवस्था ऐसी करें कि एक लिमिट आप बांध दें और उस लिमिट तक काल्ज फ्री हो। आप कह सकते हैं कि दो सौ रुपये तक की ट्रंक काल्ज पार्लियामेंट का सदस्य फ्री कर सकता है। इससे काफी सुविधा सदस्यों को हो जाएगी।

सदस्य डाक को बिना किसी की मदद के डिसपोज आफ नहीं कर सकता है। मदद देना निहायत आवश्यक है। दूसरे देशों में उसको पी० ए० मिलता है। यहाँ पी० ए० का सवाल नहीं है। वह खुद ही पीर, बावर्ची, भिश्ती है। झाड़ू लगाने का काम उसका है, रोटी बनाने का भी उसका है, पत्र लिखने का काम भी हमें खुद ही करना पड़ता है। फिर कैस्टिट्युएंटी का या जनता का हम क्या काम करेंगे ? किस तरह से स्टडी करके पार्लियामेंट में गुड्ज डिलिवर कर सकेंगे ? इन सब प्रश्नों पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

आप देखें कि असैम्बलियों के सदस्यों को क्या क्या सुविधायें प्राप्त हैं। मुझे राजस्थान का अनुभव है। कहां एम एल एज को जितनी फैसिलिटीज हैं उतनी यहां पार्लियामेंट के सदस्यों को नहीं है। उनका मकान फ्री, बिजली पानी फ्री, टेलीफोन की भी उनके लिए व्यवस्था यह सब कुछ होता है। इतना पैसा मिलता है कि दो आदमी नहीं बल्कि तीन आदमी सारे देश का भ्रमण कर सकते हैं। हमें उतनी फैसलिटी कहां है। ऐसी अवस्था में कैसे आप हमारी एफिशैंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की में हम अपना योगदान कर सकें

गुड्ज डिलीवर कर सकें। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि एम पी ज्यादा बेहतर स्थितियां पैदा करने में सहायक हो सके। यह नितान्त आवश्यक है।

एक सदस्य एक बार पार्लियामैंट के आने के वक्त अपनी पत्नी को साथ ला सक्ता है या फिर खत्म होने पर उसको वापिस ले जा सक्ता है। बीच में उसको जाना हो तो वह अपनी बीवी को साथ नहीं ले जा सक्ता है और ले जाना चाहता है तो उसका खर्चा उसको स्वयं वहन करना पड़ेगा। कोई बीमार पार्लियामैंट का मैम्बर है और वह समझता है कि बीवी साथ ले जाना आवश्यक है ताकि उसकी देखभाल कर सके, उसकी तीमारदारी कर सके तो उसका उसको टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन असैम्बलीज के मैम्बर्ज को पासिस मिलते हैं वे अपनी पत्नियों को भी साथ ले जा सक्ते हैं, नौकर को भी ले जा सक्ते हैं, परिवार के लोगों को भी ले जा सक्ते हैं, उनको सब जगह घुमा सक्ते हैं। मैं चाहता हूं कि पार्लियामैंट के सदस्यों को फ्री पास मिलना चाहिए ताकि वे अपनी पत्नियों को अपने निवास स्थान से दिल्ली और दिल्ली से अपने निवास स्थान जब भी आवश्यक हो ले जा सकें।

इसके बाद जब पार्लियामैंट का सेशन होता है, तो सदस्य अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ सकता है ? उसको साथ लाना पड़ता है। यह व्यवस्था करनी चाहिए कि पार्लियामैंट का सेशन शुरु होने के समय के लिए जो पास पत्नी के लिए दे रखा है, वह बच्चों के लिए देना चाहिए और पत्नी को सदस्य की तरह पर्मानेंट पास मिलना चाहिए।

जहां तक हवाई जहाज की यात्रा का सम्बन्ध है, बजट सेशन में एक दफा आने, एक दफा जाने और बीच में एक दफा आने-जाने की सुविधा दे रखी है। छोटे सेशन्ज में एक दफा आने जाने की सुविधा दी गई है। बहुत से सदस्यों के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं है। जब जरुरत होती है, तो वे हवाई जहाज से ट्रेबल नहीं कर सक्ते हैं। श्री यादव ने झुकाव दिया है कि महीने में दो पास दिए जायें। मेरा झुकाव यह है कि बजट सेशन में चार पास और छोटे सेशन्ज में दो दो पास जो इस समय दिए हुए हैं, उनका उपयोग हम कभी भी कर सकें। ऐसी व्यवस्था की जा सक्ती है कि जब भी सदस्य को हवाई जहाज से ट्रेवल करने की आवश्यकता पड़े, उसकी सुविधा कानसालिडेटिड फंड में से दी जाए। हमें उसी तरह से छः या आठ पास हवाई जहाज के मिलें और हम उनका उपयोग इमरजेन्सी में कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज का सम्बन्ध है, दिल्ली में तो हमें कार्ड दे रखा है, जिसके ज़रिये से हमें दवाई मिले। बहुत दफा तो दवाई नेहीं मिलती है, क्योंकि डिसपेंसरी के लोग कह देते हैं कि दवाई ऐवेलेवल नहीं है। बेचारा बीमार भटकता फिरता है और अपने पैसे से दवाई खरीदता है। चूंकि वह थोड़ा सा पैसा होता है, इसलिए उसका बिल या वाउचर भी गायब हो जाता है। लोकिन ज्यादा तकलीफ हमारे परिवार के लोगों को होती है। वे लोग तो कांस्टीट्युएन्सी में रहते हैं, भारत सरकार की कोई डिस्पेंसरी नहीं है और न ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोई दवाई बेचने वाला है। ऐसी स्थिति में पार्लिय मेंट के मेम्बर को अपने पविार के लोगों के इलाज के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था

करनी चाहिए, जिससे हमारे परिवार के सदस्यों को माकूल तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकें ।

में समझता हू कि मैंने जो चन्द सुझाव दिये हैं, मन्त्री महोदय उन पर ध्यान देंगे ।

श्री डी० पी० यादव : विदेश ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : विदेश के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं । कनसल्टेटिव कमेटियों और दूसरी कमेटियों की बैठकों के सिलसिले में हम कलकत्ता, बम्बई, काश्मीर और हिन्दुस्तान के दूसरे स्थानों में जा सकते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष महोदय ने उन बैठकों को किसी दूसरी जगह करना बन्द कर दिया है, तो हम विदेश की क्या बात करें ? हम अपने देश में ही नहीं घूम सकते हैं, दूसरे देशों में क्या घूमेंगे ?

मैं कहना चाहता हूं कि जो फैसिलिटीज पहले दी गई थीं, उन्हें रिवाइव किया जाए और हमारी तकलीफों का निवारण किया जाए । पार्लियामेंट के सदस्यों को ऐसी सुविधायें देनी चाहिए, जिससे वे हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री डागा के बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) ; सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, मैं आपके माध्यम से संसद-कार्य मन्त्री, श्री मल्लिकार्जुन, से निवेदन करना चाहता हूं—आपके माध्यम से इसलिए भी कि कुछ देर पहले आपने स्वयं कहा है कि सदन की भावना क्या है, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझ गए हैं—कि और माननीय सदस्य भी अपने-अपने सुझाव देंगे और अपनी बातें कहेंगे । यह बात चलती रहेगी । यह सेशन भी खत्म हो जाएगा और दूसरा सेशन आएगा, तब भी यह सिलसिला खत्म नहीं होगा । मैं तो श्री मल्लिकार्जुन से निवेदन करूंगा कि वे सरकार की तरफ से यहां आश्वासन इस पर एंक्टिवली विचार करेंगी और डागा जी से हम निवेदन करेंगे कि वे अपना बिल वापिस ले लें, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं होने वाली है तो मैं अपनी बात आपके माध्यम से शुरू करना चाहता हूं । यदि मल्लिकार्जुन जी कुछ कहना चाहें, तो कह दें ।

श्री मल्लिकार्जुन : आपने सभापति जी के माध्यम से कुछ अपनी बातें कही हैं ।

सभापति महोदय : आपकी विनितियों और बातों को सुनना चाहते हैं, जब जानकारी होगी, तभी कुछ करेंगे ।

श्री अशफाक हुसैन : मैं आपके माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, उनका विभाग रेलवे विभाग भी है । मैं इसलिए अपनी बात रेलवे विभाग से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि अभी संसद सदस्यों के आर्डर आफ प्रेजिडेंस की बात यादव जी ने भी कही है और हमारे माननीय सदस्य, जनरल स्पैरो साहब, ने भी बताई है । एक सलाहकार समिति रेलवे की बनती है - डी० आर० यू० सी० सी०, जैड० आर० यू० सी० सी०, एन० आर० यू० सी० सी० और उसमें संसद सदस्य संसद के रिप्रजेंटेटिव्ज की हैसियत से, संसद सदस्यों के नुमाइन्दे की हैसियत

से, सदस्य नामिनेट किये जाते हैं। इत्तफाक से वह भी विभाग मल्लिकार्जुन जी के पास है। मैं। इनके मन्त्री जी श्री भीष्म नारायण सिंह, से निवेदन किया और इत्तफाक से मेरा नाम उन्होंने डी० आर० यू० सी० सी० में संसद सदस्य के नुमाइन्दे की हैसियत से नामिनेट कर दिया। मैंने यह भी निवेदन किया कि अब तो प्रदेश की सरकारों में भी जिलों में सलाहकार समितियां बनी हैं, उन सलाहकार समितियों की अध्यक्षता कोई सरकारी अधिकारी के बजाय संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य या कोई मन्त्री रोटेशन के आधार पर करता रहे, तो उचित है। लेकिन मन्त्री जी ने मुझे बताया कि आप तो बात बड़ी अच्छी बता रहे हैं और मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैंने लिखकर भेज दिया। लिखकर भेजने के बाद जवाब मुझे यह मिला कि साहब कुछ ऐसी टैक्नीकल बातें होती हैं और कुछ टैक्नीकल ऐसी जगहें होती हैं, जिनके लिए ससद सदस्य मौजूद नहीं है। उसकी अध्यक्षता के लिए कौम्पीटेंट नहीं है। एक तरफ आप उसका रुतबा बढ़ा देते हैं कि कमाण्डर-इन-चीफ के बाद नम्बर संसद सदस्य का है, चीफ-सेक्रेटरी के ऊपर नम्बर संसद सदस्य का है, सैक्रेटरी के ऊपर नम्बर संसद सदस्य का है, लेकिन बैठता है, वह किसकी अध्यक्षता में—डिवीजनल रेलवे मैनेजर की अध्यक्षता है। मैंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, इसलिए कि संसद सदस्यो के अधिकार सुरक्षित रहें। संसद सदस्यों को जिस ढंग से काम करना है, वह ढंग से काम कर सकें और मैंने अपना नाम वापिस ले लिया, क्योंकि यह संसद सदस्यों की परम्परा के खिलाफ है कि वह किसी छोटे या बड़े किसी सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में काम करे।

यह संसद सदस्यों के सुविधाओं की बात है, इसलिए मैं एक और बात श्री मल्लिकार्जुन से कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने दो मन्त्रालयों को संभाला हुआ है।

श्री डी० पी० यादव : इन्होंने दो नहीं तीन मत्रालयों को संभाला हुआ है। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट मल्लिकार्जुन जी के पास हैं, इसलिए इनको ज्यादा एलाउन्स मिलना चाहिए।

श्री अशफाक हुसैन : सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट श्री मल्लिकार्जुन के पास हैं इसलिए हम आशा करते हैं कि वे इनको अच्छी तरह से देखेंगे।

श्री डी० पी० यादव : सभापति जी, इनको आफिशिएटिंग एलाउन्स भी मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आप लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, यह क्या कम है।

श्री अशफाक हुसैन : जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, उसमें मल्लिकार्जुन फिर सामने आ गए। वे इसलिए सामने आ गए कि मेरा कल ही एक सवाल था और वह सवाल था—रेल के अधिकारियों को रिटायरिंग रूम या रेलवे के बंगलों के बारे में।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (गोरेह) : कल की बात आज मत कीजिए। आने वाले कल की बात कीजिए।

श्री अशफाक हुसैन : मैं वह कल जो बीत चुका है उसकी बात कर रहा हूं। मैंने सवाल पूछा था कि स्टेशनों पर जो रिटायरिंग रूम्ज हैं जिनमें ठहरने की सुविधाएं हैं, रेल के छोटे-बड़े सभी अधिकारी जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनसे या तो कोई किराया नहीं लिया जाता,

या लिया जाता है तो बहुत मामूली किराया लिया जाता है। मल्लिकार्जुन सहाब की तरफ से जवाब मिला कि संसद सदस्यों को वह सुविधा नहीं दी जा सकती।

श्री डी० पी० यादव : क्यों भाई ?

श्री झारखण्डे राय (कोसी) : वह जवाब तो किसी और ने उनको बना कर दिया है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : यह रिटन था या ओरल था ?

श्री अशफाक हुसैन : रिटन था मैं तो यह कहता हूं कि मल्लिकार्जुन साहब अगर सब बातें मान जायें तो यह सब सुनने का मौका नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : सभापति के माध्यम से कहिये तो वह मान जायेंगे।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आपकी बात सुनकर वह प्रसन्न हो गये हैं, अब आगे बढ़िये।

श्री अशफाक हुसैन : प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। यदि इतने से ही इनको प्रसन्नता है, तो मैं क्या कहूं ? जवाब न देने से संसद सदस्यों को सुविधा नहीं मिल सकती है, उनको कुछ तो कहना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : बात ऐसी है···

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए।

सभापति महोदय : आप पहले अपने सब सुझाव रखिये, उसके बाद वे जवाब देंगे। क्योंकि अभी इस पर बोलने वाले बहुत से सदस्य बाकी हैं, इसलिए आप इस बात पर भी नजर रखिये। यदि इस तरह से सवाल-जवाब चलेगा तो चल नहीं पायेगा।

श्री अशफाक हुसैन : मैं यही चाहता हुं कि जहां तक तनख्वाह बढ़ाने की बात डागा जी के बिल में आई है मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन जहां तक सुविधा बढ़ाने की बात है मैं उस को ज्यादा आवश्यक समझता हुं। तनख्वाह से मेरा मतलब है 500 रुपये माहवार से है, जिस के बढ़ाने के मैं हक मैं नहीं हूं, लेकिन जो हम को डेली-एलाउन्स मिलता है उस को बढ़ाने के लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं। उनका जो सुझाव है—65 रूपये रोज का, तो बहुत कम है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : 101 रुपये कर दिया है।

श्री अशफाक हुसैन : मैं आपसे यही प्रार्थना करुंगा, यदि आप इसको परोक्ष रूप में देखें। तो जब यह बिल पहले आया था, जब यह एक्ट की शक्ल में पास हुआ था वह कौन सा जमाना था, किस जमाने में आपने 51 रुपये रोज शुरू किये थे और आज उस 51 रुपये की कितनी

वेल्यू है, कितना इनफलेशन आज बढ़ गया है । आज दूसरे कर्मचारियों का कितना डीअरनेस एलाउन्स बढ़ गया है, मैं उसका मुकाबला नहीं करता, मैं यह नहीं कहता कि मजदूरों को क्यों दिया गया, वह उनका हक है, वे उसको जरूर मानेंगे और उनको वह मिलना भी चाहिए, हम उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन आप सदन में ऐसा माहौल न पैदा करें कि हम लोग भी ट्रेड यूनियन बना कर लड़ाई छेड़ दें । यह ट्रेड यूनियन का सवाल नहीं है, यह सुविधायें देने का सवाल है । आप देखिये इस देश में 5-6 विधान सभाई क्षेत्रों को मिला कर एक पार्लियामेन्ट का क्षेत्र बनता है । विधान सभा और विधान परिषदों के मेम्बरों को आप कितनी सुविधायें देते हैं, इस रोशनी में आप देखें ...

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : 7 असेम्बली क्षेत्रों के मुकाबले एक पार्लियामेन्ट्री क्षेत्र होता है -

श्री अशफाक हुसैन : सात असेम्बली क्षेत्रों के मुकाबले एक पार्लियामेन्ट्री क्षेत्र होता है, लेकिन आप पार्लियामेन्ट के मेम्बर को एम० एल० ए० के मुकाबले कितनी सुविधा देते हैं ।, इस रोशनी में देखें ।

मैं विदेशों का मुकाबला नहीं करना चाहता, क्योंकि बिदेशों में जो हालात हैं, वे हमारे देश में नहीं हैं । लेकिन इस बात का मुकाबला जरूर करना चाहता हूं—कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वहां की पार्लियामेन्ट का मेम्बर करता है और कितने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम यहां हिन्दुस्तान के पार्लियामेन्ट के मेम्बर करते हैं इस मुकाबले की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता है । इसके बारे में सभी लोगों ने कहा है और यह एक बहुत आवश्यक मसला है । चुनाव के दर्म्यान चाहे पार्टी की तरफ से या अपनी रिसोर्सेज से एक आदमी कुछ जीपें या गाड़ियां इकट्ठा कर ले लेकिन उसके बाद वह अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा पाता । बाद में एक दिन के लिए अगर वह कहीं जाना चाहे, अपने क्षेत्र के किसी कोने में जाए, तो कम से कम 300-400 रुपये उस के खर्च हो जाते हैं । बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पर बगैर गाड़ी या जीप के आदमी पहुंच नहीं सकता । इसलिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च के वहां जाना होता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम हफ्ते में एक दिन संसद सदस्य को जीप मिलनी चाहिए ।

श्री डी० पी० यादव : हफ्ते में एक दिन नहीं, बल्कि हमेशा उसके डिस्पोजल पर जीप रहे ।

श्री अशफाक हुसैन : आप अपनी बात कह चुके हैं, मुझे अब अपनी बात कहने दीजिए । मैं हफ्ते में एक दिन की बात कह रहा हूं । कम से कम हफ्ते में एक दिन सवारी की सुविधा एक एम० पी० को उसकी कांस्टीटुयेन्सी में घूमने के लिए देनी चाहिए । अगर हफ्ते में एक दिन वह अपनी कांस्टीटुयेन्सी में भ्रमण कर लेगा और लोगों से सम्पर्क करेगा ...(व्यवधान)... हफ्ते में एक दिन का मतलब है महिने में चार दिन । इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि और बातें हमसे मत कहलवाइए और आप बुद्धिमान हैं इस बात को मान लीजिए ताकि हमारे कहने

की आवश्यकता न रह जाए। हफ्ते में एक दिन जीप की सुविधा अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए, अपने क्षेत्र में लोगों से सम्पर्क के लिए आवश्यक है। अपने कपड़े-लत्ते बनवाने के लिए कोई सुविधा नहीं मांग रहे है। हम देश की जनता के नुमायन्दे हैं और उनकी नुमायन्दी करना हमारा कर्त्तव्य है और उनकी नुमायन्दी हम कहां करते हैं। उन से हमारा सम्पर्क कायम रहे और उनकी बातों को हम आसानी से आपके सामने रख सकें, यह हम चाहते हैं।

अभी हमारे सहयोगी मित्र यादव जी ने बहुत साफ-साफ फाइव इयर प्लान की कोटेशन्स से यह साबित किया कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां तो हमारी बहुत सी हैं और हमारे पास जितने कागजात आते रहते हैं, जितनी चिट्ठियां आती रहती रहती हैं, उन सब का जबाब देना आवश्यक है। अगर एक क्वेश्चन तैयार करना है, तो उसके लिए भी सुविधा चाहिए और अगर हाउस में कोई तकरीर करनी है, कोई बयान देना है, तो उसके लिए ऐसी सुविधाऐं चाहिए जिनसे हम अपना काम आसानी से कर सकें। मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन की भावना से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या उनकी सुविधाओं में कमी हैं और क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बजाय इसके कि मैं सारी बातें आपके सामने रखूं, मैं अपनी बात इसी पर समाप्त करता हूं कि आप स्वयं मन्त्री जी को निर्देश दें कि वे सदन की भावनाओं को देखते हुए अगले सत्र में कोई ऐसा बिल लाएं जिससे सारे सदन की भावनाओं की पूर्ति हो।

इतना निवेदन करके मैं समाप्त करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं श्री मूल चन्द डागा जो कि हम सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, के प्रति यह विधेयक लाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

प्रश्न संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते में वृद्धि का नहीं है अपितु प्रश्न यह है कि देश की आजादी के 34 वर्ष बाद जिस अवधि में हमने संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली का अनुपालन किया है, हमें संसद सदस्यों के और मन्त्रि परिषद के सदस्यों के भी कार्यकरण का मूल्यांकन करना चाहिये। ये सब जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रश्न यह है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों में वृद्धि करने के लिए हम ये सब बातें कर रहे हैं परन्तु हमें देखना यह है कि जनता के प्रति और देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम जनता के प्रति वचनबद्ध हैं। जन साधारण, दूर गांवों में रहने वाले ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले तथा द्वीपों में रहने वाले यह नहीं समझ पायेंगे कि संसद सदस्यों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे केवल परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनकी शिकायतों का सही ढंग से सभा में प्रतिनिधित्व करें। इस लिए इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य श्री मूल चन्द डागा ने हमें एक अद्भूत अवसर प्रदान किया है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सके एक महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि चुनाव के बाद कोई संसद सदस्य चाहे वह संसद सदस्य रहे या मन्त्रि परिषद का सदस्य बन जाये शेबर तो नहीं बन सकता जो कि मंत्रीकृत एवं शक्तिशाली होता है। हर व्यक्ति की कुछ सीमायें होती हैं और उसकी कुछ जरूरतें होती हैं

और जब तक उसकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता उसके लिए काम करना संभव नहीं होता है। वह अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता । मैं मानता हूं कि आजादी के बाद भत्तों और वेतन में कुछ सुधार हुआ है परन्तु आप मन्त्रियों की स्थिति देखिये। यह सच है कि मन्त्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम भिन्न है। परन्तु इन दोनों में गहन सम्बन्ध है श्री यादव ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। उनकी बात बहुत हृदय स्पर्शी थी। उन्होंने श्री कार्तिक उरांव के लिए जो कुछ कहा वह बहुत सही था। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन दोनों अधिनियमों में गहन सम्बन्ध है महोदय आप इन बातों को समझते हैं क्योंकि आप अपने राज्य में उच्च पदों पर रहे हैं और ससद सदस्य भी रहे हैं। 1952 में मन्त्रियों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य लाभ निश्चित किये गये थे। अब 1981 है अभी तक वही वेतन, भत्ते और लाभ दिये जाते हैं तथा इनमें कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है। कितने वर्ष व्यतीत हो गये हैं और कितने परिवर्तन हो गये हैं परन्तु स्थिति अभी तक वही है। भारतीय संविधान शेबोट नहीं बना सकता। यदि हम चाहते हैं कि सदस्य तथा मन्त्री, भ्रष्टाचार से ऊपर हों यदि हम चाहते हैं। कि वे अपने निर्वाचकों तथा देश वासियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो यह जरूरी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उन्हें पर्याप्त वेतन तथा अन्य लाभ दिये जायें और उनके कार्य की दिशा में सुधार किया जाय। इसके साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो हमें उसे दण्ड देना चाहिए.....

सभापति महोदय : क्षमा कीजिए मैं कहना चाहता हूं कि चरित्रवान और निष्ठावान व्यक्ति ही भ्रष्ट तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय मैं आपके कथन के लिए आपका आभारी हूं। मैं भी यही कहना चाहता हूं मेरा एक कटु अभनुव है सालवान पब्लिक स्कूल नामक एक पब्लिक स्कूल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र एक व्यक्ति दिल्ली में तैनात हैं। उनका पुत्र सालवान स्कूल में पढ़ रहा है। वह दसवीं या ग्यारहवीं कक्षा का छात्र है 'समाज शास्त्र" उसका एक विषय है। एक दिन मैं उनके घर भोजन करने गया। वह लडका मेरे पास बैठ गया और उसने कहा कि वह संसद सदस्यों तथा ससद के बारे में कुछ बातें जानना चाहता है। उसने पूछा कि संसद सदस्यों और मन्त्रियों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हैं ? मैं जो कुछ जानता था, मैंन उसे बता दिया। उसने मुझे बताया कि हमारे अध्यापक ने तो बताया है कि संसद सदस्य को 10,000 रुपये दिये जाते हैं। और उसके अतिरिक्त मुफ्त मकान, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त टेलीफोन की सुविधायें भी दी जाती हैं। महोदय, देश में यह भ्रांति फैली हुई है। वास्तव में लोगों को पता ही नहीं है कि मन्त्रियों तथा ससद सदस्यों को क्या-क्या लाभ दिये जाते हैं इसके परिणामस्वरूप कुछ हित-बद्ध व्यक्तियों ने संसद सदस्यों और मन्त्रियों को लोगों की नजरों में गिराने का प्रयास किया है इसीलिए हमारी शिक्षा संस्थाओं में भी जहां कि हमारे नवयुवकों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए, ऐसी बातें कही जा रही हैं।

सभापति महोदय : शायद पिछली बार मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया। जब आपने कहा था कि जहां भ्रष्टाचार है संसद सदस्य उसे दूर कर सकते हैं, तो मैंन यही कहा था कि वह अपने चरित्र तथा सत्यनिष्ठा के द्वारा ही ऐसा कर सकते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिए।

सभापति महोदय : वह अध्यापक चाहे जो हो, उसे अब छात्र बनना पड़ेगा।

श्री मनोरंजन भक्त : आपने इस बात को मजाक में लिया है।

सभापति महोदय : यह गम्भीर बात है। उसे कुछ सीखना होगा और वह जो कुछ जानता है उसे भुलाना होगा।

श्री मनोरंजन भक्त : इस चर्चा ने हमें अवसर प्रदान किया है कि कम से कम देश में लोग यह जान सकें कि संसद सदस्यों और मन्त्रियों को क्या मिलता है इससे कम से कम विभिन्न स्थानों पर हमारे विरुद्ध किये जा रहे प्रचार पर तो प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कल मैं अपने माननीय मित्र श्री सुधीर गिरि जोकि दूसरे पक्ष के हैं की बात सुन रहा था। वह इस विधेयक के खिलाफ हैं। मैं उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। मुझे ज्ञात हुआ कि पश्चिम बगाल में वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद विधायकों को कई लाभ दिये गये है। वह कह रहे थे कि संसद सदस्य प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं, जबकि उनके साथी द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं।

सभापति महोदय : क्या शानदार तुलना की है।

श्री मनोरंजन भक्त : उन्होंने यह तर्क भी दिया था कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है और इस समय की आर्थिक स्थिति में वेतन भत्तों आदि में वृद्धि करना ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि इसीलिए वह विधेयक का विरोध करते है। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आर्थिक स्थिति खराब है तो हम सबको इस बात पर सहमत हो जाना चाहिए कि अगले पांच वर्षों तक जब तक कि आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि दूसरे पक्ष के सदस्य सहमत हों, तो हम इस पक्ष के सब सदस्य इस बात से सहमत हैं। परन्तु वे हर रोज वेतन और मजदूरी बढ़ाने के सुझाव देते रहते हैं। उन्होंने केवल यह सोच लिया है कि 750 संसद सदस्यों के वेतन का देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में सदस्य आलोचना करने को स्वतन्त्र हैं। श्री शास्त्री जी बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने वेतन में वृद्धि और हर चीज का विरोध किया है परन्तु फिर भी वह भी चाहते हैं कि सचिवीय सहायता डाक सुविधायें आदि आदि प्रदान की जायें। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विशेष अन्तर है। मैं नहीं समझ पाया कि श्री शास्त्री ने इस विधेयक का विरोध क्यों किया।

श्री यादव ने ठीक कहा है कि वह एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं कि यदि आप वहां कतिपय गम्भीर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच करने जायें, तो आप को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती। जब भी आप सरकार से कोई बात कहें तुरन्त कह दिया जाता है कि "लाभ के वाद" के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि आप चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ी में चले जायें, तो आपके चुनाव की चुनौती दे दी जाती है इसके अतिरिक्त ऐसा भी

है, जहां सुविधायें दी जाती हैं नागालैंड विधान सभा को लीजिए वहां विधान सभा सदस्यों को जीपें और ड्राइवर दिये जाते हैं।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट। मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। अनेक सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं सभा की राय जानना चाहता हुं कि क्या इस विधेयक पर चर्चा 17.30 बजे समाप्त कर दी जाये, जैसाकि पहले से निश्चित किया गया है या चर्चा का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय चर्चा जारी रहनी चाहिए। अभी इस विधेयक पर 20 और सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि विधेयक पर चर्चा का समय दो गण्टे बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या सभा की यही राय है।

श्री मुकन्द मंडल (मथुरापुर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण बिधेयक है जिसका नाम है कृषिक कर्मकार कल्याण निधि विधेयक इस विधेयक को अब पुरःस्थापित दिया जाये। आप अपना वेतन बढ़ाना चाहते हैं। मैं कृषिक कर्मकारों का कल्याण चाहता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेरा एक निवेदन है अगला विधेयक कृषिक कर्मकारों के कल्याण से सम्बन्धित है। श्रम मन्त्री मौजूद हैं। क्या वह सभा को बतायेंगे कि क्या सरकार ने ऐसा विधेयक सभा के समक्ष लाने का वचन दिया है इसके लिए एक विशेष समिति कार्य कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय : इस समय अध्यक्षपीठ के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या इस चर्चा को समाप्त किया जाये या समय बढ़ाया जाये।

श्री चित्त बसु : ऐसा ज्ञात होता है कि सभापति महोदय को दूसरे विधेयकों की परवाह नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, हम इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हैं। बहस को जारी रहने दो। क्या हम अपने विधेयक को पुनः स्थापित नहीं कर सकते ?

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात तो सुनिये। पहले इस मामले के बारे में निर्णय तो हो जाने दीजिए। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, क्या विचार किये जाने के स्तर पर, इसका समय बढ़ाया जाये या नहीं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : यदि हां, तो कितना समय बढ़ाया जाये ?

एक माननीय सदस्य : अगले समय तक।

श्री जो० एम० बनातवाला (पोन्ननी : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुतकरता हूं कि विधेयक पर विचार को अगले सत्र की प्रथम उपबन्ध तारीख तक स्थगित किया जाये ।

उसके बाद इस सदस्य को अपने विधेयक के बारे में कार्यवाही करने की अनुमति दी जाये **(व्यवधान)** ।

श्री जो० एम० बनातवाला : विधेयक पर विचार किये जाने को अगले सत्र की प्रथम उपलब्ध तारीख तक स्थगित किया जाये । सदस्य को विधेयक के बारे में आगे कार्यवाही करने दी जाये ।

श्री मूल चन्द डागा : समय 2 घण्टे के लिये बढ़ाया जाना चाहिए । 13 अन्य ऐसे सदस्य हैं जो इस बहस में भाग लेना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : "प्रथम उपलब्ध दिन" का क्या अर्थ है ? **(व्यवधान)**

श्री जो० एम० बनातवाला : मेरा प्रस्ताव यह है कि···

श्री मूल चन्द डागा : यह सारी संसद का मामला है ।

श्री जो० एम० बनातवाला : मैं पहले ही कह चुका हूं । इससे अगले सत्र के प्रथम उपलब्ध दिन तक स्थगित किया जाये ।

श्री मूल चन्द डागा : इस पर बहस जारी है ।

श्री जो० एम० बनातवाला : इस पर बहस को अगले सत्र के प्रथम उपलब्ध दिन के लिए स्थगित किया जाये ।**(व्यवधान)**

श्री मुकन्द मंडल : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपायों के संवर्धन की व्यवस्था करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये । **श्रीमान जी,··· (व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उसे अभी नहीं लाया जा सकता ।···

श्री जो० एम० बनातवाला : श्रीमान जी, मैं अपना प्रस्ताव पेश कर चुका हूं ।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए । मैं नियम पढ़ रहा हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : पहले मुझे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए । मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि "समय को बढाया जाये"

श्री जो० एम० बनातवाला : श्रीमान जी कृपया अपना विनिर्णय दीजिए । **(व्यवधान)**

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । चर्चा को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव सदन की राय के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता । **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातबाला : श्रीमान जी, इसके लिए पूर्व उदाहरण पहले से उपलब्ध है। कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में मेरे अपने विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पेश किया जाता था। उस विधेयक पर विचार किये जाने को अगले सत्र में लिए जाने वाला यह सबसे पहला विषय था। इस बीच में अगला विधेयक भी आ सकता है और उसे संरक्षण मिल जाता है। इसमें कठिनाई क्या है ?

सभापति महोदय : मुझे क्षमा करें। मैं नियम को पढ़ूंगा। मैं केवल संबद्ध अंश को पढ़ता हूं। नियम 30 का उपखंड (1) इस प्रकार है :

> "जब किसी प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाद उसी या अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के नियत किए गए अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाये तो उसे आगे चर्चा के लिए तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि उसे शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो।"

श्री मल्लिकार्जुन : अब, विधेयक विचार किये जाने के चरण में है। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सदन की राय से लें। हम क्या करना चाहते हैं ? इस समय लगभग 5.30 बज रहे हैं। इसलिए सदन की राय प्राप्त कर लें। यदि सदन की राय बढ़ाये जाने के बारे में हो तो समय बढ़ा दिया जायेगा।

श्री मुकुन्द मंडल : क्या आप कृषि कर्मकारों के हितों की अपेक्षा संसद सदस्य के हितों के बारे में अधिक चिन्तित हैं ? (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : अन्यथा आपको कार्यवाही का समय बढ़ाना होगा।

सभापति महोदय : मैं अब भी मूलचन्द डागा द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के लिए आवंटित समय को दो घटे के लिए बढ़ाया जावे।"

सभापति महोदय : जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहें।

कुछ माननीय सदस्य . "नहीं।"

सभापति महोदय : जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध हों वे कृपया "नहीं" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : "हाँ"

सभापति महोदय : मेरे विचार में "हाँ" कहने वाले सदस्यों को बहुमत है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं कहने वाले सदस्यों को बहुमत है।

सभापति महोदय : यदि ऐसा हो तो लाबी को खाली किया जाये ।

सभापति महोदय : लाबी कि खाली कर दी गई हैं। श्री मूल चन्द डागा द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया है कि उनके विधेयक के लिए आवंटित समय में दो घंटे की बढ़ोत्तरी की की जाये । प्रश्न यह है कि

"विधेयक के लिए आवंटित समय में दो घंटे की वृद्धि की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेते हैं । श्री नन्जे गौडा (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) : भविष्य में भी इस प्रकार मामले हो सकते हैं । इस बारे में पूर्व उदाहरण उपलब्ध है । एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कि नियमों को निलंबित किया जाये । ऐसा पहले भी किया गया है हम उस प्रक्रिया को अपना सकते थे ।

सभापति महोदय : न तो ऐसा कोई प्रस्ताव किया गया था और न ही मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात लाई गई थी कि नियमों को निलम्बित किया जा सकता है ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : वह ऐसा कर सकते थे ।

श्री समर मुखर्जी : क्योंकि आप उस प्रक्रिया को इस बार अपनाने के लिए राजी नहीं है इसलिए हम उस पर जोर नहीं दे रहे हैं । लेकिन भविष्य में ऐसा किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : नियमों को निलम्बित करने के लिए मेरी जानकारी के अनुसार अध्यक्ष महोदय की अनुमति आवश्यक है ।

श्री समर मुखर्जी : अनुमति देने में क्या बाधा है ?

सभापति महोदय : न तो इसका अनुरोध किया गया था और न ही यह दी गई थी ।

श्री समर मुखर्जी : यह सच है कि एक विधेयक को विचार के लिए अनिर्णीत रखा गया था और प्रस्ताव पेश किया गया था। अब मुझे यह बताया गया है कि किसी सदस्य ने नियमों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था ।

सभापति महोदय : ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था ।

श्री चित्त बसु : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नियमों को निलंबित किया जाये ।

श्री शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय आपको इसके लिए अनुमति देनी चाहिए ।

सभापति महोदय मैं इसकी संभावना का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था ।

श्री समर मुखर्जी : यही वजह है कि मैं कहता हूं कि इस बार के लिए नहीं, लेकिन भविष्य के लिए इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए । इस प्रकार के अवसर बार-बार आ सकते हैं ।

सभापति महोदय : इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। उनकी जांच की जा सकती है और प्रत्येक व्यक्ति उनसे सीख ले सकता है।

श्री समर मुखर्जी : यही वजह है कि मैं कहता हूं कि इस बात को भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब श्री नन्जे गौड अपनी बात कहें।

आधे घंटे की चर्चा

आयातित चीनी की बिक्री

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : मैं आयातित चीनी की बिक्री के बारे में 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के उत्पन्न मुद्दों के बारे में चर्चा उठाना चाहता हूं

मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नहीं में दिया है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने यह कहा है कि " राज्य व्यापार निगम के अनुसार आयातित चीनी की आयातित लागत 5200 रुपए प्रति मीट्रिक टन बैठती है।" मैं यह जानना चाहूंगा कि कुल कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया है और कुल आयातित लागत कितनी है।

प्रश्न के दूसरे भाग (ग) और (घ) केउत्तर में मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि आयातित चीनी का निपटान कम बोली पर नहीं किया गया है और यह कि टैंडरदाताओ ने सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्यों को अस्वीकार नहीं किया है। लेकिन भाग (ड.) और (च) के उत्तर में उन्होंने यह बताया है कि आयातित चीनी के एक भाग को टैंडरों के माध्यम से नीलामी द्वारा खुले बाजार में बेचा गया है।

मैं यह जानदा चाहूंगा कि टैंडरों द्वारा नीलामी के माध्यम से कितनी मात्रा में चीनी की बिक्री की गई है ओर 5,200 रुपये प्रति मीट्रिक टन की आयातित लागत को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्य क्या था ? नीलामी के माध्यम से बिक्री करने से चानी का निपटान करने पर सरकार को कितना लाभ अथबा हानि हुई।

मन्त्री महोदय ने भी बताया है कि आयातित चीनी के अधिकांश भाग के लिए यह आदेश दिया गया है कि वह विभिन्न राज्य सरकारों को और भारतीय खाद्यय निगम को सार्वजनिक वितरण के लिए जारी की जाए। मैं इस बारे में ब्यौरेवार आंकड़ों की जानकारी चाहता हूं अर्थात कितनी चीनी का निपटान नीलामी टेंडर के माध्यम से किया गया और कितनी चीनी राज्य सरकारों को जारी की गई। कितनी चीनी भारतीय खाद्य निगम को दी गई और आयातित चीनी का कितना भाग अभी भी गोदामो में पड़ा हुआ है। राज्य सरकारों को और भारतीय खाद्य निगम को चीनी किन मूल्यों पर जारी की गई थी। शेष आयातित चीनी का किस प्रकार

निपटान करने का विचार है ? कितनी आयातित चीनी बाकी पड़ी है और वह कहां पर है ? कुछ शिपयार्डों में हैं या पत्तनों में है ?

चौथे, जब चीनी के आयात के लिए कब क्रयादेश दिया गया था और किन-किन देशों से आयात किया गया है ? जहाजों से चीनी मंगाने की समय-सारणी क्या थी क्या इन समयसारणियों का पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो विलंब से चीनी आने के लिए कौन उत्तरदायी था ? क्या इसके लिए सप्लायर उत्तरदायी थे अथवा राज्य व्यापार निगम ? यदि सप्लायर विलंब के लिए उत्तरदायी थे तो क्या राज्य व्यापार निगम विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा कर रहा है ? यदि राज्य व्यापार निगम विलब के लिए उत्तरदायी है तो विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? क्या विलंब से लदान करने के कारण विदेशी मुद्रा की कोई अतिरिक्त हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में ।

पांचवे, मन्त्री महोदय ने यह भी बताया है कि इस बात की भी संभावना है कि इस समय जो चीनी का आयात किया गया है उसके बदले में बर्ष 1981-82 की लेवी वाली चीनी का निर्यात करके भारत के निर्यात दायित्व को पूरा करने की सम्भावना है । यदि हां, तो कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किए जाने की सम्भावना है और उसका क्या मूल्य होगा ? क्या सरकार पत्तनों पर पड़ी हुई आयातित चीनी का निर्यात करेगी जिससे परिवहन और लदान आदि के व्यय से बचा जा सके । यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

छठे, क्या चीनी का आयात करने अथवा निर्यात करने के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों अथवा व्यापारियों को लाइसेंस दिये गये थे ? यदि हां, तो उनके स्रोत क्या हैं ?

सातवें, क्या चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

और अन्त में क्या सरकार नयी प्रोद्योगिकी पर विचार करेगी जिससे लागत में कमी की जा सके और चीनी उत्पादन की किस्म में सुधार किया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश को एक प्रबल प्रतियोगी बनाया जा सके ? नदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आधे घन्टे का समय पर्याप्त नहीं होगा ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैंने केवल प्रश्न पूछे हैं ।

सभापति महोदय : उत्तर में भी आपको केवल संक्षिप्त और निश्चित उत्तर प्राप्त होंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं कह सकता हूं कि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से सदन में पूछे गए किसी प्रश्न से संबंधित आधे घटे की चर्चा को निपटाया जा सकता है ।

मुझे खेद है कि माननीय मित्र श्री गौडा को स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी क्योंकि उसी दिन (23 नवम्बर) इसी विषय के बारे में एक अन्य प्रश्न का अर्थात तारांकित प्रश्न संख्या 6 था । वह प्रश्न नहीं पूछा जा सका था अन्यथा कोई भी गलत फहमी अथवा भ्रम नहीं होता । माननीय

सदस्य ने जिस प्रकार का उल्लेख किया है, उसकी संख्या 177 है जो 23 नवम्बर की सूची में था। हमने जो उत्तर दिये थे वे निश्चित और सही थे जैसा कि प्रश्न से स्वयं स्पष्ट है। माननीय सदस्य महोदय यह जानना चाहते थे कि क्या यह सच है कि क्या सरकार ने एक करोड़ 10 लाख रुपये मूल्य की 21,465 टन चीनी का आयात किया था। मेरा उत्तर था "नहीं"। क्योंकि यह दोनों आंकडे भी सही नहीं थे। हमने 21,465 टन चीनी का आयात नहीं किया था। लेकिन वस्तुतः जितनी चीनी का आयात किया गया था उसकी मात्रा 2 लाख और लगभग 14 हजार—15 हजार टन थी। और निश्चित रूप से 2,15,000 टन चीनी का मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है न कि एक करोड़ और 10 लाख रुपये। इसलिए मैंने कहा था "नहीं"। मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रश्न का और कैसे उत्तर देता। प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार था :

> "क्या यह भी सच है कि चीनी की आयातित लागत लगभग 5,200 रुपये से 5,300 रुपये के बीच थी"

इसके उत्तर में मैंने यह कहा था कि आयातित लागत औसतन 5,200 रुपये थी, इसलिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि हमने इस तथ्य को छिपाया था कि चीनी का आयात किया गया है। प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक था और केवल इसी बात से यह पता चलता है कि माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़े सही नहीं थे। आयातित मात्रा इतनी नहीं थी। इसी प्रकार हमने अन्य प्रश्नों का उत्तर भी "नहीं" में दिया था।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न चीनी के उन करारों के बारे में हैं, जो इस वर्ष आयात की गई थी। 2.15 लाख टन चीनी के लिए करारों को 16 जून, 1981 को अन्तिम रूप दिया गया था। जहाज जुलाई और अक्तूबर, 1981 के बीच पहुंचे। चीनी 18 जहाजों में आई थी जितनी चीनी प्राप्त हुई उसकी कुल मात्रा 13,904 थी अर्थात 2,14 हजार टन थी जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। राज्य व्यापार निगम द्वारा हमें दिये गये आंकड़ों के अनुसार आयातित चीनी की औसत लागत 5,200 रुपये प्रति टन बैठती है। चीनी दो फर्मों अर्थात ए० सी० आई० डब्ल्यू० और एंग्लो कैमिकल्स द्वारा सप्लाई की गई थी। मैं इन फर्मों के बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं जानता। सम्भवतः माननीय सदस्य के पास पहले से ही कुछ जानकारी है और इसलिए इस बारे में और अधिक जानने में उनकी कोई रुचि नहीं है। इस आयातित चीनी में से 1,98,000 टन का पहले ही हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा वितरण किया जा चुका है और लगभग 12 000 टन चीनी की खुली नीलामी द्वारा बिक्री कर दी गई है। इस प्रकार 2,10,000 टन की कुल मात्रा पूरी हो जाती है। हमारे पास मुश्किल से 3 या 4 हजार टन चीनी बची है, इसलिए निर्यात करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बनाये रखने के लिए हमारे पास चीनी की कमी थी। इसलिए जनता में वितरण करने के लिए हमें सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर इस आयातित चीनी का उपयोग करना पड़ा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : किस दर पर ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ समय के लिए इसका मूल्य 3 रुपये 50 पैसे था और बाद में इसे बढ़ाकर 3 रुपये 65 पैसे प्रति किलो कर दिया गया था।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : नीलामी के आंकड़ों के बारे में आपका क्या उत्तर है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : तीन नीलामी की गई थी । पहली नीलामी 11 सितम्बर, 1981 को की गई थी, 6,614.5 चीनी के लिए बोली प्राप्त हुई थी । लेकिन इतनी मात्रा के लिए बोली स्वीकार नहीं की गई थी क्योंकि बोली 5115 रुपये से कम थी और इसलिए यह सरकार को स्वीकार्य नहीं थी । दूसरी नीलामी 29 सितम्बर 1981 को की गई थी, 24,467 टन की कुल मात्रा के लिए बोली प्राप्त हुई थी । बोली 12,940 टन के लिए स्वीकार की गई थी ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : किस मूल्य के लिए बोली स्वीकार की गई थी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : दूसरी बोली के लिए दरें 5101 रुपये और 5552 रुपये के बीच थी ।

तीसरी नीलामी 12 अक्तूबर को हुई थी और जितनी मात्रा के लिए बोलियां प्राप्त हुई थी उसकी मात्रा 14,338 टन थी । लेकिन इसमें से केवल 3832.5 टन के लिए ही बोली स्वीकार की गई थी । यह बोलियां 5200 रुपये से 55.2 रुपये प्रति टन के बीच थी । यही कारण है कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के पहले उत्तर में मैंने यह कहा था कि हमें 5200 रुपये प्रति टन के औसत मूल्य, जिसकी कि उस वक्त गणना की गई थी, अर्थात हमारी आयातित लागत से कम मूल्य हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए । 16,772 टन की इस कुल मात्रा में से जिसके लिए बोलियां स्वीकार की गई थीं, बोलीदाताओं ने केवल 12,245 टन चीनी ही उठाई है उन्होंने लगभग 4 हजार टन चीनी नहीं उठाई है । वह अभी भी राज्य व्यापार निगम के पास पड़ी हुई है । जैसाकि माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि नीलामी के समय बोलीदाता को कुछ राशि जमा करनी होती है । यदि वे चीनी की इस मात्रा को नहीं उठाते हैं, तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी । नीलामी के बारे में यह स्थिति है ।

इन तीन नीलामियों में जितनी चीनी के लिए बोली प्राप्त हुई थी उसकी कुल मात्रा 45,417.5 टन थी । लेकिन इसमें से केवल 16,772.5 टन चीनी के लिए ही बोलियां स्वीकार की गई थी । और व्यापारियों द्वारा भुगतना किये जाने के विरुद्ध जितनी चीनी की वस्तुतः बिक्री की गई उसकी मात्रा केवल 12,245 टन है । जिन व्यक्तियों ने बोलियां दी थी, वे थोक व्यापारी थे । चीनी व्यापार में वे मान्यता प्राप्त व्यापारी थे । वे ऐसे व्यक्ति थे, जो सदैव मिलों से चीनी खरीदते हैं और खुले बाजार में बिक्री के लिए विभिन्न राज्यों में ले जाते हैं ।

माननीय सदस्य ने कुछ नीति सम्बन्धी मामले उठाये हैं जैसे कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण और हम अपने कारखानों की कार्यकुशलता में सुधार करने और उत्पादन लागत में कमी करने के लिए क्या करने जा रहे हैं । इन सभी मुद्दों के बारे में सदन में पहले कई बार चर्चा की जा चुकी है । हमने यह कहा है कि चीनी उद्योग की स्थिति लगभग राष्ट्रीयकरण जैसी ही है क्योंकि लगभग 50% चीनी का उत्पादन सरकारी चीनी मिलों के माध्यम से होता है, जिनका स्वामित्व स्वयं गन्ना उत्पादकों के पास ही है और जिन्हें फसल के उत्पादन तथा गन्ना के

परिष्करण का लाभ प्राप्त होता है । चीनी मिलों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है । हम इस बात पर जोर देते हैं कि आधुनिकीकरण पूर्णतया आवश्यक है लेकिन अब हम 5 रुपये प्रति क्विंटल का उपकर लगाकर एक निधि का निर्माण कर रहे हैं जिससे आर्थिक संकटग्रस्त मिलों को ऋण देकर और उनके पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण के लिए अन्य सुविधायें उपलब्ध करके उनकी सहायता कर सकें । मैं समझता हूं कि यही मुद्दा है जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते थे ।

मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन सभी मुद्दों का, जो उनके दिमाग में थे, स्पष्टीकरण करने का मुझे एक अवसर दिया जिनको मैं सदन में पहले स्पष्ट नहीं कर सका था ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं माननीय मन्त्री का दीवाली के अवसर पर चीनी का आयात करके उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में भय पैदा न करने का बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं । खाद्यानों और आवश्यक वस्तुओं के मामले में विश्व के सभी देशों में और समाजवादी देशों में भी यह आम प्रथा है । ऐसे मामलों में कभी-कभी सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ता है । परन्तु प्रमुख और महत्वपूर्ण बात पर नहीं है कि नुकसान कितना हुआ बल्कि यह है कि क्या जरूरत के समय वह वस्तु उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई । वास्तव में जरूरत के समय आवश्यक वस्तुओं का आयात करना ही सही तरीका है ।

माननीय मन्त्री ने उन बोली देने वालों की जमा राशि को जिन्होंने चीनी की मात्रा नहीं उठाई है, जब्त करने का उल्लेख किया है । मेरे विचार में यह जमा राशि को जब्त करने का प्रश्न नहीं है । माननीय मन्त्री को पहली और अन्तिम बोली के बीच अन्तर को वसूल करने का अधिकार है । यदि ऐसा कर दिया जाए तो मेरे विचार में हम सरकार का बहुत सा धन बचा सकेंगे और सरकार को जो घाटा हुआ है उसे दूर कर सकेंगे ।

माननीय मन्त्री ने बताया है कि आयातित चीनी का देश में मूल्य 5200 रुपये प्रति टन है । आपने चीनी को भारतीय खाद्य निगम से लेकर राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया गया है । इस काम को में आपको माल के लादने, जमा रखने तथा उसके परिवहन आदि का व्यय और चीनी को खरीदने के लिए लगाये गये धन पर ब्याज देना होगा । क्या माननीय मन्त्री स्पष्ट करेंगे कि इन अनुषंगी प्रक्रियाओं पर कितना खर्च हुआ और चीनी के आयात द्वारा कितना नुकसान हुआ ?

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य कम नहीं हो रहा है । इसलिए यदि सरकार इसे बेचना चाहे तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा । क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जिस चीनी को बोली देने वालों ने नहीं उठाया है उसकी आखिरी बोली से कितना धन मिलने की आशा है ।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : चीनी के निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय मन्त्री और सरकार को बधाई देता हूं । सरकार ने यह बहुत बढ़िया काम किया है । क्या वे चीनी का आयात भी बन्द करने जा रहे हैं और क्या इस दिशा में उन्होंने कोई कार्यवाही की है ।

क्या महाराष्ट्र सरकार ने चीनी की वसूली प्रतिशतता की और पिराई मौसम की अवधि के आधार पर लेवी मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्यों को तीन क्षेत्रों में बांटने के अपने विचार को दोहराया है।

मुझे बताया गया है कि मेरे राज्य को चीनी की उचित मात्रा नहीं दी गई है। कर्नाटक की कुल जरूरत क्या है और उसे पिछले तीन महीनों में किस चीनी का कितना आवंटन किया गया ?

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, वह जवाब, उस दिन जो सवाल का जवाब आया था उससे बहुत बड़ा है। आज ही के दिन तारांकित प्रश्न संख्या 295 के उत्तर में वित्त मन्त्री ने बताया कि हमने 2,15 लाख मीट्रिक टन चीनी का आयात किया है जिसकी कीमत 105 करोड़ रुपये है। इससे प्रति किलो चीनी का भाव 4,88 रुपए बैठता है। हमारे समुद्र तट पर आने के बाद उसका भाव 5,20 रुपए हो जाता है। अभी हमारे माननीय भाई ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज वगैरह: लगाकर उसका भाव 5,30 रुपए हो जाता है। ये जो टेण्डर स्वीकृत किये गए या निविदाएं स्वीकृत की गयीं वे निविदायें 5,30 रुपए के औसत दाम पर आयीं। यह बेहतर होता कि अगर इसके साथ-साथ यह भी आ जाता कि हमारी शक्कर मिलों की जो निविदाएं थीं इनमें लोएस्ट कोम्ट क्या थी। तुलना की जा सकती है कि वह अगर यह आ जाता तो आयात की गयी चीनी की अपनी शक्कर मिलों की चीनी की कीमत से तुलना की जा सकती है कि वह सस्ते भाव में बेची या महंगे भाव में बेची।

हमारी निविदाओं की औसत क्या थी ? अगर यह आ जाता तो अच्छा होता। यह जो सारा प्रश्न उठता है वह इस बात पर उठता है कि यह पूछा गया था कि क्या आयातित चीनी का मूल्य 110 करोड़ रुपये था जिसका उत्तर यह दिया गया कि नो सर। आजकल जो सरकारी दफ्तरों में उत्तर देने की पद्धति है वह यस सर या नो सर कहने की है। लेकिन नो सर या यस सर कहने से बात नहीं बनती है। इसी कारण से यह सारी स्थिति बनी।

हमने 2,15 लाख मीट्रिक टन चीनी आयात की, जिसकी कीमत उत्तर में 105 करोड़ रुपये बतायी गयी है। अगर हमारे 110 करोड़ रुपये के उत्तर में 105 करोड़ रुपये कीमत बता दी जाती तो उत्तर ठीक से आ जाता।

सभापति महोदय : अगर प्रश्न भी ठीक से पूछा जाए तो उत्तर भी ठीक से आ जाए।

श्री सत्यनारायण जटिया : दोनों बातें ठीक हैं। मेरा कहना है कि अगर एक तरफ गलती होती है तो दूसरी तरफ वह न हो।

मैं यह मानता हूं कि हमारे सरकारी दफ्तरों में जो लोग बैठे हुए है वे अगर ठीक से उत्तर दें तो अच्छा होता। हमारे मन्त्री जी तो यहां बैठे रहते हैं उन्हें डिटेल्स में जाने का मौका नहीं मिलता। अगर इस तरह से ठीक उत्तर आ जाए तो यह स्थिति उत्पन्न न हो।

हमारे यहां चीनी के बारे में जो स्थिति है वह यह है कि आज गन्ना खेतों में खड़ा है।

वे खेतों में गेहूं की लेट वेरायटी बोना चाहते हैं, किन्तु गन्ने के खरीददार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में शक्कर मिलें ठीक तरह के चल सकें और गन्ने की सही कीमत मिल सके और शक्कर का अभाव भी न हो सके, ऐसी कोई नीति बन सकती है ? देश में आने वाले समय में चीनी का अभाव न हो और किसानों को ठीक से गन्ने के दाम मिल सके और उपभोक्ताओं को समय पर शक्कर मिल सके, ऐसी कोई स्पष्ट नीति है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, चीनी का जिस कारण से आयात किया गया, मैं इसे सही नहीं मानता। अभी यादव जी ने कहा कि दीवाली को ध्यान में रखकर और दशहरा, ईद आदि त्यौहारों को ध्यान में रखकर चीनी का आयात हमारे देश में किया गया यह इनका कहना है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच में चीनी के आयात करने के कारण यही थे या कुछ और भी कारण थे और अगर कुछ और कारण थे तो वे कारण क्या थे ?

(ख) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि आयातित चीनी का कुछ हिस्सा खराब हो जाने के कारण उसे सस्ते दाम पर बेचनी पड़ी थी ? यदि हां तो उसमें सरकार को कितने रुपए की क्षति उठानी पड़ी ?

(ग) चीनी मालिकों को एक क्विंटल चीनी तैयार करने में कुल कितना खर्च पड़ता है और कितने दाम लेकर एक क्विंटल चीनी वे बेचते हैं। यह हिन्दुस्तान की जनता जानना चाहती है।

(घ) क्या चीनी के उत्पान में वृद्धि करने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य देना आप जरूरी समझते हैं ? यदि हां तो सरकार कितने रुपए देना लाभकारी मूल्य समझती है ?

आखिर में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के किसान 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने की कीमत देने के लिए आंदोलन चला रहे है ? यदि हां तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? मैंने यह सवाल इसलिए पूछा है। क्योंकि 10-11 को चंपारण जिले मे बिहार के पूरे राज्य के गन्ना उत्पादकों ने सम्मेलन किया और संभवतः वहां पर नारा दिया गया हैं कि 30 रुपए जब तक कारखानेदार गन्ने का दाम नही देंगे, उनको गन्ना नहीं दिया जाएगा। स्थिति खतरनाक है, इसके बारे में आपके विचार क्या हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री राम सिंह जी ने 5200 रुपया टन जो चीनी की कीमत बताई है उसमें सारा खर्चा स्टोरेज का, इन्टरेस्ट वगैरह का शामिल है। एफ० सी० आई० रिप्लैसमेंट के लिए उसको रखेगी। उसमें और ज्यादा खर्च नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत उसमें फर्क होगा। हम चाहते थे कि त्यौहार के मौके पर शूगर के दाम बाजार में कम हो जाएं। कुछ बिड आक्शन में 5200 रुपये से कम थीं। पहले जो आकशन हुआ था उसमें कोई बिड एक्सैप्ट नहीं की थी। इस वास्ते हमने यह मुनासिब समझा कि कुछ न कुछ शुगर जरूर बाजार में निकल जानी चाहिये। इसलिए 5200 रुपये टन में जो एक्सपैट कर ली गई उसमें कुल इससे ऊपर की भी थी। और अन्दाजा यह लगाया गया कि एव्रेज अगर निकला जाएगा तो सरकार को नुकसान नहीं होगा। उसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा। बहुत मामूली होगा। एस० टी० सी० ने अभी उसका पूरा अन्दाजा नही लगाया है।

जो शक्कर हमारे पास रह गई लेवी के लिए वह हमने इस्तेमाल की। लेवी का स्टाक जितना सरकार के पास होगा वह तो हमारा ही स्टाक है। बाहर भेजने के लिए भी हमने फैसला कर लिया है। उसका और भी कोई इस्तेमाल हम कर सकते हैं। भंडार में ज्यादा शक्कर होगी तो सरकार सोच करके कंन्यूमर्ज के लाभ के लिए और फारेन एक्सचेंज कमाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। पुजारी जी ने कर्नाटक के लिए पूछा है। कर्नाटक का कोटा 1.215 टन है महीने का। पिछले महीनों में बाकायदा इसका एलाटमेंट होता रहता है। कारखानों में शक्कर कर्नाटक सरकार आप उठाती है। एफ० सी० आई० सप्लाई नहीं करती है। इन्तजाम कर्नाटक सरकार का है। अगर देरी हो जाती है। कारखानों से शक्कर उठाने में और उसको पहुंचाने में तो उसमें भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है। कर्नाटक सरकार का अपना महकमा जो वितरण करता है, उसकी तरफ से कोई कमी हो सकती है। हमारे यहां से बाकायदा एलाटमेंट का आर्डर काफी वक्त से चला जाता है।

इम्पोर्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पुजारी जी ने कहा कि सरकार इम्पोर्ट को बैन करेगी ? जब हमने एक्पोर्ट का फैसला कर लिया है तो इम्पोर्ट की बात तो अभी पैदा ही नहीं होती है। भगवान की दया से ऐसा वक्त आता दिखाई नहीं देता कि हम इम्पोर्ट करें। खास हालत में ही ऐसा करने पर हमें मजबूर होना पड़े तो अलग बात है। हमारी नीतियों का यह नतीजा है कि पिछली कमी को हमने इन दो सालों में पूरा कर दिया है और आज हम इस काबिल है कि एक्सपोर्ट भी कर सके और उसका फैसला भी हमने कर लिया है। भन्डार बनाने का फैसला भी हमने कर लिया है। शास्त्री जी ने कहा कि किसान गन्ना दे नहीं रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं। कि पिछले सालों की निसबत इस साल ज्यादा मिलें वक्त से पहले चल गई हैं। यह जो इंसैंटिव हमने दिए हैं उसका नतीजा है। पहले कभी अक्तूबर नवम्बर के महीने में इतनी शक्कर पैदा नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है अक्तूबर में तो कोई कोई कारखाने चलते हैं लेकिन नवम्बर के आखिर तक कोई इन दोनों महीनों में सवा छः लाख टन चीनी पैदा हो चुकी थी हिन्दुस्तान के कारखानों में जो एक रिकार्ड है। इतनी शक्कर कभी पैदा नहीं हुई थी। शास्त्री जी धमकी दे रहे थे एजीटेशन की···

श्री रामावतार शास्त्री : तीस रुपये दाम तो उनको मिलने ही चाहिये।

श्री सत्य नारायण जटिया : तथा देश की सारी मिलें चालू हो गई हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सारी तो मेरे ख्याल से चालू नहीं हुई है लेकिन ज्यादा तर चल पड़ी हैं जो नहीं चल रही हैं वे दो चार रोज में मेरे ख्याल से चल पड़ेगीं और लेट तक चलेंगी। गन्ना बहुत है। देर तक क्रशिंग करने के लिए भी हमने ईसैंटिव दिए हैं ताकि कारखाने चलते रहे।

श्री सत्यनारायण जटिया : कई-कई क्षेत्रों में यह समस्या है···

राव बीरेन्द्र सिंह : शुगर प्रोडक्शन पिछली दफा की निस्बत इस बार बहुत ज्यादा है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई 65,70 लाख टन के बीच शुगर जरूर पैदा हो जायेगी। पिछले दो सालों में जबसे इस सरकार ने काम संभाला है, काफी प्रोडक्शन बढ़ गया है।

श्री सत्य नारायण जटिया : उसके लिये तो खुशी है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात यह पूछ रहा था···

सभापति महोदय : जवाब देने दीजिये । आप तो प्रश्न पूछ चुके हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह सब हमारी नीतियों का नतीजा है यह तो मान लीजिये ।

श्री सत्य नारायण जटिया : उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

सभापति महोदय : किसान को पिछले साल गन्ने की अच्छी कीमत मिली, इस वास्ते यह सब कुछ हो रहा है, गन्ने की पैदावार बढ़ी है ।

श्री सत्य नारायण जटिया : माननीय मन्त्री जी, मेरा यह कहना था कि जहां-जहां मिलें नहीं चली हैं वहां-वहां किसान अपने खेत में क्योंकि गन्ने की लेट वैरायटी बोना चाहता हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी गन्ने की मिलें चल जायें तो किसान अपने खेत का इस्तेमाल कर सकेगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल करायेंगे । किसान को पिछले साल अच्छी कीमत दिलायी और इस साल भी अच्छी कीमत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ।

यों मैं भी किसान हूं, शास्त्री जी । वह 30 रुपये मांगते हैं, मैं अगर किसान होता तो शायद इससे भी ज्यादा मांग किसान के तौर पर बाहर करूं,

श्री रामावतार शास्त्री : करिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन देखना पड़ता है कि उचित क्या है । इस सरकार ने किसान को पिछले साल ज्यादा से ज्यादा उचित भाव दिलवाये हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : पिछले साल 23 थी, इस साल साढ़े 21 हो गयी, तो यह क्या है ? यह तो कीमत कम हो गयी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : कभी किसान को तसल्ली नहीं होती । अगर दिल में तसल्ली भी हो तो किसान मुंह से नहीं कहेगा कि मुझे पूरा भाव मिल गया, जिस तरह से उपभोक्ता की कभी तसल्ली नहीं होती । कितना भी हमने चीनी का भाव गिरा दिया, इस साल 6 रुपए के करीब चीनी का भाव दशहरा, दिवाली और ईद के मौके पर रहा, क्या कभी आपको यह अन्दाज था ?

श्री सत्य नारायण जटिया : यह 1 रुपए 85 पैसे प्रति किलो बिक चुकी है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अजी साहब, जाने दीजिए ।

श्री रामसिंह यादव : वह हमारी इकठ्ठी की हुई थी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस साल भी किसान को पूरा भाव दिलवाने की सरकार की नीति ताकि शुगर की प्रोडक्शन आगे के सालों में भी इसी तरह से बढ़े ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि यह लाभकारी मूल्य हो सकता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : लाभकारी मूल्य जितना हो सकता है, वह ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारें दिलवायेंगी । इसमें आप मेरी ओपीनियन क्यों पूछते हैं ? न ओपीनियन हाउस में पूछनी चाहिए, यह कायदे के खिलाफ है न चेयरमेन साहब ?

परसनल ओपीनियन की बात न करें, सरकार की नीति की बात करें।

शास्त्री जी ने कहा कि बहुत सी चीनी का डैमेज हो गया, खराब हो गयी, और उसकी वजह से नीचे भाव से बेचनी पड़ी, तो ऐसी बात नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह अखबारों में आया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : पता नहीं, आपने अखबारों में खबर देकर निकलवा दिया हो तो ···

श्री रामावतार शास्त्री : जितने बड़े-बड़े अखबार हैं, हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स बगैरहा, यह सब पूंजीपतियों के हैं। क्या ये हमारे अखबार हैं? यह तो हमारे जैसे आदमियों का नाम भी नहीं छापते।

राव वीरेन्द्र सिंह : अखबारों की गलत खबरें भी तो मिल जाती हैं ना? उनकी सफाई करना भी हमारा काम है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अधिकार पूर्वक कह रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा एक जबाव दीजिए, एक क्विन्टल चीनी तैयार करने में कितना खर्च होता हैं। और वह बेची कितने में जाती है, इससे अन्दाजा लग जायेगा।

राव वीरेन्द्र सिंह : अन्दाजा बताया, पहले भी बता चुका हूं। जटिया जी ने कह दिया कि सरकार को जबाव ठीक देना चाहिए और उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं था डागा जी के जबाव सवाल में। मेरा कहना है कि बड़ा फर्क है, कहां 21 हजार टन और कहां 2 लाख 15 हजार टन?

श्री सत्यनारायण जटिया : सही उत्तर में क्या फर्क पड़ता है?

राव वीरेन्द्र सिंह : आपकी बात से हम इस तक सहमत हूं। कोशिश हमारी यही होती है, जाती तौर पर मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक आनरेबल मेम्बर्स को इन्फार्मेशन चाहिए, वह हमें ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। अगर उसमें कोई कमी रही है तो वह क्वैश्चन इस तरह रखा गया है कि उसका वही जबाव बनकर आ गया। शार्ट इन्फार्मेशन दी, अगर उसके आगे सवाल पूछा जाता है तो सारी चीज सफल हो जाती है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इन्हीं के जवाव देते हैं, मेरा नहीं दे रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : जबाव छोटा इसलिए देता हूं कि हाउस का समय न लगे, उसके बाद सप्लीमेंटरीज के लिए जो इन्फार्मेशन चाहिए आनरेबल मेम्बर्स चाहते हैं, वह हम पूरी देने के लिए तैयार हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे सवाल का जबाव क्या है?

राव वीरेन्द्र सिंह : आपके सवाल का जबाव पहले दिया जा चुका है। हमने इस बार फैक्ट्रीज की प्राडक्शन की कास्ट की जो ऐवरेज लगाई, वह 289 रुपए है, जिसके आधार पर हमने शूगर की कीमत 3 रुपये 65 पैसे तक की है। पहले वह 285 रुपए थी ···

श्री रामावतार शास्त्री : कारखानेदार के कितने रुपए लगे एक क्विंटल पर और वह बेचता कितने पर है?

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं कारखानेदार नहीं हूं। मैं कैसे बता दूं ? वैसे कारखाने कारखाने में फर्क है, मशीन-मशीन में फर्क और जोन-जोन में फर्क है। हर कारखाने की कास्ट आफ प्राडक्शन अलग होती है, अगर वह एक-एक हफ्ते की नहीं, एक-एक दिन की अलग होती है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो कोई जवाब नहीं है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं तो ऐसा ही जवाब दे सकता हूं। मैं ऐसा जवाब कैसे दे सकता हूं, जो ठीक न हो ? कल आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन दे देंगे। इस लिए मैं आपसे बड़ा घबराता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस तरह से आपस में डायलाग न कीजिए।

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

सभापति : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 के निम्नलिखित आशय के सन्देश प्राप्त हुए हैं :—

(एक)

मुझे आपको सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार, सदस्य, लोकसभा को, जिन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू की गयी निषेधाज्ञा का अपने दल के अन्य 7 कार्यकर्ताओं के साथ राजपथ, रफी मार्ग चौराहे पर लगभग 2 बजे म० प० स्वेच्छा-पूर्वक उल्लंघन किया, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के मामले प्रथम सूचना रपट संख्या 623 दिनांक 11-12-1981 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए जाने का आदेश देना अपना कर्तव्य समझा उन्हें क्षेत्रीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जा रहा है।

(दो)

कृपया इस कार्यालय का दिनांक 11-12-81 का पत्र देखें, जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार, सदस्य, लोक सभा को पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 623 दिनांक 11-12-81 के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गम गि-रफ्तार किया गया था।

उन्हें अपने दल के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के न्या-यालय में 15.45 बजे पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें चेतावनी देकर अन्य व्यक्तियों सहित रिहा कर दिया।

8.23 तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 14 दिसम्बर, 1981/23 अग्रहायण, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक— आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।